खण्ड-374, अंक-7
शुक्रवार, 25 माघ, शक संवत् 1907
(14 फरवरी, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
अतारांकित प्रश्न 86 के स्थगन की सूचना	2
प्रश्नोत्तर	2–63
कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के स्थगन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	63–64
हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय में अधिकारियों व कर्मचारियों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64
स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा मनमानी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
बलिया जनपद की बांसडीह तहसील में अधिकारियों की लापरवाही से शीतलहरी में हरिजनों को सुविधा न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64–65
आगरा जनपद के कानपुर––जयपुर 400 के0 बी0 विद्युत लाइन से प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
ललितपुर जनपद को कतिपय ब्लाकों में ओला वृष्टि व कीड़ों से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
सहारनपुर जनपद में अधिशासी अभियन्ता (नलकूप) की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार से 95 नलकूपों के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65–66
गाजियाबाद जनपद में गढ़मुक्तेश्वर ब्लाक के कतिपय बाढ़ प्रभावित गांवों को सरकारी सुविधायें दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
नियम 301 की सूचना स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	66–67
कानपुर में चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में तत्काल जांच कराये जाने की मांग ..	67–70
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70–71
भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा सरकारी आवास आदि की सुविधाओं का उपभोग, वर्तमान मंत्रि परिषद् में न होने पर भी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	71–74
श्री अध्यक्ष के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास ..	74
पिछले सत्र की कार्यवाहियों के मुद्रण में विलम्ब होने तथा उनके वितरित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	74–75
सिंचाई विभाग में इस वर्ष 400 अतिरिक्त नलकूप लगाये जाने के निर्णय का उल्लेख प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों में न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	75–78

विषय	पृष्ठ-संख्या
भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त द्वारा वन टांगिया मजदूरों की समस्या के निदान हेतु दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन न होने तथा मजदूरों की फसलों को जलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	78
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, वर्ष 1985–86 का तेइसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	79
मया ब्लाक, फैजाबाद के महबूब गंज बाजार में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने विषयक श्री फयाराम वर्मा आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) ..	79
कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं को लिये जाने की मांग	79
दिनांक 24 फरवरी को रविदास जयन्ती के अवसर पर कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा बजट पर सामान्य चर्चा रखे जाने पर आपत्ति	79–80
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	80–81
भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 (पुरःस्थापित किया गया) ..	81
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	81–87
थाना सुरेरी, जौनपुर में श्री सुखनन्दन की हत्या की सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण	87–96
1985–86 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा	96–110
1985–86 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 1 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	110
अनुदान संख्या 2––आवास एवं नगर भूमि विकास (स्वीकृत) ..	110
अनुदान संख्या 3––उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज (स्वीकृत) ..	110
अनुदान संख्या 4––उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ..	110–111
अनुदान संख्या 5––उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	111
अनुदान संख्या 6––उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) ..	111
अनुदान संख्या 7––ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	111
अनुदान संख्या 8––कार्मिक विभाग (स्वीकृत)	111
अनुदान संख्या 9––कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत) ..	111–112
अनुदान संख्या 10––कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	112
अनुदान संख्या 11––खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ..	112
अनुदान संख्या 12––गन्ना विकास विभाग (स्वीकृत) ..	112

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ..	112
अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ..	112--113
अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशने तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत)	113
अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	113--114
अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ..	114
अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	114
अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग (स्वीकृत) ..	114
अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ..	114
अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	114--115
अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग (स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग (स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग (स्वीकृत) ..	115
अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या 29--न्यायविभाग (स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या 30--पंचायती राज विभाग (स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग (स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विभाग (स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग (स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ..	117
अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	117
अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग (स्वीकृत)	117
अनुदान संख्या 39--मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	117
अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ..	117
अनुदान संख्या 41--राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	117--118
अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ..	118
अनुदान संख्या 45--लोक सेवा आयोग (स्वीकृत)	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 46--वन विभाग (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	118--119
अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या 50--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) ..	119
अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ..	119
अनुदान संख्या 54--विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ..	120
अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग (स्वीकृत) ..	120
अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) ..	120
अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ..	120
अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ..	120-211
अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) (स्वीकृत) ..	121
अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ..	121--122
अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग (स्वीकृत)	122
अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ..	122
अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ..	122
अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ..	122
वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य के वितरण के संबंध में की गयी व्यवस्था की सूचना	122--123
वित्तीय वर्ष 1986--87 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया) ..	123-134
1985--86 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य) (स्वीकृत) ..	135
अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग (स्वीकृत)	135
अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	135

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 80—स्पोर्टस विभाग (स्वीकृत)	..	..	135
अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण बिभाग (स्वीकृत)		..	135
अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वीकृत)		..	136
उत्तर प्रदेश विनियोग (1985–86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 (पारित)			136
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	..	136–143
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)		..	143
नत्थियां	.. ..	..	144– 153

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 14 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	राय बरेली
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	विक्रमादित्य पांडेय, श्री	बलिया
देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा	शिव बख्श सिंह राठौर, श्री	मैनपुरी
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा	शिव बालक पासी, श्री	राय बरेली
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली

नोट :—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा, राज्य मंत्री भी अनुपस्थित थे ।

अतारांकित प्रश्न 86 के स्थागन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज की कार्यसूची का अतारांकित प्रश्न 86 मैं स्थगित करता हूं ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 14 फरवरी, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव की मांग

**1—श्री सरदार सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री शिव नारायण मिश्र तथा श्री सूर्य प्रताप सिंह शाही---

क्या सहकारिता मंत्री की जानकारी में है कि अनेक आश्वासनों के बावजूद भी प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये जा सके हैं ? यदि हां, तो क्यों ? शासन इन संस्थाओं के चुनाव कब तक करा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)---

सहकारिता विभाग के अधीन सहकारी संस्थाओं में चुनाव की प्रक्रिया 3 अक्टूबर, 1985 से प्रारम्भ करने के कार्यक्रम की घोषणा निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा की गई थी परन्तु उससे पूर्व ही प्रदेश में अतिवृष्टि एवम् भीषण बाढ़ के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाने के फ़ल-स्वरुप चुनाव का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा । अब चुनाव का नया कार्यक्रम शीघ्र ही निर्धारित किया जा रहा है ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में चुनाव की घोषणा कर दी थी, सभी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन शासन ने चुनाव स्थगित कर दिया । इससे जनता में असन्तोष है, जो जनतांत्रिक प्रणाली है, सरकार उसका गला घोट रही है । कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि मई तक जिला परिषदों का गठन कर दिया जायेगा । क्या माननीय मंत्री जी आज कोई निश्चित समय निर्धारित करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

जैसा माननीय सदस्य ने कहा मान्यवर, शासन की मंशा चुनाव कराने की थी, उसी आधार पर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था लेकिन दैवी विपदा के कारण प्रदेश में बाढ़ आ गई और सदन के सभी माननीय सदस्य अवगत है, उस समय चुनाव कराना सम्भव नहीं था, अब निकट भविष्य में चुनाव करा दिये जायेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियों, समेत जिला सहकारी बैंक, उपभोक्ता भण्डार के चुनाव कब तक सम्पन्न करा देंगे ? तथा चुने हुये जन-प्रतिनिधियों के हाथों में इनको कब तक सौंप देंगे । कोई तारीख बतायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मैंने निवेदन किया सारी चुनाव की प्रक्रिया उसी परिपेक्ष्य में शुरु होगी, थोड़ा समय का अन्तराल जरुर होगा । निकट भविष्य में चुनाव करा दिये जायेंगे ।

श्री सूर्यप्रताप शाही---

मान्यवर, बाढ़ को बीते 4 महीने हो गया । मान्यवर बाढ़ के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल दिये गये, नये मुख्यमंत्री आ गये मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई टेनटेटिव कार्यक्रम आपने तैयार किया है ? कब तक निश्चित तारीख के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों, उच्च सहकारी समितियों तथा सहकारी समितियों के चुनाव करा देंगे ? कोई निश्चित तिथि माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, मैंने सरदार सिंह जी से निवेदन किया, तिवारी जी से निवेदन किया और उन्हीं से मिलता जुलता है इनका भी प्रश्न है । मैंने कहा सरकार की मंशा निकट भविष्य में चुनाव कराने की है । जो समय रखा गया है जून तक का है, उसी के अन्तर्गत चुनाव करा देंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, मैं यह निश्चित रूप से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस सत्र की समाप्ति के पूर्व इस संबंध में कोई निश्चित कार्यक्रम की घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने मा0 श्री जयदीप सिंह बरार को बुलाया है । आप बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, कोआपरेटिव समितियों के संबंध में जो नियम आदि बने हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह कहना चाहता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक जुलाई से प्रारम्भ होता है । सहकारी वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है । यदि यह चुनाव 15 जून को होते हैं तो उस हिसाब से 30 जून को ही एक वर्ष मान लिया जायेगा, उस हिसाब से एक वर्ष पूरा हो जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया अपनायेंगे जिससे चुने हुए प्रतिनिधियों को पूरे 3 वर्ष या यथासंभव 3 वर्ष का कार्यकाल मिल सके ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, मैंने इसी आधार पर सम्मानित सदस्यों को उत्तर दिया । सहकारी समितियों के सम्बन्ध में एक अच्छी चुनाव प्रणाली बन जाये उसमें योग्य लोगों का चयन हो सके, उसी परिपेक्ष्य में मैंने तमाम जिलों में समय-समय पर गोष्ठियां आयोजित की, उसमें तमाम सहकारिता से जुड़े प्रबुद्ध लोगों की जो सलाह आयी हैं, उनको इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है । मान्यवर, चुने हुए प्रतिनिधियों को पूरा समय मिलें, उसी आधार पर चुनाव कराये जायेंगे ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ़---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्च न्यायालय ने कुछ जिलों में कोआपरेटिव बैंक आदि में चुनाव कराने के आदेश दिये हैं और उसकी कोई तिथि भी निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से जनपद हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, जिस जिले से माननीय सदस्य सम्बद्ध हैं, बस्ती उसमें चुनाव कराने की बात है, बनारस में सहकारी उपभोक्ता केन्द्र की बात है । 3 जगह के लिये कोर्ट के आर्डर आये हैं ।

श्री कुशलपाल सिंह---

मान्यवर, मथुरा जिले की विभिन्न सहकारी समितियों से सम्बद्ध भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की बात पिछले सत्र में उठी थी, उसको मंत्री जी ने स्वीकार भी किया था । क्या मथुरा जनपद की विभिन्न सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिनके लिये सत्ता पक्ष के विधायकों तथा सांसद ने भी शासन को लिखकर के दिया है, वहां से हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं की आस्था को गिराने के लिये आप लोग जबरदस्ती प्रशासकों को बिठालकर उनकी मर्यादाओं को खत्म कर रहे हैं पहले आपने बाढ़ के नाम पर इसे टाला, परिसीमन के नाम पर टाला, क्या इस बार भी किसी बहाने से इसे टाला तो नहीं जायेगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी निश्चित कार्यक्रम की घोषणा करेंगे कि कब शुरु होंगे और कब खतम होंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, मैंने पहले ही आपके माध्यम से निवेदन किया है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी बहाने से चुनाव स्थगित कराने की कोशिश की है । जो आपकी मंशा है, वही सरकार की मंशा है । मैं भी जनता और जम्हूरियत में विश्वास रखता हूं । शासन का यह प्रयास है कि शीघ्रातिशीघ्र जनप्रतिनिधियों का इसमें चयन हो जाय ।

श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गिरोहबन्दी अध्यादेश जारी करने की घोषणा भी की है, कि जो प्रशासक क्रिमनल किस्म के हैं और जिनके खिलाफ गुण्डा ऐक्ट भी चल चुके हैं और वह शासन की जानकारी में भी है क्या ऐसे तत्वों को स्वच्छ प्रशासन लाने के लिये चुनाव से पहले हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री सरदार सिंह जी ने जो भावना व्यक्त की है, इस संबंध में मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी सदस्य को और ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रशासक बनने का कोई अधिकार नहीं है जो अपराधिक प्रवृत्ति का हो। मान्यवर, प्रशासक का चयन, उसका समिति के सदस्य का होना, डिफाल्टर न होना आदि मान्यताओं और नार्मस के आधार पर प्रशासक का चयन किया जाता है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी प्रशासक नहीं है, जो क्रिमनल किस्म का हो । यदि माननीय सदस्य की जानकारी में है, तो वह बतायें । ऐसे जो प्रशासक होते हैं, उनको हटा दिया जाता है ।

सरकार द्वारा धान की खरीद का लक्ष्य

**2---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष सरकार द्वारा कुल कितना धन सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीदने का लक्ष्य था ? अब तक कुल कितना खरीदा जा चुका है तथा धान मिलों द्वारा अब अब तक कुल कितना धान खरीदा जा चुका है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री श्री मानपाल सिंह)---

इस वर्ष 1985-86 में सरकारी एजेंसियों के लिये धान खरीद का लक्ष्य 25 हजार मी0 टन रखा गया था जिसे बाद में संशोधन करके 2 लाख मी0 टन कर दिया गया है ।

अब तक (दिनांक 1 फरवरी, 1986) एजेंसियों द्वारा कुल 89,978 मी0 टन धान खरीदा जा चुका है । इसके अतिरिक्त चावल मिलों द्वारा अब तक 19,86,699 मी0 टन धान खरीदा गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस प्रश्न के उत्तर की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि 2 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो अभी तक खरीदा गया है, वह केवल 40 प्रतिशत ही खरीदा गया है जो, लक्ष्य का आधे से भी कम है । क्या इस लक्ष्य की पूर्ति न करने का कारण क्रय एजेन्सियों को देर से खोलना, उन्हें निर्धारित मात्रा में धान का आवंटन न करना, बोरों का उपलब्ध न करना और जो कर्मचारी वहां पर तैनात थे, उनका मिल मालिकों से साठ-गांठ होना तो नहीं है यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये आपने क्या व्यवस्था की है । क्या इसके अलावा भी कोई अन्य कारण है आपके संज्ञान में, जिसके कारण काश्तकारों को आपकी एजेन्सियों द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---

मान्यवर, माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि यह धान क्रय करने की योजना केवल किसानों को समर्थन मूल्य देने के रूप में शुरु की गई थी ताकि किसानों को धान की कम कीमत न मिले और उनका उत्पीड़न न होने पाये । कोई लक्ष्य इसके लिये निर्धारित नहीं किया गया था । हां, जहां पर हमको शिकायतें मिलें कि वहां पर डिस्ट्रेस सेल हो रही है तो हमने वहां पर क्रय केन्द्र खोले । वैसे भी धान की कीमत उनको बाहर ज्यादा मिल रही है, इसलिये भी किसान हमारे पास नहीं आयें । यह सही है कि शुरु-शुरु में बहुत ढिलाई हुई और कुछ दिक्कतें भी आई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने उन्हें धन का आवंटन करने और बोरों की आपूर्ति करने का पूरा प्रयास किया यही कारण है कि इतनी ज्यादा मात्रा में धान की खरीद हुई, जो पहले कभी नहीं हुई थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर,मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी जानबूझकर अनजान बन रहे हैं और या फिर जानबूझ कर

तयों को छिपा रहे हैं । मैं मा0 मन्त्री जी का ध्यान अपने जनपद की तरफ ले जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वहां कैसे क्या कार्य हो रहा है । माननीय कृषि मन्त्री, जो स्वयं मन्त्रिमन्डल के सदस्य हैं, वहां निरीक्षण करने गये थे, मैं भी उनके साथ था, श्री बुनियाद हुसैन जी भी थे । माननीय मन्त्री जी ने जब देखा तो पाया कि, खरीद प्रारम्भ होने की घोषणा के 20–25 दिन बाद वहां गये थे, उन्होंने देखा कि अनेक केन्द्रों में ताला लगा हुआ था । काश्तकारों ने बताया था कि 100 रु0 110, रु0 और 120 रु0 में धान बेचा है । माननीय मन्त्री जी ने जो जांच की थी, उसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी होगी । खरीद का लक्ष्य आपने तय कर लिया, मिलवालों का लक्ष्य बता दिया किन्तु केन्द्र विलम्ब से खोलने कारण और धान केन्द्र दूर-दूर होने के कारण निर्बल वर्ग के जो काश्तकार हैं, उनको अपना धान 100 रु0 110 रु0 और 120रु0 में बेचने के लिये मजबूर होना पड़ा । यदि यह सही है तो भविष्य में इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही करेंगे ? उन अधिकारियों के खिलाफ़ क्या कार्यवाही कर रहे हैं,जिनकी शिथिलता, अकर्मण्यता और लापरवाही के कारण केन्द्र देर से खुले ?

श्री हुकुम सिंह--

पहले उत्तर में भी स्वीकार किया कि कहीं-कहीं ढिलाई रही है । जब कोई काम शुरु करते हैं तो एकदम तीव्र गति से नहीं शुरु होता है । शुरु-शुरु की बात थी, माननीय कृषि मंत्री मौके पर गये, खाद्य सचिव भी गये, जहां-जहां ढिलाई देखी दूर करने का प्रयास किया । गत वर्ष में या उससे पहले जितना राज्य सरकार द्वारा क्रय किया जा सकता था, उसे दुगने से ज्यादा क्रय किया गया । जैसे-जैसे कठिनाइयां आ रही हैं, दूर करने का प्रयास कर रहे है,आगे भी प्रयास करेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मूल्य समर्थन के अन्तर्गत धान की खरीद की । मैं अपनी निजी जानकारी देते हुये बताना चाहता हूं कि बरेली, रामपुर और नैनीताल में समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बहुत समय तक धान बिकता रहा । इसका कारण यह है कि समर्थन मूल्य की घोषणा तो कर देते हैं लेकिन लागू तभी करते हैं जब धान का मूसय समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाता है । क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि समर्थन मूल्य की योजना जब लागू करें तो फसल के मार्केट में आने से पहले खरीद केन्द्र प्रारम्भ कर दिये जायं ?

श्री हुकुम सिंह--

बरेली और नैनीताल में सबसे ज्यादा धान पैदा होता है । वहां पर उत्पादकों को कठिनाई आयी है । इसीलिये क्रय केन्द्र खोले गये । सरकार का यह लक्ष्य नहीं था कि धान खरीदकर बेचें, बल्कि वह इसलिये आयी कि धान ज्यादा पैदा हो गया है और मूल्य गिर रहा है, इसलिये वह बाजार में गयी । गत वर्ष जहां 615 क्रय केन्द्र थे, इस वर्ष 784 क्रय केन्द्र किये गये । इससे पहले तीन एजेन्सियां थीं--भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ तथा राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम । इस वर्ष 5 एजेन्सियां लगायीं ताकि दिक्कत न आये । इसके अलावा कैश क्रेडिट में भी दिक्कत आयी लेकिन इस वर्ष--उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को 15 करोड़, राज्य खाद्य निगम का 3 करोड़, एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन को 10 करोड़ तथा मण्डलीय विकास निगम गोरखपुर और बरेली को 1 करोड़ रु0 कैश क्रेडिट के रूप में सुनिश्चित कराया ताकि किसानों को कठिनाई न आये और जितना भी सरकार के लिये संभव था किसानों की सहायता सरकार ने की ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, जो कुछ हो गया, उस पर तो ये लीपा-पोती करेंगे ही, यह अपेक्षा तो मंत्री जी से है ही। परन्तु जो स्थिति हमारे सामने आ रही है और जो चिन्ता का विषय है कि आपने खरीद के लिये लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें से केवल 40 प्रतिशत ही धान की खरीद हुई है । मिल मालिकों ने 10 लाख मै0 टन से ज्यादा धान खरीद जिसे

100 रु0 से 120 रु0 तक किसानों से खरीद लिया है। सुनिश्चित हो गया कि मिल मालिकों ने कम कीमत पर धान खरीदा है, सुनिश्चित हो गया कि कोई व्यवस्था सरकार किसान का धान खरीदने के लिये नहींकर पायी, सुनिश्चित हो गया कि किसानों ने आशा से अधिक धान को पैदा किया अब मैं भविष्य के लिये आश्वासन चाहता हूं कि क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जब कभी क्रय केन्द्र खोले जायेंगे उसके लिये 5 किलो मीटर से ज्यादा दूर किसी किसान को न जाना पड़े । जितना भी धान किसान बेचना चाहता है, क्या आप उसे पूरेका पूरा खरीदने के लिये गारन्टी लेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, शायद मैं अपना आशय स्पष्ट नहीं कर पाया, ठीक भी है कि जहां ऐसे-ऐसे विद्वान सदस्य बैठे हों वहां कठिनाई तो आती ही है। जहां तक मिल मालिकों का प्रश्न है उनका तो काम ही क्रय करना है, वह तो अपना व्यवसाय ही चला रहे हैं। चावल पर लेवी सरकार देती है । मिल मालिक किसानों का शोषण न करें इसी वजह से सरकार को बाजार में उतरना पड़ा समर्थन मूल्य को देने के लिये। अगर किसी गांव में दो किसान ही हैं, तो आप क्या समझेंगे कि दो किसानों के लिये 5 किलो मीटर पर क्रय केन्द्र खोल दिये जायेंगे समर्थन मूल्य को देने के लिये ? सरकार को क्रय केन्द्र खोलने पर कितना धन व्यय करना होता है, यदि ऐसा किया जाये तो इसे भी आप सही नहीं मानेंगे। हां, क्रय केन्द्र इतने खोले जायेंगे कि किसानों को कठिनाई न आये समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये और उन्हें पूरी सुविधा उपलब्ध हो ।

श्री राम सरन--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्योंकि हम और वे एक ही जगह के रहने वाले हैं, उनके यहां धान पैदा होता है और हमारे यहां भी धान पैदा होता है। अगर मंत्री जी की बात सच्ची है तो वे अपने सीने पर हाथ रख कर सदन को अवगत करायें कि किसान का धान एजेन्सियों के द्वारा खरीदा गया है ? मैं कहता हूं कि एक छटांक भी धान आपकी ऐजेन्सियों ने नहीं खरीदा है, सारे का सारा धान व्यापारियों ने खरीदा है और रात में वही धान ऐजेन्सियां, व्यापारियों से खरीदा करती थी। किसानों का तो 99 रु0 से लेकर 125 रु0 तक का धान बिका। मंत्री जी की बात में जरा भी सच्चाई नहीं है । अगर सच्चाई है तो वे अपने सीने पर हाथ रख कर उससे सदन को अवगत करावें ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, सीने पर हाथ तो आप ही रख सकते हैं । 12 तारीख तक संकलित सूचना के अनुसार ऐजेन्सियों ने अब तक 92,990 मै0 टन किसानों से धान क्रय किया है। माननीय सदस्य के क्षेत्र में, बड़े अच्छे किस्म का धान पैदा होता है, लेकिन ये क्षेत्र में रहते कम हैं इसलिये इनको अपने क्षेत्र की जानकारी कम है ।

(नत्थी (ख), तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, यह तो [× × ×]।

श्री अध्यक्ष--

इसी एक प्रश्न पर 15 मिनट हो गये हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

आप दल के हिसाब से पूछने का समय नहीं देते । कितनी बार मैं खड़ा हुआ हूं परन्तु आपने देखा ही नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

[दिनांक 14 फरवरी, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ, ग्राम खरेहना विरसिंहपुर में चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1--श्री शारदा प्रताप--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खरेहना विरसिंहपुर परगना निगोहा, तहसील मोहनलाल गंज लखनऊ में चकबन्दी के दौरान संबंधित बन्दोबस्त

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जा रही गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें उक्त गांवों में निवासियों द्वारा की गयी हैं ? यदि हां, तो गत जनवरी, 1985 से अब तक कितने शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए, उनमें मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा इन पत्रों पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई ? क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा जांच किसके द्वारा कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)---

जी हां। माह जनवरी, 1985 से अब तक शासन को दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए प्रतीत होते हैं जिनमें प्रमुख शिकायतें गलत मूल्यांकन अवैधानिक हस्तान्तरण, उड़नचक, स्टाम्प शुल्क बचाने आदि की है। चकबन्दी आयुक्त से जांच एवं कार्यवाही के लिये कहा गया है। जांच एवं कार्यवाही रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

श्री शारदा प्रताप---

मान्यवर, यह लखनऊ जनपद की तहसील मोहनलालगंज का मामला है और लगभग एक वर्ष हो गया है, माननीय मंत्री जी के विभाग को शिकायत गयी है। माननीय मंत्री जी स्वयं अपने विभाग पर आश्वस्त नहीं हैं कि कितने शिकायती पत्र उनको मिले हैं। उनका कहना है कि दो शिकायती पत्र मिले प्रतीत होते हैं, उनको कोई निश्चित जानकारी नहीं है। और मान्यवर, अवैध हस्तान्तरण, गलत मूल्यांकन और काफी संख्या में उड़ान चक दिये जा रहे हैं। ऐसी अनियमिततायें होने के बाद भी अभी तक जांच न करायी जाये, यह बात समझ में नहीं आती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं जैसा कि आपने कहा कि इसे चकबन्दी आयुक्त को कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है तो इसकी जांच चकबन्दी आयुक्त करेंगे अथवा इसके साथ किसी अन्य अधिकारी से करा रहे हैं और ही साथ माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि कब तक जांच करा लेंगे, कोई निश्चित तिथि बतायेंगे ?

श्री गौरी शंकर---

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि इस सारे प्रकरण पर गंभीरता के साथ जांच करायी जा रही है। चकबन्दी आयुक्त से कहा गया है कि इसकी जांच कराये और जांच की रिपोर्ट जब आ जायेगी तो उसके परिणामों को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

श्री शारदा प्रताप---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रकरण की जांच किस स्तर के अधिकारी से करा रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर---

इसमें एस0 ओ0 सी0 की भी शिकायत है तो एस0ओ0सी0 स्तर से ऊपर के अधिकारी से ही जांच करायी जायगी, उससे नीचे का अधिकारी जांच नहीं कर सकता है।

श्री भगवती सिंह विशारद---

मान्यवर, यह जनवरी, 1985 का शिकायती पत्र है, जो उन्हें प्राप्त हुआ है और अब 1986 चल रहा है। एक वर्ष हो रहा है, चकबन्दी की जो विभिन्न प्रक्रियायें हैं, वह इतने समय में पूरी हो जायेगी और इसका परिणाम यह होगा कि सारे काश्तकारों की अपीलें करनी पड़ेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने समय तक जांच न करने का कारण क्या है ?

श्री गौरी शंकर---

मान्यवर, सार प्रकरण पर त्वरित गति से जांच करने के लिये चकबन्दी आयुक्त को निर्देश दे दिये गये हैं और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी, उससे अवगत करा दिया जायेगा।

*2---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

[दिनांक 7-2-86 को ता0 प्र0 सं0 6 द्वारा उत्तरित।]

सुल्तानपुर, सहायक निदेशक, श्री एन0 सी0 सिन्हा, पोषाहार, प्रोग्राम अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत चनें की खरीद में की गयी अनियमितता

*3---श्री कौशिक रमाशंकर---

क्या हरिजन एव समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में जनपद सुल्तानपुर में सहायक निदेशक पोषाहार श्री एन0 सी0 सिन्हा तथा प्रोग्राम अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने

मिलकर बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत लगभग 10 लाख रुपये का पोषाहार जिनमें चना, 10 रुपये प्रति किलो की दर से तथा स्टोव 290रु0 प्रति स्टोव की दर से खरीद कर सरकारी धन का दुरुपयोग एवं हेरा-फरी की है ?यदि हां, तो क्या इन दरों पर क्रय का आदेश शासन द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो सभी संबंधित अधिकारियों को हटाकर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जिला क्रय समिति की उप समिति के समक्ष दिनांक 25-9- 84 को खोले गये टेण्डर के आधार पर वित्तीय वर्ष 1984-85 में सुल्तानपुर की 9 परियोजनाओं के लिये कुल 5,52, 150 रुपये का पुष्टाहार (चना) निम्नलिखित दर से क्रय किया गया:--

(1)--100 कुन्तल कच्चा चना देशी 640 रु0 प्रति कुन्तल की दर से ।

(2)--160 कुन्तल कच्चा चना फार्म 695 रु0 प्रति कुन्तल की दर से ।

(3)--310 कुन्तल भुना चना देशी 895 रु0 प्रति कुन्तल की दर से ।

(4)--100 कुन्तल भुना चना फाम 995 रु0 प्रति कुन्तल की दर से ।

इसके अतिरिक्त 776 प्रेसर स्टोव 280 रु0 प्रति स्टोव की दर से क्रय किये गये । जिसके लिये शासन तथा निदेशालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गये थे ।

इस मामले की प्रारम्भिक जांच की गई जिसमें कुछ अनियमितताये प्रकाश में आईं । इसलिये इस प्रकरण की विस्तृत जांच एक उच्च अधिकारी को सौपी गयी है । प्रारम्भिक जांच के आधार पर अनियमितता करने के लिये संदिग्ध अधिकारी के स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सदर्भ में मैं माननीय मत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो टेन्डर खोले गये उनकी न्यूनतम दर क्या थी और अधिकतम दर क्या थी ? मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो 776 प्रेसर स्टोव 280 रु0 प्रति स्टोव की दर से खरीदे गये जिसके लिए शासन से न तो कोई आदेश था और न निर्देश थे और न ही निदेशालय से इस प्रकार के कोई आदेश थे कि स्टोव खरीदा जाय तो 776 प्रेसर स्टोव 280 रु0 प्रति स्टोव की दर से जिस अधिकारी ने खरीदा उसके खिलाफ अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है और दूसरा इस प्रकरण में किस अधिकारी से वह जांच करा रहीं हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अभी हमारे विद्वान सदस्य महोदय ने एक साथ 4 प्रश्न पूछ लिये, आप मुझे समय दीजिए कि मैं एक के बाद एक का उत्तर दूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कौशिक जी को धन्यवाद दे रही हूं कि उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे, जिसके कारण भी मेरी प्रेरणा जागृत हो गयी है और कुछ करने का मन चाह रहा है जिसमें आप सब, पक्ष और विपक्ष दोनों संतुष्ट हों । मान्यवर, एक तो अभी इन्होंने पूछा प्रेशर कुकर के बारे में, मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया कि इसके आदेश उनको नहीं दिये गये थे और यह जो धन 5लाख दिया गया जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, वह पैसा पुष्टाहार के लिए था प्रेसर स्टोव के लिए नहीं था नम्बर एक 1 नम्बर 2 उन्होंने कोई आदेश भी नहीं लिया और न0 3 इस बात के लिए सारे जिलों में आदेश मैंने कर दिया है सब जिला अधिकारियों को, हरिजन समाज कल्याण अधिकारियों को कि जो पैसा जो धन पुष्टाहार के लिए दिया जाता है वह अन्य किसी वस्तु के लिए न खर्च किया जाय, यह बच्चों के साथ अन्याय है इस बात के लिए मैंने ऐक्शन ले लिया है ।

दूसरा आपने पूछा कि इसके रेट क्या थे, इसके रेट भी हैं । इसके पहले मैं बताऊं कि कौन-कौन सी सस्थायें हैं । एक मेसर्स सजय है, एक सुन्दर ट्रेडिग कम्पनी है और एक विजय एजेन्सी है इसी तरह से 4-5 और हैं । इसमें बहुत होशियारी से काम लिया गया है । मान्यवर, कच्चा चना है जैसे 790, 700, 645 745 और पांचवां 640 सुन्दर ट्रेडिग कम्पनी

का है इसको लिया गया है जो सबसे लोएस्ट है लेकिन एक और इसके अन्दर सवाल उठता हूं कि बाजार भाव क्या है, जहां तक मैं एक गृहणी के रूप में हूं मैं समझती हूं कि 500 रुपये होगा। जो सबसे कम टैन्डर है वह बाजार भाव से काफी अधिक है और कहिये तो और भी पढ़ दूं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, यह नम्बर दो हो गया। अब नम्बर तीन यह कि कौन अधिकारी ने जांच की। मान्यवर, पहली जांच जो करी है वह राजेन्द्र मोहन शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्टर, मैनेजर, उत्तर प्रदेश है।

(व्यवधान)

जब चार सवाल किये हैं तो उसके जवाब में भी समय लगेगा। तो मान्यवर जो दोषी व्यक्ति पाया गया श्री हरिहर प्रताप सिंह, जिन्होंने क्रय आदेश दिया था उनका ट्रांसफर कर दिया गया। यह उत्तर में है। लेकिन बात यहां पर खतम नहीं होती और आप कहेंगे कि ट्रांसफर इज नो पनिश मेन्ट। (व्यवधान)। उसके लिये एक उच्च स्तरीय जांच हमने बिठा दी है।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में जनपद के सांसद और विधायकों आदि से लिखित शिकायती पत्र कई बार उनको प्राप्त हुए, कई महीने पहले? उन पर कार्यवाही करने में अब तक इतनी देर क्यों की गई? साथ ही साथ जैसा कि वे बता रही हैं कि उन्होंने इस व्यक्ति का ट्रांसफर कर दिया है। क्या इसकी जांच करने की भी कोई प्रक्रिया अपनायेंगी और सदन को अवगत करायेंगी? क्योंकि यह अहम और बच्चों के पोषाहार का मामला है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर; मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि जो भी हमारे पास शिकायतें आयीं उन पर हमने जांच बिठा दी है जो क्रय करने के आदेश दिये गये हैं। उस संबंध में टेन्डर 25-9-84 को खुले हैं, क्रय आदेश अक्टूबर में दिये गये और दिसम्बर में हमने जांच बिठा दी। उसकी जांच आख्या कल आ गई। जब हमने देखा कि प्रथम जांच में अनियमिततायें हैं तो कल ही यानी 13 तारीख को एक उच्च स्तरीय जांच विठा दी और अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो जो जनजाति का यह निगम है उसके डायरेक्टर श्याम सुन्दर जी हैं, उनको हमने इस जांच को सौंप दिया है।

श्री मुईद अहमद--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो यह प्रश्न आया है और उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। वह प्राइमा फेसाई में सिद्ध पाये गये कि इसमें अधिकारियों की भी साजिश थी इसे आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें जिस अधिकारी का ट्रांसफर करने की आपने बात कही है उसकेअलावा कुछ बड़े अधिकारियों का भी इसमें हाथ है जैसे जिलाधीश आदि अधिकारी हैं, अपर जिलाधिकारी हैं। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही आप करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने कहा कि कल यानी 13 फरवरी 1986 को हमने डाइरेक्टर को इसकी जांच सौंप दी है। इस सम्बन्ध में जो भी अधिकारी दोषी जाये जायेंगे चाहे वह बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार और उनके नेतृत्व में किसी को बख्शा नहीं जायेगा, यह स्वतः स्पष्ट है। .....

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, एक नीति का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

3-4 आदमी एक साथ बोल रहे हैं। कृपया बैठें।

श्री कौशिक रमा शंकर---

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और श्री राजीव गांधी, प्रधान मंत्री के क्षेत्र का प्रश्न है इसलिये इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। वहां के भ्रष्टाचार का मामला है। जब वहीं पर यह स्थिति है तो इसरे स्थानों पर क्या हाल होगा, यह आप समझ सकते है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 776 रुपये में जो प्रेसर स्टोव खरीदा गया वह अनियमितता थी उसकी कीमत 280 रुपये प्रति स्टोव थी। तो मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ जिसने अनधिकृत रूप से इनको खरीदा उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, उस संबंध में मैंने निवेदन किया कि इन सब बातों की जांच डायरेक्ट जनजाति निगम ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

उत्तर सुन लें, आप (श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के खड़े होने पर) यही करते रहेंगे तो जवाब कैसे आयेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, मैं आपकी छत्रछाया में आश्वस्त करना चाहती हूं कि इसको गंभीरता से देखा जा रहा है जैसे ही जांच आख्या आयेगी किसी को बख्शा नहीं जायेगा। (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 4 पुकारने पर)

श्री जयनारायण तिवारी---

यह बहुत गंभीर मसला है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैंने प्रश्न नं0 4 बुला लिया है। (व्यवधान) आप अपने मंत्री जी से पूछ सकते हैं। सहकारिता मंत्री जी आप जवाब दें। (व्यवधान) मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

(सहकारिता मंत्री द्वारा प्रश्न 4 का उत्तर देने पर)

श्री जयनारायण तिवारी---

इसका जवाब साफ नहीं आ रहा है इतना गंभीर मामला है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप अपने दल की बैठक में इसे उठा सकते हैं। वहां क्यों नहीं पूछते हैं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ---

मान्यवर, हम कहां उठायेंगे, इस प्रश्न को स्थगित कीजिये, इसका उत्तर सही नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष---

जो चाहते हैं वह लिख कर दे दीजिये माननीय सरदार सिंह जी आप प्रश्न कीजिये।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, सदन व्यवस्थित तो हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न नहीं करते हैं तो मैं प्रश्न सं0 6 पर आता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, एक प्रार्थना आपसे है। आपकी हम सब इज्जत करते हैं, आपको क्रोधित नहीं होना चाहिये और मुस्करा कर बोलें। दूसरा निवेदन यह है कि सारे सदन के सदस्यों की भावना है चाहे उधर के हों या इधर के हों उत्तर सही नहीं आ रहा है इसलिये इसे या तो स्थगित कर दीजिये या फिर प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपके सुझाव का आभारी हूं। मैं नम्बर 4 प्रश्न पर आ गया हूं इसलिए आपसे आज्ञा चाहूंगा कि आगे बढ़े।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

मान्यवर, आप संरक्षण नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जब हमारी बात नहीं सुनेंगे (व्यवधान)

सहकारिता विभाग अपर निबन्धकों का वेतनमान

*4---श्री सरदार सिंह---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निबन्धकों का वेतनमान इसलिए कम

किया गया कि संयुक्त निबंधक के पद नहीं हैं क्या यह सही है कि संयुक्त निबन्धक के पद की मांग भी निबन्धक ने की थी और उसे शासन ने स्वीकार नहीं किया ? अपर निबन्धकों को अन्य विभागों के समकक्ष वेतनमान शासन द्वारा कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां।

मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

श्री सरदार सिंह--

आप क्या पहले वाले प्रश्न पर व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, यह बड़ा गंभीर मामला है क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक इस पर विचार कर लेंगे ? कोई तिथि निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह मामला शासन के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, एक या दो महीने का निश्चित समय ले लें चूंकि इससे अधिकारियों में असंतोष है, इसलिये कितनी जल्दी निर्णय लेंगे ? यह बता दें।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, यह मामला शासन के समक्ष अलग-अलग स्वरुप में दो बार आया और प्रति उत्तर के तहत वापस हो गया। वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण मान्य नहीं होगा। अतः 12-12-84 को फाइल वित्त विभाग में रुकी है चूंकि इसी से संबंधित और भी पद हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, दो बार यह मामला वापस क्यों हुआ, इसको बतायें ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत यह कहा गया कि और भी जगह ऐसे संवर्ग हैं जिन पर वह मान्य नहीं है, इसलिये उसी आधार पर यहां भी मान्य नहीं है।

*5--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

(4थे शुक्रवार के लिये स्थगित।)

बरेली महानगर में विद्युत की आपूर्ति

*6--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर की विद्युत वितरण व्यवस्था में उचित कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर इत्यादि न होने के कारण कई बार विद्युत उपलब्ध होने के बावजूद भी सब क्षेत्रों को नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो त्रुटियां क्या-क्या तथा कहां-कहां पर है ? क्या उन्हें अविलम्ब दूर किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी हां, दिनांक 18-9-85 को बरेली महानगर को विद्युत् उपलब्ध कराने वाले 66/11 के0 बी0 ए0 5 एम0 बी0 ए0 ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाने के कारण वहां की विद्युत् व्यवस्था में कठिनाई उत्पन्न हो गई थी।

उपरोक्त ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाने के कारण सायंकाल के समय जब पीक लोड की स्थिति उत्पन्न होती थी तो विभिन्न क्षेत्रों में एक घंटे की स्थानीय रोस्ट्रींग करनी पड़ती थी।

उक्त ट्रांसफार्मर की खराबी को 16-10-85 को ठीक कर दिया गया है। अब वहां इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि ट्रान्सफार्मर में खराबी के कारण पीक आवर में विद्युत आपूर्ति में रोस्टिंग करनी पड़ रही है और अभी भी बरेली में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पीक आवर में रोस्टिंग

करनी पड़ रही है और उसका बिवरण रजिस्टरों में दर्ज है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां के सब–स्टेशनों के रजिस्टरों को मंगाकर देखें कि कहां-कहां विद्युत आपूर्ति में रोस्टिंग करना पड़ रहा है, वहां क्या मंत्री जी आदेश करेंगे कि अतिरिक्त ट्रान्स-फार्मर लगा दिये जांय।

श्री सुनील शास्त्री––

मान्यवर, बरेली का सर्वेक्षण कराया गया है और वहां पर लगभग 22–23 एम0 बी0 ए0 की आवश्यकता है और सब-स्टेशन की क्षमता भी इतनी ही थी इस लिये पीक आवर में जब बिजली का लोड बढ़ जाता है तो रोस्टरिंग करना पड़ता था लेकिन वहां की कैपेसिटी बढ़ा दिया है और 30 एम0 बी0 ए0 के ट्रान्सफार्मर बरेली में लगा दिये गये हैं इसलिये कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो उन्होंने चाहा है, तो क्रिटिकल क्षेत्रों का सर्वे करा लेंगे और जहां आवश्यकता होगी अतिरिक्त ट्रासफार्मर लगा दिये जायेंगे।

डा0 दिनेश चौहरी–

मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि भोजीपुरा, इंडस्ट्रियल स्टेट बरेली में पूरे समय बिजली नहीं मिल पाती है जैसे कि सी0 बी0 गंज और परसा खेड़ा में मिलती है। अतः वहां औद्योगिक इकाइयां घाटे में चल रही हैं और बंद होती जा रही हैं। तो क्या मंत्री जी सी0 बी0 गंज जैसी बिजली की आपूर्ति भोजीपुरा काम्प्लेक्स को करायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री––

मान्यवर, भोजीपुरा काम्प्लेक्स का सर्वे-क्षण कराया जा रहा है कि किस तरह वहां विद्युत आपूर्ति अच्छी तरह से होती रहे।

श्री यदुनाथ सिंह––

मान्यवर, मुझे जानकारी है कि राजकीय विद्युत परिषद् ट्रान्सफार्मर स्वयं नहीं बना रहा है बल्कि चैकोस्लोवाकिया से ट्रान्स-फार्मर मगा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह ट्रान्सफार्मर आयातित है या देश में बना है ?

श्री अध्यक्ष––

वह कह रहे हैं कि आपके यहां से बनकर आया है।

(व्यवधान)

वैसे उन्हें आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी––

मान्यवर, मैं उर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने एसे जिले हैं जहां पर फ्रीक्वीन्सी रिले मीटर्स आपने लगवा रखे हैं और इसके कारण से बिजली में बाधा पैदा हो रही है, तो क्या आप उनको छोटे जिलों से हटवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री––

इस सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

गाजियाबाद, ग्राम तुस्याना की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा सम्बन्धी जुर्माना

7––श्री महेन्द्र सिंह भाटी––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में तहसील दादरी के गांव तुस्याना में खसरा नं0 1158 की 7 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर सुनील व खसरा नं0 248 की 15 बीघे पर गुरबक्स, खसरा नं0 1231 की 4 बीघा पर सत्य प्रकाश, खसरा नं0 1162 की 11 बीघा पर सुरेश, खसरा नं0 125 की 12 बीघा पर गुरुशरण व खसरा नं0 1164 की 15 बीघा पर आज्ञापाल के अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध तहसीलदार दादरी ने दिनांक 29–4–83 को क्रमशः 1325 रु0, 2815 रु0, 785 रु0 20814 रु0, 22500 रु0 व 29061 रु0 जुर्माना किया है ? यदि हां, तो यह जुर्माना कब तक बसूल किया जायेगा तथा इन लोगों को कब तक उक्त जमीन से बेदखल किया जायेगा ?

श्री गौरी शंकर––

जी हां। तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, दादरी द्वारा दिनांक 29–4–83 को प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि पर अनधिकृत रुप से काबिज व्यक्तियों की बेदखली तथा अभिपूर्ति के

आदेश पारित किये गये :—

व्यक्ति का नाम	भूमि का गाटा सं0	विवरण क्षेत्रफल	क्षतिपूर्ति की धनराशि
1	2	3	4
श्री सुनील	1158	7–0–0	13,125
श्री गुरु बक्स	1248	15–0–0	28,125
श्री सत्यप्रकाश	1231	4–3–0	7,785
श्री सुरेश	1162	11–2–0	200814
श्री गुरूशरण	1251	12–0–0	22,500
श्री आज्ञापाल	1164	05–10–0	29,061

उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, दादरी ने दिनांक 29–4–83 को पारित एक पक्षीय आदेश को निरस्त कर बाद को पुनः स्थापित कर दिया है जिस के निर्णय के बाद अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, सर्वप्रथम यह वाद कब स्थापित हुआ था ?

श्री गौरी शंकर—

दिनांक 15–10–82 को लेखपाल की आख्या पर धारा 122–बी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित हुई थी।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

चूंकि यह मामला बहुत गम्भीर है और इसका सम्बन्ध श्री यशपाल कपूर, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, के दामाद श्री सुनील सरीन और उनके समधी श्री आज्ञापाल-सरीन से है, जो हबीबपुर और चौगान, दादरी, जिला गाजियाबाद में हैं अनधिकृत रूप से जमीनों पर काबिज हैं, उनके लिये मंत्री जी कोई जांच करायेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

चूंकि यह मामला सब-ज्यूडिस है और इस तरह के तथ्य नहीं हैं कि यह किसके रिश्तेदार हैं, इसलिये इस मामले में केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि एक बार जब फैसला हो गया और फैसले पर उन्होंने, एक्स पार्टी निर्णय होने पर, एक अप्लीकेशन दिया और पुनः मामले को रिस्टोर कर दिया गया और जब यह मामला चालू हुआ था, उसकी हियरिंग होने वाली थी, उसने कलेक्टर गाजियाबाद को इस मामले को ट्रांसफर कर दिया और उन्होंने सारी पत्रावली अपने यहां मंगवा ली है, इस तरह यह सारा मामला सब ज्युडिस है और इस पर कुछ कह कह पाना सम्भव नहीं है।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना है कि मामला भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सचिव के रिश्तेदारों का मामला है तो उनकी सूचना को सही मानकर कि वहां पर बड़े पैमाने पर फर्जी काम किया गया है और कमेटियों पर दबाव डाला गया है तो क्या नये तरीके से इस सारे मामले की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, शासन की नीयत कितनी साफ है इस पर विशेष रूप से मैं आपकी कृपा पूर्ण संरक्षण चाहता हूं। एक मामले में ग्राम सभा की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया तो मुकदमा चलाया गया और बेदखली के लिये तहसीलदार और एसिस्टेंट कलेक्टर के कोर्ट से आदेश पारित किया गया। लेकिन किसी भी पक्ष को अधिकार है कि एक्स पार्टी डिसीजन होने पर एप्लीकेशन देकर मामले को रेस्टोर करा सकता है। तो यह मामला रेस्टोर हुआ और बाकायदा इसकी सुनवायी हो रही है। इसी बीच में कलेक्टर गाजियाबाद के यहां ट्रांसफर एप्लीकेशन दी गयी और उन्होंने सारे केसेज मंगवा लिये और यह मामला चल रहा है। शासन की नीयत बिल्कुल साफ है। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो अगर अनधिकृत कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी तो जो न्यायालय की प्रक्रिया है, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय का फैसला हो जायगा तो उसके हिसाब से

कार्यवाही की जायगी इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, इसी प्रकार से दो और गावोंमें, हबीबपुर और चौगानपुर में इन्होंने कब्जा किया हुआ है तो क्या उसकी भी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसको अलग से दिखवा लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

इसको दिखवा लीजिये।

श्री गौरी शंकर--

आप लिखकर भेज दीजिये इसको दिखवा लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, केवल माननीय मंत्री जी से जांच कराने की मांग की जा रही है। अदालत में जायगा यह तो बाद की चीज है। जब यह अदालत नहीं है तो आपको जांच कराने में परेशानी क्या है ? आप सरकार को नीति की घोषणा करते हैं कि हम दबाव में नहीं आयेंगे चाहें कितना बड़ा आदमी हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि जांच कराने में परेशानी क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

आपसे कहा तो कि लिखकर दे दीजिये जांच करा ली जायगी।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैं शायद माननीय नेता विरोधी दल को संतुष्ट नहीं कर सका।

श्री गौरी शंकर भइया--

जब आपने निर्देश दे दिया है तो अब मंत्री जी क्या कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दीजियेगा, वह जांच करा लेंगे।

*8--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

(दिनांक 7-2-86 को अता: प्र0सं0 53 द्वारा उत्तरित।)

प्रदेश में जिला स्तरीय प्रशासन आयोग का गठन और उसकी संस्तुति

*9--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश शासन ने जिला स्तरीय प्रशासन आयोग का गठन किया था ? यदि हां, तो उक्त आयोग ने जिला प्रशासन के बारे में अपनी निर्धारित अवधि के भीतर कोई संस्तुति शासन को दी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री गौरी शंकर--

जी हां। आयोग द्वारा शासन को पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर कोई संस्तुति देना सम्भव न हो सका। जिसके फलस्वरुप आयोग की अवधि 31 मार्च, 1986 तक बढ़ाई गई है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाय।

(इस समय 11 बजकर 59 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)।

क्योंकि आज तमाम विकास की योजनायें वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पूरी नहीं हो रही हैं। अगर आप चाहें तो हम एक ही प्रश्न द्वारा अपनी बात को पूछ लें या अलग-अलग करके ठीक है अलग-अलग प्रश्न किये लेते हैं। नं0 1 जिला स्तरीय शासन आयोग का गठन किन-किन बिन्दुओं पर राय देने हेतु कब और कितने दिनों के लिये किया गया था ? और अभी तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ? और इसमें कुल कितने कर्मचारी हैं। दूसरा नं0 आयोग की अवधि जो अब मार्च, 1986 तक बढ़ा दी गयी है तो इसके विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने योजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन के लिये आयोग का गठन किन- किन बिन्दुओं की जांच के लिये किया गया है, जानना चाहा है । इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस जिला स्तरीय आयोग का गठन जिला स्तर पर प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन करने और उसके बारे में सुधार संबंधी सुझाव आदि देने के लिये किया गया था । इसकी अवधि एक वर्ष की थी । इस आयोग के अध्यक्ष डा0 जे0 डी0 शुक्ला, रिटायर्ड आई0सी0 एस0 थे । उन्होंने इस सिलसिले में काफी कुछ कार्य भी कर लिया था, जिसमें लगभग 14 प्रकार की प्रश्नावलियां भी तैयार की गयी थीं, जो शासन के विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, शासन के मंत्रीगणों, विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों, तथा राज्य सभा व लोक सभा के सांसदों आदि से जानकारी प्राप्त कर काफी स्थिति स्पष्ट कर ली गयी थी । लेकिन एक वर्ष का समय पूरा भी नहीं हो पाया था, बीच में ही उनका एक ऐक्सीडेंट हो गया । जिसकी वजह से वह तीन माह तक इसके कार्य को नहीं देख सके और कुछ ही दिनों बाद हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गयी । तदुपरान्त इनके निधन के बाद एक रिटायर्ड अधिकारी, श्री टी0 एन0 धर साहब को इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया । इन्हीं सारे कारणों की वहज से फिर इसकी अवधि मार्च, 86 तक बढ़ानी पड़ी तथा अधिकारी स्तर पर शासन ने आयोग के लिये एक अनुसचिव का पद और एक विशेष कार्याधिकारी का भी पद स्वीकृत किया, जिस पर क्रमश: श्री मदन मोहन अग्रवाल ने दिनांक 1-12-83 को तथा श्री मधुकर द्विवेदी ने दिनांक 27-9-83 को कार्यभार संभाला और जहां तक माननीय सदस्य ने खर्चे की बात की है इस पर इनसे संबंधित जो भी खर्च होता है और जो पराफेरिया खर्च किया जाना चाहिये, वह किया गया है। बाकी कुल कितना खर्च किया गया है, समस्त खर्च का व्योरा मेरे संज्ञान में नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने उन कारणों को नहीं बताया जिसकी वजह से जिला स्तरीय आयोग गठित किया गया है । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पढ़ा गया कि अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है और उसमें जनपद स्तर पर प्रत्येक योजना में तेजी लाने के लिये मण्डल आयोग नियुक्त किये गये हैं तथा उन्हें और भी अधिकार दिये गये हैं तो मान्यवर, यह बात समझ में नहीं आ रही कि शासन यह रिटायर्ड अधिकारियों के लिये कितने आयोग गठित करके प्रदेश के कितने धन को खर्च करायेगी ?

श्री गौरी शंकर--

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे प्रबुद्ध साथी हैं, कभी-कभी उन्होंने स्वयं भी चिन्ता व्यक्त की है कि जो प्रशासन चल रहा है, उसमें सुस्ती है, चुस्ती नहीं है । उनके उस अनुभव को विशेष रूप से मस्तिष्क में रखते हुए शासन ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया और प्रशासन को सक्रिय बनाने के लिये मंडल आयुक्तों को और शक्ति दे दिया आपने यह कहा कि जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आयी थी, यह क्रांतिकारी कदम क्यों उठा लिया ? मान्यवर, यह जो हमने क्रांतिकारी कदम उठाया, कृपा करके इसके लिये आपको प्रशस्तिगान करना चाहिये ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, जब आपने मंडल आयुक्तों को अधिकार दे दिया, तो फिर आयोग गठित करने का औचित्य क्या है ?

श्री गौरी शंकर--

केवल मंडल स्तर के कार्य को सक्रिय बनाना ही एक बिन्दु नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त और भी सारे बिन्दु हैं, जिन पर साक्ष्य हो रहे हैं । उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाने पर, उससे प्रदेश को लाभान्वित किया जायगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह यादव क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, झांसी द्वारा अनियमित रूप से सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद

*10--कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेन्द्र सिंह यादव क्षेत्रीय प्रबन्धक पी0सी0 एफ0 झांसी मण्डल झांसी के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में सोयाबीन तथा मूंगफली की खरीद मार्केट दर से अधिक दर पर कराकर लगभग साठ लाख रुपये का घोटाला किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

वर्ष 1982-83 में श्री सुरेन्द्र सिंह यादव क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0 एफ0 के निर्देश पर सोयाबीन तथा मूंगफली की मार्केट दर से अधिक दर पर खरीद कराकर घोटाला किये जाने की कोई शिकायत अथवा प्रकरण प्रकाश में नहीं अया। वर्ष 1983-84 में झांसी एवं जालौन जनपदों में कच्चे आढ़तियों से एवम् टैक्सपेड आधार पर अनियमित रूप से सोयाबीन की खरीद कराये जाने के तथ्य प्रकाश में आये। इसकी जांच कराई जा रही है। जांचोपरांत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वर्ष 1983-84 में झांसी एवं जालौन जनपदों में कच्चे आढ़तियों से एवम् टैक्सपेड आधार पर अनियमित रूप से सोयाबीन की खरीद कराये जाने के तथ्य प्रकाश में आये। मान्यवर, जब अनियमित रूप से सोयाबीन की खरीद कराई गयी तो यह नहीं कहा जा सकता कि घोटाला प्रकाश में नहीं आया तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो इस प्रकार की खरीद करांई गयी, उसकी मारकेट दर और इस दर में कितना अन्तर था ? और कितने लाख रुपये का घोटाला प्रकाश में आया ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यन्र, दर में अन्तर था, क्रमश: 46रु0 एवं 67रु0 प्रति कुंटल के लिहाज से, और 878.03 मैट्रिक टन जो है अनियमित रूप से खरीदा गया था, जिसके अन्दर 35 लाख रुपये का फर्क आया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच जो संदर्भित की गयी, यह जांच कौन कर रहा है और जांच के जो आदेश हैं, वह कब दिये हैं ? जांच रिपोर्ट कब तक आयेगी ? इससे पहलेमैं यह जानना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में, प्रकाश में तथ्य आ गया, तभी आपने जांच के आदेश दिये प्रागदर्शन में सही समझने के बाद ही जांच के आदेश दिये। मान्यवर, जब संदर्भित व्यक्ति के खिलाफ प्रागदर्शन में तथ्य सामने आ जाय तो अब तक उनके खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, जैसी माननीय सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है, श्री एल0 के0 गुप्ता, सामान्य प्रबन्धक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनको 4-12-85 को नियुक्ति किया गया है। इसके पहले के जांच अधिकारी श्री एस0 के0 श्रीवास्तव 20-4-85 को सेवा निवृत्त हो गये हैं। मान्यवर, रिव्यू के आधार पर देखा गया कि कुछ माल ज्यादा दर पर खरीदा गया जब यह तथ्य प्रकाश में आया तो उसी के आधार पर यह जांच नियुक्त कर दी गई और दो जांच अधिकारियों के नियुक्त किया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक महत्वपूर्ण चीज पूछी थी, अगर आप कहें तो दोहरा दूं। मान्यवर, विभागीय प्रक्रिया के अनुसार आरोप सही पाए गये, फिर श्री श्रीवास्तव

को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया वह सेवा निवृत्त हो गये हैं उनके बाद भी जांच का कार्य आगे बढ़ा है। तो मान्यवर, जब प्रागदर्शन में बात सही पाई गई कि संदर्भित अधिकारी दोषी है, तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अरुण कुमार सिह---

मान्यवर, यह जो प्रकरण है इसकी सम्पूर्ण जांच के बाद समुचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री देवेन्द्र कुमार सिह---

वर्ष 1983-84 में झांसी मंडल, झांसी में सोयाबीन तथा मूंगफली की बाजारी कीमत क्या थी ? यह किस कीमत पर खरीदी गई थी, तथा इससे कुल कितने रूपये का नुकसान हुआ। इसमें सूचना प्राप्त होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? क्या माननीय सदस्य की सूचना को सही मानते हुए माननीय मंत्री जी झांसी मंडल झांसी के अन्य जनपदों म सोयाबीन और मूंगफली की कहां खरीद हुई है उसकी जांच के आदश करान की कृपा करगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

जांच तो हो रही है।

श्री अरुण कुमार सिह---

मान्यवर, यह विवाद का प्रश्न झांसी मंडल में दो जिलों म आया था। बाकी कोई जानकारी चाहते हैं तो हम बता दें।

श्री देवेन्द्र कुमार सिह---

मान्यवर, मैं रेट जानना चाहता था।

कुंवर मानवेन्द्र सिह---

मान्यवर, यह प्रागदर्शन में स्वीकार कर रहे हैं, घोटाला हुआ है, तो उस अधिकारी के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने में इनको क्या आपत्ति है। वह अधिकारी वहीं बना हुआ है वह यह कोशिश करेगा कि उसके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध न हो ?

श्री अरुण कुमार सिह---

वह अधिकारी वहां बना हुआ नहीं है। इस पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। श्रीवास्तव जी की अस्वस्थता के कारण उसके बाद वह सेवा निवृत्त हो गये, इसलिये जांच में थोड़ा विलम्ब हुआ।

11---श्री सूर्य प्रताप शाही--

[अल्प सूचित तारांकित प्र0 सं0-1 की पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त।]

श्रम समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय के प्रकरण पर कथित विचार

*12--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रम समितियों द्वारा अपने मुख्य कार्य के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय से संबंधित प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रकरण क्या है ?

श्री अरूण कुमार सिह---

जी नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा---

जी नहीं, का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिह---

प्रश्न पढ़ें वही इसका कारण है।

आयुक्त गोरखपुर मण्डल के न्यायालय में आजमगढ़ जिले से सम्बन्धित लम्बित अपीलें और निगरानियां

*13---श्री विष्णु देव---

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के न्यायालय में काफ अपीलों/रिवीजनों पर पिछले लगभग 5 वर्षों से सुनवाई केवल इसलिये नहीं हो पा रही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां निर्देशों के बावजूद आयुक्त महोदय के न्यायालय को आजमगढ़ मुहाफिजखाना माल से नहीं भेजी जा रही हैं ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां आयुक्त, गोरखपुर के न्यायालय को शीघ्र उपलब्ध कराने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री गौरी शंकर---

आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के न्यायालय में आजमगढ़ जिले से संबंधित केवल ऐसी 40 निगरानियां/अपीलें, जुलाई 1985 से निस्तारण हेतु लम्बित थी जिनमें पत्रावलियां आजमगढ़ मुहाफिजखाने से उपलब्ध नहीं हुई। अतएव यह सही नहीं है कि आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के न्यायालय में काफी अपीलें/निगरानियों में पिछले पांच वर्षों से सुनवाई नहीं हो पा रही है।

लम्बित 40 निगरानियों/अपीलों के निस्तारण में आजमगढ़ से पत्रावलियां मंगाने की कार्यवाही चल रही है।

श्री विष्णु देव---

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि आजमगढ़ जिले की 40 अपीलें निगरानी हेतु लम्बित थी जिनकी पत्रावली मुहाफिज खाने से उपलब्ध नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि केवल पैसे के लिये पत्रावली न भेजनेवाले कर्मचारी के खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दण्डित करायेंगे ताकि जल्दी न्याय मिल सके?

श्री गौरी शंकर---

मान्यवर, इसके लिये जिलाधिकारी को लिख दिया गया है। मैं एक तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, वहां पर एक आयुक्त और उनके सहयोग करने के लिये 3 अतिरिक्त आयुक्त के पद है। जिनके दो अतिरिक्त आयुक्त न्यायिक कहलाते हैं और एक अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन होता है। अतिरिक्त आयुक्त का पद रिक्त पड़ा है। इसीलिये इसमें विलम्ब हुआ है और इसमें किसी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है?

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि 40 पत्रावली मुहाफिजखाने में पड़ी हैं, आदेशों के बावजूद वह पत्रावली अदालत में नहीं पहुंची। हमारा सीधा प्रश्न है कि जो पत्रावली लम्बित है, मुहाफिजखाने में सुविधा शुल्क के इन्तजार में, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री गौरी शंकर---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है। इसमें किस तरह विलम्ब हुआ उसको देखा जा रहा है। इन वादों का निस्तारण तभी हो पायेगा जब रिक्त पदों को भरा जायेगा।

श्री काजी कलीमुररहमान---

मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 40 ऐसे मामले हैं जो मुआफिजखाने से सम्बन्धित है इसके अतिरिक्त गोरखपुर के आयुक्त न्यायालय में आजमगढ़ के कितने मुकदमें विचाराधीन है। क्या शासन को इसकी जानकारी है? इसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त आयुक्त के पद खाली पड़े हैं, कब तक इनको भर लिया जायेगा?

श्री गौरी शंकर---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की कि दूसरे न्यायालयों में भी निगरानी एवं अपील के कुछ वाद लम्बित है, तो अतिरिक्त न्यायालय (द्वितीय) के न्यायालय में 1023 मामले लम्बित हैं। लेकिन वर्ष 1978 से चले आ रहे हैं। वर्ष 1978 में 178 थे और अब कुल 1023 हैं। इस न्यायालय में जब नियुक्ति हो जायेगी तो उस पर विचार हो जायेगा।

गोरखपुर जिले के ग्राम महुवा खुर्द की ग्राम समाज की भूमि पर हरिजनों का अवैध कब्जा

*14---श्री सैयद जावेद अली---

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम महुआ खुर्द तप्पा केवटली के 15 हरिजनों को ग्राम प्रधान द्वारा 122बी, 25-4-85 द्वारा ग्राम समाज की भूमि नं0 288 मि0 94 डिसमिल से बेदखल कर दिया गया है? क्या सरकार उनको पुनः उसी भूमि पर बसाने के लिये जिलाधिकारी गोरखपुर को आदेश देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम महुवा खुर्द के 15 हरिजनों, जिन्हें प्रश्नगत भूखण्ड पर झोपड़ियां निर्मित कर अवैध कब्जा कर लिया था, की बेदखली हेतु दिनांक 24-4-85 को न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया ।

समस्त 15 हरिजनों को उनकी पुरानी आबादी के निकट सुरक्षित हरिजन आबादी में से आवास हेतु भूमि आवंटित की गयी थी व सभी वहां पर घर बना लियेहैं व रहते हैं ।

बुलन्दशहर, सहकारिता विभाग को नासिरपुर भसरौली समिति से संबद्ध गांव और चीनी तथा मिट्टी के तल का वितरण

*15--श्री किरन पाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति शरीफपुर भेसरौली, ब्लाक शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर का मिट्टी के तेल व चीनी का कोटा ग्रामवासियों के विरोध के बाद भी ग्राम केलावन के लिये इस वर्ष किसके आदेशों से स्थानान्तरित कर दिया गया ? क्या यह सही है कि शरीफपुर भैंसरौली में गत 6 महीनों से चीनी व मिट्टी के तेल का वितरण नहीं कराया गया ? क्या उक्त संबंध में ग्रामवासियों ने 28-8-85 को उक्त मामले की जांच कराकर कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र सहायक निबन्धक बुलन्दशहर को दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अरूणकुमार सिंह---

जनपद बुलन्दशहर में ब्लाक शिकारपुर में शरीफपुर भैंसरौली नाम की कोई समिति नहीं है, अपितु नासिरपुर भैंसरौली नाम की समिति शिकारपुर विकास क्षेत्र, न्याया पंचायत सलेमपुर में कार्यरत है। उक्त समिति के सचिव के काफी समय से अस्वस्थ रहने तथा धनाभाव के कारण आवंटित कोटा उठाने में असमर्थता के कारण प्रमुख क्षेत्र समिति, शिकारपुर द्वारा दिनांक 26-7-85 को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से अनुरोध किये जाने पर जिलापूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर के द्वारा दिनांक 29-7-85 से नासिरपुर भैंसरौली समिति से सम्बद्ध ग्राम सलेमपुर, रंगपुर तथा मुकेरा की कैलावन समिति से सम्बद्ध कर दिया गया था ।

नासिरपुर भैंसरौली समिति के सचिव का मास अगस्त, 1985 में आकस्मिक निधन हो जाने के कारण ग्राम सलेमपुर, रंगपुर एवं मुकेरा की चीनी व मिट्टी के तेल के वितरण का कार्य मास नवम्बर, 1985 तक कैलावन समिति द्वारा किया गया । मास नवम्बर, 1985 में नासिरपुर भैंसरौली में नये सचिव की नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप इस समिति के प्रशासक के अनुरोध पर जिला पूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 17/18-12-85 को इन तीनों ग्रामों का कोटा पुनः नासिरपुर भसरौली समिति को आवंटित कर दिया गया ।

ग्रामवासियों का पत्र दिनांक 27-8-85 जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को सम्बोधित था, जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि न्याय पचायत सलेमपुर की चीनी भैंसरौली सहकारी समिति से मिलती थी, लेकिन अब कई महीनों से चीनी का वितरण नहीं हुआ है और समस्त ग्रामवासी चाहते हैं कि नरेश चन्द्र पुत्रश्री गोपी चन्द्र शर्माको प्राइवेट चीनी डीलर नियुक्त कराया जाये, जिससे चीनी समय पर मिल सके । इस पर अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी द्वारा जांच की गयी जिसके आधार पर ग्राम सलेमपुर, रंगपुर व मुकेरा में कैलाव न समिति द्वारा चीनी का वितरण किया जाना पाया गया तथा किसी प्राइवेट डीलर को कोटा दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

शाहजहांपुर, नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज हेतु भूमि अजन हेतु जमा की गयी धनराशि

16---श्री सत्यपाल सिंह---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने 20 अप्रैल, 1985 को नेशनल गल्स इण्टर कालेज शाहजहांपुर के लिए भूमि अर्जन हेतु जमा की गयी धनराशि की वापसी हेतु सचिव राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ को मार्ग दर्शन

प्रदान करने हेतु कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को राजस्व परिषद् द्वारा क्या मार्ग दर्शन दिया गया है ? यदि नहीं, तो मार्ग दशन दिये जाने में विलम्ब का क्या कारण है और सरकार कब तक मार्ग दर्शन दिला दगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

राजस्व परिषद् ने जिलाधिकारी को नियमानुसार अध्याप्ति व्यय काटकर अवशेष धनराशि वापस करने का आदेश दिनांक 13-8-85 को ही दे दिया था । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*17--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित।]

लखनऊ, विद्युत पोल मैनुफैक्चरिंग का स्पेशल आडिट

*18--श्री कृष्ण कुमार --

क्या ऊर्जा मत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्युत पोल मैनुफैक्चरिंग जनपद खण्ड लखनऊ का स्पेशल आडिट जनवरी, 1983 से जून, 30, 1983 तक छः महीने तक चला था और उसमें बहुत सी अनियमिततायें प्रकाश में आयीं ? यदि हां तो विद्युत परिषद् के आडिट अनुभाग द्वारा दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

जहां तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कायवाही किये जाने का प्रश्न है सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी का उत्तर प्राप्त करके आडिट रिपोर्ट को अन्तिम रूप देकर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (जनपद) को उनकी टीका के लिये भेजा गया था । अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (जनपद) की टीका दिनांक 15 जनवरी, 1986 को प्राप्त हो गयी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त ही किसी का दायित्व निर्धारित करना सम्भव होगा ।

गोरखपुर ब्लाक पाली घघसरा म विचाराधीन उप विद्युत केन्द्र की स्थापना

*19--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोरखपुर ब्लाक पाली घघसरा में 33/11 के0 बी0 का उप विद्युत केन्द्र का निर्माण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र की तकनीकी स्वीकृति हो जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा ।

मेरठ, ग्राम भलसोना की चकबन्दी के विरुद्ध कब्जा परिवर्तन सम्बन्धी शिकायतें

*20--श्री भोपाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ की तहसील सरधना के ग्राम भलसोना की चकबन्दी क्रियाओं म शासकीय आदेश सख्या 4/1/41/3/85/224/रा0-8 दिनांक लखनऊ 26-6-84 द्वारा बिना कोई जांच कराए कब्जा परिवर्तन का स्थगन आदेश किन परिस्थियों में दिया गया और क्या राज्य सरकार को इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अधिकार है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की किस व्यवस्था के अधीन राज्य सरकार ऐसा करने के लिये सक्षम है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद मेरठ की तहसील सरधना के ग्राम भलसोना की चकबन्दी क्रियाओं के बारे में प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में, शासन द्वारा अनियमितताओं की जांच के बारे में चकबन्दी आयुक्त को आदेश दिये गये थे कि यदि ग्राम में वास्तविक कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ है तो कब्जा परिवर्तन की कायवाही उस समय तक स्थगित रखी जाय जब तक कि कथित अनियमितताओं की जांच नहीं हो जाती और जांच में पायी गयी अनियमितताओं का, यदि कोई हों, निराकरण नहीं कर दिया जाता । उक्त जांच के प्रशासनिक आदश जनहित में

दिये गये थे क्योंकि इस बारे में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है । इसीलिये चकबन्दी आयुक्त द्वारा जांच के बारे में स्थल निरीक्षण के समय ही अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेश दे दिये गये थे और तदनुसार कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही की गयी ।

अतारांकित प्रश्न

गोण्डा सहकारिता विभाग के सचिवों का स्थानान्तरण

1—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में इस वर्ष कितने सचिव लोगों के स्थानान्तरण हुए ? उनमें से कितनें लोगों ने चार्ज दिया ? कितन लोग चार्ज नहीं दे रहे हैं और उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

गोण्डा जनपद में इस सहकारी वर्ष 1985–86 म 38 सचिवों के स्थानान्तरण हुए 34 सचिवों ने चार्ज दे दिये हैं, और 4 सचिव ने चार्ज हस्तान्तरित नहीं किये हैं, जिन्हें चार्ज हस्तान्तरित न करने के फलस्वरूप निलम्बित कर दिया गया है ।

बुलन्दशहर, ग्राम इलना निवासी श्री बाल किशन द्वारा नलकूप निर्माण हेतु जमा की गयी धनराशि की वापसी

2—श्री किरन पाल सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल किशन पुत्र श्री राम स्वरूप निवासी इलना थाना औरंगाबाद जि0 बुलन्दशहर का नलकूप जो 19 मार्च, 1979 को मन्जूर हुआ था तथा जिसकी सिक्योरिटी फुल कास्ट में 1638 रुपया जमा हुई थी, विभागीय साजिश से हड़प कर ली गयी है ? यदि हां, तो उक्त सेक्योरिटी की राशि को वापस दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं, श्री बाल किशन पुत्र श्री राम सहाय, ग्राम इलना पोस्ट बालका जिला बुलन्दशहर द्वारा लोन डिपाजिट योजना के अन्तर्गत केवल 1,243 रुपया जमा किया गया था, न कि सिक्योरिटी के रूप में रु0 1,638 की धनराशि जमा की गई थी । उपभोक्ता ने उपरोक्त जमा धनराशि वापस लेने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर विभाग द्वारा उपभोक्ता से मूल रसीद दिखाने का अनुरोध किया गया परन्तु उसके द्वारा स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी रसीद खो गई है । उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने के लिये अग्रिम रसीद पर उपभोक्ता द्वारा अंगूठा निशानी लगाई गई जिसकी गवाही प्रधान श्री बलबीर सिंह द्वारा की गई है ।

उपरोक्त रसीद के आधार पर विभाग ने एकाउन्ट पेयी चेक संख्या 092400 दिनांक 28–8–85 द्वारा मय ब्याज के कुल रु0 1709–10 का चेक उपभोक्ता को हस्तगत करा दिया गया । बाद में बैंक लेखा विवरण प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त चेक में लिखी गई धनराशि को गलत तरीके से बढ़ाकर रु0 9709–10 बनाकर परिषद् खाते से निकाल, लिया गया है । उपरोक्त का भुगतान इस उपभोक्ता के नाम खुले खाते में स्थानान्तरित कर दिया । विभाग ने इस गड़बड़ी की सूचना बैंक को दिनांक 9–10–85 को दे दी है । बैंक ने विभाग को सूचित किया है कि इस प्रकरण की जांच पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है ।

बरेली, प्रेमनगर क्षेत्र स्थित हरिजन छात्रावास के जीर्ण-शीर्ण भवन और रखरखाव पर व्यय की गयी धनराशि

3—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर के प्रेम नगर क्षेत्र में स्थित हरिजन छात्रावास बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसके जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । बरेली शहर में प्रेमनगर क्षेत्र में स्थित हरिजन छात्रावास रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत एलाटेड एक पुराने भवन में संचालित है । भवन पुराना है ।

जी नहीं । नियमानुसार आवश्यक मरम्मत भवन स्वामी को ही करानी होती है ।

4--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या मंत्री जी यहभी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष इस होस्टल के रख-रखाव पर कितना धन सरकार व्यय करती है और इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत है तथा इसमें कितने छात्रों के रहने की व्यवस्था है और कितने छात्र इसमें रह रहे है ' ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत छात्रावास के संचालनार्थ शासन द्वारा प्रति वर्ष रु0 9,000 का अनुदान प्रदान किया जाता है । इस छात्रावासमें तीन कर्मचारी कार्यरत है, दो रसोइये और एक जमादार ।

इस छात्रावास में 75 छात्रों को रहने की व्यवस्था ह । वर्तमान में 91 अनुसूचित जाति के छात्र रह रहे हैं ।

श्री एन0 एन0 सक्सेना, एस0 एस0ओ0 विद्युत खण्ड बरेली का स्थानान्तरण

5--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री एन0 एन0 सक्सेना एस0 एस0 ओ0 प्रसारण विद्युत खण्ड बरेली के अन्तर्गत शाहजहांपुर पैना सब स्टेशन में पिछले ढाई वर्ष से कार्यरत है और इनकी पत्नी बेसिक शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत सहायक-अध्यापिका जनपद बरेली में कार्यरत है, जबकि नियमानुसार पति-पत्नी जब सरकारी नौकरी में होते है तो उन्हें एक ही जनपद में रखने का प्राविधान है ? क्या सरकार श्री एन0 एन0 सक्सेना का स्थानान्तरण शाहजहांपुर से दोहना पावर सब स्टेशन जनपद बरेली में करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को कोई जानकारी नहीं है । प्रश्नगत शासनादेश राज्य विद्युत परिषद में अंगीकृत नहीं है ।

जी नहीं, क्योंकि बरेली जनपद में अधिक समय तक कार्यरत रहने के कारण (20-3-63 से 9-8-83 तक) श्री सक्सेना का स्थानान्तरण शाहजहांपुर किया गया था ।

बरेली, ग्राम सनइया, सिठोरा, प्रीतमपुर में जिस्म फरोशी का कथित धन्धा

6--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि 1950 में यौन व्यापार पर कानूनी रोक लगा देने के बाद भी बरेली महानगर के ग्राम सनइया व सिठौरा एवं प्रीतमपुर में जिस्म फरोशी का धन्धा बहुत जोरों पर चल रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह धन्धा रुकवाने एवं इसमें लिप्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु कोई उचित कदम उठायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह बात बिलकुल असत्य है कि ग्राम सनइया व सिठौरा एवं प्रीतमपुर में जिस्म फरोशी का धन्धा जोरों से चल रहा है । वहां की कुछ औरतें नृत्य एवं नौटंकी में नाचने गाने का कार्य करती हैं ।

प्रश्न ही नहीं है ।

बरेली नगर में विधवाओं को स्वीकृत पेंशन

7--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में वर्ष 1984-85 में कितनी विधवाओं ने पेंशन के लिये आवेदन किया था ? क्या सभी आवेदक विधवाओं को पेंशन दी जाने लगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कुछ विधवाओं को पेंशन न दिये जाने के कारण क्या थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बरेली नगर में वर्ष 1984-85 में कुल 1234 निराश्रित विधवाओं के आवेदन पत्र जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुये थे । इनमें

से 1138 आवेदन पत्र पूर्ण पाये गये जिन्हें अनुदान स्वीकृत किया गया। शेष 96 आवेदन पत्रों के संबंध मेंऔपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

8--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित।]

झांसी, सहकारिता विभाग को दी गयी धनराशि

9--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के सहकारिता विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस किस मद में दिया गया ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 144 पर)

झांसी, जिल में विद्युत विभाग को धनराशि का आवंटन

10--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपया करेगी कि झांसी जनपद के विद्युत विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्री सुनील शास्त्री:--

विद्युत वितरण मण्डल, झांसी विद्युत वितरण खण्ड, झांसी, विद्युत परीक्षण खण्ड झांसी, विद्युत प्रेषण खण्ड झांसी के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है†।

श्री भगौती सिंह ग्राम प्रधान ग्राम सभा पहाड़पुर टडवा, जिला फैजाबाद को तालाब का कथित पट्टा

11--श्री राम लक्षन --

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री भगौती सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा पहाड़पुर, टडवा, तहसीलअकबरपुर, जनपदफैजाबाद ने उक्त ग्राम सभा की भूमि संख्या 370 (तालाब) को 1363 फसली व 65 फसली में अपने नाम अवैधानिक रूप से पट्टा करवा लिया है ? क्या सरकार उक्त अवध पट्टे की जांच करवा कर पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री भगौती सिंह, ग्रामप्रधान, ग्राम सभा पहाड़पुर टडवा के नाम 1963-65 फसली में ग्राम सभा की भूमि संख्या 370 क्षेत्रफल 1-17-0, जो तालाब दर्ज था, दर्ज है। इसका आधार पट्टा नहीं है। इसलिये पट्टे के बारे में जांच या पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर विकास खण्ड भदैया लम्बुआ एवं प्रतापपुर कमचा की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

12--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1985 से आज तक विधान सभा क्षेत्र चांदा-सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदैया, लम्बुआ, चांदा के कितने ग्रामों में विद्युतीकरण करके कनेक्शन दे दिया गया है ? क्या जहां पर कनेक्शन दिया गया है वहां हरिजन बस्तियों में बिजली जल रही है ? यदि हां, तो उन ग्रामों के नाम क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

विधान सभा क्षेत्र चांदा-सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदया में 13 ग्राम व 12 हरिजन बस्ती तथा लम्बुआ एवं प्रतापपुर कमैचा (चांदा) में एक-एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण मार्च, 1985 से 15 जनवरी, 1986 तक किया गया है। विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों में बिजली जल रही है। विद्युतीकृत ग्रामों व हरिजन बस्तियों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 145 पर।)

†छापी नहीं गई।

सुल्तानपुर विकास खण्ड, भदया लम्बुआ चांदा में अतिवृष्टि

13--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा-सुल्तानपुर के अन्तर्गत इस वर्ष भीषण वर्षा से विकास खण्ड भदैया, लम्बुआ, चांदा के कितने ग्राम भीषण तौर पर प्रभावित हुए ? कितने लोगों की फसल, सामान, जानवर की क्षति हुई ? निकट भविष्य में प्रभावित लोगों को शासन द्वारा क्या सुविधा प्रदान की जा रही है ? क्या फसल की क्षति के लिये भी कोई अनुदान गरीब काश्तकारों को देने की योजना है। यदि हां, तो ये कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिह आर्य--

विधान सभा क्षेत्र चांदा-सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदैया, लम्बुआ तथा चांदा में सामान्य से कुछ अधिक वर्षा हुई, किन्तु इससे फसलों के सामानों व जानवरों को कोई क्षति नहीं पहुंची । उपरोक्त क्षेत्र गोमती नदी की बाढ़ से प्रभावित हुआ था जिसके लिये नियमानुसार अहेतुक सहायता तथा गृह अनुदान का वितरण किया गया था तथा मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई ।

फसल की क्षति पूर्ति करने की कोई योजना नहीं है ।

विद्युत परिषद् के विद्युत अभियन्त्रण विभाग में बेरोजगार पंजीकृत डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति सम्बन्धी योजना

14-- श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे जून, सन् 1985 तक विद्युत अभियन्त्रण में लगभग पच्चीस हजार बेरोजगार पंजीकृत डिप्लोमाधारी को रोजगार दिलाने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में बेरोजगार डिप्लोमाधारियों को रोजगार देने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जब भी विद्युत परिषद को डिप्लोमाधारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से उनका चयन कराकर नियुक्तियां की जाती हैं ।

भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को पंपिंग सेट खरीदने हेतु ऋण देने की प्रक्रिया

15--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या साहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि भूमि विकास बैंक से किसानों को दिये जाने वाले ऋण से पम्पिग सेट उपलब्ध कराने में शासन की क्या नीति है ?

श्री अरुण कुमार सिह--

वर्तमान नीति के अनुसार उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, द्वारा किसानों को उनके ऋण से आई0 एस0 आई0 मार्क इंजन/पम्पसेट बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त फर्मो से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित यूनिट कास्ट के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाते हैं ।

साधन सहकारी समितियों के प्रशासकों के मनोनयन का प्राविधान

16--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि साधन सहकारी समितियों के प्रशासक मनोनीत किये जाते वक्त कौन से मापदण्ड सरकार अपनाती है क्या प्रशासक के लिये किसी दल विशेष का सदस्य होना आवश्यक है ?

श्री अरुण कुमार सिह--

साधन सहकारी समितियों के प्रशासक मनोनीत करते समय, सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के अनर्हता सम्बन्धी प्राविधानों को दृष्टिगत रखा जाता है । प्रशासक के लिये किसी दल विशेष का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

उन्नाव पुरवा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़

17--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत सन् 85 की बाढ़ से प्रभावित पुरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितना गेहूं कितना मिट्टी का तेल व अन्य राहत

सामग्री वितरित की गई ? सन 82 में कुल कितनी राहत सामग्री का वितरण इस इलाके में हुआ था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

पुरवा निर्वाचन क्षेत्र जनपद उन्नाव में बाढ़ अतिवृष्टि जलप्लावन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 1985 तथा 1982 में वितरित की गई राहत सामग्री का विवरण निम्नवत् है:--

क्र0सं0	राहत सामग्री	वर्ष 1985 मात्रा	वर्ष 1982 मात्रा
1	2	3	4
1	गेहूं	1,968 कु0	438 कु0 20 कि0
2	आटा		130 कु0 50 कि0
3	चना	17 कुण्तल 40 कि0	
4	माचिस	19,280 पीस	6,555 पीस
5	मिट्टी का तेल	18,370 ली0	8,580 ली0
6	नमक	192 कु0 80 कि0 ग्रा0	35 कु0 7 कि0 ग्रा0
7	मोमबत्ती	177 पीस	

साधन सहकारी समिति पारा उन्नाव द्वारा आवश्यक वस्तु वितरण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

18--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि साधन सहकारी समिति पारा, जिला उन्नावके द्वारा आवश्यक वस्तु वितरण की अनियमितता की जांच हेतु जिलाधिकारी ने 5 जनवरी, 85 को परगनाधिकारी को आदेश दिया था ? क्या 7 अप्रल, 85 को कुछ प्रधानों द्वारा पुन: सहकारिता निबंधक को शिकायती पत्र दिया कि वितरण अनियमित है ? क्या यह भी सही है कि बी0 डी0 ओ0 हिलौली ने पत्रांक 1906 दि0 27 मई, 85 के ए0 आर0 कोआपरेटिव को लिखा था कि पारा से वितरण अनियमित है इसलिये भाटनखेड़ा से वितरण किया जाना उचित होगा ? क्या यह भी सही है कि सहकारी निबंधक ने स0विकास अधिकारी को पत्रांक 652 सह0 उप दि0 25 जून, 85 को निर्देश दिया कि वितरण भाटनखेड़ा से सुनिश्चित करायें चाहे पुलिस प्रयोग करनी पड़े? मंत्री जी कृपया यह भी बताने का कष्ट करें तमाम जांचों व आदेशों के बावजूद वितरण पारा से ही क्यों हो रहा है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जिलाधिकारी, उन्नाव ने दिनांक 5-1-84 को परगनाधिकारी को आदेश दिया था । कुछ प्रधानों द्वारा जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां, उन्नाव को दिनांक 7-4-85 को शिकायती पत्र दिया गया था । बी0 डी0 ओ0 हिलौली ने नहीं वरन् सहायक विकास अधिकारी (सह0) ने दिनांक 27-5-85 को सहायक निबंधक उन्नाव को यह लिखा था कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण भाटनखेड़ा से किया जाना उचित होगा । जिला सहायक निबंधक ने अपने पत्रांक 652 दिनांक 25-6-85 के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (सह0) को यह निर्देश दिया था कि वितरण भाटनखेड़ा से कराया जाय तथा आवश्यकता पड़ने पर परगनाधिकारी पुरवा/ पुलिस की मदद लेकर इसे तत्काल सुनिश्चित करायें परन्तु साधन सहकारी समिति पारा की उपविधियों के अनुसार समिति का मुख्यालय पारा में है तथा उसके द्वारा संचालित सस्त गल्ले की दुकान का लाइसेन्स भी पारा के नाम से है । अत: पारा से ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुचारुरूप से किया जा रहा है, क्योंकि भाटनखेड़ा से वितरण कराने पर समिति पर आर्थिक भार भी पड़ता ।

19-- श्री शिव नारायण मिश्र--

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 की पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त ।)

उन्नाव, ग्राम पटियारा का विद्युतीकरण

20--श्री शारदा प्रताप--

क्या ऊर्जा मत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पटियारा, पोस्ट थाना, ब्लाक

सिकन्दरपुर, सरौसी, जनपद, उन्नाव में विधान सभा चुनाव से पूर्व फरवरी, 85 में बिजली के खम्भे डाले गये थे, परन्तु अभी तक न तो खम्भे गड़े हैं और न ही उन पर तार खींचकर विद्युत आपूर्ति करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त ग्राम में तुरन्त बिजली आपूर्ति हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। ग्राम पटियारा, पोस्ट थाना, ब्लाक सिकन्दरपुर, सरौसी, जनपद उन्नाव के विद्युतीकरण हेतु खम्भे डाले गये थे । सूचनीय है कि उक्त ग्राम के विद्युतीकरण के लिये आवश्यक प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है तथा तार आदि खींचकर उक्त ग्राम में विद्युत आपूर्ति 31 मार्च, 1986 तक कर दी जायेगी ।

सहकारी समिति भूडासानी, जिला मथुरा के प्रशासक श्री सुरेश चन्द्र शर्मा की नियुक्ति

21--श्री सरदार सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री की जानकारी में है कि आत्मनिर्भर साधन सहकारी समिति भूडासानी, ब्लाक राया, जिला मथुरा के वर्तमान शासक को एक वर्ष के अन्दर ही तीन बार हटाकर पुन: बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन वर्तमान प्रशासक को जनहित में अविलम्ब हटाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मथुरा जनपद के विकास खण्ड राया की आत्मनिर्भर सहकारी समिति भूडासानी के प्रशासक श्री सुरेश चन्द्र शर्मा को एक वर्ष में केवल एक बार इस कारण हटाया गया क्योंकि इनके पिता पर समिति का चार हजार रुपया बकाया था । उसके बाद श्री शर्मा के पिता द्वारा बकाया अदा करने पर उन्हें पुन: 20-8-85 को प्रशासक बनाया गया। वर्तमान प्रशासक को उनके पद से हटान का कोई औचित्य नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लेखाकारों का वरिष्ठ लेखाकारों के पद हेतु चयन एवं श्री यू० सी० श्रीवास्तव एवं श्री शोभा राम वर्मा के चयन का विवरण

22--श्री कृष्ण कुमार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने आदेश संख्या 107 जी/सी० ए० ओ०- छ:- 89-जी/60 दिनांक 5-1-1978 के द्वारा जारी की गयी वरिष्ठता सूची से 40 कर्मचारियों की सेवा अभिलेखों के अवलोकन के बाद 23 कर्मचारियों का चयन आदेश संख्या 2327 जी०-सी० ए० ओ०-छ:-89-जी/ दिनांक 14-4-1978 द्वारा किया था ? इस चयन की तिथि तक एवं उसके बाद भी श्री यू० सी० श्रीवास्तव एव शोभा राम वर्मा के समस्तसेवा अभिलेख समरूप थे और आज भी है, लेकिन इस चयन में श्री श्रीवास्तव को पदोन्नति दे दी गयी और श्री वर्मा को नहीं? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऊर्जा मंत्री इस चयन समिति की कार्यवाही एवं संस्तुति को सदन के पटल पर रखते हुए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

ज्ञाप संख्या 106-जी/सी० ए० ओ०-छ: दिनांक 5-1-1978 द्वारा निर्गमित लेखाकारों की वरिष्ठता सूची के क्रमांक 40 तक के लेखाकारों के सेवा अभिलेखों का अवलोकन करके 23 लेखाकारों की पदोन्नति वरिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यालय ज्ञाप संख्या 2327-जी० सी० ए० ओ०-छ:-89 जी/69, दिनांक 14-4-1978 द्वारा की गयी ।

इस चयन में वर्ष 1972-73 से 1976-77 तक की चरित्र पंजिका प्रविष्टियां देखी गयी थीं । श्री शोभा राम वर्मा की कुछ समय की प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं थीं । चयन समिति ने श्री वर्मा की पदोन्नति की, इस आधार पर संस्तुति की कि अनुपलब्ध प्रविष्टियां सन्तोषजनक हों । श्री वर्मा की अनुपलब्ध प्रवि

जब तक प्राप्त की गयी श्री वर्मा के विरुद्ध गम्भीर अनियमितता के लिये अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश पारित हो गये । अत: चयन समिति की संस्तुतियों का क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सका । यह मामला अभी भी लम्बित है ।

श्री यू0 सी0 श्रीवास्तव, लेखाकार की वांछित प्रविष्टियां चयन समिति को उपलब्ध थीं । चयन समिति ने उन्हें शर्त रहित प्रोन्नति की संस्तुति की थी । दिनांक 14-4-1978 तक उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही करने का मामला अभिविदित नहीं था । अत: श्री यू0 सी0 श्रीवास्तव को अन्य लेखाकारों के साथ चयन समिति की संस्तुति के अनुसार उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14-4-1978 के द्वारा प्रोन्नति दे दी गयी ।

चयन समिति की कार्यवाही सदन के पटल पर रखना जनहित में उचित न होगा । श्री वर्मा के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है । अत: किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

23---श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

(3सरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

मथुरा विकास खण्ड राया बल्देव में जलभराव की समस्या

24--श्री सरदार सिंह---

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि वर्ष 1985 में अतिवृष्टि से मथुरा जनपद के ब्लाक राया व बल्देव में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई थी ? यदि हां, तो शासन ने पीड़ित लोगों की मदद हेतु कौन-कौन से राहत कार्य किये तथा माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 86 के लिये कौन-कौन सी योजनाओं पर कार्य कराया जायेगा जिससे गरीब लोगों को रोजगार मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी हां । पम्पिग सेटों द्वारा जल निकासी की कार्यवाही की गई । राहत बजट से 1,02,500 रु0 की अहेतुक सहायता एव 7000 रु0 गृह अनुदान के रूप में वितरण किया गया । रोजगार देने के सम्बन्ध में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 सम्पर्क मार्गो पर निर्माण कार्य कराया गया और कुछ कार्य प्रगति में है । चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पर्क मार्गो पर कार्य जारी रहेंगे:---

(1) राया से तिरवारा ।
(2) सिरिया की नगरिया से खप्परपुर
(3) खप्परपुर से नवीपुर, हबीबपुर
(4) सिरिया नगला लोहागढ़ वाया दरवे कैनाल ।
(5) जुगसना से नगला मोहन ।

बांदा तहसील नरैनी के अन्तर्गत खलिहानों में अग्निकाण्ड

25---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा की तह0 नरैनी में मार्च, 1985 से जुलाई, 1985 तक कितनी सूचनाएं गल्ले की लांक जलने की मिली और इन अग्नि पीड़ितों को क्या अहेतुक सहायता मिली, उनका अलग-अलग विवरण क्या है ? क्या शासन द्वारा इन्हें और भी किसी तरह से आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो इस प्राविधान के अन्तर्गत इन्हें और क्या सहायता प्रदान की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

प्रश्न गत अवधि में 14 खलिहानों में गल्ले की लांक जलने की सूचनाएं मिली । पीड़ितों को 24,400 रुपये की नकद अहेतुक सहायता एवं 17 कुंतुल गेहूं दिया गया विवरण संलग्न है† ।

जी हां ।

58,000 रु0 की आपदा तकावी वितरित की गई, विवरण संलग्न है । मालगुजारी में छूट की कार्यवाही कर दी गई है । विकास खण्ड द्वारा खाद व बीज उपलब्ध कराया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 146-147 पर ।)

† छापी नहीं गई ।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

26--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में दैनिक वेतन कर्मचारियों का जिनका सेवा काल निरन्तर बढ़ाया जा रहा है तथा वे अपने सेवा काल में आयु सीमा पार कर चुके है, उन्हें नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

निदेशालय के दैनिक वेतन कर्मचारियों की स्थिति फिलहाल यथावत है। इसपूरे मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

बांदा निर्वाचन क्षेत्र नरैनी के विकलांगों एवं विधवाओं को पेंशन दिये जाने की मांग

27--क्या सरकार जनपद बांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी के समस्त ग्रामों में विधवाओं, विकलांगों का सर्वेक्षण कराके उन्हें पेंशन देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपदबांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी की विधवाओं और विकलांगों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अतः पेंशन स्वीकृत करना इस समय सम्भव नहीं है।

वाराणसी, ग्राम पिण्डरा में चकबन्दी सम्बन्धी मुकदमें

28--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के परगना कोलअसला के ग्राम पिण्डरा के चकबन्दी के विचाराधीन मुकदमों का निस्तारण ए0 सी0 ओ0 स्तर पर किस दिनांक को हुआ ? डी0 डी0 सी0 चकबन्दी के यहां पिण्डरा गांव के कितने मुकदमे कब से विचाराधीन है और निर्णय होने तक अत्यधिक बिलम्ब का क्या कारण है ? इस ग्राम के विचाराधीन मुकदमों का निस्तारण कब तक हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम पिण्डरा, परगना कोल असला, जिला वाराणसी में सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर समझौते द्वारा वादों का निस्तारण दिनांक 18-10-85 को किया गया।

उप संचालक चकबन्दी स्तर पर इस समय कुल 112 मुकदमे विचाराधीन है।, जिनमें वर्ष 1978 के 4, वर्ष 1979 के 99 वर्ष 1983 के 4, वर्ष 1984 के 4 तथा वर्ष 1985 का 1 मुकदमा है। ग्राम पिण्डरा के पहिले के ग्रामों के मुकदमों के निस्तारण; पक्षों द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के फल स्वरुप सुनवाई स्थगित करने तथा कृषकों द्वारा व्यवधान डालने के कारण मुकदमों का निस्तारण नहीं हो सका है। चक निगरानियों की सुनवाई हेतु दिनांक 24-25 व 26 फरवरी, 1986 तिथि निश्चित है।

झांसी जिले के विकास खण्ड बामौर गुरसराय एवं मोठ के ग्रामों का विद्युतीकरण

29--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जनपद के विकास खण्ड बामौर, गुरसराय एवं मोठ में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है और किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च, 86 तक हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

झांसी जनपद में 31-1-86 तक विकास खण्ड बामौर के 46 गांव, गुरसराय के 49 ग्राम और मोठ के 33 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका हूं जिसकी सूची संलग्न† है।

मार्च 86 तक विकास खण्ड बामौर के दो गांव (सरसेण्डा और ककरबई), विकास खण्ड गुरसराय के तीन गांव (धुरबई, भगवतपुरा और खरोरा) तथा विकास खण्ड मोठ के दो गांव (खरही और बडोखरी) के विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम है।

30--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जनपद के विकास खण्ड बामौर, गुरसराय

†छापी नही गई।

एवं मोठ के किन-किन ग्रामों में खम्भे और तार खीच दिये गये हैं परन्तु करेन्ट नहीं दिया गया है ? परन्तु विधिवत् कनेक्शन नहीं दिये गये है तथा किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण होने के बाद भी हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? क्या शासन प्रत्येक हरिजन बस्ती को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकृत करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री---

झांसी जनपद के विकास खण्ड बामौर, गुरसराय और मोठ का ऐसा कोई गांव नहीं है, जहां खम्भे और तार खींचने के बाद करेन्ट नहीं दिया गया है।

विकास खण्ड बामोर के 15 गुरसराय के 10 और मोठ के 7 गांवों (सूची संलग्न) में खम्भे और तार खींच दिये गये हैं करेन्ट भी दिया गया है लेकिन अभी तक कोई विधिवत कनेक्शन नहीं है। ग्रामीणों को विद्युत कनेक्शन लेने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

विकास खण्ड बामौर गुरसराय और मोठ के सभी विद्युतीकृत गांवों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। प्रत्येक गांव की हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की योजना है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 148 पर।)

परगनाधिकारी मोठ जिला झांसी द्वारा पकड़ा गया खनन कार्य

31---कुंवर मानवेन्द्र सिह---

क्या सरकार कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20-5-81 को परगनाधिकारी, मोठ, जिला झांसी ने मौके पर जाकर 1,75,275.00 रुपये की रायल्टी चोरी का मामला पकड़ा था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बल्देव सिह आर्य---

परगनाधिकारी मोठ ने 21-5-81 को अवैध खनन का मामला अपने निरीक्षण के दौरान पकड़ा था। इस संबंध में न्यायालय में मुकदमा चलाया गया जिसमें अभियुक्त न्यायालय द्वारा बरी कर दिये गये।

उन्नाव जिले में हरिजनों के लिये दुकानों का निर्माण एवं आवंटन सम्बन्धी जांच

32---श्री हृदय नारायण दीक्षित---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में हरिजनों के लिये कितनी दुकानों का निर्माण 1984-85 व 1985-86 में हुआ है ? उनमें से कितनी दुकानों का आवंटन हरिजनों व निर्बलों में हो चुका है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---

वर्ष 1984-85 में किसी दुकान का निर्माण नहीं हुआ तथा तथा वर्ष 1985-86 में 110 दुकानें निर्माणाधीन है जिनका आवंटन नहीं हुआ है।

33---श्री हृदय नारायण दीक्षित---

क्या यह सही है कि अधिकांश दुकानें बस्ती से दूर बनी है इसलिये हरिजन उन्हें लेने से कतरा रहे है और मौरावां कस्बें में थाने के सामने व असोहा ब्लाक केन्द्र से दूर ऊसर पर बनी दुकाने अभी तक आवंटित नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

कुछ दुकानें उपयुक्त स्थान पर न बनने एवं कुछ दुकानों का अभी तक आवंटन न होने का मामला प्रकाश में आया है। इसलिये इस प्रकरण की विस्तृत जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं।

उन्नाव, ग्राम कालूखेड़ा में हरिजनों के लिये दुकानों का निर्माण एवं आवंटन

34---श्री हृदय नारायण दीक्षित---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा ब्लाक क ग्राम कालूखेड़ा में वर्ष 1984-85 में स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के आवंडन में

धांधागर्दी की गई थी और इसकी जांच तत्काल परगनाधिकारी ने भी की थी ? यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह भी सही है कि इन दुकानों का आबंटन अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां। प्रश्नगत दुकानों के आवंटन में अनियमितता प्रकाश में आयीं थीं और इसकी जांच परगनाधिकारी ने की थी। इस मामले में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आदेश दे दिये गये हैं। यह आदेश भी दिये गये है कि अपात्र व्यक्तियों का आवंटन निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को दुकानें आवंटित कर दी जाय।

उन्नाव जिले के पुरवा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र और पुरवा क्षेत्र में अवर अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना

35—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको उन्नाव जिले के पुरवा कस्बा व क्षेत्र में बिजली की अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 7 अगस्त, 85 प्राप्त हुआ है।? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता ने इसी सिलसिले में दिनांक 19 अगस्त, 85 को सचिव, ऊर्जा व दिनांक 5 अगस्त, 85 को अधिशासी अभियन्ता उन्नाव को पत्र लिखे थे पर उक्त पत्रों पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

संबंधित अधिशासी अभियन्ता को इस विषय में अविलम्ब कार्यवाही करने के लिये निदशित किया गया। पुरवा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति कराने वाले 33/11 के0 वी0 विद्युत केन्द्र मोरवां पर अक्टूबर, 85 में एक नया 3 एम0 वी0 ए0 क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर उससे पुरवा क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से विद्युत उपलब्ध कराई गई ताकि पुरवा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में वांछित सुधार हो सके।

मा0 विधायक के दोनों पत्रों पर उपरोक्त वर्णित कार्यवाही की गयी

प्रश्न नहीं उठता।

36—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरवा तहसील केन्द्र व कस्बा की बिजली व्यवस्था के सुचारु रुप से चलाने के लिये संबंधित एस0 डी0 ओ0 को पुरवा में ही हेड क्वार्टर बनाने के आदेश क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि एक जू0 इन्जीनियर को पुरवा में हेड क्वार्टर बनाने के आदेश 3 अक्टूबर, 85 को हुये थे ? यदि हां, तो जू0 इन्जीनियर हेड क्वार्टर क्यों नहीं बना रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

पुरवा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति के लिये प्रभारी उपखण्ड अधिकारी के कार्यक्षेत्र में पुरवा के अतिरिक्त हसनगंज, नबावगंज, बीघापुर, भगवन्तनगर इत्यादि की विद्युत आपूर्ति का कार्यभार भी है। अतः उनका मुख्यालय उन्नाव से पुरवा स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं है।

जी हां, पुरवा क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये एक अवर अभियन्ता का मुख्यालय पुरवा म कर दिया गया है। क्षत्रीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त अवर अभियन्ता मुख्यालय पर ही उपलब्ध रहें।

उन्नाव के ग्राम ओसियाव स्थित डा0 राजेन्द्र प्रसाद विद्यालय की भूमि पर श्री काली चरन का अवैध कब्जा

37—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले की तहसील सफीपुर के ग्राम ओसिया में खाता खतौनी संख्या 193 पर 28111/2 भूमि को डा0 राजेन्द्र प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ओसिया के प्रबन्धक के नाम से खारिज कर उक्त भूमि गांव सभा ओसिया के नाम दर्ज हो गयी है किन्तु मौके पर उक्त भूमि पर अभी तक फतेह बहादुर सिंह पुत्र श्री राम

स्वरूप सिंह का ही नाजायज कब्जा बना हुआ है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इसी प्रकार ग्राम समाज की हरिजनों के नाम आवंटित की गई अन्य तमाम भूमि पर भी उपरोक्त व्यक्ति का नाजायज कब्जा है ? यदि हां, तो शासन ने इस नाजायज कब्जे को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

ग्राम ओसिया तहसील सफीपुर जनपद उन्नाव की खाता खतौनी संख्या 193 रकबा 28-17-0 भूमि देशरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद विद्यालय, ओसिया के प्रबन्धक फतेह बहादुर सिंह पुत्र श्री राम स्वरुप सिंह निवासी ग्राम ओसिया के नाम अंकित थी, जो नायब तहसीलदार, सफीपुर के आदेश दिनांक 19-4-82 द्वारा खारिज होकर ग्राम समाज में निहित हो गई थी। इस भूमि पर फतेह बहादुर सिंह पुत्र राम स्वरुप सिंह का नाजायज कब्जा नहीं है, बल्कि उक्त विद्यालय कमेटी के सदस्य कालीचरन पुत्र महादेव निवासी ओसिया का उपरोक्त भूमि पर अनाधिकार कब्जा है, जिसके विरुद्ध धारा 122 बी 0/जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 115 डी के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

उन्नाव असोहा में बाल विकास परियोजना की स्थापना की मांग

38 ---श्री हृदय नारायण दीक्षित---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के असोहा विकास खण्ड में बाल विकास परियोजना चलाये जाने संबंधी प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 5 सितम्बर, 85 को मा0 मंत्री जी क द्वारा सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण को भेजे जाने के बाद कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

म0 विधायक का पत्र दिनांक 5 सितम्बर, 85 शासन को प्राप्त हुआ था। नई बाल विकास परियोजना की स्थापना भारत सरकार की सहमति से की जाती है। वर्ष 1985-86 में जिन 25 नई परियोजनाओं की स्थापना हुई भारत सरकार की सहमति प्राप्त हुई है, उनमें विकास खण्ड असोहा का नाम न होने के कारण असोहा में नई परियोजना खोला जाना सम्भव नहीं है।

उन्नाव, जिले के ग्राम अकोहरी स्थित हरिजन कालोनी के आवासों का आवंटन

39 ---श्री हृदय नारायण दीक्षित---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जिले के अकोहरी ग्राम में नवनिर्मित हरिजन कालोनी इतनी घटिया सामग्री से बनी है कि पहली बारिश में ही गिरने लगी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कालोनी के आवंटन में एक ही परिवार के सदस्यों को कई मकान दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा राज्य मत्री, हरिजन समाज कल्याण को दिनांक 19-9-85 व 2 सितम्बर, 85 को लिखे गये पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी नहीं। उक्त कालोनी के निर्माण में सही सामग्री प्रयोग की गयी है। हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवासों का निरीक्षण किया गया और वे गिरे हुये नहीं पाये गये।

कालोनी में एक ही परिवार के सदस्यों को कई मकान आवंटित किये जाने का तथ्य अब तक प्रकाश में नहीं आया।

राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 19-9-85 व 2-9-85 के आधार पर उक्त निगम द्वारा जांच की गयी और यह पाया गया कि नीची जगह में स्थिति होने के कारण ग्राम के कुछ आवास वर्षा ऋतु में पानी भराव के कारण थोड़ा प्रभावित हुये हैं। जिनकी मरम्मत के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

आजमगढ़ अजमतगढ़---नदवासराय रोड हेतु ग्राम मेघई खास निवासी श्री रमा कान्त सिंह की भूमि का कथित अधिग्रहण

40--श्री रामजनम यादव---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी ग्राम मेघई खास के श्री रमाकान्त सिंह पुत्र श्री रजापति सिंह के गाटा संख्या 1159 रकबा 81 कड़ी अजमतगढ़ नदवासराय रोड पर स्थित मुआवजा अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी हां ।

अध्याप्ति निकाय से प्राप्त भू-अर्जन प्रस्ताव में श्री रमाकान्त सिंह का प्रश्नगत गाटा संख्या 1159 रकबा 0.081 एकड़ शामिल नहीं था । अत: प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है । इस गाटा संख्या क सम्बन्ध में तथ्यों को विस्तृत जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग से करायी जा रही है ।

जौनपुर ग्राम ग्यासपुर नोनारी की स्वैच्छिक चकबन्दी के विरुद्ध दायर मुकदमा

41--श्री दीपचन्द्र सोनकर---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज, परगना ऊगली, ग्राम ग्यासपुर नोनारी का सन् 1983 में बिना काश्तकारों के स्वेच्छा से ही स्वच्छा चकबन्दी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराई दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ ठोस कदम उठाये जा रहे है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

ग्राम ग्यासपुर नोनारी, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में समस्त कृषकों की इच्छानुसार ही स्वेच्छिक चकबदी कराई गई जिसकी पुष्टि सहायक संचालक चकबन्दी द्वारा 22-3-84 का की गई । श्री रहमतउल्ला एवं अन्य द्वारा दायर रिट माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है और स्थगन आदेश पारित किये जा चुके है । मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

आजमगढ़ मऊनाथ भंजन में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी पत्र

42--श्री रामबदन एडवोकेट---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के लिये मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के अन्तर्गत आई0टी0आई0 केन्द्र की स्थापना हेतु भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय श्री तपेश्वर राम, श्री बनवारीराम, श्री खरपत राम आदि विधायकों ने लिखित मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में श्री कुदेसिया सेक्शन इन्चार्ज को प्रार्थना पत्र भी दिया गया था ? क्या उपरोक्त योजना की स्वीकृति हो पायी है कि नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां । मुहम्मदाबाद गोहना तहसील अन्तर्गत मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग की गई थी । जी नहीं, सचिव, हरिजन समाज कल्याण विभाग को सम्बोधित स्वर्गीय श्री तपेश्वर राम का उक्त प्रार्थना पत्र तत्कालीन संयुक्त सचिव, हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुभाग अधिकारी (श्री कुदैसिया) को उसके परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मार्क किया गया था । जिस पर निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की संस्तुति मांगी गई ।

निदेशक की संस्तुति की प्रतीक्षा है ।

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री हरीश चन्द्र मित्तल विद्युत वितरण खण्ड इटावा के विरुद्ध धन की अपहरण की कथित शिकायत

43--श्री अशोक बाजपेयी---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीश चन्द्र मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परिषद, इटावा में अधिशासी अभियन्ता पद पर तैनात थे तथा उनके

खिलाफ सरकारी धन अपहरण के आरोप लगाए गए थे इसी तरह के अन्य आरोपों में अन्य अधिकारियों को दण्डित कर श्री हरीश चन्द्र मित्तल के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो श्री मित्तल के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री मित्तल के विरुद्ध जनपद इटावा में अन्य कई मामले भी इसी तरह के पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराकर श्री मित्तल के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुनील शास्त्री--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हरीश चन्द्र मित्तल दिनांक 17-5-1972 से 25-12-73 तक अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, इटावा में तैनात रहे और उनके विरुद्ध सरकारी धन अपहरण आदि की कोई सूचना राज्य विद्युत परिषद में उपलब्ध नहीं है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद मिल्कीपुर में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना

44--श्री मित्रसेन --

क्या ऊर्जा मंत्री कृपपा बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित मिल्कीपुर (इनायतनगर) विद्युत सब स्टेशन पर 132 के0 वी0 वाट का नया सब स्टेशन लगाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। यह निर्णय छठी योजना के द्वितीय चरण में लिया गया था। उक्त विद्युत सब स्टेशन का सिविल कार्य प्रारम्भ होने वाला है।

गोण्डा, ग्राम बोड़िहार की चकबन्दी

45--श्री मित्रसेन --

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगना व तह0 उतरौला, जनपद गोण्डा की चकबन्दी धारा 52 का प्रकाशन वर्ष 1984 में होने के बावजूद भी अभी तक तह0 मुख्यालय पर कई गांवों के कागजात दाखिल नहीं किये गये है जिसके परिणामस्वरूप उक्त गांव में उपलब्ध ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि का भूमिहीन पात्र हरिजन व्यक्तियों को आवंटित नहीं हो पा रहा है, और उन पर लोग अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से गांव है जिनका धारा 52 वर्ष 1984 में होने के बावजूद भी चकबन्दी विभाग में कागजात तह0 मुख्यालय पर दाखिल नहीं किये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं।

परगना व तहसील उतरौला, जनपद गोण्डा का केवल एक ही ग्राम बोड़िहार का वर्ष 1984 में चकबन्दी विभाग अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 1-12-84 को हुआ तथा उसके अन्तिम अभिलेख दिनांक 31-8-85 को तहसील मुख्यालय पर भेज दिये गये है। आवंटन की कार्यवाही प्रगति पर है।

गोण्डा ग्राम परसौना मुश्तहाकम में भूमि का आवंटन

46--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा परसौना मुश्तहाकम परगना व तह0 उतरौला, जनपद गोण्डा में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में बीसों एकड़ भूमि का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है और लोग अवैध कब्जा लिए हुए हैं ? यदि हां, तो उपलब्ध भूमि का आवंटन न होने का कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं।

आवंटन कर दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा सहकारी क्रय-विक्रय समिति उतरौला द्वारा गेहूं की खरीद एवं मूल्य का भुगतान

47--श्री मित्रसेन --

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि गेहूं क्रय केन्द्र उतरौला, जनपद गोण्डा में सहकारिता विभाग द्वारा क्रय किये गये किसानों के गेहूं के मूल्य अभी तक भुगतान नहीं किये गये हैं ? यदि नहीं, तो भुगतान न किये जाने का क्या कारण है तथा कितने लोगों की कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जनपद गोण्डा में सहकारी क्रय विक्रय समिति उतरौला के माध्यम से पी0सी0एफ0 द्वारा क्रय किये गये किसानों के गंहूं के मूल्य का भुगतान सभी किसानों को कर दिया गया है ।

बरेली नगर मोहल्ला नई बस्ती महिला होस्टल का निर्माण

48--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि इस समय बड़े पैमाने पर बरेली नगर में महिलायें विभिन्न विभागों में कार्य कर रही है क्या इसे ध्यान में रखते हुए बरेली में महिला होस्टल की व्यवस्था करेंगे यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

बरेली नगर के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं को आवासीय सुविधा देने के निमित्त मोहल्ला नई बस्ती सी0आई0 पार्क में नगर महापालिका की देखरेख में महिला होस्टल का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर श्रमजीवी महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

बरेली में निजी नलकूप बन्द होने की समस्या

49--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली जनपद में निजी नलकूप बड़ी संख्या में बन्द होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

बरेली जनपद में नलकूप बड़ी संख्या में बन्द नहीं हो रहे हैं । 31 मार्च, 1985 तक बरेली जनपद में 122 निजी नलकूप उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से विद्युत कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन कराया है तो इस जनपद में कुल नलकूपों की संख्या की तुलना में नगण्य है । इन उपभोक्ताओं ने अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण अपना स्थायी विच्छेदन कराया है ।

50--डा0 दिनेश जौहरी--

(दूसरे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

श्री कुल मोहन सक्सेना सुपरिन्टेडेन्ट पावर हाउस हरदुआगंज की पेंशन

51--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री कुल मोहन सक्सेना रिटायर्ड सुपरिन्टेन्डेन्ट पावर हाउस हरदुआगंज (अलीगढ़) को मुरादाबाद कोषागार से जनवरी, 1984 से पूरी पेन्शन नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरी पेन्शन शीघ्र दिला देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को इसकी कोई जानकारी नहीं है । श्री कुल मोहन सक्सेना, सुपरिन्टेन्डेन्ट पावर हाउस के पद से दिनांक 16-12-1970 को सेवानिवृत्ति हुये थे । श्री सक्सेना को पेंशन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक पी0ए0 प्रथम/एक/बी/6269, दिनांक 29-11-73 द्वारा दी गई थी । श्री सक्सेना को रु0 105 प्रतिमाह की पेंशन पी0पी0ओ0 संख्या 146363 द्वारा स्वीकृत की गई थी और कोषाधिकारी, मुरादाबाद इनके वितरण अधिकारी थे ।

52--डा0 दिनेश जौहरी--

(दूसरे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत अप्रेन्टिसों को नियुक्त किये जाने की मांग

53—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि हाई-डिल विभाग में एक से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिवर्ष कुछ अप्रेंटिस रखे जाते हैं जिन्हें कार्यकाल समाप्त होने के बाद निकाल दिया जाता है और वे बेरोजगार हो जाते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी नीति बनायेंगे जिससे हाईडिल में काम किये हुये इन अप्रेंटिसों को विभाग में ही स्थायी पद दिया जा सके'? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

शिशिक्षु अधिनियम, 1961 में निहित प्राविधानों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में अप्रेटिसों की नियुक्ति की जाती है जिन्हें प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षण से पृथक कर दिया जाता है।

प्रशिक्षण के उपरान्त इन अप्रेन्टिसों को विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अप्रेन्टिस ऐक्ट में कोई बाध्यता नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने नई भर्ती हेतु एक निश्चित प्रक्रिया बना रखी है। इस प्रक्रिया के अनुसार विद्युत सेवा आयोग समय-समय पर रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करता है एवं श्रेष्ठता के अनुक्रम में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है।

बरेली नगर में विद्युत आपूर्ति में कम वोल्टेज की शिकायत और विद्युत कनक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

54—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में विद्युत आपूर्ति मेंकम वोल्टेज घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन न देने तथा औद्योगिक इकाइयों को पावर लोड स्वीकृत न किये जाने के कारण जो भारी संकट व्याप्त है उसके निराकरण हेतु क्या शासन द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो वह याचिका क्या है और वह कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

बरेली नगर में विद्युत आपूर्ति में कम वोल्टेज की शिकायत को दूर करने हेतु प्रणाली सुधार योजना के अन्तर्गत बरेली नगर में वर्ष 1985–86 में दिसम्बर तक 8 नये विद्युत उप गृह बनाये गये तथा 7 उपगृहों की क्षमता में वृद्धि की गई एवं 9.93 कि0मी0 वितरण लाइनों की क्षमता बढ़ाई गई। इसके अतिरिक्त 11 हजार वोल्टेज की 1.75 कि0 मी0 नई लाइन बनाई गई है। परिणामस्वरूप अब कम वोल्टेज की शिकायतें बहुत कम हो गई है। जिन औद्योगिक इकाइयों के आवेदन पत्र दिनांक 4–10–85 तक प्राप्त हो गये थे, उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

55–डा0 दिनेश जौहरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984–85 में बरेली महानगर के अन्तर्गत ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 25 रु0 के हिसाब से विद्युत कनेक्शन हेतु अग्रिम राशि विद्युत विभाग के पास जमा की गई है और उन्हें अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ? इस बिलम्ब के क्या कारण है और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

ऐसे 1120 व्यक्ति हैं। इसके बिलम्ब के कारण निम्न है और इसके प्रति आवेदक ही उत्तरदायी है—

1—453 व्यक्तियों ने स्टीमेट की धनराशि जमा नहीं की।

2—160 भावी उपभोक्ताओं के बी एण्ड एल फार्म गलत पाए गए।

3—507 आवेदक ऐसे थे जिन्होंने कनेक्शन लेने एवं मीटर लगाने के स्थान का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जिससे उनके स्टीमेट नहीं बन सके।

बरेली के ग्रामों का विद्युतीकरण

56--डा0 दिनेश जौहरी---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के समस्त गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने ग्राम बाकी रह गये हैं और उनका विद्युतीकरण क्या शीघ्र कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार 824 ग्राम तथा एल0 टी0 मेन्स बिछा कर 1143 ग्राम विद्युतीकरण के लिये शेष हैं जिनका विद्युतीकरण अगले पांच वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत करने की योजना है।

प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने की योजना

57---डा0 दिनेश जौहरी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष विकलांगों को सहायता देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां।

नेत्रहीन, मूक तथा बधिर व शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु एक योजना वर्ष 1979-80 से संचालित है और इस वर्ष भी लागू रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत नेत्रहीन, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार पात्र होते हैं, को रु0 60 प्रतिमाह की दर से सहायता दी जाती है।

बरेली नगर के शास्त्री मार्केट का खराब ट्रान्सफार्मर

58---डा0 दिनेश जौहरी---

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर का शास्त्री मार्केट ट्रांसफार्मर अक्सर खराब हो जाता है जिसके कारण नगर के मुख्य बाजारों की बिजली व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है ? यदि हां, तो इसको तुरन्त ठीक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री---

जी नहीं। बरेली नगर के शास्त्री मार्केट का 630 के0 बी0 ए0 का ट्रांसफार्मर अक्सर खराब नहीं होता है। पिछले 2 वर्ष से इसमें कोई विशेष खराबी नहीं आई है। विगत 18-9-85 को बरेली नगर को विद्युत उपलब्ध कराने वाले मुख्य ट्रांसफार्मरों में से एक 66/11 के0 वी0 5 एम0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आ गई थी जिसे 16-10-85 को ठीक कर दिया गया है उपरोक्त ट्रांसफार्मर में खराबी आने के कारण स्थानीय रोस्टरिंग करनी पड़ी। अब स्थिति सामान्य है।

बस्ती ग्राम उतरौलिया की चकबन्दी

59---श्री भगवानदीन कुशवाहा---

अष्टम विधान सभा द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार दिनांक 14-9-84 के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 120 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन 21 चकों के मूल जोत एवं नक्शे में अन्तर पाया गया उनके खातेदारों के नाम और खाता नं0 क्या हैं ? क्या सरकार इसे ठीक कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जिन 21 चकों के मूल जोत एवं नक्शे में अन्तर पाया गया उन खातेदारों के नाम और खाता नम्बर निम्नलिखित हैं:---

खातेदार का नाम	खाता नंबर
1--- श्रीमती झिनका पत्नी त्रिलोक	15, 80
2---जदुनाथ पुत्र जगेसर, रामरक्षा, वृन्दावन पुत्रगण राम आज्ञा	78
3---सुभग तथा राम केवल पुत्र--- गण नगेसर ।	49
4---बालेन्धर तथा भालेन्धर पुत्रगण गुरसरन।	28

5--लालबहादुर पुत्र फेकू 48

6--सुखदेव पुत्र औतार 50

7--भागीरथी तथा प्यारे पुत्रगण पदारथ 32

8--सहदेव, रामदुलारे तथा राम समुझ पुत्रगण चीलर। 53

9--जय नारायण लाल पुत्र चिरकुट लाल, चन्द्रबली पुत्र देवीचरन लाल, हरी प्रसाद लाल, हरिश्चन्द्र लाल, फूलचन्द लाल पुत्रगण बब्बन लाल। 10

10--आबादी वर्ग 6 (2) 126

11--बिसई, निरहू, पुत्रगण दुक्खी 26

12--रहस्य बिहारी पुत्र राम आसरे 42
राम सुरेख, टिनकू पुत्रगण
बलि भद्दर। 103

13--भरोस पुत्र तुलसी 35, 95

14--मधुबन प्यारे पुत्रगण झकड़ी 99

15--चारूचरन पुत्र मंगल 73

16--टन्कू पुत्र हनुमान 16, 81

17--नैपाल पुत्र ठाकुरदीन 86

18--जैपाल पुत्र ठाकुरदीन 79

19--राजेन्द्र, बंशबली, संतबली, 47, 110
लालमन पुत्रगण लोचन।

20-ओरी, चौथी पुत्रगण मेसर 2, 63

21--नन्दलाल पुत्र बासु 22, 85

प्रश्नगत मूल जोत एवं नक्शे में पाये गये अंतर को ठीक कराने का मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

आजमगढ़ ग्राम महुला के श्री राम जनम कहार को भूमि का पट्टा

60---श्री राम जनम---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महुला तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के राजमन कहार पुत्र तपेश्वर कहार के नाम कितनी जमीन पट्टा की गयी? क्या प्रार्थी को कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री राजमन पुत्र तपेश्वर कहार को 0.512 एकड़ भूमिका पट्टा किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम अभी चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

आजमगढ़ ब्लाक माटींनगंज व फूलपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

61--श्री भीखाराम---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक माटींनगंज व ब्लाक फलपुर जनपद आजमगढ़ की किन-किन ग्राम-सभा की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया है ? क्या पिछले पांच वर्षो में उपरोक्त ब्लाक की हर ग्राम सभा की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण करने की योजना थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त ब्लाक की हर हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री---

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक माटींनगंज व ब्लाक फूलपुर में जनवरी, 1986 तक जिन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है, उनकी सूची संलग्न है।

जी नही। पिछले पांच वर्षो में उपरोक्त ब्लाकके प्रत्येक हरिजन बस्ती मेंविद्युतीकरण करने की कोई योजना नहीं थी।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 149 पर।)

फर्रुखाबाद, श्री जयपाल सिंह की बकाया सिंचाई देयों के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

62---श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फ़र्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जगपाल सिंह को जून, 1985 में राजस्व की वसूली के संबंध में तहसील सदर में गिरफ्तार कर बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो उन पर बकाया धनराशि कितनी थी, क्या उक्त धनराशि की वसूलीके लिये कोई डिमान्ड नोटिस भेजी गई है यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी हां। इन्हें जून, 1985 में नहीं बल्कि मई, 1985 में मु0 16-25 पैसे के बकाया सिचाई देयों को अदा न करने के कारण तहसील हवालात में बन्द किया गया था।

इस कार्यवाही के पूर्व बकायादार को डिमान्ड नोटिस दिनांक 14-5-85 को भेजी गयी थी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद, अमृतपुर में विद्युत उप केन्द्र की स्थापना की मांग

63--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फ़र्रुखाबाद के ग्राम अमृतपुर में सन् 78-79 में स्वीकृत सब स्टेशन 33 के0 वी0 स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से अमृतपुर में विद्युत उप केन्द्र की स्थापना का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं। अस्तु कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत विभाग, अधीक्षण अभियन्ता स्टोर प्रोक्योरमेन्ट मंडल, लखनऊ द्वारा सामान की खरीद एवं सामानों की आपूर्ति में पायी गयी अनियमितता

64---श्री कृष्ण कुमार शर्मा---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की जांच समिति ने अध्यक्ष उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को अपने पत्र संख्या 646 कान0 10/इ0 सी0 (10)/76 दिनांक 3-4-79 के द्वारा सूचित किया था कि अधीक्षण अभियंता स्टोर प्रोक्योरमेंट मण्डल, लखनऊ द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या 844--एस0 पी (टी) बी0/सी0 इ0 एच0-663/72 कलकत्ता स्टोर्स दिनांक 23-8-72 के प्राविधानों का पालन करते हुए परिषद् के विभिन्न, खण्डों द्वारा रु0 78869.16पै0 भुगतान करते हुए बैंकों से खरीद सम्बन्धी प्रपत्र एवं बिल्टी छुड़ाया था और सामान आज तक भी परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ है, परिषद् ने एक दूसरे आदेश संख्या 3040/जी0 एस0 पी0/एस0 इ0 वी0 दिनांक 16-5-1974 के द्वारा मेसर्स केशव वनस्पति एवं मेसर्स नारायण वनस्पति को कर्ज पर 181.05 एम0 टी0 कोयला तालकटोरा पावर हाउस से दिलाया, जिसका मूल्य रू0 17896.79पै0 था और आज तक परिषद् को यह धनराशि वापस प्राप्त नहीं हुई ? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेशों को जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो परिषद् क्यों मौन है ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है।

65--श्री कृष्ण कुमार शर्मा

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् की जानकारी में अब तक ऐसे कितने मामले आये है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री---

सूचना एकत्र की जा रही है।

66---श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे मामलों में खण्डीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही अपेक्षित होती रही और परिषद् एवं शक्ति भवन स्तर के अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्यवाही वांछित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती शारदा वर्मा पत्नी श्री शोभा राम वर्मा तिलकनगर लखनऊ, का अध्यक्ष उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् को सम्बोधित पत्र

67---श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शारदा वर्मा, पत्नी श्री शोभा राम वर्मा, सी-4 तिलक नगर कालोनी, लखनऊ ने अध्यक्ष उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्

लखनऊ को दिनांक 15-4-1983 को एक पत्र लिखते हुए उसकी प्रतिलिपि तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार ह तथा परिषद् को ऐसे कितने पत्र इस तिथि के बाद प्राप्त हुए और उन पर परिषद् ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सुनील शास्त्री---

जी हां।

श्रीमती शारदा वर्मा पत्नी श्री शोभा राम वर्मा से प्राप्त पत्र में वर्णित आरोपों की छानबीन की गयी थी और सभी आरोप निराधार एवं सत्य से परे पाये गये।

सुस्पष्ट संदर्भ के अभाव में पत्रों की प्राप्त संख्या और उस पर की गयी कार्यवाही के बारे में बताना सभव नहीं है। जो भी पत्र प्राप्त होते है उन पर यथावत कार्यवाही की जाती है।

राज्य विद्युत् परिषद् लेखा शाखा में कन्ट्रोलर आफ बैंकिग आपरेशन एण्ड कन्ट्रोलर आफ आडिट एण्ड एकाउन्टस क पद पर नियुक्ति और कर्मचारियों एवं अधिकारियों का कार्यकाल

68---श्री कृष्ण कुमार शर्मा---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् के लेखा शाखा में दो उच्चपद, कन्ट्रोलर आफ बैंकिग आपरेशन एवं कन्ट्रोलर आफ आडिट एवं एकाउन्ट के पद व्यवसायिक योग्यता जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा कास्ट एकाउन्टेट्स की फैलोशिप की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के लिये सृजित की गयी थी और इस पर दो अधिकारी बाहर से नियुक्त भी किये गये, इस कार्य का उद्देश्य विभाग में बाहरी योग्य व्यक्तियों की योग्यता से लाभ पहुंचाया जाना था? आज जो मौजूदा कन्ट्रोलर आडिट एवं एकाउन्ट है, उनकी शैक्षणिक योग्यता केवल बी0 काम0 हैं ? इनको विभाग के केवल अराजपत्रित लेखा कर्मचारियों के स्थानान्तरण का ही अनुभव है? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान कन्ट्रोलर आडिट एवं एकाउन्ट के इस पद पर आने से पहले इन्होंने कितने बैलेन्स शीटों को बनाया है तथा कितने आडिट रिपोर्टो का फाइनलाइजेशन कराया था ? इनको उक्त पद पर नियुक्त करने का क्या औचित्य था ?

श्री सुनील शास्त्री---

सन् 1975 में राज्य विद्युत् परिषद् की लेखा शाखा में दो उच्च पद (1) कन्ट्रोलर आफ बैंकिग आपरेशन तथा (2) कन्ट्रोलर आफ आडिट एण्ड एकाउन्ट्स सृजित किये गये थे। इन पदों पर बाहर से क्रमशः एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा एक कास्ट एकाउन्टेंट की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में कन्ट्रोलर आफ आडिट एवं एकाउन्ट्स के पद पर जो अधिकारी हैं वह रेलवे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं जो आई0आर0 ए0 एस0 कैडर के हैं। उनकी योग्यता तथा अनुभव आदि को दृष्टिगत करते हुए परिषदीय कार्य के हित में, उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था।

69---श्री कृष्ण कुमार शर्मा---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत् परिषद् की लेखा शाखा से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारी अधिकतर ऐसे है जो परिषद् मे अपनी नियुक्ति की तिथि से अब तक लखनऊ स्थित विभिन्न कार्यालयों में ही कार्यरत है और जो कर्मचारी लखनऊ से बाहर के कार्यालयों में कार्यरत हैं उनको लखनऊ में नियुक्त करने में परिषद् रुचि नहीं रखती ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस प्रकार लखनऊ स्थित कार्यालयों के लेखा कार्य एवं उससे ऊपर के अधिकारी महाधीश बने है और कार्य में रुचि लेने के स्थान पर उच्च अधिकारियों को खुश करने में ज्यादा रुचि रखते है ? यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को परिषद् के आदेश के बावजूद चार वर्ष एक स्थान पर पूरा होते हुये भी क्यों नहीं स्थानान्तरित किया गया ? क्या मंत्री जी इन लेखा कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति के विस्तृत विवरण के साथ सदन को इनकी लखनऊ की नियुक्ति की आवश्यकता की पुष्टि करने का

कष्ट करेंगे और कृपया यह भी बतायेंगे कि कब तक इनकी लखनऊ में आवश्यकता रहेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सामान्यतः ऐसा नहीं है । सम्प्रति लेखा शाखा के 103 अधिकारी एवं 63 लेखाकार लखनऊ स्थित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं । कतिपय अधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड कर लगभग सभी लखनऊ के अतिरिक्त विद्युत परिषद के विभिन्न जनपदों में स्थित कार्यालयों में रह चुके हैं । यह भी सही नहीं है कि परिषद बाहर के कार्यालयों में कार्यरत सेवकों को लखनऊ में तैनात करने में रुचि नहीं रखती परिषदीय कार्यहित में व आवश्यकतानुसार ऐसा किया जाता रहता है । सभी लेखाकार एवं उच्चाधिकारी योग्यता, उपयुक्तता एवं कार्यहित में ही तैनात किये गये हैं तथा उन्हें लखनऊ स्थित एक या एक से अधिक कार्यालयों में ही तैनात रखा गया है, जो अपनी-अपनी योग्यता एवं कार्य निर्धारण के अनुसार कुशलतापूर्वक अपना-अपना कार्य सम्पादित करते हैं ।

संलग्नी सूची में ऐसे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विवरण उपलब्ध हैं जिन्हें लखनऊ स्थित विभिन्न कार्यालयों में चार वर्ष अथवा उससे अधिक समय हो गया है । तैनाती करते समय विशुद्ध रूप से यन्त्रवत प्रक्रिया अपनाया जाना विद्युत परिषद् के लिये सम्भव नहीं हो जाता । तैनाती के समय अन्यान्य बातों के अतिरिक्त सम्बन्धित सेवक की उपयुक्तता एवं परिषदीय कार्यहित को भी ध्यान में रखना होता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लिये विचाराधीन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना

70--श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिवट्रिब्यूनल) रूल 1947 की धारा 1 (3) के अन्तर्गत उल्लिखित कार्य क्षेत्र में यह रूल उन्हीं सरकारी सेवकों पर लागू होगा जिनके ऊपर गवर्नर द्वारा बनाये गये रूल्स लागू होते हैं ? इस प्रकार इसके कार्यक्षेत्र में केवल सरकारी सेवक ही आते है और अर्द्धसरकारी संस्थान तथा स्वायत्तशासी निगम इसके कार्यक्षेत्र से बाहर हैं और यह स्वतः बिना रूल में संशोधन हुए अपना कार्यक्षेत्र नहीं बढ़ा सकता ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार यह ट्रिब्यूनल उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् के जांच कार्यो को कर रहा है जब कि इसके पास स्वतः ही इतने सरकारी कार्य है कि यह समय से मामलों का निस्तारण नहीं कर पा रहा है ? क्या मंत्री जी राज्य विद्युत् परिषद् के लिये अलग से, उसके रेगुलेशन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा ?

श्री सुनील शास्त्री--

यू0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिसीप्लिनरी प्रोसिडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल) रेगूलेशन 1973 के रेगूलेशन 3 के सब रेगूलेशन (5) के प्राविधानों के प्रयोजन के लिये, अनुशासनिक कार्यवाही प्रशासनाधिकरण नियमावली, 1947 के नियम 3 के द्वारा संघटित प्रशासनाधिकरण-1 तथा 2को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल शासन की स्वीकृति से नियुक्ति किया गया है । राज्य विद्युत् परिषद् के लिए अलग से उसके रेगूलेशन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल स्थापित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत् पोल मैन्यूफैक्चरिंग डिवीजन के उप खण्ड अधिकारियों द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

71--श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् पोल मैन्यूफक्चरिंग सिविल डिवीजन उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के चार उपखण्ड अधिकारी अपने घर से अपने

†छापी नहीं गई ।

ही कार्यालय जाने तथा घर वापस आने के लिये 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के साथ 11/79 से 7/81 तक के महीनों का यात्रा भत्ता बिल बनाया और परिषद् से धनराशि भी वसूल किया और इस अनियमितता को खण्डीय लेखाकार ने पकड़ा और अपनी आडिट बुक के द्वारा अधिकारियों को सूचित किया और खण्डीय लेखाकार की आपत्तियों को मुख्य लेखाधिकारी एवं परिषद् के इन्टर्नल आडिट में भी पुष्टि की ? यदि हां, तो क्या यह सही है इस प्रतिशोध में अधिशासी अभियन्ता ने लेखाकार की तीन वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों में प्रतिकूल प्रविष्टियां कीं और सहायक अभियन्ताओं से जवाब तक भी नहीं मांगा गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या परिषद् ने अभियन्ता अधिकारियों को इस विषयमें कोई विशेषसुविधा प्रदान की है ? यदि नहीं, तो क्यों इन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

विद्युत् जनपद पोल निर्माण खण्ड का सृजन जून, 1978 में हुआ। जिसके अन्तर्गत लखनऊ सहित 5 उपखण्ड अधिकारियों के पद भी सृजित हुए। इन उपखण्ड अधिकारियों ने अपने मुख्यालय से कार्यस्थल पर जाने-आने की यात्राओं के लिये माह नवम्बर, 1979 से जुलाई, 1981 तक के सम्बन्ध में यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किए, जिसमें से कुछ का भुगतान हो गया है। आपत्ति प्राप्त होने पर यह मामला आन्तरिक सम्प्रेक्षा इकाई को परीक्षण हेतु सौंपा गया, जिसकी रिपोर्ट उपलब्ध हो गयी है और परीक्षणाधीन है।

यह सही नहीं है कि लेखाकार की वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 की प्रविष्टियां प्रतिशोधवश प्रतिकूल की गई हैं।

अभियन्ता अधिकारियों के लिये यात्रा-भत्ता सम्बन्धी कोई अलग नियम नहीं हैं। परीक्षणाधीन आडिट रिपोर्ट पर निर्णय हो जाने पर नियमानुसार यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारी श्री शोभा राम वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश शासन के मुकदमें का स्थगन आदेश

72--श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेन्च लखनऊ ने वाद संख्या सी0 एम0 ए0 एन0 9549 (डब्ल्यू)/1983 एवं रिट पेटीशन संख्या 4549/1983 जो शोभा राम वर्मा बनाम उ0प्र0 शासन एवं अन्य के नाम था, में दिनांक 11-4-1984 को स्थगन आदेश देते हुए आदेश पारित किया था, लेकिन उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् ने इस चार्जशीट को अनिर्णीत दर्शाते हुए सम्बधित कर्मचारी की पदोन्नति एवं मकान क्रय सम्बन्धी ऋण आदि की सुविधाओं को रोक रक्खा है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां।

माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच, लखनऊसे वर्णित वाद एवं रिट पिटीशन के सन्दर्भ में, जो प्रशासनाधिकरण द्वारा मामले में जांच न करने से सम्बन्धित ह, स्थगन आदेश पारित किया है चार्जशीट को निरस्त करने के कोई आदेश नहीं किये।

श्री शोभा रामवर्मा की पदोन्नति एवं भवन निर्माण अग्रिम, के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही, इनके विरुद्ध मामले में निर्णय होने पर ही की जा सकती है।

गोण्डा ग्राम बनकटी सूर्यबली सिंह में सीलिंग भूमि का आवंटन और श्री जगदम्बिका प्रसाद की सीलिंग की भूमि पर कब्जा

73--श्री रामपाल सिंह एडवोकेट--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि गोण्डा जनपद के गोण्डा तहसील के बनकटी सूर्यबली सिंह ग्राम में सीलिंग में कितनी अतिरिक्त भूमि घोषित हुई है ? यदि हां, तो कब घोषित हुई और इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा किया गया है ? यदि किया गया, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

गोण्डा जनपद के गोण्डा तहसील के बनकटी सूर्यबली सिंह ग्राम में सीलिंग की कुल 102.01 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी है। इसमें 85.03 एकड़ भूमि दिनांक 24-12-74 को, 11.78 एकड़ भूमि दिनांक 10-12-75 को तथा 5.20 एकड़ भूमि दिनांक 23-12-78 को अतिरिक्त घोषित की गयी है। कुल अतिरिक्त घोषित भूमि में से 85.03 एकड़ भूमि का कब्जा न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नहीं लिया जा सका। शेष 16.98 एकड़ भूमि में से 9.60 एकड़ भूमि उद्यान विभाग को दिनांक 5-5-76 को हस्तान्तरित कर दी गयी है। 6.26 एकड़ भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों में कर दिया गया है, जिसमें से 5.20 एकड़ भूमि का बन्दोबस्त दिनांक 30-11-85 को किया गया। इनके अतिरिक्त 1.12 एकड़ अकृषिक भूमि ग्राम सभा में निहित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

74---श्री रामपाल सिंह एडवोकेट---

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा के बनकटी सूर्यबली सिंह ग्राम में करीब 10 एकड़ बाग भूमि सन् 1978 में जगदम्बिका प्रसाद सिंह की सीलिंग में अतिरिक्त भूमि घोषित हुई और अभी तक उस भूमि पर कब्जा नहीं लिया गया है? यदि हां,तो सरकार को हो रही क्षति के लिये उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद गोण्डा के ग्राम बनकटी सूर्यबली सिंह के श्री जगदम्बिका प्रसाद पुत्र श्री पाटेश्वरीसिंह की कुल 11.78 एकड़ भूमि दिनांक 10-12-75 को सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की गयी थी। इसमें 9.60 एकड़ भूमि बाग है। दिनांक 12-2-76 को राज्य सरकार द्वारा उक्त अतिरिक्त घोषित भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है।

फैजाबाद, तहसील बीकापुर में बाढ़

75---श्री मित्रसेन --

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोमती नदी की भीषण बाढ़ से फैजाबाद जनपद के कौन-कौन गांव तथा मजरे प्रभावितहुए है उनमें बाढ़ प्रभावित परिवारों को अब तक क्या-क्या राहत कार्य किये गये? गृह अनुदान तथा अन्य राहत कार्य न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य --

वर्ष 1985 में जनपद फैजाबाद को तहसील बीकापुर के निम्नलिखित 10 ग्रामों व उनके मजरों में गोमती नदी की बाढ़ का प्रभाव पड़ा :---

(1) ग्राम पूरे लाल खां के पुरवे:- पूरे लाल खां, पूरे झाऊ का पुरवा।

(2) ग्राम इमाम गंज के पुरवे :- इमाम गंज खास, पूरे बंधन तथा पूरे रोस्तम अली।

(3) ग्राम थोड़वल के पुरवे:--- पूरे गुमानी गंज, शेष का पुरवा।

(4) ग्राम इदिलपुर के पुरवे: -- पूरे गड़रियन का पुरवा, झर सिंह का पुरवा, फाजिल का पुरवा।

(5) ग्राम मेवा पुर के पुरवे:-- मेवापुर मु0 देव गांव, पूरे दह पेल, मुबारकपुर, निधि का पुरवा।

(6) ग्राम रानिक पुर के पुरवे:- पूरे सहादत, दरियापुर।

(7) ग्राम रसूलपुर लिल्हा के पुरवे :-- देव गांव, बाबा का पुरवा

(8) ग्राम देव गांव,

(9) ग्राम पाल पुर।

(10) ग्राम मुबारक पुर :

बाढ़ से प्रभावित परिवारों में 151.30 कुन्तल गेहूं, 50 कुन्तल चावल, 5 कुन्तल नमक, 1240 लीटर मिट्टी का तेल, 804 अदद माचिस, 25700 रू0 गृह-अनुदान

तथा 32 20 कुन्तल भूसा वितरित किया गया था। बचाव कार्य हेतु 14 देशी नावें मंगाई गई थी।

76–77––श्री दुर्गा प्रसाद यादव––

(5वें मंगलवार में अता 0 प्र 0 सं 0 167–168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

बलिया विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत अग्निकाण्ड की दुर्घटनायें

78––श्रीमती विजय लक्ष्मी––

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में 7 मार्च, 85 से लेकर 30 जून, 85 तक कुल कितने गांवों में आग लगने की घटनायें हुयी तथा कहां-कहां पर कितनी मात्रा में इन अग्नि पीड़ितों को सरकार द्वारा सहायता पहुंचायी गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

प्रश्नगत क्षेत्र व अवधि में 40 ग्रामों में 49 अग्नि दुर्घटनायें हुई। अग्निकांड से पीड़ित पात्र परिवारों को 29,840 रुपये की अहेतुक सहायता तथा 40,200 रुपये का गृह-अनुदान वितरित किया गया। विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 150–152 पर।)

श्री मोहर प्रसाद जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निराश्रित शिशु निकेतन बिशुनपुरा बाजार, देवरिया आदि के सम्बन्ध में प्रस्तुत तथ्यहीन रिपोर्ट और फर्जी छात्रवृत्ति एवं फीस का भुगतान

79––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहर प्रसाद जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ने अपने विभिन्न जिलों के कार्यकाल (क्रमशः 1977–1978) में निराश्रित बाल सदन बिशुनपुरा बाजार देवरिया सन् 1979–80 में निराश्रित महिला व बाल सदन मोदहा हमीरपुर 1980–81 में बहुधन्धी एवं आंगन बाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र दोहरी घाट आजमगढ़ 198182 में निराश्रित बाल सदन माली टोला बस्ती ऐसी फर्जी संस्थाओं के नाम लाखों रूपये अनुदान के दुरुपयोग में विभागीय कुछ पदाधिकारियों के सहयोग एवं साझेदारी के मामले को लेकर जो विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस पर अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या मंत्री जी इन रिपोर्टो को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

श्री नोहर प्रसाद (न कि श्री मोहर प्रसाद) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने निराश्रित शिशु निकेतन, बिशुनपुरा बाजार, देवरिया तथा निराश्रित महिला एवं बाल सदन, मौदहा, हमीरपुर संस्था के संबंध में जिन अधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रेषित की थी वह तथ्यहीन थी। बहुधंधी आंगनबाड़ी शिक्षण केन्द्र दोहरीघाट आजमगढ़ तथा मालीटोला बस्ती के विषय में उनकी कोई रिपोर्ट विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट की जांचकी गयी जो तथ्यहीन पायी गयी इस लिये आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

हमीरपुर व देवरिया जनपदों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो असत्य पाई गई ऐसी स्थिति में उन्हें सदन में रखने की आवश्यकता नहीं पाई जाती है।

80––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के वर्ष 1981–82 में तत्कालीन जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी श्री मोहर प्रसाद द्वारा जिला के तमाम फर्जी हरिजन तथा बैकवर्ड क्लास छात्रवृत्ति व फीस भुगतान के मामले प्रकाश में आये है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में विभागीय आडिट तथा ए 0 जी 0 यू 0 पी 0 की रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आये है उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन सभी रिपोर्टो को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी णखशी---

जी नहीं। वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित प्रकाश में आई अनियमितताओं के लिये श्री नोहर प्रसाद तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती को आरोप पत्र तामील किया गया है। अनुशासनिक जांच कार्यवाही की जा रही है।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

उन्नाव साधन सहकारी समिति खेरवा द्वारा शक्कर के वितरण की जांच

81--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव जिले की 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक में साधन सहकारी समिति खेरवा, पारा, सगौली आदि के स्टोरों से शक्कर वितरण में प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी अनियमितताकी शिकायत की जांच की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अरुण कुमार सिह--

साधन सहकारी समिति पारा तथा खेरवा द्वारा किये गये शक्कर वितरण की जांच करायी गयी। सगौली नाम की कोई समिति उन्नाव जिले में नहीं है। जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

बस्ती जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

82--कर्नल केशरी सिह---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में बस्ती जिले में कितने ऐसे गांव हैं जहां बिजली के खम्भे लगाये जा चुके हैं एवं तार भी लग चुका है किन्तु उन्हें अभी बिजली नहीं दी जा रही है ? क्या ऐसे गांवों को बिजली उपलब्ध कराने की कोई समयबद्ध योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश की तहसीलों में रिक्त पद

83---श्री भोपाल सिह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की लगभग 280 तहसीलों में से कितने तहसीलदारों के पद इस समय रिक्त है ? इनको प्रतिवर्ष चयन द्वारा क्यों नहीं भरा जाता ? क्या प्रतिवर्ष चयन करने में कोई कानूनी बाधा है ? क्या सरकार प्रदेश की जनता को सक्षम प्रशासन उपलब्ध कराने हेतु इन रिक्तियों को भरने की कार्यवाही करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिह आर्य--

प्रदेश में कुल 249 तहसीलें हैं। इस समय किसी भी तहसील में तहसीलदार का पद रिक्त नहीं है। वर्ष 1982-83 में तहसीलदारों का नियमित चयन स्थायी रिक्तियों के लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया गया था तथा आगामी नियमित चयन कराये जाने की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रारम्भ की जा रही है।

प्रदेश की कडेरा जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की मांग

84---श्री किरनपाल सिह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कडेरा जाति उ0प्र0 की जातियों की सूची मे अकित है ? यदि नहीं, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी कडेरा जाति को अपने यहां अनुसूचित जातियों की सूची मे अंकित करने की कृपा करेगी जिससे कि उक्त जाति को आरक्षण को सुविधा उपलब्ध होने लगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 'कडेरा' जाति मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों की सूची में भी सम्मिलित नहीं है। अतः प्रश्न नही उठता।

बुलन्दशहर साधन सहकारी समिति बाहपुर द्वारा ऋण का वितरण

85--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बाहपुर विकास खण्ड वी0वी0 नगर जनपद बुलन्दशहर के हरिजनों को साधन सहकारी समिति बाहपुर द्वारा कर्जे पर छूट नहीं दी जाती है जिसकी शिकायत उक्त हरिजनों ने प्रश्नकर्त्ता के साथ लिखित रूप से 11-6-85 को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

ग्राम बाहपुर विकास खण्ड बी0 बी0 नगर, जनपद बुलन्दशहर के हरिजनों को साधन सहकारी समिति बाहपुर द्वारा एकी.; ग्राम्य विकास के अन्तर्गत दिये जाने वाल कर्जे पर छूट दी जाती है । छूट के संबधं में 32 लाभार्थियों द्वारा दिनांक 1-4-85 को प्रार्थना-पत्र दिया गया था, जिस पर जांच कराई गई । जांच सेजयह तथ्य साम आया कि11 लाभार्थियों को छूट दी जा चुकी है, इनम से 8 हरिजन हैं । शेष लाभार्थियों नऋण से कोई परिसम्पत्ति क्रय नहीं की । अत: नियमानुसार छूट अनुमन्य नहीं है ।

लाभार्थियों द्वारा दिनांक 11-6-85 को पुन: प्रार्थना पत्र दिया गया । आरोपों के विषय में पूर्व में ही जांच कराई जा चुकी थी और आरोप निराधार पाये गये । अतएव दुबारा जांच का कोई औचित्य नहीं था ।

86--श्री राम आसरे वर्मा---

[माननीय अध्यक्ष के अनसार स्थगित]

अलीगढ़ विद्युत गह हरदुआगंज के कल्याण अधिकारी श्री राम बाबू शर्मा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

87---श्री महरम सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तगत हरदुआगंज (ब) विद्युत गृह, कासिमपुर, जनपद अलीगढ़ में कार्यरत कल्याण अधिकारी श्री रामबाबू शर्मा के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच/विभागीय कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो वे आरोप क्या-क्या है तथा इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री ---

जी हां । श्री राम बाबू शर्मा, कल्याण अधिकारीके विरुद्ध उनके द्वारा फैक्ट्री मैनेजर एवं जनरल मैनेजर, हरदुआगंज तापीय परियोजना को प्रोसिक्यूट कराये जाने हेतु कारखाना निरीक्षक, अलीगढ़ एवं कानपुर को उकसाये जाने सम्बन्धी गतिविधियों की शिकायत की जांच की जा रही है ।

गोरखपुर तहसील महराजगंज के किसानों के ट्रैक्टर की नीलामी

88---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या राजस्व मत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के महराजगंज तहसील में सितम्बर, 85 में ऋण अदायगी न होन के कारण कितने लोगोंके ट्रैक्टर खींचकर तहसील में लाये गये और इसके आधार क्या है ? क्या यह सही है कि ऐसे मामले में कुर्की नीलामी की औपचारिकता नहीं पूरी की गयी ? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी नहीं । गोरखपुर जनपद की महराजगंज तहसील में माह सितम्बर, 1985 में बैंक ऋण की अदायगी न किये जानेके कारण 18 बकायेदारों के ट्रैक्टर विधिवत कुर्क करके तहसील में लाये गये । जी नहीं । शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

89---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या यह सही है कि ग्राम चुवनी और पुरैना खण्ड चौरा वि0 क्षेत्र घुघली के दो सम्भ्रान्त लोगों के ट्रैक्टर बिना कुर्की नीलामी की औपचारिकता पूरा किये मात्र 15 हजार के नीचे की बकायेदारोंके महराजगंज तहसील

में खीच लाये गय जब कि इसी ब्लाक में ग्राम तिलकवानिया और रानीपुर के 70 हजार व एक लाख बकायदारों के ट्रैक्टर के खीचने के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? इस प्रकार पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं । ग्राम चुवनी और पुरैनाखण्डी चौरा विकास क्षेत्र घुघली के दो लोगों के ट्रैक्टर विधिवत कुर्क करके तहसील में लाये गये थे, जिनमें से एक व्यक्ति द्वारा बकाये की अदायगी न किये जाने के कारण उसका ट्रैक्टर नीलाम कर दिया गया तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा बकाये की अदायगी पूरी कर दिये जाने के कारण उसका ट्रैक्टर छोड़ दिया गया ।

ग्राम तिलकवनिया व रानीपुर में क्रमश: 70 हजार व 1 लाख के कोई बाकीदार नहीं है, जिनके विरुद्ध कार्यवाही न की गयी हो । वसूली की कार्यवाही में कोई पक्षपात नहीं किया गया इसलिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उप निदेशक हरिजन एवं समाजकल्याण विभाग फैजाबाद द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

90--श्री मित्रसेन--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपनिदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण, फैजाबाद ने किसी भी प्रकार की नियुक्तियां माह अगस्त, 85 से सितम्बर 85 के मध्य चयन समिति के माध्यम से की है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चयन समिति ने किस पत्र संख्या व तिथि से सेवा योजक को सूची भेजी थी ? यदि नहीं, तो सीधी नियुक्ति करने का आधार क्या है और इस सन्दर्भ में शासन के सीधी भर्ती न किये जाने के कोई स्पष्ट आदेश है ? यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमितता किये जाने पर शासन उप-निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । परन्तु उप निदेशक, फैजाबाद मण्डल ने बिना चयन समिति के माध्यम से तदर्थ नियुक्तियां काम चलाऊ व्यवस्था में की थी ।

माह अगस्त, 85 से सितम्बर, 1985 के मध्य तीन कनिष्ठ लिपिकों की तदर्थ सीधी नियुक्तियां की थी ।

चूंकि चयन समिति द्वारा नियुक्तियां नहीं की गई अत: उसके द्वारा सेवायोजक से सूची मांगने का प्रश्न नहीं उठता ।

काम चलाऊ व्यवस्था के आधार पर सीधी तदर्थ नियुक्तियां की गई थी । शासन द्वारा निर्गत निर्देशों में सीधी भर्ती न करने के स्पष्ट आदेश हैं ।

उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण मंडल फैजाबाद को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें सतक कर दिया गया है कि वह भविष्य में इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां न करें ।

बस्ती ग्राम करमा की चकबन्दी एवं लेखपाल श्री राम सुमरन वर्मा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

91--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गा प्रसाद, ग्राम-करमा, तहसील-नौगढ़ जिला-बस्ती के ग्राम-करमा को वर्ष 1981 में हुई चकबन्दी में लेखपाल श्रीराम सुमरन वर्मा द्वारा अनियमितता एवं धांधली करने के बारे में श्री दुर्गा प्रसाद का शिकायती पत्र मंत्री जी को दिनांक 28-5-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्रों में उल्लिखित बिन्दु क्या है ? अब तक उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

शिकायती पत्र के बिन्दु निम्नलिखित है:--

(1) यह कि उप संचालक बस्ती के आदेश दिनांक 6-9-81 व 8-9-81 का सही अनुपालन श्री राम सुमरन वर्मा लेखपाल द्वारा नहीं किया गया ।

(2) यह कि उक्त मुकदमें से संबंधित पत्रावली संख्या 52 का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी, नौगढ़ द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(3) यह कि चक प्रदिष्टीकरण में जो त्रुटियां हैं उन्हें ठीक कराया जाये ।

श्री राम सुमरन वर्मा लेखपाल को उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये आरोपित कर दिया गया है ।

वाद संख्या 52 का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी नौगढ़ द्वारा माह जुलाई, 1985 में किया जा चुका है । चकबन्दी अधिकारी के आदेश द्वारा आपत्ति खारिज की जा चुकी है । ग्राम करमा तहसील नौगढ़ का धारा 52(1) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 30-7-83 को हो चुका है । धारा-52 के प्रकाशन के बाद चकबन्दी विभाग द्वारा उक्त शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

गोण्डा ग्राम तुलसीपुर में गृह अनुदान वितरण एवं सीलिंग भूमि के वितरण के सम्बन्ध में लेखपाल सुपरवाइजर एवं कानूनगो के विरुद्ध शिकायती-पत्र

92--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के ग्राम तुलसीपुर के प्रधान का शिकायती पत्र दिनांक 14-4-85 गृह अनुदान वितरण एवं सीलिंग भूमि आवंटन में लेखपाल सुपरवाइजर कानूनगो एवं अधिकारियों द्वारा की गई अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो भ्रष्ट अधिकरियों के विरुद्ध अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 14-4-85 कलेक्टर गोण्डा के कार्यालय में दिनांक 16-4-85 को प्राप्त हुआ था । जांच से प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शिकायतें तथ्यहीन एवं निराधार पाई गई अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

93--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[करण सं0 26(1) के द्वारा उत्तरित ।]

श्री रघुनाथ निवासी मठिया नरईपुर देवरिया द्वारा सहकारी समिति से लिया गया ऋण

94--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुनाथ पुत्र घुरई साकिन मठिया नरईपुर-तहसील पडरौना ने देवरिया के जिलाधिकारी को पत्र दिनांक 12-6-85 देकर सूचित किया है कि उसके नाम मु0 1952 साधन सहकारी समिति पिपरासी ब्लाक पडरौना से दिनांक 31-8-81 में फर्जी निकाल कर किसी के द्वारा उर्वरक ले लिया गया है जबकि प्रार्थी किसी भी बैंक का नियमित सदस्य नहीं है और न ही प्रार्थी ने कथित समिति को अपना फोटो देकर पास बुक प्राप्त किया है? यदि हां,तो फर्जी निकाले गये धनकी जांच व निशान अंगूठाकी पहचान कराकर वसूली स्थगित करने की कृपा करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह--

श्री रघुनाथ पुत्र घुरई निवासी मठिय नरईपुर, तहसील पडरौना, जिला देवरिया

जिलाधिकारी, देवरिया को अपने नामसे फर्जी ऋण निकाले जाने का प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु जांचोपरान्त यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने वास्तव में ऋण लिया था परन्तु ऋण की वसूली से बचने के लिये ऋणके फर्जी होने की गलत शिकायत की थी। श्री रघुनाथ ने अब अपना ऋण अदा कर दिया है।

हरैया तहसील के मख क्षेत्र (मखौड़ा) में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव

95--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरैया तहसील में विद्युत सब स्टेशन, विद्युत परिषद् द्वारा निर्माणहेतु पहलेसे ही प्रस्तावित है जिसे प्रश्नकर्त्ता ने मख क्षेत्र (मखौड़ा) में निर्माण के लिये प्रस्ताव विद्युत मंत्रीके माध्यम से 1977-78 में किया था? यदि हां, तो अब तक सब स्टेशन के निर्माण न होने का क्या कारण है?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। उक्त सब-स्टेशन के अब तक निर्माण न होने का कारण यह है कि जनपद बस्तीका चार्ज पहले लखनऊ जोनसे वाराणसी जोन को तथा बाद में गोरखपुर जोन को स्थानान्तरित हो गया। अब इस कार्य को तीव्र गति से किया जायगा।

आगरा साधन सहकारी समिति कुतुबा पुरचनौरा के सचिव द्वारा किया गया चीनी क ब्लैक

96--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र जारखी की साधन सहकारी समिति कुतुबपुर-चनौरा के सचिव को क्या अभी हाल में चीनी ब्लैक में बेचते गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां। सचिव को निलम्बित कर दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता है।

मुख्य अभियन्ता जल विद्युत लखनऊ के मुख्य सहायकों का कार्यकाल

97--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) संवर्ग के कितने ऐसे मुख्य सहायक लखनऊ के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत है जिन्हें लखनऊ में कार्य करते 10 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं? इन्हें लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है? क्या इनका स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर किया जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री--

वर्तमान समय में लखनऊ स्थित कार्यालयों में मुख्य अभियन्ता संवर्ग के कुल पांच मुख्य सहायक ऐसे हैं, जिन्हें मुख्य सहायक के पद पर लखनऊ के विभिन्न कार्यालयों में कार्य करते हुए दस वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं। इन मुख्य सहायकों के कार्य एवं अनुभव तथा परिषदीय कार्य हित को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

गोरखपुर ग्राम सभा धुन्ही महोय चक की चकबन्दी

98--श्रीमती शारदा देवी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील सदर तप्पा राजधानी के अन्तर्गत ग्राम सभा धुन्ही महोय चक की चकबन्दी हुए करीब तीन वर्ष का समय व्यतीत हो गया परन्तु चकों की पैमाइश अब तक विभाग द्वारा नहीं की गयी है? क्या सरकार इसका निराकरण शीघ्र करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर तप्पा राजधानी के अन्तर्गत ग्राम सभा धुन्ही महोय

चक में चकों की पैमाइश 3--7--82 से 17--7--82 की अवधि में की जा चुकी है। अत: अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

गोरखपुर 'लेडी प्रसन्न कौर ट्रस्ट' के नाम से अंकित श्री सुरेन्द्र सिंह मजीठिया की भूमि

99--श्रीमती शारदा देवी तथा श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तत्कालीन ए0डी0 एम0 सदर श्री एस0पी0 अंजोर द्वारा दिनांक 25--10--85 को तहसील सदर में स्थित सुरेन्द्र सिंह मजीठिया की करीब 905 एकड़ भूमि को सीलिंग से बचाने के लिये लेडी प्रसन्न कौर ट्रस्ट के नाम कर दिया ? यदि हां तो सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करेगी ? उक्त सीलिंग की भूमि को भूमिहीन हरिजनोंके पक्ष में सुरक्षित करने की कार्यवाही शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां, प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में शासन को शिकायत प्राप्त हुई है। संदर्भगत निर्णय दिनांक 25-10-85 के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से सम्बन्धित जिला जज न्यायालय में अपील दायर कर दी गई है और लेडी प्रसन्न कौर ट्रस्ट ने रिट याचिका दायर करके वाद में अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है। संदर्भगत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के निमित्त सम्पूर्ण मामले को सतर्कता विभाग द्वारा जांच हेतु सतर्कता समिति को प्रस्तुत करने का निर्णय ले लिया गया है। विवादग्रस्त सीलिंग भूमि से संबंधित उपर्युक्त निर्णय दिनांक 25--10--85 न्यायालय के विचाराधीन है और न्यायालय के आदेशों के अनुसार नियमों के अन्तर्गत ही उक्त भूमि केसम्बन्ध में भी अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

100--श्री हरिशंकर तिवारी बिलग्रामी--

(4थे शुक्रवार के लिये स्थगित।)

प्रधान गांव सभा ककरा, जिला हरदोई द्वारा ग्राम समाज की भूमि का अवैध स्थानान्तरण

101--श्री हरिशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रधान गांव सभा ककरा, ब्लाक हरपालपुर जिला हरदोई ने गांव सभा का बहुमूल्य भूखण्ड 1349 स्थित ग्राम ककरा अपने पुत्र के हक में नाला से एक्सचेंज करने हेतु प्रस्ताव पारित किया है ? क्या इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी से अनुमति ली गई है ? यदि नहीं, तो प्रधान द्वारा पद के दुरुपयोग करने व गांव सभा सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के कारण उनको निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

जी नहीं।

प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ सेवा समिति कोपागंज महिला शिल्प कला केन्द्र एवं बालबाड़ी केन्द्र का संचालन

102--श्री अकबाल अहमद अंसारी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा समिति कोपागंज के अन्तर्गत महिला शिल्प कला केन्द्र तथा बालवाड़ी केन्द्र चल रहा है ? यदि हां, तो उसे अबतक सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया है और उक्त संस्था कहां, किस जगह चल रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

महिला शिल्प कला केन्द्र वर्ष 77--78 से बन्द है तथा बालबाड़ी केन्द्र कार्यरत है। बालबाड़ी केन्द्र को अब तक दिये गये

अनुदान का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है ।

वर्ष		धनराशि
		रु0
1976–77	..	1000
1977–78	..	1500
1978–79	..	2000

वर्ष 1978–79 के बाद संस्था को कोई अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया है । वर्तमान समय में बालबाड़ी केन्द्र ग्राम हिकमा में संचालित है ।

आजमगढ़ के ब्लाक कोपागंज तथा परदहां के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

103––श्री अकबाल अहमद अंसारी––

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन के विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत कोपागंज तथा परदहां ब्लाक में कुल आर0 ए0 सी0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिये किन-किन हरिजन बस्तियों को प्रस्तावित किया गया था और किन-किन बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

104––श्री हरि शंकर तिवारी 'बिलग्रामी'–

(4 थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।)–

हरदोई तहसील बिलग्राम के तहसीलदार द्वारा कागजात दुरुस्ती के आदेश

105––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के उत्तर के सन्दर्भ में अनियमितताओंके निराकरण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित न किये जाने के क्या कारण है ? क्या यह सही है कि तहसीलदार बिलग्राम, जनपद हरदोई द्वारा अनियमितताओं के निराकरण सम्बन्धी कार्यवाही को न कर उसे निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो अनियमितताओं के निराकरण सम्बन्धी शासन के आदेशों की अवहेलना के लिये तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

अनियमितताओं के निराकरण हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत तहसीलदार बिलग्राम द्वारा कार्यवाही की गई । कागजात दुरुस्ती हेतु वाद तहसीलदार बिलग्राम के आदेश दिनांक 16–8–85 द्वारा निरस्त कर दिया ।

तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई थी ।

सम्बन्धित पक्ष ने दिनांक 8–11–85 को परगनाधिकारी बिलग्राम के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है । परगनाधिकारी के न्यायालय में वाद विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

जौनपुर ग्राम बख्शा मैरोपुर व चपरेमऊ की काटी गयी विद्युत लाइन

106––श्री रामचन्द्र बख्श सिंह––

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बख्शा के ग्राम, मैरोपुर, चपरेमऊ, एवं सुजियामऊ की विद्युत लाइन अकारण बिना पूर्व सूचना के दिनांक 18–9–85 को काट दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्धमें एक शिकायती पत्र श्री राम कुमार द्वारा दिनांक 16 10-85 को जिलाधिकारी जौनपुर तथा दिनांक 26–10–85 को अधीक्षण अभियन्ता राज्य विद्युत परिषद, जौनपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप-निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग आगरा का स्थानान्तरण

107—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि नव स्थानान्तरित उप-निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण आगरा मण्डल,आगरा को इस वर्ष पहला स्थानान्तरण जनहित एवं प्रशासनिक आदेशों से कुमाऊं मण्डल के लिये हुआ था ? यदि हां, तो अब तक कार्यभार ग्रहण न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री सैयद मोहम्मद अजीम, तत्कालीन उप निदेशक, मेरठ मण्डल का स्थानान्तरण मेरठ से कुमाऊं मण्डल, नैनीताल को आदेश दिनांक 25—4—85 द्वारा किया गया परन्तु पुनर्विचारोपरान्त उन्हें उप निदेशक, आगरा मण्डल आगरा तैनात कर दिया गया। जहां उन्होंने 21—9—85 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

साधन सहकारी समिति पारा, जिला उन्नाव के प्रशासक पर बकाया ऋण की वसूली

108—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति सेमरी व सा0 स0 स0 पारा जनपद उन्नाव के प्रशासकों पर समिति की बकाएदारी शेष है ? यदि हां, तो इन परिस्थितियों में उनके प्रशासक बने रहने का क्या औचित्य है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उन्नाव जनपद में साधन सहकारी समिति सेमरी नाम की कोई समिति निबन्धित नहीं है। साधन सहकारी समिति पारा के प्रशासक पर समिति से उनके द्वारा लिए गए ऋण की बकाया की किसी धनराशि का भुगतान इस समय देय नहीं है।

109—श्री मनोहर लाल—

(4थे शुक्रवार के लिये स्थगित।)

बाराणसी जिले के ग्राम भैरोपुर की भूमि पर अनधिकृत कब्जा और ग्राम भैरोपुर एवं सरबतखानी के मध्य लगाये गये पत्थर

110—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भैरोपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की जमीन पर गांव सरवतखानी के लोगों द्वारा नाजायज कब्जा करने के संबंध में भैरोपुर के प्रधान मु0 अमीन अंसारी ने एस0 डी0 ओ0 ज्ञानपुर तथा जिलाधीश वाराणसी को 7—6—85 व 17—6—85 को प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

111—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भैरोंपुर व सरवतखानी परगना भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी के सरहद की नाप श्री काशीप्रसाद उपसंचालक चक-बंदी वाराणसी को सौपा गया था ? क्या उस सरहद की जांच व नाप करके पत्थर लगा दिया गया ? क्या उस सम्बन्ध में श्री काशीप्रसाद उप संचालक चकबन्दी वाराणसी ने कोई मुकम्मल रिपोर्ट सरकारको भेजी है? यदि रिपोर्ट व नक्शा भेजा गया है तो क्या उसकी एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? क्या यह सही है कि इस संबंध में श्री ऊदल तत्कालीन सदस्य विधान सभा ने मा0 राजस्व मंत्री को 13 अप्रैल, 82 को पत्र लिखा था जो 14 अप्रैल 82 को उन्हें मिल गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम भैरोपुर व सरवतखानी, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर की सरहद की नाप का कार्य श्री काशी प्रसाद, उप संचालक

चकबन्दी वाराणसी को नहीं सौंपा गया था।

ग्राम भैरोपुर व सरबतखानी की सरहद की जांच व नाप तहसीलदार वाराणसी द्वारा दिनांक 18–3–82 से 19–3–82 तक दोनों ग्रामों के प्रधानों, भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों एवं श्री शोभनाथ पुत्र देव नन्दन की उपस्थिति में गई की तथा ग्रामोंकी सरहद अलग-अलग करके पत्थर गड़वा दिये गये थे।

श्री ऊदल तत्कालीन सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 13–4–82 प्राप्त हुआ था जिसे चकबन्दी आयुक्त द्वारा अपनेपत्र दिनांक 16–6–82 द्वारा श्री काशी प्रसाद, उप संचालक वाराणसी को जांच हेतु भेजा गया था परन्तु यह पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। श्री ऊदल ने उक्त पत्र का संदर्भ देते हुए जिलाधिकारी वाराणसी को 8–3–83 को पत्र दिया एवं तहसीलदार वाराणसी से हद बन्दी कराने का सुझाव दिया। 7 मई, 1983 को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, वाराणसी द्वारा श्री ऊदल, तत्कालीन विधायक को अवगत कराया गया कि दोनों ग्रामवासी भैरोपुर व सरवत खानी ने परगनाधिकारी, उत्तरी वाराणसी को की गई पैमाइश एवं गाड़े गये पत्थरों के बारे में सहमति व्यक्त की एवं चकबन्दी अधिकारी ज्ञानपुर द्वारा संदर्भ बना कर पैमाइश के अनुसार नक्शा व अभिलेख दुरुस्त कराये जा चुके हैं। अतः कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के स्व0 अधिशासी अभियन्ता श्री एच0 सी0 जोशी की पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान

112––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अधिशासी अभियन्ता स्व0 श्री एच0 सी0 जोशी के समस्त अवशेष देयों का भुगतान उनके परिवार को कर दिया गया है? क्या यह सही है कि मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद, लखनऊ के पत्रांक 4454/जेड0 सी0 एल0/3 ई–54, दिनांक 31–8–84 द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हल्द्वानी को इस आशय के निर्देश दिये गये थे कि स्व0 श्री जोशी, अधि0 अभियन्ता के समस्त अवशेषों का भुगतान कर दिया जाए? यदि हां, तो क्या उक्त निर्देशों का पालन किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री––

स्व0 श्री एच0 सी0 जोशी, अधिशासी अभियन्ता के अवशेष देयों यथा पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में अवशेष धनराशि तथा जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान उनकी पत्नी को कर दिया गया है। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ के पत्रांक 4454 जेड0 सी0 एल। 3ई–54, दिनांक 31–8–84 द्वारा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरुप, दिनांक 26–7–1979 से 13–8–1980 तक का एरियर बिल रु0 5,422.83 भुगतान हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी भेजा गया था जिसका भुगतान अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी द्वारा चेक संख्या 15255, दिनांक 14–12–1984 द्वारा श्रीमती जोशी को कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1–4– 74 से 25–7–1979 तक के एरियर बिल का भुगतान भी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी द्वारा श्रीमती जोशी को किया जा चुका है। दिनांक 1–4–1969 से 31–3–74 तक के एरियर बिल के भुगतान के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत राम गंगा मण्डल, कालागढ़ से विद्युत परिषद द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है।

113––श्री राम आसरे वर्मा–

(3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 73 के अन्तर्गत स्थनान्तरित।)

114––श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––

(4थे शुक्रवार के लिये स्थगित।)

वाराणसी ग्राम भैंरोपुर के सरहद की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भैंरोपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की आराजी गांव सभा की है और उसकी सरहद भी चकबंदी विभाग ने निश्चित कर दी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कुछ लोग गांव सभा की आराजी पर अनधिकार मकान तामीर कर रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और गलत अवैधानिक निर्माण को रोकने का आदेश देगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

भूखण्ड संख्या 66/6-18-5 में से 3-17-5 ग्राम सभा का है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116--श्री राज किशोर सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

बाराबंकी जिले में और ग्राम देवरा में बाढ़ तथा प्रभावित परिवारों को दी गयी सहायता

117-- श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम देवरा के सितम्बर, 85 की बाढ़ के समय मात्र दस किलो गल्ला प्रति परिवार बांटा गया तथा उसके पास पड़ोस के गांवों में 20 किलो प्रति परिवार की दर से बांटा गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस संबंध में क्या प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र जिलाधिकारी बाराबंकी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर में देवरा नाम का कोई ग्राम नहीं है । विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम देवरा के बारे में प्रश्नकर्त्ता का कथन सही है। ग्राम देवरा के पास-पड़ोस के गांव चूंकि लगभग बिल्कुल ध्वस्त हो गये थे और उनकी दशा अत्यन्त दयनीय थी, अत: अधिक मात्रा में गल्ला बांटा गया । ग्राम देवरा की स्थिति उतनी दयनीय नहीं थी ।

प्रश्नकर्त्ता का पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच में पाया गया कि ग्राम देवरा अपने पड़ोस के ग्रामों से कम क्षतिग्रस्त हुआ था ।

118--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में किन-किन विकास खण्डों के कौन-कौन से गांव सितम्बर, 85 की बाढ़ एवं जलभराव से प्रभावित हुए ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राहत किस आधार पर और क्या-क्या दी गई ? राहत कार्य में अलग अलग तहसीलों में कितना-कितना धन व्यय किया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद बाराबंकी में माह सितम्बर, 1985 की बाढ़ एवं जल भराव से विकास खण्डों के कुल 908 ग्राम प्रभावित हुए थे । विकास खण्डवार विवरण निम्न प्रकार है:--

1--विकास खण्ड, देवा	95 गांव
2--विकास खंड बंकी	30 गांव
3--विकास खण्ड, हरख	55 गांव
4--विकास खण्ड, मसौली	20 गांव
5--विकास खण्ड, निन्दूरा	132 गांव
6--विकास खण्ड, फतेहपुर	196 गांव
7--विकास खण्ड, सूरतगंज	75 गांव
8--विकास खण्ड, रामनगर	32 गांव
9--विकास खण्ड, हैदरगढ़	47 गांव
10--विकास खण्ड, त्रिवेदीगंज	37 गांव
11--विकास खण्ड, सिधोर	66 गांव
12--विकास खण्ड, बनीकोंडर	36 गांव
13--विकास खण्ड, दरियाबाद	34 गांव
14--विकास खण्ड, मवई	22 गांव
15--विकास खण्ड, पूरेडलई	6 गांव
16--विकास खण्ड, रुदौली	25 गांव

ग्रामों की सूची किसी भी कार्यदिवस को मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

प्रभावित व्यक्तियों को दी गई राहत तथा उसका आधार निम्नवत् है:--

(1) पूर्णत: प्रभावित ग्रामों में प्रति परिवार 20 किलो0 खाद्यान्न, 2 लीटर मिट्टी का तेल, 2 माचिस तथा 2 किलो नमक तथा आंशिक क्षतिग्रस्त ग्रामों में 10 किलो0 खाद्यान्न, 1 लीटर मिट्टी का तेल 1 माचिस तथा 1 किलो0 नमक प्रति पात्र परिवार को दिया गया।

(2) पूर्णरूप से नष्ट मकानों के लिये 400 रु0 की दर से तथा आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिये 200 रु0 की दर से गृह अनुदान प्रत्येक परिवार को दिया गया।

(3) पूर्णरूप से प्रभावित ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को कम्बल, धोती तथा तारपोलीन का वितरण किया गया।

(4) बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रत्येक मृतक के परिवार को रुपये 1000 की अनुग्रह धनराशि दी गई।

(5) उक्त के अतिरिक्त प्रधान मंत्री सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 3700 रुपये प्रति मृतक के आश्रितों को और दिया गया है।

(6) प्रभावित परिवारों से बसूली स्थगित कर दी गई है, छूट के प्रस्ताव विचाराधीन है।

राहत कार्य में 15 सितम्बर, 1985 के पश्चात तहसील वार व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है:--

तहसील का नाम	व्यय की गई धनराशि (रु0 में)
1---नबावगंज	48,61,917.11
2---फतेहपुर	63,80,349.02
3---हैदरगढ़	27,00,782.21
4---रामसनेहीघाट	26,23,554.10

देवरिया जिले के विकास खण्ड भाटपार-रानी, भटनी एवं बनकटा में अग्निकांड और अतिवृष्टि तथा बाध द्वारा घायल व्यक्तियों को सहायता की मांग।

119---श्री कामेश्वर उपाध्याय---

क्या राजस्व मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया विकास खण्ड भाटपार रानी, भटनी व बनकटामें अग्निकांड वअतिवृष्टि तथा ग्राम सरयां के बाघ द्वारा घायल व्यक्तियों को सहायता देने के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 4-4-85 व 9-4-85 को पत्र राहत आयुक्त को दिया गया था? यदि हां, तो क्या राहत दी गयी तथा किन ग्रामों के किन-किन लोगोंको दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्दव सिंह आर्य---

जी हां।

विकास खण्ड भाटपार रानी के 11, भटनी के 4 तथा बनकटा के 27 ग्रामों के क्रमश: 14, 43 एवं 75 व्यक्तियों को अग्निकांड सहायता हेतु क्रमश: रुपये 1850, रु0 4,575 एवं रु0 7,150 की राहत, गल्ला (गेहूं) मिट्टी का तेल, गृह अनुदान एवं अनुग्रह धनराशि के रूप में दी गई।

विकास खण्ड भाटपार रानी के अतिवृष्टि प्रभावित 57 ग्रामों के 271 परिवारों को 24 कुन्तल 18 किलोग्राम 500 ग्राम, गेहूं और 14 ग्रामों के 52 परिवारों को रुपये 15,600 गृह अनुदान के रूप में वितरित किये गये।

विकास खंड भटनी के अतिवृष्टि प्रभावित 41 ग्रामों के 158 परिवारों में 27 कुन्तल 3 किलोग्राम गेहूं, 41 ग्रामों में 158 परिवारों को 316 लीटर मिट्टी का तेल एवं 3 ग्रामों के 4 परिवारों को रुपये 11,851 गृह अनुदान तथा 29 ग्रामों के 58 परिवारों को रुपये 17,400 गृह अनुदान वितरित किया गया।

बनकटा विकास खंड के अतिवृष्टि प्रभावित 54 ग्रामों में 324 परिवारों को 27 कुन्तल 53 किलोग्राम 500 ग्राम गेहूं तथा एक ग्राम के एक मृतक के परिवार को रुपये 3,617 अनुग्रह धनराशि एवं 5 ग्रामों के 31 परि-

वारों को रुपये 9,300 गृह अनुदान वितरित किया गया।

ग्राम सरयां म आक्रामक बाघ को मारने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। जो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था उसका उपचार कराया गया और वह ठीक हो गया है। दैवी आपदा राहत बजट से अन्य कोई सहायता अनुमन्य नहीं है।

देवरिया, हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, श्री हरिराज राम द्वारा छात्र वृत्ति में बरती गयी अनियमितता एवं निलम्बन

120---हषवर्धन--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि देवरिया जनपद के हरिजन व समाज कल्याण अधिकारी हरिराज राम को वर्ष 1983-84 व 1984-85 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने में की गई धांधली के संबन्ध में निलम्बित कर दिया गया है? यदि हां, तो तथ्य क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां।

उक्त अधिकारी द्वारा छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के वितरण, विद्यालयों में हुई क्षति की पूर्ति के लिये धन के भुगतान में धांधली, पेंशन के मामले में लापरवाही बरतने व अन्य वित्तीय अनियमितताएं की गई तथा कार्यालय के अभिलखों में हेरा-फेरी करने का मामला भी प्रकाश में आया।

मुजफ्फरनगर ग्राम बाबरी की ग्राम समाज की भूमि पर श्री सोमांश प्रकाश का कथित कब्जा

121---श्री अमीर आलम खां--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाबरी ब्लाक, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत ग्राम समाज के ख0 न0 1394 बस अड्डे के लिये तथा ख0 न0 1700 कोल्हू के लिए छूटे हुए हैं, जिन्हें सोमांश प्रकाश, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी (ई) मुजफ्फरनगर ने कब्जा कर, ग्राम समाज के नम्बरों पर चकबन्दी में नक्शा 5 के दौरान अपना कब्जा दिखाकर इस भूमि को अपने नाम चकबन्दी रिकार्ड में दर्ज कराया है?

यदि हां, तो इस अवैध कब्जे से कब तक मुक्त कराया जायगा यदि नहीं, तो क्यों, यदि हा, तो कब तक?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी नहीं।

ग्राम बावरी, जिला मुजफ्फरनगर के गाटा संख्या 1394 आधार वर्ष की खतौनी में खाता सं0 522 पर बंजर सम्पत्ति गांव सभा अंकित है। चकबन्दी पड़ताल के समय इसके दो टुकड़े पाये गये जिनमें से गाटा सं0 13941 सड़क तथा 13942 सड़क को खन्ती पाया गया। अभिलेखों में इसका इन्द्राज बस-स्टैन्ड नहीं है और न मौके पर बस स्टैन्ड के लिये प्रयोग हो रहा है। श्री सोमांश प्रकाश का नाम इस पर अंकित नहीं है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम सन् 1953 की धारा 9 के अन्तर्गत इस पर दावा भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिस कारण बेदखली आदि का प्रश्न ही नहीं उठता। गाटा संख्या-1700 आधार वर्ष की खतौनी में खाता सं0 550 में कोल्हू अंकित है। चकबन्दी पड़ताल के समय इस गाटे पर न तो श्री सोमांश प्रकाश का कब्जा पाया गया और न उन्होंने धारा-9 के अन्तर्गत इसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत की। इस लिये इस गाटे से भी बेदखली आदि का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

122---श्री अमीर आलम खां---

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम बावरी, ब्लाक थाना भवन के अन्तर्गत ग्राम समाज के खसरा नम्बर 404, रास्ते के लिए ख0 नं0 407 आबादी के लिए, ख0 न0 410 तालाब के लिए, ख0 न0 423 व ख0 न0 424 आबादी के लिए तथा ख0 न0 431 कोल्हू के लिये छूटे हुए हैं, जिन्हें सोमांश प्रकाश जिला कांग्रेस अध्यक्ष, मुजफ्फरनगर ने कब्जा कर अपने सल्फर तथा पेपर मिल के प्रयोग में लाए हुए हैं? यदि हां, तो इसे अवैध कब्जे से कब तक मुक्त कराया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिला मुजफ्फरनगर ग्राम बावरी के संदर्भित गाटों का लेख निम्न प्रकार है:---

गाटा सं0	क्षेत्रफल	प्रविष्टि
404	0-13-0	रास्ता
407 मि0	0-2-10	बनवारी पुत्र बारू
407 मि0	0-4-0	बंजर
410/1	0-8-0	तालाब
410/2	1-13-0	तालाब
423	0-2-0	आबादी
424	0-6-0	आबादी
431	0-10-0	कोल्हू

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम सन् 1953 की धारा 9क (1) के अन्तर्गत वाद सं0 8259 पर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.9.85 के अनुसार गाटा सं0 410/1 क्षेत्रफल 0-8-0 आबादी अंकित किया गया है। उपरोक्त गाटे में रास्ता, बंजर तथा तालाब में अंकित भूमि संपत्ति गांव सभा है और इस पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है, जिस कारण बेदखली का प्रश्न ही नहीं उठता। आबादी तथा कोल्हू सम्पत्ति गांव सभा नहीं है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सन् 1950 की धारा 9 के अनुसार आबादी तथा कोल्हू का स्वामी वही व्यक्ति होगा, जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सन् 1950 के पूर्व, इसका स्वामी था। गाटा संख्या-431 पर सन् 1362 फसली में इसका पुराना गाटा सं0 244 सोमांश प्रकाश का नाम बतौर भूमिधर अंकित था। सन् 1362 फसली के पश्चात् कब और किस आधार पर इस भूमि से उनका नाम निरस्त किया गया, इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। गाटा सं0 431 श्री सोमांश प्रकाश की भूमिधरी का खेत था, जिस पर पहले उनका कोल्हू था और अब इस पर खंडसारी उद्योग आबादी स्थापित है जिस कारण उन्हें बेदखल करने का प्रश्न नहीं उठता है।

देवरिया, विकास खण्ड बनकटा के अन्तर्गत विद्युत सब स्टेशन के निर्माण संबंधी पत्र

123--श्री कामेश्वर उपाध्याय--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खंड बनकटा में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-8-85 को मंत्री जी को पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुजफ्फरनगर के ट्यूबवेल के क्षतिग्रस्त ट्रांसफारमर

124--श्री हरेन्द्र सिंह मलिक--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में सरकारी एवं किसानों के निजी ट्यूबवेल के कितने ट्रांसफारमर किस-किस समय से फुके हुए हैं तथा इनको बदलने की प्रक्रिया किस आधार पर क्रियान्वित की जाती है ?

श्री सुनील शास्त्री--

दिनांक 7-12-85 को मुजफ्फरनगर जनपद में कुल 12 ट्रांसफारमर जले हुए थे जिनमें 3 सरकारी नलकूप के थे इनके क्षति-ग्रस्त होने के दिनांक संलग्न सूची में दर्शित हैं। क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफारमरों के बदलने की प्रक्रिया, सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड की प्राथमिकता सूची के अनुसार निर्धारित होती है। प्राथमिकता सूची दो भागों में होती है प्रथम सरकारी एवं द्वितीय निजी सरकारी नलकूपों पर क्षतिग्रस्त ट्रांसफारमर निजी नलकूपों पर क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफारमर से पहले बदले जाते हैं। सरकारी और निजी नलकूपों की प्राथमिकता सूची ट्रांसफारमर के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत लिखाने के दिनांक एवं क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफारमर की क्षमता के आधार पर निर्धारित होती है।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 153 पर)

इलाहाबाद, ग्राम बगहा की ग्राम समाज की भूमि पर श्री गंगा सिंह द्वारा अवैध कब्जा

125---श्री हरेन्द्र सिंह---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बगहा, परगना खैरागढ़, तहसील मेजा, इलाहाबाद में कुल कितनी भूमि ग्राम समाज

को सार्वजनिक उपयोग हेतु प्राप्त हुई है ? क्या यह किसी को आवंटित हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

ग्राम बगहा परगना खैरागढ़, तहसील मेजा इलाहाबाद में कुल 105 बीघा 19 बिस्वा 9 धुर गांव सभा की सम्पत्ति है। अभी चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है अत: अभी उक्त भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं है।

126---श्री हरेन्द्र सिंह---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम में ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा स्कूल के नाम पर अवैध कब्जा करके भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें हटाने के लिये अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

गाटा सं0 4281 मि0 1 बिस्वा 15 धुर जो स्कूल के लिए आरक्षित है उस पर बृहस्पति सिंह, पुत्र गन्दर्भ सिंह, निवासी बगहा ने नीव खोद रखी है तथा खरीफ 1393 फसली में बृहस्पति सिंह के सगे भाई गंगा सिंह ने चरी बोई थी। इस संबंध में दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 122 व जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है

ग्राम पुरवा, जिला उन्नाव में बाढ़

127---श्री हृदय नारायण दीक्षित---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पुरवा (उन्नाव) क्षेत्र में अतिवृष्टि और बाढ़ से पीड़ित गांव में राहत दिलाने संबंधी पत्र 11-10-85 जिसकी प्राप्ति 25-10-85 पत्र सं0 एम-1-ल/17-692 को0 एम-2/85 के पत्र द्वारा स्वीकार की गई है पर शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मामलों की जांच कराकर नियमानुसार राहत सहायता का शीघ्र वितरण सुनिश्चित कराने व कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु जिलाधिकारी, उन्नाव को निर्देशित किया गया था। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार सन्दर्भित क्षेत्र में बड़े-बड़े तालाब हैं तथा निचला भाग होने के कारण सितम्बर व अक्टूबर, 1985 की अतिवृष्टि से तालाबों का पानी फैलकर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और गांव पानी से घिर गये थे। आवागमन हेतु तत्काल नावों की व्यवस्था कर दी गई थी। प्रभावित क्षेत्र में पीड़ित व्यक्तियों को, खाद्य सामग्री तथा आवश्यक वस्तुओं के रूप में गेहूं, मिट्टी का तेल, माचिस, नमक, आदि का वितरण किया गया था। इन्हीं क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के पात्र स्वामियों को प्राथमिकता के आधार पर गृह अनुदान रुपया 2,50,000 का वितरण कर दिया गया है। अवशेष ग्रामों में गृह अनुदान वितरण जारी है।

जल निकासी की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

उन्नाव, राजा सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, शाखा पुरवा के भवन का किराया

128---श्री हृदय नारायण दीक्षित---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजा सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा पुरवा, जिला उन्नाव के भवन का किराया 11 माह का बकाया है ? यदि हां, तो सहकारी बैंक की साख गिराने वाले दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मकान मालिक द्वारा किराया स्वीकार नहीं किये जाने के कारण राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा पुरवा जिला उन्नाव के भवन का 1 जनवरी, 1984 से किराया बकाया है। मकान मालिक द्वारा किराया बढ़ाने की मांग की गयी है जिस पर बैंक ने विचारोपरांत भवन का किराया नये अनुबन्ध तिथि से 250 रु0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 400 रु0 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। प्रश्न नहीं उठता।

129---भगवती सिंह विशारद---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जिलाधिकारी, उन्नाव को हरिजनों एवं खेतिहर मजदूरों का भूमि आवंटन संबंधी प्रार्थना-पत्र

130—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी उन्नाव, परगनाधिकारी पुरवा (उन्नाव) तथा तहसीलदार पुरवा (उन्नाव) के यहां वर्ष 1985–86 में 1 अप्रैल से अब तक भूमि हीन हरिजन एवं खेतिहर मजदूरों के कुल कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें आवंटन की भूमि पर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की गई है और उनमें से कितने पर कार्यवाही करते हुए कब्जा दिला दिया गया है और अब कितने शेष हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1985–86 में (30.11.85 तक) तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव के 70 आवंटियों के आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 64 पट्टेदारों को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाया जा चुका है ।

शेष 6 मामलों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा–198–ए के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हैं ।

उन्नाव, ग्राम बरुआ में भूमि आवंटन

131—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक का माह जुलाई, 85 के पत्र के साथ ग्राम बरुआ, परगना पनहन ब्लाक सुमेरपुर, जिला उन्नाव में हुए भूमि आवंटन के संबंध में हुई गड़बड़ियों को संलग्न करते हुए उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की गई है कि इस ग्राम के भूमि आवंटन में हुई गड़बड़ियां की जांच परगना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

भूमि आवंटन में की गई अनियमितताओं के आरोप की जांच कराई गई जिसके परिणाम स्वरूप 8 अपात्र व्यक्तियों को आवंटन किये जाने बात प्रकाश मे आई जिनके पट्टों के निरस्तीकरण के लिये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–198 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

मिर्जापुर, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की महिला अधिकारी द्वारा संस्थाओं का निरीक्षण और संस्थाओं को दिया गया अनुदान

132—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगतमई, 1984 में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की एक महिला कल्याण अधिकारी मिर्जापुर जनपद में निरीक्षण हेतु आई थी ? क्या यह सही है कि संस्था के कुछ प्रबन्धकों नेनाजायज तरीकों से अपनी संस्थाका निरीक्षण कराना चाहा था और उसके इन्कार करने पर बंदूक की नोक पर कार्य कराना चाहा? क्या इसकी सूचना उक्त कल्याण अधिकारी ने जब बोर्ड को दी तो उसका ही स्थानान्तरण कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की एक महिला कल्याण अधिकारी अपने निर्धारित तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार मिर्जापुरजनपद में दिनांक 8मई, 1984 से 12मई, 1984 तकबोर्ड द्वारा अनुदानित संस्थाओं के निरीक्षण हेतु गई थी उक्त कल्याण अधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेद (निरीक्षण आख्या) के अनुसार एक संस्था के प्रबंधक ने एक अन्य संस्था केप्रबन्धक के साथ मिलकर उक्त अधिकारी को मानसिक रूप से परेशान किया गया तथा उन्हें 2–3 अन्य संस्थाओं केप्रबधंकों एवं अन्य व्यक्तियों के सामने धमकी भी दी थी । उक्त महिला कल्याण अधिकारी ने इस घटना की पुलिस में कोई प्राथमिकी अंकित नहीं करायी है। यह सत्य नहीं है कि उक्त अधिकारी द्वारा

बोर्ड को प्रस्तुत प्रतिवेदन के कारण उनका स्थानान्तरण कर दिया है ।

133---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में कितनी संस्थाओं को राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से अनुदान प्राप्त होता है, क्या सभी संस्थाओं ने वर्ष 83-84में अपना आडिटेड एकाउंट जमा कर दिया है? यदि हां, तो उसमें से कितनी संस्थाओं के एकाउन्ट फर्जी पाये गये और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मिर्जापुर जनपद में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से 12 संस्थाओं को अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 83--84 में 11 संस्थाओं से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की आडिट रिपोर्ट राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को प्राप्त हो गई है। इनमें से किसी भी संस्था के एकाउन्ट फर्जी नहीं पाये गये अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मिर्जापुर जिले में बाढ़

134---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के कितने जनपद सूखे एवं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? जनपद मिर्जापुर की वार्षिक वर्षा 10 जुलाई, 84 से 10 जुलाई, 85 तक औसतन कितनी हुई? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

वर्ष 1985 में सूखे तथा बाढ़/अधिक वर्षा/भू-स्खलन से प्रभावित हुए जनपदों की सूची संलग्न है †।

जनपद मिर्जापुर में कथित अवधि में औसतन वर्षा 747.09 मिली मीटर हुई। माहवार वर्षा का विवरण संलग्न है †।

खीरी, गोला गोकरननाथ स्थित राठी बर्फ मिल के भूमि की नीलामी

135---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या राजस्व मंत्री को खीरी जनपद में गोला गोकरननाथ में स्थित राठी बर्फ मिल केभूखंड को नीलाम करने के बारे प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1549 दिनांक 22--8--84 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या ता0 18--7--84 को नीलामी की तारीख रखी गयी थी? यदि हां, तब नीलामी की सूचना किस-किस समाचार पत्रों में करायी गयी थी तथा स्थानीय नागरिकों को सूचनाकिस माध्यम से दी गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य --

जी हां, परन्तु यह पत्र 21 अगस्त, 1985 का था ।

नीलामी की तारीख 18--7--84 रखी गयी थी। नीलामी की सूचना समाचार पत्रों द्वारा दिये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है। अतः समाचार पत्रों का नाम देने का प्रश्न नहीं उठता है। नीलामी की सूचना स्थानीय नागरिकों को बाजार गोला में आम मुनादी कराकरव्यापक रूप से दी गयी थी ।

अन्तिम अभिलेख (चकबन्दी) अकबरपुर फैजाबाद में लम्बित मुकदमा

136---श्री अकबर हुसैन बाबर---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में अन्तिम अभिलेख (चकबन्दी) अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन विवादों की संख्या क्या है? उनमें अब तक कितने विवादों का निपटारा हो चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्ष 1984-85 में अन्तिम अभिलेख (चकबन्दी) अकबरपुर, फैजाबाद के न्यायाला में विचाराधीन वादों की संख्या--- 5289 थी जिसमें से अब तक कुल 2676 वादों को निस्तारित किया जा चुका है ।

---

†छापी नहीं गई ।

137--डा0 दिनेश चौहरी--

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना की सामग्री के आहरण एवं वितरण का अधिकार

138--श्री धनराज यादव--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग द्वारा संचालित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत सामग्री के आहरण तथा वितरण का दायित्व जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी पर है ? यदि हां, तो देवरिया जनपद में किन कारणों से और किस अधिकारी केआदेश से पूर्वोक्त दायित्व अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिजन को दिया गया है और ऐसा करने के कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---

परियोजना में आहरण एवं वितरण का अधिकार बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी में अलग-अलग निहित है ।

देवरिया जनपद में चल रही चार बाल विकास परियोजनाओं में से बरहज परियोजना में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं बाल विकास परियोजना अधिकारी है। शेष तीन परियोजना सलेमपुर, हाटा एवं खड्डा के आहरण वितरण का अधिकार इस समय जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पास है ।

इस जनपद में अतिरिक्त जिलाधिकारी (हरिजन) का न तो कोई पद है और न कोई ऐसा अधिकारी कभी भी कार्यरत रहा ।

139--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[मा0 सदस्य ने वापस लिया ।]

प्रदेश की प्राइमरी हरिजन पाठशालाओं को दिया गया आवर्तक अनुदान

140--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-02 में प्रदेश में कितने प्राइमरी पाठशालाओं को शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवर्तक अनुदान की सूची में लिया गया ? क्या शासन ने आवर्तक अनुदान में शामिल करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा उन संस्थाओं पर होने वाला व्यय भार विभाग से पूरा किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1981-82 में 36 प्राइमरी हरिजन पाठशालाओं को आवर्तक अनुदान की सूची में लिया गया। उक्त संस्थाओं पर होने वाला व्ययभार विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है ।

141--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 83 में प्रदेश के कितने स्वैच्छिक प्राइमरी पाठशालाओं को आवर्तक अनुदान की सूची में लिया गया ? वर्ष 1981-82 में लिये गए प्राइमरी पाठशालाओं के व्यय भार की भांति क्या 1982-83 में लिये गए संस्थाओं का व्यय भार विभाग द्वारा पूरा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1982-83 में और इसके उपरान्त किसी भी स्वैच्छिक संस्था द्वारा संचालित हरिजन प्राइमरी पाठशाला को आवर्तक अनुदान की सूची पर नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142--श्री हरीशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'--

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

हरदोई, ग्राम अलीगढ़ में नलकूप हेतु श्री लीला हरिजन की भूमि का कथित अधिग्रहण

143--श्री हरीशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'--

क्या राजस्व मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम अलीगढ़ परगना व तह0 बिलग्राम, जिला हरदोई में राजकीय नलकूप के लिये लीला हरिजन की अर्जित की गई भूमि की क्षतिपूर्ति कब दी गई है ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह --

ग्राम अलीगढ़ परगना व तहसील बिलग्राम जिला हरदोई में राजकीय नलकूप के लिये श्री लीला हरिजन की भूमि के अर्जन का कोई प्रस्ताव संबंधित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ। अतः राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा, ग्राम सुदिनपुर के लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

144—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा की नरैनी तहसील के ग्राम-सुदिनपुर के भूमिहीन हरिजनों एवं ग्राम्य-वासियों की शिकायत पर क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध जांच 12 सितम्बर, 85 को हुई थी? यदि हां, तो दोषी लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। जांच में आरोप सही नहीं पाये गये, फिर भी इस लेखपाल का स्थानान्तरण ग्राम सुदिनपुर से ग्राम तुर्रा के लिये किया जा चुका है।

बांदा, ग्राम मोतियारी के हरिजनों को भूमि का आवंटन

145—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बादा जनपद के नरैनी तहसील के गांव मोतियारी में कितने हरिजन भूमिहीन है जिन्हें अभी तक भूमि पट्टे की आवंटित नहीं हुई तथा कितने भूमिहीन हरिजन है जिन्हें भूमि का पट्टा तो हो गया पर उन्हें पट्टे की भूमि नपवा कर कब्जा नहीं दिया गया है? क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त गांव के भूमिहीन हरिजनों को भूमि पट्टे की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नगत ग्राम में कोई भी भूमिहीन हरिजन नहीं ह। सभी आवंटियों को कब्जे दिला दिये गये हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जिले में ट्यूबवेल के लिये दिया गया विद्युत कनेक्शन

146—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में ट्यूबवेल के लिये कितने प्रार्थना पत्र विद्युत् कनेक्शन हेतु जिला विद्युत् वितरण खण्ड बांदा में 30 अक्टूबर, 85 तक प्राप्त हुए है? उनका अलग-अलग विवरण क्या है? अभी तक ट्यूबवेल्स को विद्युत् कनेक्शन न मिलन क क्या कारण है? क्या जनहित में तुरन्त विद्युत् कनेक्शन ट्यूबवेल्स को दिये जायेंगे?

श्री सुनील शास्त्री--

बांदा जनपद में 30 अक्टूबर, 1985 तक कुल 133 प्रार्थना-पत्र ट्यूबवेल्स कनेक्शन हेतु प्राप्त हुये हैं, जिनका अलग-अलग विवरण देना सुलभ नहीं है। दिनांक 25-1-1986 तक 72 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 100 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन देने का लक्ष्य जनपद के लिए निर्धारित है, इनमें से 28 कनेक्शन जारी करना शेष है। इन अवशेष कनेक्शनों को मार्च, 1986 तक पूरा कर दिया जायेगा।

बस्ती, ग्राम कोटिया दीगर तप्पा डबरा की बंजर भूमि में कथित कब्रिस्तान तथा कर्बला

147—श्री धनराज यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ग्रामकोटिया दीगर तप्पा डबरा में खतौनी -नं-283 के 618/2, 618/3, 31068, 621, 622 जो कि दिनांक 11-7-84 को पूर्व कागजात लेखपाल मेंबंजर दर्ज है और उक्त जमीन में ही कब्रिस्तान तथा कर्बला है, को 229-बी का एक मुकदमा कायम करके परगनाधिकारी, नौगढ़ से 11-7-84 को बंजर खारिज कराके गांव के ही कुछ लोगों ने अपने नाम भूमिधरी दर्ज करा लिया है? यदि हां, तो क्या ग्राम प्रधान को 229 बी के मुकदमे की सूचना दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

प्रश्नगत भूखण्ड बंजर है।

जिनमें कबंला तथा कब्रिस्तान नहीं है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के ग्राम खडौहा, फयरी महसौ में भूमि का आवंटन

148—श्री धनराज यादव——

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील बस्ती के ग्राम खडौहा उर्फ छबिलहा तथा फयरी महसौपरयत्र महुली पश्चिम में सन् 1975—76 के कृषि भूमि का आवंटन भू0 प्र0 स0 द्वारा हुआ है ? यदि हां, तो परगनाधिकारी द्वारा कब अनुमोदन हुआ है ? क्या सभी आबादी का अभिलेखों में अमल बरामद कराकर कब्जा दे दिया गया है ? भूमि आवंटन पत्रावली तथा वर्तमान खतौनी दोनों में क्या आपस में मिलान ठीक है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य——

जी हां।

भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव को परगनाधिकारी ने दिनांक 31 12 75 को अनुमोदित किया था। केवल 1 आवंटी को कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। भूमि आवंटन पत्रावली तथा वर्तमान खतौनी की मिलान से 21 पट्टेदारों को आवंटित भूमि व उनके क्षेत्रफल में आंशिक अन्तर है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच प्रगति पर है।

बस्ती, बाढ़ हेतु फैजाबाद से ली गयी कथित नाव

149— श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में सन् 1981 82, 82—83, 83—84 एवं 84—85 के वित्तीय वर्ष में बाढ़ के समय कितनी नावें किराये पर ली गई तथा किराए पर ली गई नावों में कतनी नावें स्थानीय व्यक्तियों से तथा कितनी नावें फैजाबाद से मंगाई गयीं क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि फैजाबाद से ली गई नावों का किराया तथा लाने और पहुंचाने पर प्रति नाव कितना खर्च हुआ और उसी तरह की नाव खरीदने में कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बस्ती की नौगढ़ तहसील के अन्तर्गत वर्ष 1981—82 में 149, 1982—83 में 165, 1983—84 में 173 तथा 1984—85 में 186 स्थानीय नावें बाढ़ राहत कार्य में लगाई थी और फैजाबाद से नावें नहीं मंगाई गयीं थी। अत: फैजाबाद से नावें मंगाने और पहुंचाने पर कोई किराया नहीं देना पड़ा।

150—श्री गजराज सिंह—

[4 थे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

151—श्री गजराज सिंह——

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में श्री शिव राजसिंह की सहायक अधीक्षक के पद पर कथित नियुक्ति

152—श्री राम आसरे वर्मा——

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज,लखनऊ में सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्री शिव राज सिंह की नियुक्ति के संबंध में निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश से सहमति प्राप्त की गई थी ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी——

जी नही ।

प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ के लिये सहायक अधीक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं है। श्री शिवराज सिंह की नियुक्ति प्रसार अध्यापक के पद पर है। संस्था के प्रसार अध्यापक से ही सहायक अधीक्षक का कार्य नि:शुल्क लिया जाता है। यह संस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिये अन्तरिक व्यवस्था है,जिसके लिये निदेशक के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नही है।

वाराणसी जिले के ग्राम रामपुर की चकबन्दी

153–श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की तहसील वाराणसी के ग्राम रामपुर के आसपास जब कि चकबन्दी हो गई है ग्राम रामपुर में चकबन्दी का कार्य पूरा न करने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

ग्राम रामपुर, तहसील सदर, जिला वाराणसी में चक निर्माण कार्य दिनांक 31-1-80 को पूर्ण किया गया था परन्तु 18 चक अपीलों की सुनवाई पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने अपने आदेश दिनांक 4–5–83 द्वारा उक्त ग्राम के चक निर्माण कार्य तथा चकबन्दी अधिकारी द्वारा किए गए संशोधन को निरस्त करते हुए ग्राम को सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर रिमांड कर दिए जाने के कारण चकबन्दी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । कार्य पूर्ण किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं ।

154---श्री विष्णु देव--

[4 थे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

155–कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

156---श्री मनोहर लाल---

[4 थे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के स्थगन के संबन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज के एजेंडे में मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 86 था । माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी पीठ से कहा कि उन्होंने उस प्रश्न को स्थगित करने की घोषणा की है । मैं वह कारण जानना चाहता हूं जिसके कारण आज इस प्रश्न को स्थगित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, आप तो विद्वान हैं, बड़े पुराने सदस्य हैं । अध्यक्ष जी की व्यवस्था के बाद मैं कैसे व्यवस्था दे सकता हूं ।उन्होंने आदेश कर दिया तो हटा लिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी की व्यवस्था को मैं चुनौती नहीं देता हूं । लेकिन यह जिज्ञासा होना स्वभाविक है कि आखिर उन कारणों का पता लगाया जाय कि किन कारणों से इसको स्थगित किया गया ? शासन की ओर से इसको स्थगित करने का अनुरोध हुआ या आपकी ओर से स्थगित हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी ने जो आदेश किये हैं उनको शिरोधार्य करें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं । अध्यक्ष जी बैठे होते तो उनसे अनुरोधकरता ।

उपाध्यक्ष--

यह आज स्थगित हो गया है, बाद में तो आएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप भी व्यवस्था दे सकते हैं । अब यह केवल मेरा प्रश्न नहीं रह गया है, चूंकि यह सदन के सामने प्रश्न आ गया है, अतः सदन का कोई भी सदस्य इसका कारण जानने की जिज्ञासा कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कारण माननीय अध्यक्ष बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, इसका कारण कुछ न कुछ होगा । आप जानकारी करके बता दें, आखिर मेरी जिज्ञासा कैसे शांत हो । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मेरा प्रश्न स्थगित किया गया, उसको स्थगित करने का कारण बता दीजिये । आज नहीं बता सकते तो कल बता दीजिये, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है; कल बता दिया जायगा ।

(मद संख्या–4 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, आपने मद संख्या–4 पुकारा। तो मैं जानना चाहता हूं कि मद संख्या–4 के पहले जो 301 की सूचनाएं लेवी थीं, उन सभी को क्या आपने स्वीकार कर पढ़ा हुआ मान लिया है। आपने 301 की जो सूचनाएं स्वीकार की हैं, कृपया उनके नाम बता दीजिये।

हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय में अधिकारियों व कर्मचारियों में असन्तोष के संबन्ध में नियम 301 क अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष––

मैंने नियम 301 में जो सूचनाएं स्वीकार की हैं, उनके नाम मैं पढ़े देता हूं। श्री झिलमिट राम, श्री त्रियुगी नारायण मिश्र, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री बदन सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती विमला राकेश एवं श्री कनक सिंह।

[समय 12 बजकर 24 मिनट]

श्री झिलमिट राम––

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय में पिछले सप्ताह से काम काज ठप्प है। कर्मचारी व अधिकारी वर्ग प्रताड़ित किये जा रहे हैं। विभाग में 1983 से कर्मचारियों को पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है।

निदेशालय में काम-काज ठप्प होने का जिम्मेदार कौन अधिकारी है। वर्तमान निदेशक दिन में गायब रहते हैं तथा कार्यालय बन्द होने के समय आते हैं और देर रात कार्यालय में बैठे रहते हैं जो कर्मचारी और अधिकारी उनके साथ देर रात तक नहीं बैठते हैं उन्हें किसी न किसी बहाने प्रताड़ित करते हैं वहां जंगल राज्य कायम हो गया है।

अतः सरकार से मांग की इस ओर शीघ्र ध्यान देने की कृपा करे तथा उचित कार्यवाही करके सदन को अवगत कराये।

स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर में व्याप्त अष्टाचार तथा मनमानी के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र––

गोरखपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग की अकर्मण्यता, उदासीनता और जोर जबरदस्ती नसबन्दी अभियान के कारण तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। ये मौतें निचलौल, गोला और नौतनवा में हुई है, इस घटना के बाद भी शिव शंकर शुक्ल मासमीडिया अधिकारी द्वारा यह अभियान तानाशाही ढंग से निरन्तर जारी है नियमतः किसी के इच्छा के विरुद्ध नसबन्दी नहीं की जानी चाहिये। नियमों को तिलांजलि देकर यह अनैतिक कार्य किया जा रहा है जिससे पूरे जिले में क्षोभ, रोष और बेचैनी व्याप्त हो गयी है। प्रदेश भर में गोरखपुर ही ऐसा जिला है जहां स्वास्थ्य मंत्री की विशेष कृपा से मासमीडिया अधिकारी का पद सृजित कर उसे नसबन्दी अभियान के लिए विशेष कोष की व्यवस्था अभियान की जिम्मेदारी दी गयी है। यह अधिकारी अपने पद धन और गाड़ियों का दुरुपयोग कर रहा है और निरीह जनता को आतंकित कर रहा है, गृह जनपद में नियुक्त होकर फिल्म प्रदर्शनों में अपनी पत्नी को मुख्य अतिथि बनाकर भाषण दिलवाना दैनिक कार्यक्रम है इस बीच अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति और स्थानान्तरण में भी इसका हस्तक्षेप होने लगा है फलतः स्थिति विस्फोटक हो गयी है जनता आन्दोलित है और लोगों में रोष व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के इस तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

बलिया जनपद की बांसडीह तहसील में अधिकारियों की लापरवाही से शीतलहरी में हरिजनों को सुविधा न मिलने के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय लक्ष्मी––

मान्यवर, जनपद बलिया के बांसडीह तहसील में जिलाधिकारी एवं शासन के बार बार आदेशों के बावजूद निर्धन एवं असहाय लोगों को कम्बल वितरित नहीं किये गये। टाउन एरिया सहतवार एवं बांसडीह के अन्तगत हरिजनों की मृत्यु शीत लहरी के

कारण हो गयी। परगनाधिकारी बांसडीह द्वारा तहसील के हरिजनों एवं निर्बल लोगों की बार बार उपेक्षा किये जाने, कम्बल एवं अलाव की व्यवस्था न किये जाने तथा हरिजनों के पट्टे के सत्यापन में फर्जी कार्य पूर्ति दिखाने की जनता में दुख निराशा एवं क्षोभ की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं और मांग करती हूं कि तत्काल कम्बल वितरण की व्यवस्था की जाये हरिजनों के पट्टों के सत्यापन में तेजी की जाये तथा परगनाधिकारी बांसडीह द्वारा जनहित कार्यों में लापरवाही बरतने पर दण्डित किया जाये।

आगरा जनपद के कानपुर-जयपुर 400 के0 वी0 विद्युत लाईन से प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील किरावली, खेरागढ़ और आगरा के नारोल इकरामनगर, खेड़िया वेमन, लोरिया, भोपुर और कगारोल आदि पचासों गावों की खड़ी फसल में होकर 400 के0 वी0 की बड़ी विद्युत लाईन जो कानपुर से जयपुर जा रही है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि0 (एन0 टी0 पी0 सी0) द्वारा खींची जा रही है। यह लाईन विशाल ढांचे वाले ऊंचे मोटे ऊंचे टावर खेड़े करके मोटे-मोटे तारों से खींच कर बनाई जा रही है। 150 निर्माण कर्मियों के अतिरिक्त भारी मशीनें, ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रालियां इस कार्य को सम्पन्न करने में प्रयुक्त हो रही हैं। जिन्होंने उक्त तहसीलों के इन पचासों गांवों की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि का अतिक्रमण कर लिया है और हजारों एकड़ गेहूं, जौ, चना, लाही, सरसों और बरसीम की पकी और अधपकी फसल इतनी निर्दयता से नष्ट की जा रही है कि वहां मानवता रो रही है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि भारत सरकार से रबी की फसल कटने उक्त एन0 टी0 पी0 सी0 द्वारा खींची जाने वाली विद्युत लाईन रुकवा दी जाय, प्रयुक्त भूमि की उचित कीमत और नष्ट की गई फसल का मुआवजा प्रभावित किसानों को दिलाने की व्यवस्था की जाय।

ललितपुर जनपद के कतिपय ब्लाकों में ओलवृष्टि व कीड़ों से फसलों को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह---

मान्यवर, सम्पूर्ण ललितपुर जनपद में विशेषतः मडवरा महरौनी, वार और विरधा ब्लाक में चना, गेहूं, राई आदि की फसलों में कीड़ा लगने से तथा पिछली 6-2-1986 व 10-2-1986 को अत्यधिक ओला-वृष्टि से सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है। सरकार द्वारा इसके पहले ही खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं के न मिलने के कारण स्थिति अत्यधिक विषम हो गई थी। अब अति ओलावृष्टि से सम्पूर्ण फसल समाप्त हो गई है। किसान भूख से मरने की स्थिति में हो गये हैं।

जन प्रतिनिधियों व पत्रकारों द्वारा उक्त विषय में जिला प्रशासन को भी ज्ञात करा दिया है किन्तु जिला प्रशासन द्वारा किसानों को किसी प्रकार की सहायता अभी तक नहीं दी गई है। किसान अपने भविष्य के प्रति चिन्तित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह मांग करता हूं कि किसानों को भुखमरी से बचाने हेतु तथा भविष्य के प्रति आश्वस्त कराने हेतु शासन द्वारा अविलम्ब राहत कार्य खोलकर उक्त क्षेत्र के किसानों को राहत दिलाई जावे।

सहारनपुर जनपद में अधिशासी अभियन्ता (नलकूप) की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार से 95 नलकूपों के बन्द होने के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला राकेश---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान 7-2-1986 तक प्राप्त सूचना के आधार पर नलकूप खण्ड, सहारनपुर

के 95 नलकूप जो अधिशासी अभियन्ता नलकूप जनपद सहारनपुर की लापरवाही भ्रष्टाचार, निष्क्रियता के कारण बन्द पड़े हैं जिससे कास्तकारों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। फसल को भारी नुकसान हो रहा है। चन्द चांदी के टुकड़ों के लालच में अधिशासी अभियन्ता फर्जी आंकड़े भेज कर किसान व सरकार को धोखा दे रहे है। लाखों रुपया का घोटाला है घटिया सामान खरीदा जाता है। अच्छा और कीमती सामान बाजार में बेंच दिया जाता है। अतः लोक महत्व के इस गम्भीर विषय की ओर माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित मेंबन्द पड़े नलकूपों की जांच करवाकर अविलम्ब चलाने की मांग करते हुए भ्रष्ट, निष्क्रिय, लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की मांग करती हूं जिससे शासन व कृषकों को हो रही हानि से बचाया जा सके।

गाजियाबाद जनपद में गढ़मुक्तेश्वर ब्लाक के कतिपय बाढ़ प्रभावित गांवों को सरकारी सुविधायें दिलाये जाने की मांग के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कनक सिंह—

मान्यवर, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

गत वर्ष की गंगा के बाढ़ में तहसील गढ़मुक्तेश्वर, ब्लाक गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद के 29 गांवों नया गांव झडोना गडावली, शाहपुर, आलमगीरपुर पूठ आदि की फसल को सौ प्रतिशत नुकसान हुआ था जिसकी सूचना जिलाधिकारी ने शासन को भेजी थी और एक गांव नया बांस जो पूर्ण रूप से बाढ़ में बह गया था जिसमें 110 हरिजन परिवार निवास करते थे और आज तक बिना मकान आदि से सर्दी एवं वर्षा में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। सरकार ने कोई आवास एवं मुआवजे की व्यवस्था अभी तक नहीं की है तथा उपरोक्त गांवों में पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की वसूलयाबी भी स्थगित नहीं की है। चूंकि यह पूरा हरिजन एवं जनजाति की आबादी वाला गांव है जो गरीबी के कारण अपनी आवासीय व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते। मकान बनवाना एवं आबादी हेतु जमीन खरीद लेना इनके बस की बात नहीं है।

अतः मैं इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि इनकी रहन सहन की व्यवस्था अविलम्ब की जाय तथा हर प्रकार की वसूलयाबी रोक दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे नियम 300 के अन्तर्गत कई सूचना प्राप्त हुई है।

नियम 301 की सूचना स्वीकार न किये जाने के संबन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री औसान सिंह—

मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी जाती हैं, उस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी जाती हैं, उन्हें ग्राह्य करने के क्या मानदण्ड हैं? हमारे प्रश्नों को चाहे वह नियम 56 में हों, चाहे नियम 51 में हों स्वीकार नहीं किये जाते हैं। इन्हें स्वीकृत क्यों नहीं किया जाता, इस पर आप सुनिश्चित व्यवस्था देने का कष्ट करें। कुछ लोगों की सूचनाओं को आप रोज स्वीकार करते रहते हैं।

(श्री शारदानन्द अंचल के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। श्री औसान सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया, तो 425 सदस्य हैं, हाउस में और जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं, वह भी हैं, हालांकि मन्त्रिमण्डल के सदस्य नियम 301 में सूचनायें नहीं देते हैं, लेकिन बाकी सब लोग नियम 301 में उठाना चाहते हैं। आज नियम 301 में 23-24 सूचनायें आयी हैं।

(श्री यदुनाथ सिंह द्वारा एक कागज हाथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में लेकर पढ़ते हुए सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान)

यह जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, लिखा नहीं जायगा। कृपया अपनी सीट पर जा यं।

(श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गय)।

यह जो कहा कि कुछ माननीय सदस्यों के रोजाना आ जाते ह, तो मुझे जो ज्ञान है अभी तक किसी सदस्य का नियम 301 में दोबारा नहीं आया है। माननीय ओसान सिंह जी का एक बार आ चुका है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि नये सदस्य कौन हैं ? जिनका एक बार भी नम्बर नहीं आया है और जो बोल नहीं पाय ह, घटना को भी देखा जाता है। इसमें ऐसे कोई नियम नहीं बने हैं, जिनके ऊपर कुछ कहा जाता। आप लोग ऐसी बातें न सोचें कि नियम क्या है ? सब कार्य नियमत: ही हो रहा है, आपकी शंका निर्मूल है। सारा कार्य निष्पक्षता के आधार पर और सोच समझकर करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह सदन के "वेल" पर चले गये कुछ पढ़ते हुए, क्या वह कार्यवाही में आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह कार्यवाही में शामिल नहीं होगा।

(घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप की बात सुनूंगा, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ नेता के लिये "वेल" में आना शोभा नहीं देता।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि क्या लोक महत्व की घटना का पैमाना इससे हैं कि कोई भी आदमी अध्यक्ष से या सचिव से मिले ? नियम 301 का पमाना यह तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

मिलने का कोई महत्व नहीं है, सब चीजें देखी जाती हैं। हो सकता है कि आज न आये कल आये।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मैं नियम 301 के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि दो दिन से एक विषय आपको दिया गया, मुझे उत्तर यह मिल रहा है कि मिट्टी के तेल का मामला है। मैं नहीं समझता हूं कि मिट्टी के तेल का मामला इतना कम महत्वपूर्ण है कि यह कह कर टाल दिया जाय कि मिट्टी के तेल का मामला है। मैं तीन विकास खण्डों की पद यात्रा से आ रहा हूं, कोई गांव ऐसा नहीं मुझे मिला जहां मिट्टी का तेल मिल रहा हो। गरीब आदमी पुआल को जला कर उसकी रोशनी में खाना खा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हरीश जी, आप जैसे महान और संसदीय प्रणाली के ज्ञाता, आपसे मुझे कुछ कहना पड़े। मैं तो शायद आपसे जूनियर हूं। नियम 301 के सम्बन्ध में आप व्यवस्था के प्रश्न को न उठायें। आप कैसे इसे उठायेंगे ? नियम 301 बहुत से दृष्टिकोण से देखकर तब स्वीकार किया जाता है। आप इसे कोई और नियम के अन्तर्गत उठा लें। आप तो पुराने सदस्य हैं। अब जो नियम 300 की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उसको मैं सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

कानपुर में चल रही हड़ताल के संबंध में तत्काल जांच कराये जाने की मांग

*श्री मनोहर लाल—

पूरा कानपुर जल रहा है हाल की हड़-ताल की वजह से। वहां हड़ताल की वजह से हालत बहुत खराब है। निचम 56 में मैंने इसे दिया था चर्चा के लिये। वहां 16 जनवरी से हड़ताल चल रही है, मेरा यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम 56 में चर्चा के लिये स्वीकार भी हुआ है, अभी तक इस पर चर्चा का मौका नहीं दिया गया है। वहां के 25 लाख लोगों के जीने और मरने का प्रश्न है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

कल भी कार्यमंत्रणा में यह सवाल रखा गया था, आज चर्चा की बात इसलिये नहीं हो सकती थी कि . . .

श्री मनोहर लाल--

आप देखिये कि 25 लाख लोगों के जीने और मरने का सवाल है। आप चाहे आज मुझे निकलवा दीजिये, मुझे परवाह नहीं है लेकिन आज पूरी कार्यवाही को रोक कर इस पर आप चर्चा करा दीजिये। मुख्य मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। 80 हजार राज्य कर्मचारियों के हड़ताल के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश का यह मामला है, मैं आज ही कानपुर से आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, आप आज ही कानपुरसे आ रहे हैं, मामला भी गम्भीर है, इससे तो कोई इन्कार नहीं करता है। अब आपकी बात हो गयी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किसी नियम अन्तर्गत काम करेंगे या जब आप चार प्रस्ताव ले आयें? ऐसे कैसे काम चलेगा। इसमें वक्तव्य स्वीकार हो चुका है। एक ईज्यू सदन के लिये तय हो गया है।

श्री मनोहर लाल--

जब सब लोग मर जायेंगे, तब इस पर क्या चर्चा होगी? मैं फ्लोर पर आ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके फ्लोर पर आ जाने से समस्या का हल तो हो नहीं जायेगा? मैं कहता हूं कि आपकी बात की गम्भीरता को हम समझ गये हैं, इस पर वक्तव्य होगा। कल भी यह बात कही गयी थी, आज बजट पेश होगा इसलिये इस पर चर्चा आज नहीं होगी, अगले सप्ताह में इस पर चर्चा हो जायेगी।

श्री मनोहर लाल--

कब हो जायेगी? वहां आग आज लगी हुई है, चर्चा क्या 10 दिन के बाद होगी?

श्री उपाध्यक्ष--

आप जरा समझिये। कानपुर की घटना ऐसी घटना है, जिससे सब लोग चिन्तित हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप मेरा नाम पुकारें तो मैं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष--

किस बात पर व्यवस्था है आपकी?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपके श्रीमुख से अभी कोई बात निकली है, चर्चा के संबंध में।

श्री उपाध्यक्ष--

उसमें आप क्या कहेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस विषय पर मनोहर लाल जी के अपनी बात कही है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा परन्तु आपने अभी कहा है सदन की प्रक्रिया के संबंध में, उसी में अपनी व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

मान्यवर, इस तरह की चीजें कार्य मंत्रणा में नहीं तय होती हैं, आप नियम देख लें। मनोहर लालजी कानपुर से आते हैं, आगे तो पूरे सप्ताह बजट पर चर्चा रहेगी, आपकी व्यवस्था के अनुसार। कानपुर का यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, अगर आज इस पर चर्चा नहीं करायेंगे तो आगे चर्चा नहीं हो सकती है। तीन दिन के अन्दर संपूर्ण उत्तर प्रदेश कानपुर की घटना को लेकर जलने जा रहा है, अगर चर्चा नहीं होगी, तो क्या हम इस सदन में बैठे-बैठे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आग लगते हुये देखते रहेंगे, क्या आप दहकते हुये देखना चाहते हैं। मान्यवर, वक्तव्य और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा की तारीख माननीय अध्यक्ष स्वयं संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी से बात करके तय करते हैं। इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन कि आप सोमवार को हर दशा में इस विषय पर चर्चा करा दें और अपनी व्यवस्था दे दें, आप संसदीय कार्य राज्यमंत्री जी से पूछ लें। अगर शासन में संवेदना होगी और सजगता होगी तो वह इस विषय पर चर्चा कराने के लिये सहमत हो जायेगा। सोमवार को चर्चा अवश्य हो जाये, मैंने यह चीज नियमों का हवाला देकर कही है।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

मान्यवर, यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। माननीय गुप्ता जी ने सम्वेदनशीलता और सजगता की बात कही है और सारे आरोप सरकार पर लगा दिये। मान्यवर, मै बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन पूर्ण रूप से सजग है और सम्वेदनाशील भी है। आप अगले सप्ताह में जब चाहें इस पर चर्चा लगा दें, मैं उसके लिये तैयार हूं।

श्री मनोहर लाल---

मान्यवर, 16 जनवरी से हड़ताल चल रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि शासन सजग है।

श्री शारदा प्रताप---

मान्यवर मेरी जानकारी में आया है कि लखनऊ से 4-4 अधिकारी कानपुर गये हैं हड़ताल तुड़वाने के लिये। यह सरकार कर्मचारियों को धमका कर हड़ताल समाप्त करवाना चाहती है और कहते हैं कि शासन सजग है और आप मान्यवर, इस पर चर्चा करा रहे हैं।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी---

आप मान्यवर, इधर भी देखे मैं खड़ा हूं। यह शासन की सजगता नहीं है, इतने दिन से नहीं हड़ताल चल रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने कहा और मनोहर लाल जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जठाया है, उस मामले की गम्भीरता को अंगीकार करते हुये, मेरा आपसे निवेदन है कि जब कार्य मंत्रणा समिति ने किसी विषय पर स्वीकृति दे दी तो मेरा मत है कि आप उसको पलट नहीं सकेंगे, जो डेमोक्रेटिक नियम हैं, उनसे आप बंधे हैं, लेकिन आप उन पर फिर विचार कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आज ही आप किसी समय कार्य मंत्रणा समिति की इमरजेंट बैठक बुला लें और जितनी गम्भीर समस्या है उसको देखते हुये आज ही शाम को इस पर चर्चा करा लें लेकिन मैं इसके साथ ही साथ अपने साथियों से भी कहना चहता हूं कि अगर कार्य मंत्रणा समिति की संस्तुतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, तो जो इधर के माननीय सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में हैं उन्हें उससे त्याग पत्र दे देना चाहिये, मैं इसकी मांग करता हूं, जो लोक दल के सदस्य कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य थे और जिन्होंने इसकी गम्भीरता को नकार दिया, जिन्होंने बहस कराने पर बल नहीं दिया, टाल दिया, उन्हें कार्य मंत्रणा समिति से हट जाना चाहिये। नहीं तो इसी प्रकार से रोज सदन का समय नष्ट होता रहेगा। आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक को बुलावे और कानपुर के मामले पर बहस करावें और भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई कड़ी लाइन खींचें।

श्री मनोहर लाल---

मान्यवर, सोमवार से अधिक हम रुकने को तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

बात सब आपके सामने आ गयी, आप बैठिये। यह महत्वपूर्ण मामला था। कल भी कार्यमंत्रणा में इसकी चर्चा हुई लेकिन इसका निर्णय न हो सका क्योंकि आज बजट का दिन था और आज के बाद छुट्टी का दिन था तो यह हुआ कि शाम तक लोग बैठेंगे नहीं....
(घोर व्यवधान)

आप हमारी बात तो सुन लीजिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, 80 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय सदस्यों की बातें और आक्रोश को देखते हुये आज ही मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरा आपसे निवेदन है कि आप व्यवस्था देने के पहले मेरी बात सुन लें, मैं पहले से ही खड़ा हो गया हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको नहीं देखा था, इसलिये आप बैठ जांय।

(व्यधान)

मैं उस स्टेज पर हूं कि व्यवस्था दे रहा हूं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। कार्य-मंत्रणा कल बैठी थी।

श्री शारदा प्रताप---

मान्यवर, इन्हें सुन ले, वे पहले से खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल इस बात का है जब मैं एक बार मना कर चुका तो दुबारा दुख होता है बुलाने में। कार्यमंत्रणा की बैठक कल हुई थी मैं आज भी कार्यमंत्रणा की बैठक बुलाये लेता हूं। कार्यमंत्रणा के निर्णय को मैं पलटना नहीं चाहता। उसको आज बुलाये लेता हूं और उसका फैसला जैसे कार्य मंत्रणा कर लेगी, उसको आपके सामने सूचित कर दूंगा। आज कर लें, कल कर लें। आज ही कार्य-मंत्रणा बैठाये लेता हूं।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, कब सूचित कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आज ही सूचित कर दूंगा।

श्री राम सरन---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, तिवारी जी ने जिस लहजे में बात कही है वह ठीक नहीं है। कार्यमंत्रणा में रेवती रमण जी है, मैं भी हूं, रमाशंकर कौशिक है और रामचन्द्र बख्श सिंह भी है और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी है। हम सब लोग कल भी थे और इसके ऊपर कल जोर दिया गया था कि कानपुर की चर्चा ले ली जाय। ये भी गवाह हैं, वे भी गवाह हैं। लेकिन तिवारी जी लोकदल के लोगों से इस्तीफा मांग रहें हैं। तिवारी जी जनता पार्टी के लोगों से इस्तीफा मांगे, हमसे न मांगे इन्होंने आक्षेप हम पर लगाया है कि हम इस्तीफा दें। हम क्यों इस्तीफा दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने कोई आक्षेप नहीं किया, मैंने एक शालीनता की बात किया। जब हमारे दल के लोग उसमें होते हैं तो या तो उस निर्णय को शिरोधार्य करें, नहीं तो हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राम सरन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया शान्ति रखें और बठ जांय। गौरी शंकर भइया जी आप भी बैठ जांय। अब मैं आगे की कार्यवाही शुरू करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं की ग्राह्यता के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम 300 के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्नों की सूचना पर आप बोलें।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं वही बोल रहा हूं। नियम 300 के अन्तर्गत जो नियम 56 है उसमें किस तरह से सूचना ग्राह्य की जाती है और किस तरह विचार के लिये और चर्चा के लिये आप उस पर अनुमति देते हैं उसके संबंध ने आपकी व्यवस्था चाहता हूं और आपका संरक्षण भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, इसी अधिवेशन के प्रथम सोमवार को मैंने एक सूचना दी थी जिसमें पश्चिमी वृक्ष, वन संरक्षण के जो संरक्षक हैं– श्री हेम चन्द जोशी उनकी ट्रेन में मृत्यु हो गई.....

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर किसी घटना की बात नहीं हो रही है।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

यही तो दिक्कत है। नियमों की परेशानी है। नियमों का सहारा लेकर भाषण शुरु कर देते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं उदाहरण देना चाहता हुं। विषय की गंभीरता को देखत हुये मैं यह साबित करना चाहता हूं और यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विषय की गम्भीरता का निर्धारण आप किस तरह से करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है कि चर्चा किस तरह से कराते हैं। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी—

कृपया आप सुनने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है कि हम किस तरह से निर्णय लेते हैं। इस बात पर बहस नहीं हो सकती और न सवाल उठाया जा सकता है।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैं विस्तार से नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात आप कक्ष में कह सकते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, आप स्वयं देखें। इसी सदन में माननीय अध्यक्ष जी न व्यवस्था दी थी कि यह प्रश्न 11 तारीख को लिया जायेगा लेकिन 11 तारीख को भी यह सूचना सदन में विचार के लिये स्वीकार नहीं की गई। मैं आपकी आज्ञा से अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या 18 और 19 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह स्पष्ट लिखा है—

"18-नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त किसी सूचना को अग्राह्य घोषित करते समय अध्यक्ष उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और ऐसी सूचनाओं पर वही प्रक्रिया लागू होगी, जो नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर लागू है।"

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम पढ़ रहे हैं। वह तो पढ़े-पढ़ाये हैं। आप बैठें मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैंने आपका प्रश्न अस्वीकार किया है।

भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा सरकारी आवास आदि की सुविधाओं का उपभोग, वर्तमान मंत्रि-परिषद् में न होने पर भी, किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

एक नियम 300 का प्रश्न माननीय तिवारी जी ने दिया है और वह संविधान या प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत नहीं आता है आपको कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन यह नियम 300 में कैसे आ सकता है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, नियमावली में आप देखें जब संविधान या नियमावली के किसी नियम की किसी घटना से अवहेलना होती है तो वह औचित्य का प्रश्न बनता है। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय नारायन दत्त तिवारी के मंत्रि-मण्डल के सारे सदस्य मौजूदा मंत्रि-मंडल में नहीं हैं लेकिन उनको सारी सुविधायें आज भी मिल रही है जो मंत्री के रूप में उन्हें दिलाई गई थीं।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकिल 195 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें

लिखा हुआ है कि राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें उस राज्य का विधान मन्डल, विधि द्वारा, समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन, और भत्तों के, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो जैसा कि इस संविधान के प्रारूप से ठीक पहले तत्स्थानी प्रान्त की विधान सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हकदार होंगे ।

इसके साथ ही साथ आर्टिकिल 246 सब क्लोज 3 आप देखें । इसमें दिया हुआ है "(3) खण्ड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान मन्डल को सप्तम अनुसूची की सूची 2 में (जो इस संविधान में "राज्य सूची" कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।"

आप मान्यवर, शेड्यूल 7 भी देखें उसमें लिखा है--38-राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और, यदि विधान परिषद् है तो, उसके सभापति और उप-सभापति के वेतन और भत्ते ।

इस संबंध में सारा कानून बनाने का हक केवल विधान सभा को है कि किस मंत्री को कितना मिलेगा ? किस विधायक को कितना मिलेगा ? किस उप मंत्री को कितना मिलेगा ?और किसको क्या सुविधायें मिलेंगी ? यह हम निर्धारित करेंगे जिसके लिये उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सेलरीज एण्ड एलाऊन्सेज एण्ड मिसलेनियस प्रावीजन ऐक्ट 1981 बना हुआ है जिसमें सेक्शन 3 में सेलरी दी हुई है कि क्या मिलेगी और 4 में रेजीडेन्स के बारे में दिया हुआ है । उसी के साथ जो रूल्स बने हैं उसमें "यू0 पी0 मिनिस्टर्स, डिपुटी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज एण्ड लेजिसलेचर आफिसर्स रेजिडेंस रूल 1974 है । इसका आप रुल 3 देखें टर्मस एण्ड कंडीशन्स आफ रेजिडेंस बाई एक्स मिनिस्टर्स दी हुई है--

(1) ए परसन हू ह्वाइल ही होल्ड दि आफिस आफ मिनिस्टर, डिपुटी मिनिस्टर, पार्लियामेन्टरी सेकरेटरी आर ए स्टेट लेजिस्लेचर आफिसर आर ए मेम्बर हैज बीन प्रोवाइडेड विद ऐन आफिसियल रेजीडेन्स में आन हिज सीजिंग टु होल्ड दि आफिस कान्टीनिव टु आकूपाई दि रेजीडेन्स फार ए पोरियड आफ फिफ्टीन डेजविदाउट पेमेन्ट आफ एनी रेन्ट टैक्सेज आर चार्जेज एण्प से बी ऐन आर्डर आफ एलाटमेंट बाई दि राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन बी परमिटेड टु कान्टीनिऊ टु आकूपाई दि रेजीडेन्स, विद आर विदाउट फरनिशिंग फार सच फरदर पीरियड एज में बी स्पेसीफाइड, सब्जेक्ट टु दि प्रोवीजन्स आफ दि यू0 पी0 पब्लिक पेमिसेज (इवेक्शन आफ अनथराइज्ड आकूपेन्ट) ऐक्ट, 1972 आन दि,

श्री उपाध्यक्ष--

हिन्दी कर दीजिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

कोई भी व्यक्ति जिस समय वह मंत्री, उपमंत्री या पार्लियामेंन्ट्री सेक्रेटरी या स्टेट लेजिसलेचर के अधिकारी के पद पर या उसका सदस्य होगा । उसे रहने के लिये रेजिडेंस मिलेगा । जब वह उस पद पर नहीं रह जायेगा, उसके बाद भी व 15 दिन तक बिना पेमेंट के, बिना कोई टैक्स दिये, बिना किसी चार्ज के राज्य संपत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश, शासन, की इजाजत से उसमें रहेगा । इसमें तमाम शर्तें दी हुई है, अन्यथा उस पर पैनल रेंट लगेगा ।

मेरा निवेदन है कि जब यह मंत्री नहीं रह गये और 15 दिन से ज्यादा हो गया, तब मैं आपका ध्यान आर्टिकिल 191 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है, इस सदन का सदस्य नहीं रह सकता है । मेरा निश्चित मत है कि जब मंत्री लोग, जो भूतपूर्व हैं और इस सदन के सदस्य हैं और मंत्री न रहने के बाद और 15 दिन बीत जाने के बात उन सुविधाओं का

उपभोग कर रहे हैं, तब वह अनुच्छेद 191के उल्लंघन के दोषी हैं, और वह सदन के सदस्य नहीं रह गये, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आर्टिकिल 193 उन पर लागू होगी चूंकि उसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो समझता है कि वह अनर्ह हो गया है और बठता है तो उस पर कुछ पेनाल्टी लगायी गयी हैं जैसे कि 500 रुपये प्रति-दिन जुर्माना होगा। उसी आर्टिकिल के तहत, नियमावली की धारा 6 और 7 में, व्यवस्था की गयी है, तो मेरा निवेदन है कि सुविधायें देना न देना और बिना संविधान के सेंक्शन के कोई सुविधा देना वह मुख्य मंत्री के खिलाफ है चूंकि उन्हीं के अन्डर में राज्य संपत्ति विभाग है और वह तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न बनेगा, उसको मैं नहीं यहां नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन जहां तक सवाल है कि बिना मंत्री रहे हुये और बिना स्पेशल आर्डर के, बिना ऐक्ट को एमेन्ड किये हुये जो भूतपूर्व मंत्री आज भी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं तो वह आर्टिकिल 195 का उल्लंघन है।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन के मेम्बर नहीं रहे तो उनके प्रति यह सवाल नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, सदन का मतलब है कि इस सदन ने निर्धारित किया और पब्लिक इक्सचेकर पर हमारा कंट्रोल है। सवाल यह है कि संविधान की शपथ हमने लिया है, उसका पालन हो, उसको देखने का दायित्व हमारा और मंत्रि परिषद का है और आर्टिकिल 195 का उल्लंघन होगा तो आर्टिकिल 191 आयेगा। सबसे ज्यादा आपको देखने का अधिकार है और दायित्व भी और यदि सदस्य अनर्ह हो गयी तो उसकी सदस्यता को आप सीज करने के लिये इस और जानकारी के बाद राज्यपाल महोदय को आपको लिखना चाहिये और तब वह इलेक्शन कमिश्नर को लिखेंगे, तब डीट बेकेन्ट होगी। इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो मंत्रि मंडल में नहीं हैं और जिनको उन आवासों में नहीं रहना चाहिये। किन्तु अभी तक वह उसमें रह रहे हैं, वह श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि मंडल के हो नहीं कालीदास मार्ग पर नं01 से एक, दो, तीन और न जाने कितने मंत्रि मंडल के सदस्य कई मंत्रि मण्डल बीच में निकल गये वह भी सम्मानित व्यक्ति वहां रह रहे हैं। और यह भी सही है कि शोभा नहीं देता, जिसके लिये वह पात्र न हो, वह रहते रहें। हमने अपने स्तर से, मुख्य मंत्री ने, अपने स्तर से और भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने भी कई बार स्मरण कराया कि वह अपनी सुधिवाओं को छोड़ दें, स्वतः छोड़ दें, किन्तु ऐसा नहीं किया, इसलिये कानून के जरिये हमने सभी के खिलाफ वाद चलाया और जो पेनल रेन्ट लगेगा वह लगाया जायेगा, जो हमारा दायित्व है उसको हम निभायेंगे। इस बीच में प्रोपरायटी के आधार पर, प्रोपरायटी यही थी कि उनको नहीं रहना चाहिये था और ऐसा अवसर नहीं आता लेकिन संविधान के अनुसार यह आफिस आफ प्राफिट नहीं है किन्तु रेजीडेन्स आफ प्राफिट जरूर है जो नहीं रहना चाहिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

बहुत सारे लोग रह रहे हैं। भूतपूर्व सदस्यों के बारे में व्यवस्था उठाया लेकिन आप व्यवस्था नहीं दे पायेंगे किन्तु जो आज भी इस सदन के सदस्य हैं उनका ऐसा आचरण नहीं होना चाहिये। जिससे सदन की गरिमा गिरे। इससे पहले कि मैं विशेषाधिकार के रूप में उस प्रश्न को लाऊं, मैं नहीं चाहता कि सदन का समय जाए, मै आप से पुनः निवेदन करूंगा कि आप भीष्म पितामह की तरह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध मूक दर्शक न बनें कि आपके होते संविधान के अनुच्छेद टूटते रहें और हम सब देखते रह जायें। आप इस पर अपनी निश्चित व्यवस्था दें। मैं समझता हूं कि इसको आपको गंभीरता से लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

तिवारी जी ने जो सवाल उठाया जहां तक संविधान का सवाल है, मैं संविधान या नियमावली से उसका कोई वास्ता नहीं समझता, लेकिन एक नैतिकता का प्रश्न है। कोई भी सुविधा जो अपने पद पर रहते हुये ली जाय, मैं समझता हूं उसका नैतिकता से सम्बन्ध है। किन्तु उसका संविधान या नियमावली से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह मौजूदा और भूतपूर्व सबके लिये लागू होता है, नियम सबके लिये एक है।

जो रास्ता 192 में है। आपको चाहिये कि आप राज्यपाल को प्रत्यावेदन दे दें, जिससे कि उनकी अनर्हता पर विचार होने लगे। तो इस बात को नियम 300 के अन्तर्गत उठाने का मैं औचित्य नहीं समझता। इस लिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री उपाध्यक्ष---

सत्यपाल जी, आपने औचित्य का प्रश्न तो ऐसा उठाया कि चेयर पर उठा दिया। चेयर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिये कि चेयर के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस पीठ के बारे में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठ सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ न उठायें.....

श्री सत्यपाल सिह---

मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

यादव जी, आप हमारी बात मान लें, चेयर के बारे में आप कुछ भी न कहें। जब चेयर ही नहीं रहेगी, तो हम कहां? आप कहां और सदन कहां रहेगा और....

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिह---

आप इसको स्पष्ट कर दें, हम औचित्य का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, जो अनिश्चितता सदन और सरकार के बीच में पैदा हो गई है इसको लेकर कि माननीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है....

श्री उपाध्यक्ष---

कोई इस्तीफा नहीं दिया है, वह बाकायदा अपनी जगह पर हैं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

गुप्त जी आपका फिर आयेगा, अभी आप धैर्य रखिये।

पिछले सत्र की कार्यवाहियों के मुद्रण में विलम्ब होने तथा उनके वितरित न किये जाने के संबंध म औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष---

अब सूर्यप्रताप शाही का है, इनका संबंध.....

*श्री सूर्य प्रताप शाही---

मेरा जो औचित्य का प्रश्न है बड़ा ही सामान्य है। जो हमारी नियमावली एवं प्रक्रिया है उसमें नियम 303 का अनुपालन नहीं हो रहा है, जो विधान सभा की कार्यवाही है उसका प्रतिवेदन सचिव महोदय (तीन) महीने के भीतर सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे यह नियम 303 में दिया हुआ है, किन्तु पांच महीने बीत जानें के बाद भी आजतक, पिछले सदन को कार्यवाही हम किसी भी सदस्य को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। हम उस विषय में जानकारी करना चाहते हैं, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और उसे आलोचना और विवेचना की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं और प्रदेश के तथ्यों से अवगत होना चाहते हैं उसके न मिलने से उससे अवगत नहीं हो पा रहे हैं, उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहें हैं। इस तरह हमारा जो प्रतिवेदन पाने का अधिकार है, उससे हम वंचित हो रहे हैं। जब हमने उसका पता लगाया तो पता चला कि उसका मुद्रण ही नहीं हो पा रहा है मैं चाहता हूं कि इस पर आप कोई व्यवस्था करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

संसदीय कार्य मंत्री क्या कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसा हुआ कि पिछले दिनों 34 दिन हाउस चला लेकिन अभी 12 दिन की कार्यवाही छपी है। यह बात सही है।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, 3 महीने के अन्दर कार्यवाही उपलब्ध हो जानी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी बात सही है उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। पिछले सत्र की कार्यवाही 3 महीने के अन्दर छप कर मिल जानी चाहिये। तो कुछ प्रेस की कमी रही है। मैं इस मुद्दे पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें प्रेस को देखें और यह जो कार्यवाही है वह समय से छप जाय ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

क्या मान लिया जाय कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

पूरा सहयोग कर रही है। शतरुद्ध प्रकाश जी प्रेस में क्या गड़बड़ी हुई होगी ? यह न मंत्री जो का पता है न मुझे पता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

शासन द्वारा कागज उपलब्ध न कराये जाने के कारण छपाई न हो सकी।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बात सही है या गलत कुछ नहीं कहा जा सकता। न इसकी जानकारी मुझे है न आपको है। मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है कि कार्यवाही जल्दी छप जाया करे और जैसा कि नियम में है 3 महीने के अन्दर मिल जाया करे

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

श्रीमन्, नियम 303 का हवाला दिया गया है। नियम 303 का उल्लंघन हुआ है और निर्धारित समय के अन्दर कार्यवाही नहीं छपी है जिसके लिये आपने शासन का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन नियम का जो उल्लंघन हुआ है उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था होगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 300 का कैसे उल्लंघन हुआ, इसका अभी तो निर्णय नहीं दिया जा सकता कि इसका उल्लंघन हुआ। यह तो जानने की बात है, यह बाद में पता लगेगा। मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है। यह तो सरकार बतायेगी।

श्री सत्य प्रकाश विकल---

मान्यवर, 34 दिन में केवल 12 दिन की कार्यवाही मुद्रित हुई है। 22 दिन की मुद्रित नहीं हुई है। इस बार की कार्यवाही हमें समय पर मिलेगी या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

विकल जी आप ज्यादा विकल न हों दिक्कत तो हो ही गयी है।

सिंचाई विभाग में इस वर्ष 400 अतिरिक्त नलकूप लगाये जाने के निर्णय का उल्लेख प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों में न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष---

राजेन्द्र गुप्त जी, आपने नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है। आप जरा बता दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वह भारतीय संविधान के 202 से लेकर 207 तक से संबंधित है। इस सदन को एक बजट बनाने का अधिकार है और सरकार के वित्तीय व्यय पर नियंत्रण करने का अधिकार है। सरकार द्वारा इसकी अवहेलना और अवमानना की जा रही है इस बारे में मैं एक बिन्दु रखना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पढ़ें नहीं। हम आपकी बात को आथेंटिक मानते हैं। जो बात आप कहेंगे ठीक कहेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 202 में लिखा है कि यह सदन सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्त विवरण जिसको आय-व्ययक कहते हैं, पारित करेगा। इसमें है कि राज्य की संचित निधि से खर्च होने वाले सभी मामलों का क्रमवार विवरण होगा और भारित व्यय तथा संचित निधियों के बारे में विवरण होगा। 204 में विनियोग विधेयक के बारे में है जिसमें प्रतिबंधित किया है कि जो मदें सेवाओं की पारित की गयी हैं उससे भिन्न कोई खर्च नहीं होगा। हर खर्च जो उसमें है उससे अनधिक माने कम खर्च होगा। 204 में यह भी है कि 205 और 206 में वर्णित उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोई नयी सेवा संचित निधि नहीं की जायगी। 205 तथा 206 में यह है कि कोई ऐसा खर्च जिसकी अपरिहार्य आवश्यकता है तो सरकार उसको 205 और 206 के तहत अनुपूरक अनुदान के रूप में पेश करेगी। मान्यवर, आज अनुपूरक अनुदानों के ऊपर बहस है। हमने इसको आद्योपांत पढ़ा है। इस बीच सरकार ने जो खर्च किया है वह सदन के संज्ञान में आ चुका है। सिंचाई की मद के संबंध में इस सरकार ने इस साल 700 नलकूप लगाने का फैसला किया और वह जिलों में चले गये। वहां पर सिंचाई सलाहकार समिति होती है जिसमें हम विधायक लोग और संसद सदस्य पदेन सदस्य है। उसमें हमने तय किया और वह जिलाधिकारी के पास गया। उसके बाद यह स्थल चयन समिति के पास गया और उसने नलकूपों का स्पाट सेलक्शन किया और अधिकांश काम पूरा हो रहा है। इस बीच में शासन ने आदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 400 नलकूप और लगाये जायेंगे तो मान्यवर, इसमें किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहता कि कार्य सिर्फ इसलिये किया जा रहा है कि उनकी दलीय प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाय। और इसी प्रतिष्ठा को लेकर 400 नल कूपों के बारे में अलग-अलग सांसदों से सेलेक्शन संस्तुतियां लेकर लगाने की बात कही गयी है इसमें मान्यवर, हुआ यह कि विधायकों से गठित सिंचाई सलाहकार समिति की उपेक्षा तो हुयी ही है और साथ ही विधान मण्डल को प्रदत्त वित्तीय नियंत्रक अधिकारों का भी हनन हुआ है।

दूसरी बात मान्यवर, जो बहुत ही महत्व पूर्ण है कि इन 400 नलकूपों के लिये आवश्यक धन राज्य की संचित निधि से लिये गये आकस्मिकता निधि से निकाला जायेगा जिनका अलग से इस बजट में प्राविधान किया जायेगा लेकिन उसका कोई उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, जबकि इनका उल्लेख अनुपूरक अनुदानों पर किया जाना था। जिन पर आज चर्चा है। परन्तु इस अनुपूरक बजट में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इन 400 नलकूपों के लिये जो डेढ़ करोड़ रु0 खर्च होंगे तो इस खर्च की स्वीकृति विधान मण्डल द्वारा होनी चाहिये, वह कब होगी और जब चर्चा नहीं होगी तो इसकी स्वीकृति नहीं होगी। तो मान्यवर, इस प्रकार इस स्वीकृति का न होना संविधान के नियमों की अवहेलना है और नियम विधान सभा में बनते हैं इसलिये विधान सभा की भी अवमानना का प्रश्न है और यही नहीं मान्यवर, चूंकि विधान सभा को वित्तीय मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है, उसकी भी उपेक्षा हुयी है। यह मात्र अपनी दलीय प्रतिष्ठा प्रचार के लिये किया गया है। इसलिये मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि यह डेढ़ करोड़ रु0 कहां से लिया गया या कंटेन्जेंसी से निकाला गया। इस प्रकार मान्यवर, वित्तीय अनियमितताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, जितनी बात इसमें लिखी नहीं गयी है उससे कहीं ज्यादा माननीय गुप्ता जी कह गये हैं। अतिरिक्त नलकूपों के प्राविधान की बात कही गयी और उस सांसदों की संस्तुति को दलीय प्रतिष्ठा के प्रचार की बात कही गयी। ऐसा नहीं है। मान्यवर, आपके अधिकार भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुरक्षित है जहां आपसे प्रत्येक मामले में राय ली जा सकती है, उसी प्रकार वह भी एक जन प्रतिनिधि है, उनकी संस्तुति लेना ऐसी बात नहीं है आप भी जैसे एक जनप्रतिनिधि हैं उसी प्रकार वह भी एक जन प्रतिनिधि हैं हमें उनका भी आदर करना चाहिये। और जहां तक जिले की योजनाओं की बात है उसमें आप भी शामिल हैं और मा0 सांसद भी शामिल हैं और यहीं नहीं कि केवल कांग्रेस के ही मा0 सांसदों से राय ली जा रही है उसमें मा0 सांसद, बागपत भी शामिल हैं और मा0 सांसद एटा भी तो इस प्रकार से कोई कुठाराघात का प्रश्न नहीं बनता है।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

माान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के मन में बहुत भ्रम है। मान्यवर इसमें डेढ़ करोड़ रु0 के खर्च की बात का प्रसंग है, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के जबाव से भिन्न बात है और जहां तक मा0 सांसदों की संस्तुति का प्रश्न है। वह स्वयं टी0आई0ए0 के भी मेम्बर होते हैं, जो उसमें हर प्रकार का प्रस्ताव कर सकते है और सिचाई और सलाहकार समिति के भी मेम्बर हैं, जिन्हें 50-50 ट्यूबवेलों की संस्तुति के अधिकार स्वयं दिये गये हैं। इसके क्या माने हैं, इसका औचित्य क्या है? यह कहां से इसका प्राविधान किया गया है हम आपसे चाहते हैं आप निर्णय दें तो केवल संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही है,उसी पर ध्यान न दें, बल्कि माननीय गुप्ता जी ने जो बात कही है, उस पर भी ध्यान दें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, कोई अलग से नलकूप नहीं दिये गये हैं, जो जिला योजना से स्वीकृत हैं, केवल वही नलकूप हैं, अलग से नलकूप नहीं दिये गये हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कोसही बात मालूम नहीं है या तो वह छिपा रहे हैं। जो हमारे सिचाई विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि उन नलकूपों के लगाने का अधिकार सांसद सदस्यों को दिया गया है। मान्यवर, जो माननीय गुप्ता जी ने सवाल उठाया है वह बिलकुल सही है। इस विधान मण्डल के सदस्यों को ऊपर विचार करने का अधिकार नहीं रह गया है। तो मान्यवर, यह सब बहुत गम्भीर मसला है। आप इस पर विस्तृत चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह चर्चा का सवाल नहीं है। इस वक्त चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

तो इस पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस पर निर्णय बाद में दूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने रूलिंग रिजर्व कर दी। इसमें बहुत समय लग गया।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, नियम 63 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत जो भी विषय आ जाय, उसी को सुनता रहूंगा? नेताओं को सुन लिया। आप बैठें।

(घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने निर्णय अपना सुरक्षित कर दिया, बाद में इस पर मैं निर्णय दूंगा, क्योंकि किसी चीज का अन्त तो कहीं होना चाहिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

हर आदमी को अधिकार है, अपनी बात कहने का, अगर मेरे निर्णय के बाद आप खड़े होंगे, तो मैं कोई समय नहीं दूंगा । अगर एक-एक मिनट सबको दूंगा, तो कितने मिनट हो जायेंगे ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मेरी मान्यवर, एक बात तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अब नहीं सुनूंगा, क्योंकि एक दफा जब हमने अपनी रूलिंग रिजर्व कर दिया, तो अब उस पर नहीं सुनी जायगी ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर मइया--

मान्यवर, पांच ट्यूबवैल का अधिकार एक को दे दिया ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में बताया कि जो आवंटित नलकूप थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक बात सुन लीजिए ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मेरा नियम 63 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विशेषाधिकार लिख कर दे दीजिए ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं संसदीय कार्यमंत्री के खिलाफ गलत बयानी करने तथा सदन को गुमराह करने के लिये विशेषाधिकार की मौखिक सूचना देता हूं बाद में लिखकर दे दूंगा ।

(मेंजों की थपथपाहट)

भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त द्वारा वन टंगिया मजदूरों की समस्या के निदान हेतु दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन न होने तथा मजदूरों की फसलों को जलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने गोरखपुर के मामले को पिछले बजट सत्र में उठाया था । उसमें माननीय तिवारी जी ने कहा था कि बैठक बुलायेंगे सांसदों की वन अधिकारियों की और वन टांगिया मजदूरों की, लेकिन वह सब समाप्त हो गया यह सब शुरू हो गया । इसी बीच में शासन के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने गोरखपुर में 26 दिसम्बर को जो खड़ी फसलें राई, अरहर, गेहूं आदि की थी, उसको पुलिस और पी0ए0सी0को लगाकर जलवा दिया । एक मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया उसके बाद यह घटना हुई । वर्तमान मुख्य मंत्री के चुनाब क्षेत्र में घटना हुई । मान्यवर, एक मामला न्यायालय में लम्बित था ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम 300 में नहीं आता है आप किसी और नियम में ले आइए ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, औचित्य की ग्राह्यता पर निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, आपका औचित्य के प्रश्न में नाम नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति वर्ष 1985-86 का तेइसवां प्रतिवेदन†

श्री गोपालराम दास--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेशविधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1985-86) का तेइसवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

मया ब्लाक, फैजाबाद के महबूबगंज बाजार में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने विषयक श्री फयाराम वर्मा आदि की याचिका

श्री स्वीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में महबूबगंज बाजार में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के विषय श्री फयाराम वर्मा एवं श्री राम कृपाल सिंह, निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वाराहस्ताक्षरित याचिका†† उपस्थित करता हूं।

कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं को लिये जाने की मांग

(मद संख्या-7-पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मद संख्या 6 के बारे में क्या कहना है। पहले 6 को ले लीजिये। इसकी कोई सूचना हो तो बता दें। मान्यवर, तीन दिन से खड़ा हो रहा हूं अगर आज नहीं लेते हैं तो 18 तारीख को जरूर ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आज आपने मुझे कहा था मैंने जानकारी की लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं हो पायी। मुझे तो कुछ पता नहीं था। सोमवार को कुछ न कुछ कार्यवाही होगी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

सोमवार के बजाय मंगलवार कर लें लेकिन बुध न हो जाय। इसको 18 तारीख को जरूर ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

सोमवार को लूंगा।

श्री अशोक बाजपेयी--

विशेषाधिकार की सूचना मैंने दी थी, हमको भी सुनने की कृपा करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

पढ़ कर सुना दीजिये लिस्ट।

श्री उपाध्यक्ष--

लिस्ट मेरे पास नहीं है। सोमवार को बता दूंगा।

दिनांक 24 फरवरी को रविदास जयन्ती के अवसर पर कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा बजट पर सामान्य चर्चा रखे जाने पर आपत्ति

(मद संख्या 7 लिये जाने पर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कार्यमंत्रणा समिति का प्रस्ताव आप करने जा रहे हैं। मैंने कानपुर जिले के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट किया था आपने कहा कार्य मंत्रणा समिति में तत्काल विचार होगा। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि कार्यमंत्रणा समिति का प्रस्ताव अभी प्रस्तुत न किया जाय। मैं कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर पुनर्विचार की प्रार्थना हम कर सकते हैं। मान्यवर, इस प्रस्ताव में 24 तारीख को सामान्य चर्चा लगी है। हम सब जानते हैं कि 24 तारीख को सन्त रविदास की जयन्ती है। हम सब की जिज्ञासा होती है कि हम लोग उनकी जयन्ती में शरीक हों, बहुत जगहों पर हम लोग स्वयं इसका आयोजन करते हैं। 24 तारीख को सदन की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। 24

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तारीख को अवकाश रहना चाहिये ताकि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में सन्त रविदास की जायन्ती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, जो उन्होंने निर्बल वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इसके लिये हम लोग उनकी जयन्ती में शरीक होना चाहते हैं। कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर पुर्न-विचार करने की प्रार्थना करना हमारा संसदीय अधिकार है। मेरा निवेदन है कि 24 तारीख अवकाश रहे।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति की जो रिपोर्ट आयी है, उसमें न संशोधन हुआ न विचार हुआ। आपने अपनी भावना व्यक्त कर दिया। इस प्रस्ताव को उपस्थित करने दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माान्यवर, यह कार्यक्रम सोमवार से लागू होगा। 4 बजे जब आप दुबारा आयें तो नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें। यह हमारा संसदीय अधिकार है, आप कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकते हैं। मैंने अपने संसदीय अधिकार के तहत प्रार्थना की है। माान्यवर, कार्य मंत्रणा की बैठक में विचार करके इस पर फैसला कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्ताव पास हो जाय, उसके बाद जो निर्णय होगा, हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव का सम्मान करता हूं। हमारे ही प्रतिनिधि उसमें हैं, उनकी बात को हम कैसे नहीं मानेंगे। मैंने पुनर्विचार की प्रार्थना की है। सन्त रविदास की जयन्ती पर मैं तो अपेक्षा यह कर रहा था कि सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित करेगी। लेकिन यह सरकार हरिजनों के लिये घड़ियाली आंसू बहाती है, सदन का संचालन का अधिकार हमारा है। मेरी प्रार्थना है कि 24 तारीख को अवकाश रहे।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति अपने निर्णय को बदल सकती है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि नई नई परम्परायें न डाली जायं तो अच्छा है। सभी दल के सम्मानित नेता वहां मौजूद थे, उनकी संस्तुति पर यह सिफारिश आयी है, कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर विचार होगा, बहस होगी यह मान्यवर, उचित नहीं है। वैसे तो आपके निर्देश सर्वोपरि हैं। मेरा निवेदन है कि बार बार इन विन्दुओं को न उठाया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह--

13 फरवरी को बसन्त पंचमी की छुट्टी नहीं घोषित की गई।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर विचार बाद में होगा, आज इसको पास कर दें।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव--

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 फरवरी, 1986 की बैठक में दिनांक 17 फरवरी, 1986 से 24 फरवरी, 1986 तक के सदन के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है:--

फरवरी, 1986

17	सोमवार	(1) असरकारी कार्य (2) भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार एवं उसका पारण--आधा घंटा।
18	मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा---(पहला दिन)।
19	बुद्धवार	वित्तीय वर्ष 1986-87। आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा---(दूसरा दिन) के

20 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा--(तीसरा दिन)
21 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा--(चौथा दिन)।
22 शनिवार 23 रविवार	बैठक नहीं होगी।
24 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा--(अन्तिम दिन)।

संसदीय कार्यराज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणासमिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना मा0 उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

समय 1 बजकर 40 मिनट

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अब प्रश्न रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, इस पर मतदान कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मतदान किस पर होगा? सदन द्वारा अनुज्ञा दे दी गयी है आपको अनुज्ञा देने की घोषणा होने से पहले कहना चाहिये था। अनुज्ञा से पहले यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता था।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे आज नियम 56 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना किसानों को धान की उपज का लागत से भी कम मूल्य मिलने के सम्बन्ध में है जो श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री शतरूद्ध प्रकाश, श्री बाबू राम यादव, श्री जगमोहन सिंह, चौधरी महाराज सिंह एवं श्री गया प्रसाद वर्मा द्वारा दी गयी है।

दूसरी सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की है, जो कि उपरोक्त विषय से ही संबंधित हैं। अगली सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम सरन श्री राम सागर, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री पारस नाथ यादव, श्री दूधनाथ, श्री फरीज महफूज किदवई, श्री दीप चन्द्र सोनकर, श्री लक्ष्मीनारायण, की जौनपुर थाना सुरेरी में श्री रघुनन्दन की हत्या के संबंध में। अगली सूचना श्री राज किशोर सिंह की है कि जो कि उपरोक्त विषय से ही संबंधित हैं। अगली सूचना श्री काशी सिंह ऐरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित की पर्वतीय क्षेत्र में 2500 अध्यापकों और प्राचार्य के पद रिक्त होने के संबंध में है। अगली सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की बन्दी बालगृह फिरोजाबाद आगरा के बालकों को घटिया किस्म का राशन दिये जाने से संबंधित है अगली सूचना श्री सत्य पाल सिंह की

लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंसात्मक वातावरण के संबंध में है। अगली सूचना श्री यदुनाथ सिंह की प्रदेश भर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उर्वरकों पर छूट समाप्त किये जाने के संबंध में है। अगली सूचना श्री सरदार सिंह, श्री जगबीर सिंह, श्री कृपाल सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री मुस्तमंद अली खां की मथुरा एवं अलीगढ़ में सरकारी देयों की वसूली में सख्ती के संबंध में है। अगली सूचना श्री राजेन्द्र गुप्त की प्रदेश में अश्लील पोस्टरों के बारे में है। अगली सूचना श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा की यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल बांदा में भ्रष्टाचार के बारे में है। अगली सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की वाराणसी में दो-दो युवतियों का अपहरण के संबंध में है। अगली सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की बस्ती जिले में सरयू नहर के निर्माण में किसानों की भूमि को लिये जाने के संबंध में है। अगली सूचना श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, बंगाली सिंह, श्री बदन सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री किशन लाल दिलेर की सिकन्दराऊ, अलीगढ़ में कत्ल एवं डकैतियों के संबंध में अगली सूचना श्री औसान सिंह, श्री धनराज यादव, श्री किशन लाल दिलेर की जगदीश प्रसाद गुप्ता, चकबन्दी कर्त्ता, इटावा द्वारा 24-2-86 को आत्मदाह की नोटिस के संबंध में है। अगली सूचना श्री फजलुल बारी की प्रदेश बन्द के आवाहन के संबंध में है। पहली सूचना जो किसानों को धान की उपज का लागत से भी मूल्य मिलने के संबंध में श्री कशलेश पाठक व अन्य की है, उसमें मैं श्री कमलेश कुमार पाठक को बुला रहा हूं, वे अपनी बात संक्षेप में कहेंगे।

(श्री कमलेश कुमार पाठक के खड़े होने पर)

श्री बीरेन्द्र सिंह--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं अपने जनपद से सम्बन्धित एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पिछले तीन दिन से लगातार देने का प्रयास कर रहा हूं। जब इस सूचना को मैं नियम 56 के अन्तर्गत देता हूं, तो कहा जाता है कि इसे नियम 51 के अन्तर्गत दें। फिर कहा जाता है कि इसे नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायें। नियम 301 के अन्तर्गत देता हूं तो इसे अस्वीकृत किया जाता है। कुछ माननीय सदस्यों से जब मैंने इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि आप हाजिरी नहीं लगाते हैं, चेम्बर में नहीं जाते हैं, इसलिये आपकी सूचना स्वीकार नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें। इस पर कोई व्यवस्था की बात नहीं है। माननीय कमलेश कुमार पाठक आप अपनी बात कहें।

*श्री कमलेश कुमार पाठक--

मान्यवर, आज प्रदेश की 82 प्रतिशत जनता किसी न किसी रूप में खेती पर निर्भर करती है और वर्तमान सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज सारे प्रदेश के किसान भुखमरी के कगार पर आ गया है। सरकार ने घोषणा की कि 142 रु0 प्रति क्विन्टल के हिसाब से किसान का धान क्रय केन्द्रों पर खरीदा जायेगा लेकिन मान्यवर, सरकार के इस फर्जी और नकली घोषणा के बाद सारे प्रदेश में किसानों का धान क्रय केन्द्रों पर नहीं खरीदा गया। जिन छुट-पुट सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसान का धान खरीदा गया है, उनको आज तक पेमेण्ट नहीं किया गया है इसलिये मान्यवर, धान की खरीद को लेकर किसान के सामने आज दो समस्यायें पैदा हो गई हैं। एक तरफ तो सरकार धान नहीं खरीद रही है और उनका धान खुले बाजार में 100 रुपए से लेकर 110 रुपए तक बिक रहा है। दूसरी तरफ, कुछ जिलों में जहां पर क्रय किया गया है, वहां पर किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। जिससे सारे प्रदेश के किसानों में असंतोष व्याप्त है। किसी भी समय यह असन्तोष विस्फोटक का रूप धारण कर सकती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय कृषि मन्त्री जी के बार-बार घोषणा के बाद भी सरकारी केन्द्रों पर धान नहीं खरीदा गया। आज किसानों का धान मिट्टी के मोल सारे प्रदेश में बिक रहा है। आज किसान आर्थिक रूप से भारी संकट में पड़ा हुआ है। इसलिये मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए, आज आप सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(चौधरी महराज सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप बैठिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, इस विषय पर आप पहले अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस पर व्यवस्था बाद में दूंगा।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जो विषय हमने लिखकर दिया है, वह बहुत ही अविम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है। और इस प्रश्न से पूरे प्रदेश के किसानों का जन-जीवन आधारित है। धान की खेती 80 प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। और धान ही किसानों की जीविका का प्रमुख अंग है। किसान विरोधी सरकार का जो आचरण है, आज से ही नहीं कई विगतवर्षों से, किसान को चाहे वह रबी की फसल में गेहूं हो और खरीफ में धान हो, सरकार द्वारा घोषित रिपोर्ट प्राइज उसे नहीं मिल पाया है। उसमें हमेशा व्यापक घोटाला हुआ है। आज सारा सदन उससे अवगत ह कि इस घोटाले से किसान एक दम जर्र-जर्र और टूट गया है। पूरे प्रदेश में हर अंचलमें धान के क्रय केन्द्रों पर बहुत बड़ाभ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण किसान को 100 रुपए से 110 रुपए तक भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, आप सरकार का रिकार्ड मंगवा लें तो आप पायेंगे कि जो बिचौलिये थे उनके नाम से बियरर चेक दिये गये हैं। किसानों के नाम चेक नहीं दिया गया। सब एक साथ बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस, पचास-पचास किसानों के चेक विचौलियों ने लिये हैं। सरकार ने बिचौलियों की मदद की है। किसान अपने ट्रैक्टर, ट्राली पर धान लेकर आये तो उन्होंने कह दिया कि बोरा नहीं है। वे उसको वापस नहीं ले जा सकते थे, इस लिये उन्होंने मजबूर होकर बिचौलियोंको 90 रु0 100 रु0 और 110 रु0 में अपना धान बेच दिया। जो इन्होंने मूल्य घोषित किया था वह भी किसानों को नहीं दिलवा पाये। यह सरकार किसान विरोधी है।

क्रय केन्द्र खोले जाते हैं हर स्थान पर पूरे प्रदेश में किसानों के लिये जहां वह आसानी से अपना धान ले जा सकें। इसमें भी इन्होंने मनमानी की। जहां इनका मन हुआ वहां क्रय-केन्द्र खोलदिया, जहां इन्होंने देखा कि विरोधी पार्टी के एम0एल0ए0 का इलाका है, वहां पर क्रय केन्द्र नहीं खोला, वहां पर मनमानी की। इससे उस क्षेत्र के किसान अपना धान क्रय केन्द्र पर नहीं बेच पाये।

सरकार ने जहां इनको यह अनुमान हो जाता है कि अगले वर्ष कितना धान पैदा होगा उसी के अनुसार इनको अपना केन्द्र खोलना चाहिये था। इनको पहलेसे खोलना चाहिये था, लेकिन इन्होंने खोला तब जब अधिकांश किसानों का धान बिचौलियों ने खरीद लिया। यह सरकार ऐसे काम करती है जिससे बिचौलियों को फायदा हो, आम किसानोंको छोटे किसानों को फायदा न हो पाये। मेरी मांग है कि इसनिश्चित विषय पर चर्चा करा दें, दो घण्टे की चर्चा करा दें, जिससे पूरे प्रदेश के किसानोंका मसला हम सामने रख सकें। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, यह बात उजागर हो जाय।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

दो माननीयसदस्यों ने इस विषयपर अपने विचार रखे हैं। किसान हितैषी सरकार ने आपके प्रदेश में 784 क्रय केन्द्र खोले हैं, जहां पर निर्धारित मूल्य 142 से 150 रु0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के आधार पर धान को क्रय करना सुनिश्चित किया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अगर यह केन्द्र न खोले गये होते तो 92 हजार मीट्रिक टन धान जो खरीदा गया है यह न खरीदा जा सका होता। यह इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार किसान हितैषी है। इसके अलावा प्राइवेट लोगों द्वारा 21 लाख टन धान खरीदा गया है। विगत वर्षों में 40 हजार टन से ज्यादा खरीदारी नहीं है, जब कि इस बार 92 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया। किसान उसी दल से सम्बन्धित हैं, जो दल उनके हित में लगा हुआ है।

(कई सदस्यों के लगातार खड़े रहने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें। अभी मैंने निर्णय नहीं दिया है, उनकी बात सुन रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

आप लोग बैठ जायें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह तो खुले आम पूरे प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं मा0 संसदीय कार्य मन्त्री। आप भी चेयर पर बैठे हैं, इसलिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी भी केन्द्र पर कोई खरीद नहीं हुई है। कागज पर फर्जी दस्तखत बनाकर अपनी पार्टी के विधायकों का धान खरीद लिया हो, तो खरीद लिया हो, आम जनता का कोई धान नहीं खरीदा गया।

95 रु0 से लेकर 110 रुपए से ज्यादा छोटे किसान का गरीब किसान का धान कहीं नहीं खरीदा गया है। जब धान गरीब किसान के घर से निकला है तो थोड़ा बहुत कहीं खरीदा गया होगा नहीं तो कहीं उसका धान क्रय केन्द्रों पर नहीं खरीदा गया है। आज प्रश्नों के समय संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि क्रय केन्द्रों पर गड़बड़ी हुई है, उसके बाद भी वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह सरकार गलत काम करने वालों को संरक्षण दे रही है। मैं चाहता हूं कि तत्काल इसविषय पर चर्चा करा दीजिये। इससे पता चलजायेगा कि संसदीय कार्य मंत्री यहां गलत तथ्यों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, यह मेरा आरोप है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य सदस्यों ने जो बात कही है उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मैं एक बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कितने लोग जानते हैं कि किसान का हित करने वाली किसानों का हित चाहने वाली सरकार है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथ्यों को नकार रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री यहां पर विराजमान थे वह जानते हैं वे इस बात को नकार दें कि बुनियाद हुसैन के सामने उन्होंने सीतापुर की मण्डी में कहा और उन्हें खुद पता है कि 100 रु0 पर धान खरीदा जा रहा है। अगर वे इसको गलत कह दें तो मैं इस सदन की सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। मान्यवर, मैंने बहुत बड़ी चुनौती दे दी है उसके बाद भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां सदन को गुमराह कर रहे हैं उसके बाद कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। वह कहते हैं कि खरीदा गया और हम कहते हैं कि नहीं खरीदा गया। वह कहते हैं कि पूरे दाम पर क्रय किया गया और हम कहते हैं कि पूरे दामों पर नहीं क्रय किया गया मैंने उनके सामने शर्त के साथ आपनी बात को रख दिया है। संसदीय पद्धति का प्रयोग करना हमारा अस्त्र है,जो केवल यही हमारे पास है। मैं पुनः अपनी बात पर बल देता हूं और चाहता हूं कि आप कृपा करके इस महत्वपूर्ण विषय को जो कि पूरे प्रदेश के काश्तकारों से संबंधित है और जिनका शोषण हुआ है इसके लिये जितनी भी कहा जाय कम है। आप इस विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

मान्यवर, आप कल ही की तरह नियमों की व्यवस्था दें। एक तो मैं संसदीय कार्य मंत्री को चुनौती देता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कटेहरी बाजार में हमेशा केन्द्र खुलता था। फैजाबाद जनपद के जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं उनमें यदि दम हो तो कह दें कि अबकी भी वहां क्रय केन्द्र खोला गया था अबकी वहां पर क्रय केन्द्र नहीं खोला गया। माननीय नेता विरोधी दल ने बात कही है मैं उनके प्रस्ताव पर बल देता हूं, और मैं इस पर भी बल देता हूं कि आप नियमों को निलम्बित करके कार्यस्थगन के इस प्रस्ताव पर चर्चा करा दीजिये।

श्री राम नरेश--

मान्यवर, यह सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है। प्रदेश में कहीं भी, किसी भी जिले में जो क्रय करने की व्यवस्था थी, वह काम नहीं कर रही है, इसलिये किसान मजबूर हुआ है अपने धान को गलत तरीके से बेचने के लिये और इस सारी प्रक्रिया का फायदा बिचौलियों ने उठाया है। यह किसानों से सम्बन्धित मामला है और प्रदेश का यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिये इस पर आप चर्चा कराने की अपनी व्यवस्था दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी गम्भीरता का पता तो लग गया और सभी नेता इस पर बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 57 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस विषय पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

मैं प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, एक घंटे के स्थान पर 2 घंटे कर दें।

श्री बेनी प्रसाद शर्मा--

मान्यवर, एक घंटे के बजाय दो घंटे कर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको एक घंटे के स्थान पर दो घंटे करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, इसको अभी अभी करावें।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मैंने चर्चा स्वीकार कर ली, तो वह अभी कैसे हो सकती है। माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने चर्चा की मांग की, मैंने चर्चा दो घंटे की स्वीकार कर ली। आपके कथनानुसार स्वीकार कर ली तो अब कोई बात बाकी नहीं रह गयी।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 57 की ओर दिलाना चाहता हूं। कार्य स्थगन के प्रस्ताव की सारी बातें पूरी हो गयी हैं। मान्यवर, इधर के सारे के सारे सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो गये हैं, तो आपको इस पर अपनी अनुज्ञा देनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि आप सदन को स्थगित करके, इस पर चर्चा करायें इसकी सभी शर्तें पूरी हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली है। अब कैसे होगा।

(कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े रहे।)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आप नियम 60 को देखें, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि अध्यक्ष इस विचार के हों कि प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है और नियम 57 के अन्तर्गत वे अपनी सम्मति दें तो वे सम्बद्ध सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थान पर खड़े होकर सदन के स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी सहमति हो तब। पर मेरी सहमति कहां है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

सहमति मांगने का काम हम लोग कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सहमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, नियम 60 में यह भी है कि यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि तदनुसार कम से कम तात्कालिक सदन के कुल सदस्यों के द्वादशांश सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा प्रदान की गयी। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित कर देंगे कि उन्हें सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है । मान्यवर, पूरे-पूरे 1/12 सदस्य खड़े हो गये हैं, अब आपके लिये अनुज्ञा प्रदान करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है । आप नियमावली के अनुसार सदन को स्थगित करने की अनुज्ञा माने । यह सरकार यहां पर नहीं बैठ पायेगी। मान्यवर, आप सरकार के पक्ष में जाने का प्रयास न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो अपना निर्णय दे चुका हूं ।

आप लोग बैठें । मैं खड़ा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो विषय था उसकी गम्भीरता को देखते हुए सभी नेता बोले और नेता विरोधी दल बोले तो उसके बाद मैंने निर्णय ले लिया कि 2 घंटे की चर्चा की जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने निर्णय ले लिया कि 2 घंटे की चर्चा की जाय ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव----

मान्यवर, यह किसान विरोधी सरकार है यह किसानों को लूटने वाली सरकार है। इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये) (कुंवर रेवती रमण सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त----

मान्यवर, मैं आप से प्रार्थना कर रहा था व्यवस्था पर विचार करें । सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया गया । इसलिये सरकार की किसान विरोधी नीति के विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का बर्हिगमन करता हूं । (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मित्रसेन----

मान्यवर, कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर आपने नियमों को निलम्बित करके आपने चर्चा की अनुमति नहीं दी । किसानों के साथ जो लूट हुई है मैं उसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मित्रसेन भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री राम नरेश ने भी सदन का त्याग किया)

श्री राज किशोर सिंह---

किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं । (श्री राज किशोर सिंह भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री फजलुलबारी---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपने रूलिंग नियम 56 के अन्तर्गत

दी है। अब नियम 60(2) में जो निहित है उसके अन्तर्गत हम रूलिंग चाहते हैं।

नियम 60(2) के तहत आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं उसमें यह लिखा है, आपकी रूलिंग पर हम कोई बहस नहीं करते हैं। नियमावली के नियम 60 (2) के तहत हम आपकी रूलिंग चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस सदन में यह परिपाटी रही है कि सरकार के किसी कार्यकलाप से या किसी वक्तव्य से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्य वाकआउट कर जाते हैं लेकिन अध्यक्ष पीठ द्वारा दी गयी व्यवस्था पर वाक-आउट करना अध्यक्ष पीठ का अपमान है। मैं आपसे इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

हम सुन नहीं पाये।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें माननीय सदस्यों का यह व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, हम लोगों ने जो वाक आउट किया था वह सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ वाक आउट किया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हम लोगों ने सरकार की किसान विरोधी नीति की निन्दा करते हुये वाक आउट किया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

बरार साहब ने जो प्रश्न उपस्थित किया है कि इनका वाक आउट करना निन्दनीय है।

(मेजों की थपथपाहट)

वाक आउट करना इनके अधिकार में है, कोई निन्दनीय कार्य नहीं किया है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री पारसनाथ यादव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैंने आपसे व्यवस्था चाही थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उस पर व्यवस्था दे चुका हूं।

थाना सुरेरी, जौनपुर में श्री सुखनन्दन की हत्या की सूचना की ग्राह्यता के संबंध में सदन का ध्यानाकर्षण

*श्री पारस नाथ यादव--

मैं आपका ध्यान जिला जौनपुर के थाना-सुरेरी के ग्राम सुरेरी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर प्रधान और सरकारी कर्मचारियों की साजिश से एक कान्ड हुआ। वहां पर पुलिस ने दिनांक 18-12-85 को एक ग्रामीण की गोली से हत्या कर दी और ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा में एक थानाध्यक्ष की हत्या की। मान्यवर, यह घटना वहां के प्रधान की ज्यादती से हुई थी। पूरा गांव प्रधान के खिलाफ हो गया था और 16-10-85 को गांव वालों ने मिलकर पोतन सिंह प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया था। मान्यवर वह प्रधान जो था वह पुलिस का दलाल था। पुलिस गांव वालों को नाना प्रकार से प्रताड़ित करती थी। थाने के लोग गांव में आकर उनको मारते-पीटते थे और अत्याचार इतना फैल गया था जिससे पूरे गांव में आतंक का वातावरण फैल गया था। इसी प्रस्ताव के पास होने पर प्रधान अपदस्त हो गये। लेकिन श्री पोतन सिंह थाना अध्यक्ष से मिल कर तथा पसा लेकर बलिराम पटेल तथा उसके समर्थकों को तरह-तरह से उत्पीड़ित करते रहे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पट्टे की आड़ लेकर जो जमीन सन् 76 में बुद्ध पटेल को पटटे पर दी गई थी पोतन सिंह ने दिनांक 16-12-85 को उक्त जमीन का कब्जा रघुनाथ को दिलाने के लिये परगना अधिकारी मड़ियाहूं से आदेश करा लिया और 17-12-85 को थानाध्यक्ष सुरेरी को लेकर उक्त जमीन पर नांद, चन्दी और मड़हे को हटाकर श्री रघुनाथ को कब्जा दिला दिया। लेकिन पुलिस के चले जाने के बाद बुद्ध ने उक्त जमीन पर पुन: कब्जा कर लिया।

दिनांक 18-12-85 को श्री रघुनाथ ने इसकी शिकायत थानाध्यक्ष सुरेरी से की। इससे थानाध्यक्ष अपने पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंचे और विवादित भूमि पर मड़हे वगैरह में आग लगा दी। अपने मकान पर बलिराम पटेल ग्राम पचायत अधिकारी से मिल कर राशन कार्ड बनवा रहे थे और गांव के बहुत से लोग इकट्ठे थे। थानाध्यक्ष ने वहां पहुंचकर उनको गाली दी और उन्हें मारने पीटने लगे। यह घटना सुनकर बलिराम पटेल के चाचा श्री सुखनन्दन मौके पर आ गये और थानाध्यक्ष को न मारने पीटने के लिये आरजू बिन्ती करने लगे....।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, मैं ग्राहयता पर ही आ रहा हूं। इसी बीच सुखनन्दन के बगल में खड़े एक सिपाही ने गोली चला दी जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस बात को देखते हुये तथा गांव वालों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुये थानाध्यक्ष को घेर लिया और उसकी भी हत्या कर दी। उसके बाद पूरे गांव में 6 प्लाटून पी0 ए0 सी0 लगा दी गई और सैकड़ों की संख्या में फोर्स लगा दी। मान्यवर, आज वह गांव मानव विहीन हो गया है। आज भी वहां पर 6 प्लाटून फोर्स लगी हुई है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल भी वहां मौके पर गये। पुलिस ने बलिराम पटेल की कुर्की कर दी और पूरा घर लूट लिया।

इसलिये मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप दो घंटे की चर्चा करा दें।

श्री राम सरन--

मान्यवर, यह इतनी दर्दनाक घटना है जिसकी कोई मिसाल नहीं है इस तरह से पुलिस की मिली भगत से सुखनन्दन मारा गया है जिसकी वजह से यह वाकया हुआ है वहां पर पुलिस ने आतंक का वातावरण पैदा कर रखा है, लोग पुलिस के आतंक से भयभीत हैं और उनकी सुरक्षा नहीं है। पुलिस वाले घर-घर जाकर गरीबों को और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। आज भी वहां इस तरह की हालत है कि लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, पुलिस के डर से जनता त्राहि त्राहि कर रही है इसलिये इस पर चर्चा करा दें।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, 18 दिसम्बर की यह घटना है। जौनपुर में सुरेरी एक बहुत बड़ा गांव है। 23 ता0 को मैं वहां पहुंच गया था मैंने देखा कि गांव में एक आदमी भी नहीं है चारों तरफ पुलिस का कैम्प लगा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कब की घटना है? तारीख बता दें।

श्री राज किशोर सिंह--

18 दिसम्बर, 1985 की सुबह की घटना है। अमरनाथ भारती दरोगा भूतपूर्व प्रधान बलराम पटेल के घर पहुंचे उसके साथ सशस्त्र कांस्टेबिल थे। उसके बाद पटेल को घसीट कर पुलिस वालों ने मारना शुरू किया। उसके साथ ग्राम विकास अधिकारी भी था उसको भी मारा। उस पर गांव के तमाम लोग वहां पहुंच गये और पटेल के चाचा सुखनन्दन भी वहां पहुंच

गये इतने में पुलिस ने गोली चला दी जिससे वहीं पर सुखनन्दन की मृत्यु हो गयी। इस पर गांव के तमाम लोग इकट्टे हुए तो क्रुद्ध भीड़ ने दरोगा पर हमला कर दिया उससे दरोगा की मृत्यु हो गयी। इसके बाद पुलिस ने जो अत्याचार किये वह पुलिस अत्याचारों की कहानी में बेमिसाल है। सारे गांव को लूट लिया गया और लाखों की संपत्ति लूट ली। जो विवादित भूमि है वह 2 कि0 मी0 दूर बुद्धू के घर पर है। पोतन सिंह जबरदस्ती पुलिस की मदद से प्रधान हो गया था। आज तक सुखनन्दन की मृत्यु के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और न कोई मुकदमा कायम किया गया है। सारी कार्यवाही एक तरफ हो रही है। वहां की धान की फसल नष्ट कर दिया गया जिसे पानी में फेंक दिया पम्पिंग सैटों की मशीनों को तोड़ दिया गया है लोगों की लाखों की संपत्ति और आभूषण लूट लिये गये।

श्री उपाध्यक्ष---

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राज किशोर सिंह---

श्री राम नगीना यादव वहां गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें ग्राह्यता क्या है वह बतायें।

श्री राज किशोर सिंह---

इस घटना से लोगों में आतंक मचा हुआ है, लोगों की लाखों की संपत्ति लूट गयी है करैला नामक मुसलमान के घर को लूट लिया। इस पर चर्चा होनी चाहिये अतः सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर) केवल ग्राह्यता पर बोलिये।

*श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोलूंगा। यह बनारस कमिश्नरी का मामला है जिसमें जनपद जौनपुर की यह वारदात है वहां के एक ग्राम सुरेरी में यह घटना 18 दिसम्बर, 1985 को हुई। लेकिन यह सिर्फ एक आदमी से संबंधित बात नहीं है, जौनपुर में ही नहीं, उस घटना के बाद जौनपुर से सटे गाजीपुर, मिर्जापुर जितने जनपद हैं वहां उस कांड की पुनरावृत्ति की आशंका बनी हुई है। चूंकि वहां सुखनन्दन का झगड़ा हुआ, अमर नाथ भारतीय मृत पाये गये हैं, जहां मतभेद था, उससे एक किलोमीटर दूर था।

आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पुलिस दो आदमियों के आपसी विवाद में एक पक्ष बनकर दूसरे पक्ष पर अन्याय करेगी? यदि ऐसा होगा तो बड़े पैमाने पर जनअसंतोष फैलेगा जैसा जौनपुर में हुआ। जब पुलिस ने एक पक्ष को लेकर अत्याचार और जुल्म करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने अपने बचाव के लिये जो करना था वह किया है और उसके बाद पुलिस ने दुर्भावना से ग्रसित होकर वहां आतंक की स्थिति पैदा किया जिससे बहुत से लोग गांव छोड़कर भाग गये हैं और हालत यह है कि इस मामले पर प्रदेश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था विधान सभा में साफ-साफ बात नहीं होगी दोषी पुलिस कर्मचारी जो हैं उनको दंड नहीं दिया जायेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायेगी तो परिणामस्वरूप जनमानस में असंतोष बढ़ेगा और ग्राह्यता की जितनी शर्तें हैं वह इस घटना से पूरी होती हैं इसलिये यह बात बहुत बड़े पमाने पर न फैले और पूरे प्रदेश में जन असंतोष न हो जाये, इसलिये दो घंटे की इस मसले पर आप चर्चा करायें।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, श्री राज किशोर अभी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 18 दिसम्बर की यह घटना है किन्तु आज भी वहां आतंक का वातावरण बना हुआ है। पुलिस ने वहां खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जुतवा दिया। सुखनन्दन की तरफ से रिपोर्ट नहीं लिखी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी है और जो पुलिस के लोग कातिल हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी इसलिये यह मामला लोक महत्व का है, इसलिये आप इस पर चर्चा करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर विचार करेंगे।

*श्री काशी सिंह ऐरी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक ऐसा विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिसको लेकर पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 5-6 आंदोलन हो चुके हैं और आज फिर टेहरी गढ़वाल में आन्दोलन शुरू हुआ है जो बन अधिनियम और विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर पट्टी ग्यारह गांव एवं हिन्डाव की 16 महिलाओं सहित 120 सत्याग्रही गिरफ्तार किये जा चुके हैं और आन्दोलन जारी है और 6 फरवरी से माध्यमिक शिक्षकों ने पौड़ी में अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है और उनका कार्यक्रम कुमायूं मंडल के मुख्यालय नैनीताय में 18 तारीख से है। मान्यवर, पर्वतीच क्षेत्र में इस प्रकार कम से कम दो हजार से ऊपर अध्यापक विद्यालयों में नहीं हैं और प्रिंसिपल नहीं हैं और वह भी ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उनका होना नितान्त आवश्यक होता है। पिछले 3 सालों से पर्वतीय क्षेत्र के लाखों छात्र जो बिना टीचर्स के पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है....

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो तत्काल घटित घटना के बारे में है। यह तो शास्वत प्रक्रिया है। अब आप बैठिये। आपने विचार प्रकट कर दिये हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी--

आप मुझे सुन लें, सुन तो लीजिए, पर्वतीय क्षेत्र में पिछले तीन साल से करीब ढ़ाई हजार अध्यापक स्कूलों में नहीं हैं। इससे लाखों छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है और छात्र आन्दोलित हैं और उनका सरकार तथा शिक्षा विभाग से विश्वास उठता जा रहा है।

(व्यवधान)

यह सरकार की अकर्मण्यता है।

(व्यवधान)

जब भी मैं प्रश्न उठाता हूं, आप सुनते नहीं है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र के अभिभावक..

(व्यवधान)

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे पूरी तरह सुन लें।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं मौके पर गया था और मुझे आपके माध्यम से निवेदन करना है कि यह सरकार अपराधों पर रोक लगाने की रोज घोषणा करती है, अपराधियों को जबतक सजा नहीं मिलेगी, अपराध कम नहीं होंगे। यह जो सुरेरी काण्ड है, मैं मौके पर गया था, मैं जिला प्रशासन को दोषी मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो हो गया है, अब आप बैठिये...

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

अभी नहीं हुआ है। आपने कह दिया बैठ जाइये, व्यवस्था का सवाल है तो मैं बैठ गया था।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर तो बात हो गई है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय सदस्य ने उधर से व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, आपने कहा कि व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का सवाल है तो मुझे मैं व्यवस्था ही समझ से।

बिठाल दिया था। रहा था दोनों तरफ

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं तीसरा ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव---

सुरेरी काण्ड पर चल रहा था और मैं बैठ गया था।

श्री उपाध्यक्ष---

उसके बाद तो दो सौ हो गये हैं। अब आप बैठ जाइये, मैं इस पर निर्णय अभी दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव---

इसमें भी क्या मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी। मेरे ही बोलने पर क्या सिफारिश करनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर मैं सुन रहा था मैं सबको सुनकर एक साथ 5 मिनट में अभी निर्णय दे रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव---

तो मुझको बोलने का मौका नहीं मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

किसको अधिकार है कि आपको बोलने का मौका न मिले।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

राजकीय अनुमोदित विद्यालय, फिरोजाबाद बालबन्दी गृह में 100 लड़के बन्दी बनाए हुए हैं, उनके खाने के लिए जो गेहूं दिया जा रहा है जो आटा पिसने के लिए गया था 14/12 को उसका सैम्पुल मैंने अधीक्षक के सामने लिया है। इसमें तमाम कटा व घुना हुआ गेहूं मिला हुआ है कंकड़ पत्थर मिला हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में जितने भी बाल बन्दीगृह हैं जिनमें बालकों के जनजीवन का सवाल है वहां के अधीक्षक के नियंत्रण से बाहर एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के जरिये लड़कों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। इसकी जांच होनी आवश्यक है। यह वे लड़के हैं जो बिना मां-बाप के हैं और लाचार हो गये थे उनको इसमें रखकर सुधारने की व्यवस्था की गई है। इसमें लड़कों के खाने के ऊपर लाखों रुपया व्यय होता है। आप ऐसे गम्भीर सवाल पर जांच कराइये। मैं आपके सामने सड़ा-गला गेहूं जो वहां से लाया हूं पेश करता हूं (व्यवधान)। वहां के लड़कों को ओढ़ने के लिए बिस्तर दिया जाता है वह कहां से आया। जो पहनने की वर्दी दी जाती है उसके फर्जी बाउचर्स आ गये हैं। सब गोल-माल किया गया है। उनकी आंखों में रतौंधी है फोड़े हो रहे हैं किसी की दवा का प्रबन्धन हीं है ऐसे गम्भीर भ्रष्टाचार के ममले में पकड़ के लिए व्यवस्था में आमूल जूल परिवर्तन करने के लिए यह लोक महत्व का सवाल है। मैं उस पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष जी, जो यह सुरेरी कांड हुआ है यह उत्तर प्रदेश का शर्मनाक कांड है।

मान्यवर, यह प्रक्रिया है कि नेता विरोधी दल यदि खड़े हों तो उनको बोलने का मौका देना चाहिये। आप उनको बोलने के लिये मौका दें यह मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष---

नेता विरोधी दल को हमेशा मौका मिलता है। इसमें कहां कहने की बात है। नेता विरोधी दल बोलना चाहते हैं तो बोलें उनको रोकने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है।

(माइक के खराब होने पर)

एक सदस्य---

आवाज नहीं आ रही है। माइक फ्यूज हो गया है।

श्री राम सरन---

अरे भाई सरदार जी आप क्या कर रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं सुरेरी गांव में गया था। मैं बोलना चाहता था लेकिन आपके यह पूछने पर कि घटना कब हुई है इसलिये मुझे चिंता हुई। सुरेरी गांव के एक तिहाई लोग आज तक भागे हुए हैं। लोकतन्त्र में क्या पुलिस अधिकारियों के कानून दूसरा और जनता के लिये कानून दूसरा है यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुखनंदन पटेल की हत्या वहां के दरोगा ने उनके घर पर जाकर की। वहां के जिला प्रशासन की साजिश है मेरा आरोप है कि यह जानबूझ कर किया गया है। एक पट्टा हो गया था उसका मुकदमा था और मुकदमे का फैसला नहीं हुआ था और पट्टा कर दिया गया और एक एस0 डी0 एम0 ने अधिकार के लिये पुलिस को भेज दिया। तो उसमें पूरे का पूरा जिला प्रशासन, एस0 एस0 पी0 जौनपुर, डी0 एम0, एस0 डी0 एम0, डी0वाई0एस0पी0, दरोगा, इन पांचों ने मिलकर इतना बड़ा कांड किया है। सुखनंदन पटेल की हत्या हुई और इसी के साथ साथ थानेदार की हत्या हो गयी। जनता ने अपनी सुरक्षा में यह हत्या की है और दरोगा ने विवादित भूमि से 2 कि0मी0 दूर जाकर हत्या की है। वहां पर पुलिस का आज तक ऐसा भय और आतंक है जैसा अंग्रेजी जमाने में विदेशी भी नहीं कर सकते थे। मैंने मौके पर जाकर देखा है। मेरे भाषण से वहां की स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अखबारों से और रेडियो से वहां की स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वहां की पुलिस ने ट्रैक्टर लेकर पूरी फसल नष्ट कर दी। सामान को कुएं में फेंक दिया और इंजन भी डाल दिया। दो मुसलमानों के घरों से ढाई लाख रुपये लूटे गये हैं और पूरे गांव से 15 लाख रुपयेकी लूट हुई है। लेकिन आजतक पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लोग गांव छोड़कर भागे हैं। वहां पर आतंक है। इसलिये इस पर मैं चर्चा की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात मैंने सुन लिया। आप चर्चा की मांगकर रहे हैं तो इस पर तो निर्णय मैं बाद में लूंगा यह तो मेरा काम है आपने अपनी बात कह दी।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं लोक महत्व के अपने प्रश्न पर केवल दो मिनट में अपनी बात को कहूंगा। मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय की आज स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो गयी है,मैं कल वहां गया भी था। वहां पर जो छात्र अध्यक्ष हैं और उनकी जो यूनियन है वह अपनी कुछ मांगों को लेकर एक जुलूस निकाला और अधिकारियों से मिलना चाहते थे, परन्तु किसी अधिकारी ने उनसे मिलना पसंद नहीं किया, नतीजे में फिर विद्यार्थियों ने तोड़-फोड़ की कार्यवाही की इसके जवाब में मान्यवर, उन छात्रों की खूब पिटाई हुई और जो छात्र इस कार्यवाही को देखकर इधर-उधर भागे, तो उनके भी चोटें आयीं तो मान्यवर, इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में काफी आतंक छाया हुआ है तथा छात्र व छात्राएं अपने-अपने बोर्डिंग से दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरे मान्यवर, कानपुर में जो घटना हो गयी। एक छात्र की हत्या भी कर दी गयी। इस प्रकार मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा आतंक व्याप्त है और किसी भी समय वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसका प्रभाव मान्यवर, प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों पर भी पड़ेगा और उनकी परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ेगा और मान्यवर, वैसे भी इनकी परीक्षाएं प्रतिवर्ष समय से हटती चली जा रही हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर एक घन्टे को चर्चा हो जाए ताकि जो गूंगी बहरी सरकार है, उसकी आंखें खुल जाएं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, यह फरवरी का एसेम्बली सेशन बड़ा ही शर्मनाक है। आपने लघु सीमांत की बातें कहीं। सीमान्त की परिभाषा क्या है। आज हर जगह मान्यवर, और हर दिमाग में ह्यूमीलेशन फैला हुआ है। मान्यवर, खाद को लेकर आज हमारे प्रदेश का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान परेशान है यह सरकार कभी कहती कि हम है यूरिया देंगे और कभी अखबारों में निकालती है कि खाद की कमी है, नहीं दी जायेगी। दोहरे वायदे करने वाली सरकार कभी गलत आदेश देती है और कभी सही आदेश देती है इस प्रकार के कामों से क्या यह सरकार चलने के लायक है, इसलिये मैं चाहता हूं कि किसानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। उधर के कुछ लोग मा0 राजीव गांधी के कथन का बहुत यकीन करते हैं और उनके 20 सूत्रीय कार्यक्रमों, जिसमें कहा गया है कि देश और प्रदेश उन्नति के लिए हर तरह से किसानों के प्रोत्साहन के लिये कटिबद्ध हैं, यह यकीन करते हैं, लेकिन सारे कार्यआज हो रहे हैं इसके विपरीत तो मान्यवर, आज इस पर जरूर चर्चा करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसके बाद सर्वश्री सरदार सिह, जगबीर सिह,कुशलपाल सिह,लक्ष्मी नारायण, सुरेश प्रताप सिह गांधी आदि की मथुरा एवं अलीगढ़ में सरकारी देयों की वसूली पर सख्ती का मामला है। लेकिन कल ही एक प्रस्ताव में यह तय हुआ है कि जिन मा0 सदस्यों के दो विषयों पर हस्ताक्षर होंगे, तो वह सूचना निरस्त हो जायेगी।

श्री सरदार सिह--

मान्यवर, लक्ष्मी नारायण दो हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो ठीक है कि लक्ष्मी नारायण दूसरे हैं और तीसरे भी हो सकते हैं परन्तु इस सूचना पर सुरेश प्रताप सिह गांधी के भी हस्ताक्षरहैं और इसकी एक सूचना।4 नं0पर भी है, सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ में कत्ल एवं डकैती के संबंध में। इसलिए यह प्रश्न सुना ही नहीं जा सकता है और14 नम्बर भी नहीं सुना जा सकता है। और इसी प्रकार 15 नं0 पर सर्वश्री औसान सिह, घनराज यादव तथा श्री किशन लाल दिलेर का मामला है वह भी नहीं सुना जा सकता क्योंकि श्री किशन लाल दिलेर जी के नं0 14 पर भी हस्ताक्षर हैं। जो मा0 सदस्य डबल-डबल हस्ताक्षर करते हैं जो जिस पर ऐसी बात होगी उनकी सूचना पर सुनी जायेगी।

श्री औसान सिह--

मान्यवर, किशन लाल एक दूसरे मा0 सदस्य हैं, इस लिए हमारी सूचना को सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं मैं जानता हूं कि श्री किशन लाल दिलेर इस सदन में एक ही मा0 सदस्य हैं।

किशनलाल दिलेर जी के दो पर दस्तखत हैं, इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। मान्यबर, दीवारों पर अश्लील पोस्टरों को चिपकाया गया है, जो ब्लू फिल्म्स आ रही है, उससे हमारी जो किशोर और नयी जनरेशन है, उस पर बुरा असर पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर आ रहा हूं। मान्यवर, यह जो पोस्टर्स चिपकाये गये हैं, इसका जनरेशन पर असर पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो रोज पोस्टर्स लगते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसका बड़ा असर पड़ रहा है जनरेशन पर।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

ये पोस्टर्स तो बहुत पहले से लगे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रदेश की महिलाओं का शिष्ट मंडल माननीय मुख्य मंत्री से मिल चुका है।

(व्यवधान)

अगर इन पोस्टरों को लगाने के खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही नहीं की गयी, तो आंदोलन होगा, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री से महिलाओं का शिष्ट मण्डल मिल चुका है। यह पोस्टर लगाना दण्डनीय अपराध है।कम से कम आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि इस तरह के घृणित कार्य करने वालों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करे।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

एक है माननीय सुरेन्द्रपाल वर्मा जी की सूचना, यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल, बांदा में भ्रष्टाचार के संबंध में।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा -

मान्यवर आधा मिनट सुन लें। यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल बांदा में वहां के मजदूरों पर भीषण अत्याचार हो रहा है उनका शोषण किया जा रहा है। मान्यवर, 9 जनवरी 1986 को 70 मजदूरों को बी0 पाली में फाटक बन्द करके रोका गया जिससे वहां के मजदूरों में भी भीषण आक्रोश व्याप्त है। इन मजदूरों ने इस दिन गेट के सामने अपनी सभा किया और आक्रोश व्यक्त किया। मान्यवर, वहां के संयुक्त निदेशक का रवैया बड़ा ही तानाशाही का है। मजदूरों से निर्धारित वेतन पर दस्तखत करा कर, उनको कम वेतन दिया जाता है। मान्यवर, वहां के संयुक्त निदेशक अपने गुण्डों के द्वारा वहां के मजदूरों को पिटवाते हैं। इसकी बिजिलेन्स से जांच कराई जाय और सभी कार्य रोक कर सदन में इसकी मान्यवर, चर्चा करायें।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह ऐसी घटना है जो बलात्कार से संबंधित है। इसको सदन में न उठायें।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर यह कानून-व्यवस्था से संबंधित है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। ऐसे मामलों की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री सूर्य प्रसाद शाही--

मान्यवर यह नियमों में कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है कि इस तरह घटनाओं को नहीं उठाया जा सकता है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायगा। मैं मना कर रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

कोई चीज नहीं लिखी जायगी।

श्री हरीश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं नियम 56 के अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपके संज्ञान में लाकर चाहूंगा कि आज की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें। मान्यवर, नहरों की खुदाई के बारे में मैं कहना चाहता हूं। बिना सोचे विचारे किसी भी एरिया में नहर खोदी न जाये उससे बस्ती जिले में भारी संकट उत्पन्न हो गया है। सारी जनता में आक्रोश है। मान्यवर, बस्ती जिले में सरजू नहर खोदी जा रही है जो डुमरियागंज बांसी तहसीलों से होकर जा रही है। छोटे-छोटे किसानों की जमीनें उसमें जा रही हैं। मान्यवर, जहां नहर खोदी जा रही है वहां का जल स्तर ऊंचा है और जमीन नीची है। इसी तरह से शारदा सहायक नहर में हजारों-हजारों एकड़ जमीन नष्ट हो गई है। उर्वरकता समाप्त हो गई है। मान्यवर, आपको भी जानकारी है शारदा सहायक की विनाशलीला की। बांसी, डुमरियागंज में धरती के नीचे का पानी बहुत ऊपर है यदि नहर खोदी जायगी तो जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जायगी

जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी । मैं चाहूंगा कि नहर का खोदना रोका जाए और इस विषय पर चर्चा कराई जाये । मान्यवर, सरकार ट्यूबवेल लगा रही है उससे सिंचाई का कार्य पूरा हो जायगा । नहर की कोई आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, इस पर आप चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जौनपुर का जो मामला है उस विषय पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं । श्री रघुवर दयाल वर्मा जी के मामले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । कार्य-स्थगन के रूप में सबको अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, मैंने एक कार्यस्थगन दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह रिजेक्ट हो गया है ।

श्री फजलुल बारी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

(श्री फजलुल बारी के सदन के फ्लोर पर आने पर) ।

श्री उपाध्यक्ष ---

कृपया आप अपने स्थान पर वापस जायें । यह आचरण ठीक नहीं है ।

(श्री फजलुल बारी वापस अपने स्थान पर चले गये)

(घोर व्यवधान)

श्री औसान सिंह---

[* * * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें कुछ लिखा नहीं जायगा ।

श्री औसान सिंह---

[* * * *]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ लिखा नहीं जाएगा, मैंने कह दिया है ।

(व्यवधान)

औसान सिंह जी, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

इतने पुराने विधायक हैं आपके इस प्रकार के आचरण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ।

(श्री औसान सिंह के बोलते रहने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ लिखा नहीं जायगा । आप बोलते रहिये ।

श्री औसान सिंह---

[* * * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कोई मर्यादा रहने देंगे या नहीं । इतने पुराने विधायक है । सदन की एक मर्यादा है । पब्लिक ने आपको यहां भेजा है कि आप अपनी बात कहें और दूसरे की सुनें, आलोचना करें, लेकिन इस तरह से नहीं । यह आचरण ठीक नहीं है ।

श्री औसान सिंह---

[* * * *]

श्री फजलुल बारी---

मान्यवर, मैंने कार्यस्थगन के प्रस्ताव की नोटिस दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपने प्रस्ताव पर कहें, मैंने अभी खत्म नहीं किया ।

श्री फजलुल बारी---

आपने दूसरी फाइल उठा लिया, तो मैंने समझा कि आपने समाप्त कर दिया, इसलिये

नोट--- (****) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैं अन्दर आ गया, नहीं तो मैं अन्दर आने वाला नहीं था । मैं माफी चाहता हूं, इस गलती के लिये आज पूरे प्रदेश में एक वर्ग विशेष . .

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कल निर्णय दे दिया है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री फजलुल बारी--

नियमों में प्राविधान है, प्रेस को हटा दें, दर्शक गैलरी को खाली करादें . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने देश और प्रदेश के हित में फैसला किया है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(श्री फजलुल बारी सदन के फ्लोर पर आ कर बोलने लगे)

श्री फजलुल बारी--

आप प्रेस को हटा दें, विजिटर्स गैलरी को खाली करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने आसन पर जायें ।

(श्री फजलुल बारी अपने स्थान पर वापस गये)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं एक वर्ग के लिये इजाजत नहीं दूंगा । यह हाउस किसी एक कौम, एक जाति, एक बिरादरी के लिये नहीं है । यह पूरे प्रदेश का हाउस है । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । जो आचरण आप कर रहे हैं, यह शोभनीय नहीं है ।

श्री फजलुल बारी--

मैं मजबूरन आया ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो बात वहां से कहने की है वहां से कहें ।

श्री फजलुल बारी--

देखिये मेरा कहना यह है कि यह मसला हाउस में उठना चाहिये यह हाउस बना ही इसीलिये है । अगर आप चाहते हैं कि वातावरण खराब न हो तो नियमों में प्राविधान हैं कि प्रेस गैलरी को खाली करा दें, दर्शक दीर्घा को खाली करा दें । सदन के अन्दर पूरे प्रदेश के माननीय सदस्य आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

बारी साहब मैं एक बात कह चुका हूं और जिस चीज पर निर्णय दिया जा चुका हो, उस पर दोबारा चर्चा करने की बात नहीं होती ।

(व्यवधान)

(श्री फजलुल बारी सदन त्याग कर चले गये)

1985-86 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा

*श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, इस अनुपूरक बजट के बारे में मुझे अपनी शुरुआत में इतना ही कहना है कि यह एक ऐंतिहासिक अनुपूरक बजट है । आज 1986-87 का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जायगा और उसी दिन 1985-86 का अनुपूरक बजट भी पास करना है । मान्यवर, अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में जो वित्तीय अनुशासन है, वह यह है कि कोई ऐसी बात पड़ जाये, कोई विशेष परिस्थिति हो तो उस समय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना चाहिये। लेकिन ऐसा लगता है कि इस सरकार की आदत सी पड़ गयी है वित्तीय अनुशासन को तोड़ने की और आज 5 अरब 13 करोड़ 64 लाख 13 हजार रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया है । जिसमें 2 अरब 88 करोड़, 64 लाख 74 हजार रुपया का आयोजनागत एवं 2 अरब, 24 करोड़, 99 लाख, 39 हजार का आयोजनेतर बजट है । हालांकि 1985-86 में इसी सरकार ने फायदे का बजट प्रस्तुत किया था तो उसके बाद अनुपूरक बजट पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । जो वित्तीय जानकार हैं वे इसे फायदे का बजट नहीं मानते, लेकिन दिखाया गया कि 1985-86 का बजट फायदे का बजट है । यदि ऋणात्मक शुरूआत को देख लिया जाय तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

178.60 रुपये घाटे का वह बजट था और उस बजट को पूरा करने के लिये यह अनुपूरक बजट पेश किया गया है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आंकड़ों के जरिये भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिये। वित्तीय वास्तविकता को आंकड़ों के जरिये भी स्वीकिया जाना चाहिये। लेकिन ऐतिहासिक कार्य करने की आदत इस सरकार को ऐसी पड़ गयी है जिसका (इस समय 3 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए) कोई जवाब नहीं है। वित्तीय संदर्भ में हालांकि मैं समझता हूं कि यह पहला मौका है कि जिस दिन बजट पेश हो रहा है, उसी दिन अनुपूरक बजट भी पास किया जायगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मेरी जानकारी के आधार पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि हुआ भी हो तो मैं समझता हूं कि यह परम्परा को आगे बढ़ाने के लिये नहीं है। हालांकि वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ही ऐतिहासिक संदर्भ में है। वे ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसका वर्णन करना कठिन है।

इस बार लखनऊ में ऐसी ऐतिहासिक बाढ़ आयी जैसी बाढ़ आज तक कभी नहीं आयी, जिसमें एक मुख्य मंत्री बह गया और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने लखनऊ की बाढ़ को देखते समय फर्माइश कर दी कि सूबे का नक्शा पेश किया जाय और नारायण दत्त तिवारी जी लखनऊ में गोमती के किनारे लखनऊ का नक्शा पेश न कर सके। हमारे यहां एक कहावत, कहानी प्रचलित है कि जब बच्चा जिद करता है कि चांद देखेंगे और चांद को लेंगे तो उसके मां बाप एक थाल में पानी भर कर उसको चांद दिखा देते हैं। तो मान्यवर, श्री नारायण दत्त तिवारी जी हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के सामने लखनऊ का नक्शा पेश नहीं कर पाये सचिवालय में कहीं और होते, तो पेश कर दिया जाता। प्रधानमंत्री की नाबालिग जिद को उस समय मुख्य मंत्री पूरा नहीं कर पाये। उसके बाद वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री बन गये। मैं कहना चाहता हूं कि आपका नक्शा तब ही बरकरार रहेगा, जब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जब भी सूबे में आये तो आप की अपनी जेब में मुहल्लों से लेकर शहर और सूबे का नक्शा रहे, नक्शा नहीं रहेगा तो नक्शा भी चला जायेगा।

मान्यवर, कल जाहिदी साहब फरमा रहे थे कि इस सरकार ने विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है जितने भी मण्डलों के आयुक्त हैं, उनको ज्यादा अधिकार देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को तेज किया है क्या विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया आई0ए0एस0 अफसरों के अधिकारों और शक्तियों के बंटवारे तक ही सीमित है? सचिवालय के आई0ए0एस0 के अधिकार मण्डल के कमिश्नरों को दे दिये जायें और मण्डलों के कमिश्नर की शक्ति बढ़ा दी जाय, विकेन्द्रीकरण की यह कल्पना न कभी महात्मा गांधी ने की थी और न चौखम्भा राज्य के जनक डा0 राम मनोहर लोहिया ने की थी। विकेन्द्रीकरण की इस परिभाषा के पीछे जो मूल समाजवाद का नजरिया शामिल है या विदेश से कोई खिड़की खुल गई है वहां से इसकी परिभाषा या निर्वचन सामने आ गया है। आई0ए0एस0 की शक्तियों के आधार पर कार्य विभाजन करना किसी भी मामले में विकन्द्रीकरण नहीं हो सकता है।

मान्यवर, आयुक्तों को पहले से ही राजस्व के सम्बन्ध में कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, और मायने में सरकार द्वारा शक्तियां देकर अफसरों के सामने समर्पण करना है, विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना नहीं है। विकेन्द्रीकरण के बार में जब यह बात उठती है तो मुख्य मंत्री जी जिनकी क्षमता अद्भुत है और 56 विभाग अपने पास रखे हैं, कम से कम सूबे में 56 जिले हैं 56 जिलों की एक-एक जिले की रिपोर्ट भी माननीय मुख्य मंत्री जी रोज नहीं देख पाते होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसे योग्य लोग नहीं हैं जिनको लेकर कार्य का बंटवारा किया जाये? क्या विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया मंत्रिमण्डल के स्तर पर नहीं होनी चाहिये? या फिर जो इनके दल के लोग हैं उन पर मुख्य मंत्री जी का विश्वास नहीं है, जिनको लेकर मंत्रिपरिषद् की कार्य शक्ति दी जा सके। मुख्यमंत्री जी द्वारा 56 विभाग अपने पास रखने का मतलब है कि विकन्द्रीकरण की यह प्रक्रिया आग नहीं बढ़ सकती है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की अद्भुत क्षमता के बारे में कुछ नहीं कहूंगा । उन्होंने अद्भुत काम कर दिया, मैं भी उनका कायल हो गया । मान्यवर, बोट क्लब के मैदान में एक सभा में अक्तूबर में इन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री को भूतपूर्व प्रधान मंत्री कह दिया

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, किस आधार पर माननीय सदस्य उस तथ्य को ला रहे हैं । मैं समझता हूं कि जो तथ्य इनके आधारहीन हैं, उसको सदन की कार्यवाही में नहीं आना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जब मोटर का असली टायर मौजूद है, तो स्टेपनी को नहीं बोलना चाहिये । लेकिन, यह कुछ यहां पर परम्परा चल गयी है कि स्टेपनी जरूर बोलती है ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने शपथ लेने के बाद यह आदेश जारी कर दिये कि इस सचिवालय के दरवाजे बन्द कर दिये जायें और दरवाजे बन्द करने के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी मालूम होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षइनके सरकारी कर्मचारी नहीं है बल्कि विधायिका की अपनी गरिमा हुआ करती है मान्यवर, जो मुख्यमंत्री विधायिका की गरिमा का पालन नहीं कर सकता है और सचिवालय के कर्मचारी की तरह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मानने लग जाता है तो वह किस प्रकार से इस प्रदेश की गरिमा रख सकता है । लेकिन, आप महामान्य वीर बहादुर सिंह जी । वीर भी हैं बहादुर भी हैं श्री वीर बहादुर सिंह महामानव हैं । उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष के लिये भी दरवाजे बन्द कर दिये और यहां तक कि एक दिन स्वास्थ्य मंत्री भी उस चक्र में फंस गये । इस समय 1985-86 का अनुपूरक अनुदान यहां पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वित्तीय अनुशासन की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं रह गई है । वित्तीय अनुशासन का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है । किस कार्य पर साढ़े पांच अरब रुपया व्यय किया गया है, उस पर साफ तौर से कोई विवेक का आधार नहीं बताया गया है ।

मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि किसी भी जनपद में 60 नलकूप नहीं लगाये गये हैं, लेकिन इस अनुपूरक अनुदान की पुस्तक के पृष्ठ 193 पर आप देखें, इसमें लिखा है कि सुलतानपुर जनपद में 60 राजकीय नलकूप लगाये गये। यह सुलतानपुर शायद प्रधान मंत्री का जिला है, जिसमें अमेठी भी आता है । उनको खुश करने के लिये, एक व्यक्ति प्रधान मंत्री को खुश करने के लिए वहां पर 60 नलकूप लगाये गये हैं । वही दूसरी ओर 1985-86 में बनारस में केवल 4 नलकूप लगाये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से गैर बराबरी का व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? यदि इसी प्रकार से आर्थिक और क्षेत्रीय असंतुलन किया जायगा तो प्रदेश की एकता को किसी तरह से भी नहीं बाधा जा सकता है । यदि वित्तीय अनुशासन बनाये रखना है तो प्रदेश में आर्थिक और क्षेत्रीय संतुलन भी बनाना होगा । यह नहीं हो सकता है कि किसी जनपद में 60 नलकूप दिये जायं और कहीं 4 या 5 नलकूप दिये जायं । यदि ऐसा किया जायगा तो समाजवाद का जो आपका रास्ता है, वह प्रशस्त नहीं होगा ।

रायबरेली के फुरसतगंज में राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के लिये 30 लाख रुपये खर्च किये गये और एक हेलीकाप्टर की डिलीवरी के लिए यात्रा-भत्ते में 80 हजार रुपये खर्च किये गये । इस प्रकार के खर्चों का प्राविधान इस अनुपूरक अनुदान में किया गया है । कोई भी समझदार व्यक्ति वित्तीय अनुशासन को भली-भांति समझ सकता है । यह एक फिजूल खर्ची है, जिसके लिये इनके पास कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रोकथाम नहीं है। आफीसर्स के मन में जो आता है, वे एक बजट बनाकर यहां पर पेश कर देते हैं। अब आप मान्यवर, पृष्ठ 39 को देखें। 19 नवम्बर को 29 लाख रुपये श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिवस पर खर्च किये गये, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हम इज्जत करते हैं। उन्होंने देश की आजादी देने के लिये कुर्बानियां की हैं। लेकिन कहना चाहता हूं कि अकेले कांग्रेस के लोगों ने देश को आजादी नहीं दिलवाई है। उसी दिन बनारस और इलाहाबाद में एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी। दुकानें बन्द करके उन्होंने जनतंत्र के प्रति अपनी अभिव्यक्ति की थी।

मान्यवर, बिजली के मामले को आप देख लें। ओबरा में 1983 में आग लगी थी। शायद उर्जा मंत्री भी यहां पर बैठे होंगे, उनके छोटे ऊर्जा राज्य मंत्रीजी यहां पर बैठे होंगे। कहा जा रहा है कि बिजली काफी पैदा की जा रही है। नेता विरोधी दल ने कहा कि 35 प्रतिशत इनका पी0 एल0 एफ0 है। मंत्री जी कहते हैं कि 41 प्रतिशत पी0 एल0 एफ0 है, इनका चेयरमैन कहता है कि 40 प्रतिशत पी0 एल0 एफ0 है। आखिर मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के जाल के भ्रम में पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। ओबरा में आप देख लें, केवल एक बार 43 प्रतिशत और 45 प्रतिशत के बीच में प्लाण्ट लोड फैक्टर गया था। इसके अलावा आज तक कोई ऐसा महीना नहीं गया है जिसमें 40 प्रतिशत से ज्यादा प्लाण्ट लोड फैक्टर गया हो। उत्तर प्रदेश में 33 प्रतिशत प्लाण्ड लोड फैक्टर की बात राज्यपाल स्वयं अपने अभिभाषण में स्वीकार करते हैं। लेकिन श्री वीर बहादुर सिंह जी जब योजना आयोग के समक्ष श्री ब्रह्म दत्त जी के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे तो इन्होंने 35 प्रतिशत कहा है। सिंगरौली तापगृह केन्द्र सरकार का है वहां 37 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर है, जब कि प्राइवेट में 90 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर है। आप उत्तर प्रदेश में 35 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर करने के बाद उत्तर प्रदेश की प्रगति की बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 41 प्रतिशत नहीं तो 53 प्रतिशत जनवरी, फरवरी, मार्च में कर देंगे।

अगर उत्तर प्रदेश में बिजली के मामले में गम्भीरता से काम नहीं किया गया तो मार्च, अप्रैल के बाद पूरा उत्तर प्रदेश अन्धकार में डूब जायगा और सभी चीजों के साथ-साथ पेयजल का भी संकट उत्पन्न हो जायगा। खालीभ्रमित करने वाले आंकड़े देकर उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं किया जा सकता पृष्ठ 18 पर कहा गया है कि जो आग लगी है उसकी क्षतिपूर्ति के लिये 23 करोड़ रु0 की आवश्यकता है। ताप विद्युत गृह पुनर्स्थापन और नवीनीकरण के लिये भारत सरकार से ऋण की स्वीकृति हो गयी है। उपलब्ध बचतों से भी 7 करोड़ रु0 व्यवस्था करने की बात की है, किन बचतों से यह 7 करोड़ रु0 की व्यवस्था करेंगे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आज 3 साल हो गये हैं, साफ तौर ओबरा को 3 साल से चला नहीं पाये हैं। ऋण के बाद भी उस पैसे का सही उपयोग नहीं कर पाये हैं।

इसके अलावा किसी भी प्रकाशन को पैसा दे देंगे। किसी भी प्रकाशन से कोई भी साहित्य खरीद लेंगे पृष्ठ 149 पर दिया हुआ है कि मेसर्स शकुन प्रकाशन से 23 लाख 6 हजार रु0 का साहित्य खरीदा गया यह नहीं बताया है कि यह क्या साहित्य था ? यह कम्प्यूटर या नई टेक्नालाजी का साहित्य था या अपनी तस्वीर छपवाने के लिये साहित्य खरीदा गया था।

खेलकूद के अन्तर्गत पृष्ठ 201 पर फिजूल खर्ची की बात कहना चाहता हूं। भारत और न्यूजीलैण्ड के बीच दूसरा टेस्ट मैच औरतों का हुआ, उसके लिये 1 लाख 50 हजार रु0 का खर्चा किया है। एक टेस्ट मैच, वह भी आदमियों का नहीं औरतों का, यह दो दिन या पांच दिन का हुआ होगा। एक टेस्ट मैच को कराने में डेढ़-दो लाख रु0 खर्च हो जाय, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। सरकार लखनऊ में मैच कराने के लिये डेढ़ लाख रु0 खर्च करती है, लेकिन इसके पास नलकूप लगाने के लिये पैसा नहीं है, गरीबों को बांटने के लिये पैसा नहीं है, बेरोजगारी दूर करने के लिये पैसा नहीं है,

लेकिन पांच दिन के एक टेस्ट मैच के लिये डेढ़ लाख रु0 खर्च करने के लिये पैसा है ।

इसी प्रकार पृष्ठ 196 पर देखें....

(घोर व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह स्पष्ट कर दें कि बाहनों पर खर्च हुए पैसे पर आपको बहुत एतराज है, तो क्या आप महिला विरोधी है? (हंसी)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

हम जिसे दीदी कहते हैं, दीदी ही मानते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

20 मिनट हो चुके है, आप 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं 10 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं केवल 5 मिनट में ।

श्री शतरुद्र प्रकाश-

नेशनल मीडिया सेन्टर, नई दिल्ली में एक वर्कशाप आयोजित की गयी, पता नहीं है कि किस बात के लिये वह वर्कशाप थी, लेकिन उस पर 50 हजार रु0 व्यय कर दिया गया है ।

पृष्ठ 31 पर आप देखिये कि सहकारी चीनी मिलों को 3 करोड़ रु0 दिया गया और उ0 प्र0 राज्य चीनी मिलों को दो करोड़ और चार करोड़ रु0 दिया गया है । इस तरह से करीब 8 या 9 करोड़ रुपये हो गये । यह इसलिये दिया गया कि पैसा देने के बाद गुड़ और खाण्डसारी पर रोक लगा दी गयी ताकि गन्ना किसान अपना गन्ना मिल मालिकों को बेंच दें । इस तरह से इस सरकार ने गन्ना किसानों के हित पर लात मार कर पूंजी पति मिल मालिकों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है और मिल मालिकों की सम्पत्ति को बढ़ाया है इस प्रकार का कोई दूसरा उदाहरण आपको, देखने को नही मिल सकता है ।

पृष्ठ 48 में आप देखिये कि 3 लाख रुपया मिशिनरीज आफ चैरिटी संस्था, लखनऊ को भूमि क्रय करने हेतु दिया गया है । अभी यहां पोप जान पाल आये थे आपने उनको खुश करने के लिये मिशिनरियों को यह रुपया दे दिये, जमीन को खरीदने के लिये । यह सरकार ईसाई धर्म फैलाने वाली संस्था को 3 लाख रुपये देती है, इस तरह से सरकार की तरफ से साम्प्रदायिक संस्था को पैसा दिया गया है । इस तरह से इस सूबे में साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलेगा, साम्प्रदायिकता बढ़ेगी और राष्ट्रीयता नहीं चल पायेगी ।

दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां की गयीं । एक करोड़ रुपया प्रदर्शनियों के लिये अग्रिम प्रतिभूति के लिये दिया गया । इसके अलावा मेला लगाने के लिये, नुमाइश करने के लिये 7 करोड़, 85 लाख, 50 हजार रु0 खर्च कर दिया गया और इसके करने से सरकार को क्या हासिल हुआ, यह नहीं मालूम है ।

इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने अनुपूरक बजट को प्रस्तुत किया है जबकी इसके प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । जितनी भी वित्तीय गरिमा होती है, सबका उल्लंघन कर दिया गया है ।आज ही थोड़ी देर में 1986-87 का बजट प्रस्तुत किया जायगा । मैं सदन से दरखास्त करूंगा कि पैसे का खर्चा आर्थिक और क्षेत्रीय संचालन में मुख्य रूप से किया जाना चाहिये और यह जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि सारा सदन इसका विरोध करेगा और इसे पारित नहीं करेगा ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं अनुपूरक मांगों की चर्चा में हिस्सा लेने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, कोई अच्छी सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुपूरक बजट की मांग नहीं करती है । जो सरकार अपने ऊपर वित्तीय अनुशासन नहीं रख सकती है, वही अनुपूरक मांग को रखती है ।

मान्यवर, अनुपूरक मांग के संबंध में, जब देश और प्रदेश की प्रगति की बात हो तब तो कोई बात समझ में आती है लेकिन जैसा कि अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि अनुपूरक मांग का बजट अनाप-शनाप खर्चा करने के लिये, गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिये, वित्तीय अनुशासन पर नियंत्रण न रखने के लिये हो, तो यह बात शोचनीय है । मैं सबसे पहले सचिवालय प्रशासन की तरफ इस सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जो विवेकाधीन कोष है, उसमें सबसे पहले इन्होंने रुपया रख लिया । इन्होंने अपने विवेकाधीन कोष के लिये 20 लाख रु0 की मांग की है । यह पैसा रखा गया है कार्यकर्त्ताओं को ठीक करने के लिये, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये, अपने गुट को मजबूत करने के लिये, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । सभी जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष से किसको क्या देते हैं ? लेकिन इन्होंने उसके नाम पर अपने पास 20 लाख रुपये पहले ही रख लिया है । 100 रुपये और दो सौ रुपये से ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन सबसे पहले 20 लाख रुपये अपने लिये ले लिया । जब भी कोई मुख्य मंत्री होता है, तो वह अपने कार्यालय की साज-सज्जा के लिये अलग से अनुदान ले लेता है और खर्चा करता है । माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के लिये 4 लाख 67 हजार रुपया स्वीकार किया गया है । जब राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां पर मुख्य मंत्री थे और श्रीपति मिश्र जब मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने अपने कार्यालय की साज-सज्जा के लिये रुपया लिया, नारायण दत्त तिवारी जी ने लिया या नहीं इसकी जानकारी मुझको नहीं है । मान्यवर, एक तरफ गांव का गरीब आदमी है और दूसरी तरफ इतनी फिजूल खर्ची की जा रही है । यह कलंक की बात है । मान्यवर, मंडलों के विकास निगम अस्त-व्यस्त पड़े हुए हैं, वह 20 लाख 30 लाख से ज्यादा मांगते नहीं परन्तु उनको रुपया नहीं उपलब्ध हो पाता है ।

मान्यवर, गोरखपुर मण्डल विकास की बात करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि रमुवापुर खांडसारी मिल 1980 से 3 लाख रुपया मांग रही है, लेकिन उसको आपने नहीं दिया । आप वहो के निवासी हैं और मुझे तो ऐसा लगता था कि आप गोरखपुर मन्डल के लिये अधिक रुपया ले जायेंगे । मैंने ऐसा असंतुलन नहीं देखा, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, सुल्तानपुर जिला इनके लिये एक देवालय को तरह है । अगर किसी मंदिर का एक कंगूरा टूट जाता है तो एक व्यक्ति बना देता है और जब दूसरा टूट जाता है तो दूसरा आदमी बना देता है । रायबरेली और अमेठी के लिये 8 राजकीय पाठशालाओं के भवनों के लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । लेकिन मान्यवर, बस्ती में एक भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहां पर कोई भी इन्टर कालेज नहीं है और दूसरी ओर रायबरेली जिले को 8 कालेज भवन और कालेजों की व्यवस्था की जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व व्यय में आपने क्या मांगा ? एक करोड़ 8 लाख रुपये की इनकी मांग है । मान्यवर, बाढ़ में नावों के खर्चे का 1,08,00 रुपया मांगा और कार्यालय पेट्रोल के लिये 1,48,00,000 रुपया मांगा गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस तरह का व्यय होगा । बाढ़ में तो नावें चलती हैं तो पेट्रोल पर इतना कैसे खर्च होगा । आप कह सकते हैं कि मोटर बोट चलायेंगे । मान्यवर, नाव पर 1 करोड़ 8 लाख और पेट्रोल पर 1 करोड़ 48 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, तो मान्यवर, यह फिजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है ?

मान्यवर सहकारिता विभाग का जो मूल बजट है वह 34,35,73,000, है और पूरक बजट 8,63,67,000 रुपये का है और उसकी पहली किस्त 45,85,000 रु0 की है । दूसरी बात यह, है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जो सहयोगी मंत्री हैं वह रोज-रोज नयी घोषणायें करते हैं । शासन के सदस्यों की गाड़ियों के पेट्रोल के बिलों का 10 लाख रुपया भुगतान

के लिये बकाया पड़ा है आपने कुछ दिया है परन्तु इतना अभी बकाया है। मान्यवर जब वह बेकार रहते हैं तो गांवों का दौरा करते है क्योंकि वहां पर सेक्रेटरी छोटे मंत्रियों से नमस्ते भी नहीं करते हैं और आपने ऐसा नियंन्त्रण किया है कि आपके अलावा और किसी की बात यह सुनते ही नहीं और न किसी दूसरे के पास जाते ही हैं और गांवों में डी0एम0 और एस0पी0 उनको सलाम करते हैं। मान्यवर, यह आपके अनुत्पादक खर्चे हैं आप इनको बन्द करें। मान्यवर, मनकापुर में डाक बंगला बनाया जा रहा है, वहां पर इसकी क्या आवश्यकता है। टेलीफोन फैक्टरी है उसका अपना स्वयं का डाक बंगला है। आप 4 करोड़ रुपये से हेलीकाप्टर खरीद सकते हैं और आप वाल्टर गंज और खलीला बाद की फैक्टरियों को रुपया नहीं दे सकते हैं जिसके कारण लाखों लोगों का जीवन बेकार हो गया है। तो यह अनुत्पादक कार्यों में पैसा खर्च करते हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। अगर यह धन बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये और गरीबों की समस्याओं को दूर करने के लिये मांगा गया होता तो मुझे प्रसन्नता होती। मान्यवर, इस सरकार के इसी तरह के कार्य कलाप हैं आप देखें बंगला नं0 6, उसमें जो रहते हैं निकाल दिये जाते हैं। जो मंत्री है पता लगा लेंगे उसका इतिहास रहा है। मान्यवर, उसमें रोज अतिरिक्त कमरा बनता है रोज शौचालय बन रहा है राजभवन में क्या बन रहा है। ये ऐसे खर्चे हैं जिसे टाला भी जा सकता है। आप मंडलीय विकास निगम को लोन दीजिए लोन देकर उनके मरे हुए उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। इसी के साथ ही जो अनुपूरक अनुदान रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

माननीय उपाध्यक्ष, जी जब यह चर्चा हो रही थी और श्री शतरुद्र प्रकाश जी बोल रहे थे तो मैं समझ रहा था। वह कोई ऐसा मद दिखा दें जहां हमारा ऐसा कोई खर्चा हुआ हो जो इस प्रदेश की जन कल्याणकारी नीति के विरोध में हो। लेकिन एक मद भी वह ऐसी नहीं दिखा सके जहां हमारी सरकार ने एक भी पैसा अनावश्यक खर्च किया हो। मैं उनकी मानसिकता को समझ सकता हूं। उनको अगर कहीं खर्चे में बुराई नजर आई तो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों में नजर आई। इस राज्य में जहां वह बैठे हैं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने अगर कुर्बानी न की होती, तो शायद शतरुद्र, प्रकाश जी यहां बैठे न होते और उनकी यह स्थिति न होती।

मान्यवर, मेरे विभाग से सम्बन्धित एक बात आ गयी इसलिए मैं कहूंगा माननीय नेता विरोधी दल थे नहीं और शतरुद्र प्रकाश उनकी स्टेपनी बनकर बोले हैं। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है 35 प्रतिशत और मंत्री जी ने 41 प्रतिशत कहा है। उस दिन बोर्ड के चेयरमैन 41 प्रतिशत और मंत्री जी ने 35 प्रतिशत कहा है यह हो सकता है कि जिस दिन मंत्री जी ने कहा हो उस दिन 41 प्रतिशत और जिस दिन बोर्ड ने कहा है उस दिन 35 प्रतिशत हो। प्लांट लोड फैक्टर से इसका उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है। वे कह देते कि मैं इसको नहीं समझ पाता हूं तो मैं उनको समझा देता और मुझे आशा है कि अब वह समझ गये होंगे।

मान्यवर, बाढ़ का जिक्र किया गया। माननीय सदस्यों ने खुद माना है कि यह अभूत पूर्व बाढ़ थी। मान्यवर, इस अभूतपूर्व बाढ़ में इस सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि प्रदेश के किसी कोने में हमने पैसे के अभाव में किसी को मरने नहीं दिया।

(व्यवधान)

हमें यह नहीं मालूम था हम तो यह समझते थे कि जिस समय बाढ़ की मद में आप देखें, इससे निबटने के लिए बहुत आवश्यक धनराशि, बड़ी धनराशि हमने खर्च की। हमने बाढ़ से किसी को तबाह नही होने दिया उस समय पैसे की जरूरत थी और यह पैसा खर्च किया गया है, अपने वादे के मुताबिक खर्चा किया गया है। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी एक अंश कोई ऐसा दिखा दें जिससे हमें कह दें कि हमारी फिजूलखर्ची थी हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसा

शतरुद्र प्रकाश जी कहेंगे। कि आपने यह पैसा क्यों खर्च किया। क्योंकि इन्होंने किया था जब उनकी सन् 77 से सन् 80 तक सरकार थी। ये पैसा खर्च नहीं कर पाये थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इधर बैठी हुई सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजीव गांधी के आदर्शों की सरकार है यह गरीबों के लिये, प्रदेश की उन्नति के लिये उनके विकास के लिये उनकी सहायता के लिये पैसे का अभाव रास्ते में नहीं आने दिया गया और जनता से जो हमने वायदे किये हैं उन्हें यह सरकार अवश्य पूरा करेगी। इन शब्दों के साथ, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने माननीय राज्य मंत्री का भाषण बड़े गौर से सुना। ये माननीय शतरुद्र प्रकाश जी की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों पर आपने पैसा खर्च कर दिया तो उन्हें बुरा लगा। बुरा नहीं लगा मान्यवर, मैं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की चिता पर राजनीति की रोटी सेंका करते हैं उनकी घोर निन्दा करता हूं। हम लोगों ने 20 लाख रुपया खर्च करके अपनी पार्टी में फंक्शन किया। मुख्य मंत्री जी ने एक स्तर पर यह बात कही कि यह पार्टी का कार्यक्रम है इसमें गैर कांग्रेसियों को नहीं बुलाया गया।

श्री प्रमोद कुमार--

यह बात नहीं कही। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

20 तारीख का नव भारत टाइम्स आप पढ़ लें। आपने 9 लाख रुपया सूचना विभाग के माध्यम से बंटवाया था। एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने 19 तारीख को प्रधान मंत्री के सामने यह सूचना देकर माल्यार्पण कराया कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, इस माह से तुम्हारी पेंशन में 100 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। आज की तारीख पर यदि उसके संबंध में आप राजाज्ञा कर दिये होते तो हम ताली बजाते। आज तक उसकी राजाज्ञा जारी नहीं की गई है। अब आपने 19 तारीख को प्रधान मंत्री के सामने खड़े होकर ऐलान किया था तो उसकी राजाज्ञा भी कर दिये होते। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के दीवाने जो शहीद हो गये हैं उनकी चिताओं पर राजनीति की रोटी का दुष्चक्र मत कीजिये, मत कीजिये।

एक बात मान्यवर, और बताना चाहता हूं। आपने एसोसियेटेड जनरल्स को साढ़े पन्द्रह लाख रुपये दिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा समाचार-पत्र नहीं है? ठीक है आपने उसको साढ़े पन्द्रह लाख रुपये दिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसके कर्मचारियों के ऊपर जो 7 लाख रुपया बकाया है वह भी दे दिये होते।

आगे दूसरी बात कहता हूं, आप कहते हैं कि हमने कोई खर्च खराब नहीं किया है। यह पूरा अनुपूरक बजट इस बात का द्योतक है कि राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये वित्तीय और यह जो बजेटरी प्रोसेस है उसका उल्लंघन कर अब खूब खर्च कर रहे हैं। बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ आपने प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता करने के लिये वहां पर अपने सूचना विभाग का कैंप लगा दिया और उसे साढ़े तीन लाख रुपये में तय किया और किराया उसका दिया। यह अप्रत्यक्ष रूप में सहायता है या नहीं। आप बता दें तिवारी जी।

बीस सूत्री कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है उसमें उसके पदाधिकारियों की सुख-सुविधा का शब्द प्रयोग किया गया है। बजट में उसका प्राविधान किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। आप उसके अध्यक्ष हैं और आपकी पार्टी के अध्यक्ष उसके उपाध्यक्ष हैं। उनकी सुख-सुविधा के लिये आपने लाखों रुपये दिया है। उसके प्रचार के लिये आपने इतना अश्लील और गन्दा साहित्य खरीदा गया है, जिसकी कहीं मिसाल नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल सकती है। उसकी जांच हेतु सदन की एक कमेटी बना दें। मान्यवर, और माननीय तिवारी जी उसके अध्यक्ष बना दिये जायं। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे कि वह साहित्य 23 लाख रुपये के खरीदने लायक है या नहीं। यह मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं। आप ही उसमें फैसला दें।

सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया गया? यह मैं बताना चाहता हूं माननीय नकवी साहब हैं या नहीं (व्यवधान) सौभाग्य से वह मेरे विद्यार्थी रहे हैं। अभी फुर्सतगंज में एक सम्मेलन हुआ जिसमें प्रधान मंत्री के लिए भीड़ इकट्ठी की गयी।

श्री लोकेन्द्रदत्त सकलानी —

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय गुप्ता जी इतनी तेजी से बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मैं माननीय सदस्य को बधाई दूंगा कि मेरी आवाज उन बहरे कानों तक पहुंची।

श्री अधिष्ठाता—

कभी-कभी तेज आवाज से टेंशन पैदा होता है जिससे इरिटेशन पैदा होती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

तो मैं कह रहा था कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे हुआ। क्या यह सही नहीं है कि परिवहन आयुक्त पंकज कुमार पर दबाव डाला गया कि लोगों को ले जाने के लिए फ्री व्यवस्था की जाय। उस नौजवान अधिकारी ने अवकाश ले लिया। सीतापुर में मिनी बस वालों को 600 रु0 देकर ले लिया वहां के आर0 टी0ओ0 ने एक स्लिप लिखकर दी जिसमें लिखा था कि इसको चैक न किया जाय...

श्री अधिष्ठाता—

आप अब समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पंकज कुमार की बात मैंने इसलिए कही कि माननीय नकवी साहब से वह मित्र हैं। सुल्तानपुर की बात माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कही उसके उत्तर में माननीय सदस्य सुल्तानपुर ने कहा कि वह ऊसर भूमि है। तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और जगहों पर भी ऊसर और बंजर भूमि पड़ी हुई है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

माननीय मुख्य मंत्री जी सिंचाई मंत्री भी हैं मेरे क्षेत्र में चार नहरें हैं उनमें कितनी क्षमता से काम हो रहा है मैं बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता —

अभी बजट आयेगा उस वक्त भी आप कह सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

सीतापुर में जो चार नहरें हैं उसमें एक नहर उमरापुर है जिसकी क्षमता धानी कमांड एरिया 5183 एकड़ है जिसके विपरीत 100 एकड़ में सिंचाई हो रही है उत्पाद क्षमता 4136 एकड़, सिंचाई 100 एकड़, रहीमाबाद, 2488 एकड़ के विपरीत सिंचाई 60 एकड़, तेरवा 3220 एकड़ के विपरीत 55 एकड़ सिंचाई हो रही है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर भी लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से अनुपूरक अनुदानों का मैं विरोध करता हूं क्योंकि सरकार द्वारा बजटरी प्रोवीजंस का उल्लंघन हो रहा है और ऐसे खर्चे किये गये हैं जिन पर खर्च नहीं किया जाना चाहिये था।

श्री भगवती सिंह विशारद —

माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने इस विवाद के प्रारंभ में ही.....

श्री अधिष्ठाता—

आवाज साफ नहीं आ रही है माइक पर बोलें.....

*श्री भगवती सिंह विशारद—

उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह संवैधानिक अधिकार है वह एक नहीं अनेकों अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर सकती है और इसी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये यह अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है अब यह सदन का काम है कि वह उस पर कब विचार करे। आप जानते हैं कि कार्यमंत्रणा समिति इस बात का निर्णय लेती है कि किस मद पर किस दिन विचार किया जाय। तो कार्यमंत्रणा समिति ने निर्णय किया कि आज इस पर विचार किया जाय। इस पर माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी की आपत्ति उचित नहीं है। इसको मैं कहूंगा कि उनको जानकारी नहीं है इसलिये उन्होंने ऐसी बात कही...

मान्यवर, 3-4 बातें श्री शतरुद्ध प्रकाश ने कही हैं, मैं बजट की और बातों पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि संभवतः उनसे वह संतुष्ट हैं। तो उन्होंने पहली आपत्ति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में प्रकट करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस का उल्लेख किया, तो यह राष्ट्र का गौरव है कि जहां बाल गंगाधर तिलक की जयन्ती, महात्मा गांधी की जयन्ती और पं0 जवाहर लाल नेहरू की जयन्ती मनाते हैं, वहीं सारे देश और संसार के लिये गौरव की बात है कि इंदिरा गांधी का जन्म दिवस मनाने के लिये, जिन्होंने देश की अखंडता के लिये अपना बलिदान कर दिया, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी इलाहाबाद में एकत्र हुए और उनका सम्मेलन हुआ उसमें अपनी प्यारी नेता को श्रद्धांजलि अर्पित किया, यह बड़ा पुण्य कार्य था और जो लोग उस राष्ट्रीय विचारधारा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं उनके लिये भी जो बहाना हो लेकिन वह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन था, इसलिये चाहे जितना उस पर खर्च करते, यह तो उन पर न्योछावर है।

मान्यवर, दूसरी बात उन्होंने शुगर कारपोरेशन को 6 करोड़ रुपये देने के संबंध में कही और दूसरी फैक्टरियों को जो रुपया दिया गया उसके संबंध में कही। तो सदन में इस बात की हमेशा चर्चा होती थी कि गन्ना किसानों को पैसा समय से नहीं मिलता है लेकिन श्री वीर बहादुर सिंह, मुख्य मंत्री जी ने यह निश्चय कर दिया कि 15 दिन के अंदर हर गन्ना किसान को पैसा मिल जायेगा इसीलिये वह पैसा मिल रहा है और इस अनुपूरक बजट में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि किसानों को पैसा मिल जायेगा।

मान्यवर, एक बात उन्होंने फुरसतगंज उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में कही। मैं समझता हूं कि हर प्रदेश केन्द्र सरकार से इस प्रकार की मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार का प्रशिक्षण संस्थान खुल जाये। तो हमारे लिये यह तो बड़े गौरव की बात है कि प्रदेश के फुरसतगंज में यह प्रशिक्षण संस्थान खुलने जा रहा है और जो व्यवस्था की गयी है वह उचित और सामयिक है और इसको हमको स्वीकार करना चाहिए।

मान्यवर, इसी तरह से उन्होंने और बातें कहीं हैं जिनका संबंध इस प्रसंग से नहीं है, इसलिये उन बातों को यहां रखकर शायद उनके दल में इस प्रकार का विरोधाभास है जिसको वह कहने की कोशिश कर रहे हैं और अपना विरोधाभास छिपाने के लिये वह दूसरे पर इशारा करते हैं तो यह राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है वैसे उनको अधिकार है कि वह कुछ कह सकते हैं।

मान्यवर, हमने इस बजट को जो देखा और समझा है तो हम कह सकते हैं कि इस बजट में हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप ही मदें रखी गयी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले से इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि किस-किस मद में कितना-कितना पैसा व्यय होगा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस प्रकार की जानकारी थी कि प्रदेश में भयंकर बाढ़ आयेगी और यदि जानकारी उनको थी तो उसकी सूचना शासन को उनको देना चाहिए था जिससे मूल बजट में ही प्राविधान हो जाता। लेकिन यह संभव नहीं था। इसलिये जिनकी कल्पना पहले नहीं कर सकते हैं उनके लिये विवश होकर अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ रहा है। इसलिये बाढ़ की विभीषिका से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिये इस बजट अनुपूरक बजट में धनराशि रखी गयी है। यदि इसकी गंभीरता न होती तो गवर्नर साहेब का जब आप दरवाजा खटखटा रहे थे कि विधान सभा का सत्र बुलायें तो उस समय हम जनता का दरवाजा खटखटा रहे थे कि हम तुम्हारी मदद के लिये आ रहे हैं और बाढ़ से जिनके घर गिर रहे और फसल नष्ट हो रही थी उनकी हमने सहायता किया और उनके मनोबल को बढ़ाया है। यदि सहायता करने

में आपको कठिनाई हो तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

माननीय, उन्होंने महिलाओं का जो क्रिकेट मैच हुआ था, उस पर जो व्यय हुआ उस पर आपने बड़े जोरों से टीका-टिप्पणी की शतरुद्ध प्रकाश जी यह गुल्ली-डण्डा नहीं है कि 10 पैसे में खेल लेते थे। यह क्रिकेट है क्रिकेट। मैंने भी नहीं खेला है, लेकिन इसके बारेमें अच्छी तरह से जानता हूं। इसमें लाखों रुपये की तो बाजियां लगती हैं, तो लाखों खर्च होने की क्या बात। आपको तो महिलाओं को दाद देनी चाहिए। वह आपसे आगे बढ़ रही हैं। अभी क्रिकेट मैच में क्या, हर मैच में आपसे आगे रहेंगी। अन्त में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है उसको मैं हर तरह से समर्थन देता हूं।

*श्री राम सजीवन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अरबों रुपये का यह अनुपूरक बजट यह दिखाता है कि किस तरह से सरकार अपनी शक्तियों का, जो संवैधानिक निश्चित रूप से है, लगातार दुरुपयोग करती जा रही है। मुझे तो सन् 67 से इस सदन में रहने का मौका रहा है। लगातार यह परम्परा बढ़ती चली जा रही है कि अनुपूरक बजट के जरिये पहले खर्च कर दो, असेम्बली से पूछो नहीं, असेम्बली के अधिकारों का हनन कर दो और बाद में यहां अनुपूरक बजट पास कराने के लिये ले आओ। इस तरह से कोई मौका ऐसा भी आ सकता है (व्यवधान) चरण सिंह थे तो वह भी करते थे और यह थे (अपोजीशन) तो यह भी करते थे। लेकिन आप भी करते हो और आप ज्यादा करते हो, यह बात सही है (व्यवधान) हल्ला मत करो। आप ज्यादा करते हो, यह थोड़ा-बहुत करते थे। यह जो दुरुपयोग है इसको रोकना चाहिये। इससे लोकतन्त्र को धक्का पहुंचता है। इसके चलते कभी स्थिति यह आ सकती है, सरकार लगातार करोड़ों -अरबो रुपये खर्च करती चली जाय, अब तो आपने बना दिया है कि दल परिवर्तन नहीं होगा (व्यवधान) आप सभी सुन लें।

माननीय, मेरा जो समय नष्ट हो रहा है, वह आप मुझे देंगे। यह लोग हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। मान लीजिये कभी वह परिस्थिति आ जाय, खर्च की असेम्बली से स्वीकृति ली नहीं और भारी तादाद में कभी आपके ही दल के लोग इधर आ जाय और सरकार गिर गई तो क्या स्थिति होगी आपके तब मुख्यमंत्री जी, इस सरकार के मंत्री और अफसर क्या जवाब देंगे।अन्त में होगा क्या ?

अन्त में मुख्य मंत्री और मंत्रिगण अपने अपने घर चले जायेंगे और वह अफसर मारे जायेंगे, जिनकी कलम से यह खर्च सरकार करवा रही है। इसलिए इस परम्परा को आप न बढ़ाइये। अब तो आप यह लिखने लगे हैं-'आवश्यक था।' पहले के अनुपूरक बजट में आप यह लिखते थे कि 'अपरिहार्य कारणों से'।

आपने अब लिखना भी बन्द कर दिया, कहीं नहीं लिखा है कि अपरिहार्य कारणों से।

अब मैं आपको बताऊं कि कहां पर खर्च किया है। आपने फैजाबाद में सावन झूला के लिये लाखों रु0 दिया है,झूला झूलने के लिये लाखों खर्च किया गया है। इसी तरह से रामायण मेला में खर्च किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इससे सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है। कभी इस तरह से पैसा नहीं दिया गया, यह सरकार दे रही है।

इस तरह से आप लगातार धन का दुरुपयोग करेंगे और सांप्रदायिकता को बढ़ायेंगे तो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते हालत बहुत बिगड़ जायगी। इस तरह की मदों में खर्च करना फिजूलखर्ची है। आप देखें कि शतरुद्ध प्रकाश जी ने सही इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मेले में एक करोड़ रुपया खर्च कर दिया। प्रगति मैदान में जो मेला लगा उसमें आपने एक करोड़ रुपया खर्च कर दिया तो अगर इस एक करोड़ रुपये से आप बुन्देलखंड के किसानों के लिये सिचाई की व्यवस्था करते तो यह रुपया बरबाद न होकर इसका उपयोग होता और मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता। आपने इस सारे धन का दुरुपयोग किया है। इस तरह की पचीसों मदें हैं जिन पर पैसा बरबाद किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी विशारद जी ने कहा कि 3–4 ही मदें हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समय नहीं है अगर मैं कहने लग जाऊं तो 1 घंटा से ज्यादा समय चाहिये बताने में कि किन मदों में आपने पैसे का दुरुपयोग किया है। आज क्षेत्रीयतावाद को बढ़ाया दिया जा रहा है। जो प्रधान मंत्री हैं जो सरकार के मुख्य मंत्री हैं, जो सरकार के मंत्री हैं और जो सरकार के छोटे मंत्री हैं वह अपने-अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। विधायक चाहे वह सत्तापक्ष के ही क्यों न हों अपने क्षेत्र के लिये दौड़ते रहते हैं मंत्रियों के पास लेकिन उनकी सुनवायी नहीं होती है हम तो विरोधी दल के विधायक हैं हमारे साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार तो करते ही हैं। यह जो व्यवस्था है इससे क्षेत्रीयता वाद बढ़ता है और देश की एकता तथा अखंडता को खतरा पैदा होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो धन का दुरुपयोग अनुपूरक अनुदानों के जरिये किया जा रहा है इसको रोका जाय। अभी तो आप पहला लाये हैं, आपने लिखा है कि यह प्रथम अनुदान है। अभी आप दूसरा और तीसरा भी लायेंगे,तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की फिजूलखर्ची को रोका जाय और इस अधिकार का दुरुपयोग न किया जाय इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बड़ी घटना 19 नवम्बर को इलाहाबाद में हुई। आनंद भवन के साये में,गंगा के तट पर तमाम तपस्वी लोग और त्यागी लोग इकट्ठे हुए चाहिये तो यह था कि उधर के लोग भी, मैं जरा नाम लेकर कहना पसंद नहीं करता, कि वह उनका दर्शन करते और सेवा करते।

एक सदस्य---

बम्बई में।

श्री राम नरेश शुक्ल---

गंगा कहां बम्बई में हैं, बात इलाहाबाद की है। आपको चाहिये था कि इलाहाबाद में जाते और दर्शन करते और उनकी कुछ सेवा करते लेकिन आपका दृष्टिकोण एक है, हर चीज में आपको पार्टीबाजी दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी ने कहा कि बड़ी पार्टीबाजी हुई और राजनीतिक लाभ उठाया गया है जो आये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिये। जिस जगह पर हों, चाहे जिस पार्टी में रहे हों उनका सम्मान हुआ है,आज भी होता है और हमेशा आगे भी होना चाहिये। (मेज़ों की थपथपाहट।) इसी भावना से यह कांन्फ्रेस हुयी थी। चाहिये तो यह था कि उसके लिये सरकार को बधाई दी जाती लेकिन दुखद बात है कि आलोचना की गयी और उनके द्वारा की गयी जिन्होंने,77 से 80 तक गुप्ता ज़ी के पीछे बैठने वाले लोगों ने इस हद तक पार्टी बाज़ी की थी कि जब तक नेकर वाले का सर्टीफ़िकेट नहीं आ जाता था तब तक नौकरी तक नहीं मिलती थी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उधर से ही एक प्रस्ताव सराहना का धन्यवाद आना चाहिये था इस बात के लिये कि मुख्य मंत्री जी ने जो पेंशन बढ़ा दी है, सेनानियों को उपहार दिया इतना उम्दा इन्तजाम किया कि जितने लोग वहां गये थे,जो भी स्वतन्त्रा संग्राम सेनानी वहां गये थे उन्होंने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। उसे कम से कम उस दिन मालूम हुआ होगा कि उसने जो त्याग किया था उस त्याग को परखने वाले और पहचानने वाले उत्तर प्रदेश शासन में आज भी मौजूद हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जो चीज अच्छी हो तो उसको अच्छी कहने की कोशिश की जाए और जो चीज अच्छी न हो उसे अच्छा न कहा जाए। और जहां तक कांन्फ्रेस का संबंध है, उसमें एक अद्भुत और एक ऐतिहासिक घटना हुई उसके लिए बिरोध पक्ष को और मा0नेता विरोधी दल को कम से कम माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए न कि व्यर्थ में आलोचना का विषय बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि बाबू राम सरन दास जी जो बार-बार खडे हो रहे हैं, वह अवश्य ही इस पर कुछ आलोचना करेंगे।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने जो बिचार प्रकट किये हैं मैं भी उस पर कुछ कहूंगा श्री विशारद जी तो चले गये। वैसे विशारद जी तो पुराने आदमी हैं तिवारी जी नाबालिक हैं। (हंसी) वह भी क्रिकेट के बारे में कुछ बोल रहे थे। वैसे मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बोलना पड़ रहा है। मान्यवर क्रिकेट का जो खेल है उसके बारे में डा0 लोहिया कह गये थे कि क्रिकेट का खेल दरअसल गुलामों का खेल है, इसीलिये अंग्रेजों के गुलाम मुल्क ही इस खेल को खेलते आ रहे हैं। उसी गुलामी को आज भी बड़े शौक से गले लगाये हुए हैं। यह खेल इतना वाहियात है, इसका असर हर दफ्तर में खूब देखा जा सकता है। वीर बहादुर जी चाहे जितना गेट बंद करवाओ (हाथ-पैरों से कुछ व्यंग करते हुए, जिस पर बहुत हंसी हुयी) परन्तु हर दफ्तर में लोग ट्रांजिस्टर लिए हुए, कान से लगाकर कमेन्ट्री सुनता नजर आता है। यही नहीं उस दौरान साईकिल एक आदमी चला रहा है एक हाथ से, और दूसरे हाथ में ट्रांजिस्टर लिए हुए कान में लगाए चल रहा है, उधर कुछ स्कोर हुआ, इधर यह किससे भिड़ा, इसको पता नहीं। अगर मैं मुख्य मंत्री हो जाता तो सबसे पहले इस खेल को ही बंद न करवाता बल्कि सुनना भी बंद करवा देता। दूसर टी0वी0 लगवाए जा रहे हैं बस्ती, गोरखपुर और शायद आजमगढ़ में भी। श्रीमन्, जब टी0वी0 पर माननीय मुख्य मंत्री जी के फोटो आते हैं तो गोरखपुर के लोग देखते होंगे कि कितना खूबसूरत फोटो आया है, इसी प्रकार बस्ती जिले के लोग भी अपनी नेता सरस्वती अम्माल का फोटो देखकर बहुत खुश होते होंगे। साथ ही मान्यवर, एक-एक टी0वी0 की व्यवस्था फैजाबाद और बरेली में भी करवा दीजिए ताकि वहां की जनता मा0 निषाद साहब का फोटो और बाबू चेतराम गंगवार का भी खूबसूरत फोटो देख सके। श्रीमन्, यह सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप क्या करने जा रहे हो आप ऐसी फिजूलखर्ची क्यों कर रहे हो और किन-किन का फोटो आप जनता को दिखवा रहे हैं, हमारे सामने संजय सिंह जी बैठे हैं, इनके फोटो को देखकर कौन नहीं खुश होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही को आप बंद करवाईये। और सचमुच इस प्रदेश को अच्छे तरीके से चलाइए और जो फिजूलखर्चियां हो रही हैं चाहे वह इंजीनियरों के नाम पर हो, चाहे जिलाधिकारियों के नाम पर हो, चाहे पुलिस प्रशासन के नाम पर हो और चाहे सेक्रेट्रीज करते हों किसी योजना के नाम पर, इन सब पर पाबंदी लगाइये, श्रीमन्।

यह जो दनादन कारें चल रही हैं, सब सेक्रेटरी के पास कार, नाराज होंगे सेक्रेटरी लोग जो उधर बैठे हुए हैं कि क्या वाहियात बात कर रहा है। हर सेक्रेटरी को आपने कार दे दिया। बी0डी0ओज0 के पास कार है, जीप हैं, लेकिन बी0डी0ओज0 तो बैठे रहते हैं अपने दफ्तरों में, उनकी बीडियनी जो हैं वे सिनेमा देखने के लिए इन्हीं कारों का प्रयोग करती हैं। और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जाती हैं। यह तो जो कारें आपने सुपुर्द कर दिया अफसरों को, उसका प्रयोग उनकी महिलायें करती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

आप महिला विरोधी हैं।

श्री राम सरन—

मैं महिला विरोधी नहीं हूं।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

आप बिल्कुल महिला विरोधी हैं।

श्री राम सरन—

मैं महिला विरोधी नहीं हूं, मैं तो महिलाओं का सम्मान करता हूं।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी आज्ञा से यह बात कहना चाहती हूं कि आपके रहते हुए महिलाओं का इस तरह से अपमान हो, महिलायें आपके घर में भी हैं और महिलायें शतरुद्र प्रकाश के घर में भी हैं।

मान्यवर, एक क्रिकेट की टीम आगनाइज हो, जिसमें एक तरफ महिलायें हों और दूसरी तरफ माननीय राम सरन और माननीय शतरुद्र प्रकाश को रख लीजिए, तो इनकी शिकायत खत्म हो जायगी, वह भी खुश, महिलायें भी खुश।

(हंसी)

श्री राम सरन--

मैं तो महिलाओं का सेवक हूं। मैं तो महिला विरोधी नहीं हूं, लेकिन दीदी मर्द विरोधी हैं। सड़कों की कांक्रीट, सीमेंट आदि उठा कर इंजीनियर लोग अपनी कोठी में लगाते हैं और सड़कें नंगी रहती हैं। आज जो यह फजूल खर्ची हो रही है, उस पर अंकुश लगाईये। इसको आप यह न समझें कि यह मजाक का भाषण है,मजाक नहीं है, इसको बहुतसीरियस रूप में लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट तो नालायक सरकार पेश किया करती है, बजट तो एक दफा आना चाहिए, चाहें कोई भी सरकार हो। इन शब्दों के साथ जो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बोलें हैं, उस पर मैं बल देता हूं।

*मुख्यमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, अभी यह प्रथम अनुपूरक अनुदान 1985-86 जो प्रस्तुत किया गया, उसके संबंध में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये, लेकिन माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया या तो इन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया और या इनको जानकारी नहीं थी। इन्होंने कोशिश किया, मैं बहुत विद्वान हूं, अपने को विद्वान साबित करने की कोशिश जरुर किया, लेकिन सही माने में इनको जानकारी नहीं है। जब आप इसे देखेंगे, इस अनुदान के जो उद्देश्य हैं, बाढ़ के बारे में कौन जानता था कि भीषण बाढ़ आयेगी, और बाढ़ में सहायता न पहुंचाई जाय? सहायता पहुंचाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। जब कोई विपदा आयेगी, कोई इस तरह का संकट पड़ेगा, तो सरकार को चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा, लोगों की मदद की जायेगी, चाहे आपको पसन्द हो या न पसन्द हो। आपने देखा होगा कि बाढ़ में 125.36 करोड़ रुपया खर्च किया गया। किसको मालूम था कि इतना खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ऐसा संकट पड़ गया, उस समय जब बजट आया था उस समय इसकी संभावना नहीं थी, इससे ज्यादा बढ़ भी सकता था, घट भी सकता था। इसी तरह से सूखा पड़ा था सूखे से कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ, उसके लिए 48.38 करोड़ की व्यवस्था की गई और सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता दी गई। खेती के जो किसान हैं उनको अगर हम उर्वरक वितरण न करें, तो वह भी हमारी जिम्मेदारी है उसके लिए 27.50 करोड़ रुपया दिया गया। राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत 10.5 करोड़ की व्यवस्था की गई। माताटीला पारीक्षा, ओवरा में जो नुकसान हुआ उसके लिए जो धन की व्यवस्था करनी पड़ी, उसकी बहुत आवश्यकता थी। अगर उसकी व्यवस्था न करते तो आज बिजली न मिलती, यह तो आवश्यक काम था, इसकी आलोचना करना मेरी समझ में नहीं आया।

यह कहा गया कि ट्रेड फेयर में स्थायी मंडप बनाए गये। एक करोड़ रुपया खर्च किया गया वहां उत्तर प्रदेश का मंडप है पहले वहां अस्थाई मंडप था अब वहां स्थाई मंडप बना दिया गया। इसमें हर साल पैसा खर्च होता था। जहां ट्रेड फेयर होता है, वहां हैन्डी-क्राफ्ट की कलायें और तमाम कलाओं को रखा जाता है, उसको देखने देश और विदेश के लोग आते हैं इससे हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता है। मान्यवर, उधर से कहा गया कि सारा पैसा पानी में फेंक दिया, तो मैं कहूंगा कि सब बातें सोच-समझकर करनी चाहिए। सरकार खासतौर से यह सरकार एक पैसे का मिस-यूज करने वाली नहीं है। मान्यवर, फ्रीडम फाइटर्स कान्फेंस हुई, यह किसने किया, कांग्रेस ने किया। यह इज्जत कांग्रेस की वजह से मिली कांग्रेस ने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बुलाया, उनका सम्मान किया गया, यह जिन्दगी में पहली बार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसकी आलोचना की जा रही थी, जो अच्छे कार्य हैं उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशंसा करनी चाहिये। लेकिन मान्यवर, शतरुद्ध प्रकाश जी को और राजेन्द्र गुप्ता जी को बस अपनी पार्टी दिखाई देती है। देश की लड़ाई इनको नहीं दिखाई दी, क्योंकि न तो यह उसमें थे न इनको कुछ दिखाई देता है। प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया था इसमें सवाल किया गया कि 100 रुपये बढ़ाए गये। अप्रैल, 1986 से बढ़ाए गये 1 अप्रैल, 1986 से दिया जाएगा। इसमें मान्यवर, आप देखेंगे जो पैसा मिला है वह 250.99 करोड़ भारत सरकार से मिला है। जो पैसा मिला है,उसको उसी तरह से खर्च किया गया है जहां पर पैसा खर्च करने की बहुत आवश्यकता थी वहीं पर पैसा खर्च किया गया है इसलिये मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदाम को मंजूर करने का कष्ट करें।

1985-86 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग

ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)---

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 51,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 51,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विकास

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 4,12,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग केअन्तर्गत 4,12,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 3-उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)---

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3-उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 14,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3-उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 14,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री राम औतार दीक्षित)---

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान

संख्या 4--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 11,45,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 11,45,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 19,29,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--5--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 19,29,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 19985--86 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री राम औतार दीक्षित)---

मान्यवर मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 3,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 3,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 32,11,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 32,11,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 29,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 29,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)---

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 4,19,77,000

रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9–कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 4,19,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10–कृषि विभाग (कृषि)

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 44,15,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10–कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 44,15,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11–खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह एडवोकेट)––

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 70,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 70,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 12–गन्ना विकास विभाग

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12–गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 52,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12–गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 52,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 13–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 8,26,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985 86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 8,26,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14–गृह विभाग (कारागार)

वन राज्य मन्त्री (श्री जफर अली नकवी)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 23,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 23, 68, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस)

ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 5, 28, 67, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 5, 28 67, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशनें तथा अन्य व्यय)

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशनें तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 43, 10, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशनें तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 43, 10, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अन्तर्गत 2, 85, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अन्तर्गत 2, 85, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 26, 75, 32, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 26, 75, 32, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 5, 78, 39, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा बिभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत

5,78,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,08,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,08,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 3,61,92,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 3,61,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 72,28,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 72,28,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 3,83,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 3,83,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हु,आ)

अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,78,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,78,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 83,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्ती वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय ।य

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 64,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 64,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,41,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,41,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग के अन्तर्गत 99,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग के अन्तर्गत 99,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30–पंचायती राज विभाग

ग्राम्य विकास एवं पचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)––

आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30–पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 7,14,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30–पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 7,14,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 31–परिवहन विभाग

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)––

आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 8,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 8,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–33–पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 36,16,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 36,16,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34–पशुधन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34-पशुधन विभाग के अन्तर्गत 4,05,89,00 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–पशुधन विभाग के अन्तर्गत 4,05,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35–पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्य पाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35–पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 9,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(इस समय 4 बजकर 36 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 9,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37–प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)––

आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,43,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,43,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–38–मत्स्य विभाग

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38–मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 26, 29,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38–मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 26,29,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–39–मुस्लिम वक्फ विभाग

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 42,69,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 42,69,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 72,15,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 72,15,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 41–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री

राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 19,61,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 19,61,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–42–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,10,93,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,10,93,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 14,17,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 14,17,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 45–लोक सेवा आयोग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45–लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत 32,62,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45- लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत 32 62,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 46–वन विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)––

मान्यवर आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46–वन विभाग के अन्तर्गत 2,81,23,000 रुपए की अनुपूरक वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46–वन विभाग के अन्तर्गत 2,81,23,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 47–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से

यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 1,14,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,14,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 50-वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 11,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 11,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 51-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 37,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 37,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 52-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 54–विधान सभा सचिवालय

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 28,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 28,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 55–विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55–विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 1,40,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55–विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 1,40,40,000 रुपये का अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 56–शिक्षा विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 20,85,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56 शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 20,85,55,000 रुपये की अनुपूरक की मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 57–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 77,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 77,49,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58–श्रम विभाग (सेवायोजन)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्पाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 76,49,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58–श्रम विभाग (सेवा योजन) के अन्तर्गत 76,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1885–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 60-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव

करता हूं कि अनुदान संख्या 60–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 2,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 2,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 61–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 2,15,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 2,15,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 62–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 2,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अंतर्गत 2,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 24,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 24,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 64–सचिवालय प्रशासन विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 90,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 90,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग

वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 45,85,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 45,85,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तोय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 25,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 25,31,000रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985--86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1986--87 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य के वितरण के संबंध में की गयी व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष---

बाकी मांगें बाद में ली जायेंगी । 5 बजने वाला है । इसलिये मैं माननीय सदस्यों को वित्तीय वर्ष 1986--87 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के सम्बन्ध में जो निम्नलिखित व्यवस्था की है, की सूचना देता हूं:--

"हां" की सभा कक्ष में महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, गोण्डा, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण और 'नहीं' सभा कक्ष में नामनिर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्य गण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें---

वित्तीय वर्ष 1986–87 का आय-व्ययक

मुख्यमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 1986-87 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रतियां बांट दी जाय ।

(बजट की प्रतियां वितरित की गयी)

श्री वीर बहादुर सिंह---

मैं माननीय सदस्यों का समय विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों का विवरण देने में नहीं लूंगा । विभागवार उपलब्धियों और कार्यक्रमों का विवरण व उन पर चर्चा का अवसर विभिन्न अनुदानों को प्रस्तुत करते समय प्राप्त होगा ही और मेरे सहयोगी विभागीय कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर विस्तार-पूर्वक प्रकाश डालेंगे । मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ही माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।

आर्थिक समीक्षा

वर्ष 1970-71 के स्थाई भावों पर वर्ष 1983-84 में कुल राज्य आय 6,627 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 1984–85 में त्वरित अनुमानों के अनुसार 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 6,808 करोड़ रुपये हो गई । प्रचलित मूल्यों पर कुल राज्य आय वर्ष 1983-84 में 19,393 करोड़ रुपये थी, जो बढ़ कर 1984-85 में 21,090 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । स्थाई भावों पर प्रति व्यक्ति राज्य आय वर्ष 1983-84 में 566 रुपये थी जो 1984-85 में बढ़कर 570 रुपये हो गई । इसी प्रकार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1983-84 के 1,655 रुपये से बढ़कर 1984-85 में 1,764 रुपये हो जाने का अनुमान है । वर्ष 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984-85 में कृषि क्षेत्र में, 1.4 प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्र में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वर्ष 1983-84 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 292.00 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 1984-85 में 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 302.92 लाख मीट्रिक टन हो गया वर्ष 1985-86 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 318 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था जिसमें 106 लाख मीट्रिक टन खरीफ में तथा 212 लाख मीट्रिक टन रबी में प्रस्तावित था । खरीफ में 111.17 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है । रबी के लक्ष्य की पूर्ति की पूर्ण आशा है ।

वर्ष 1983-84 में गन्ने का उत्पादन 782.44 लाख मीट्रिक टन था । वर्ष 1984-85 में गन्ने का उत्पादन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण 9.7 प्रतिशत से घटकर 706.38 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है । वर्ष 1985-86 में गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य 750 लाख मीट्रिक टन रखा गया है । वर्ष 1983-84 में कुल तिलहन का उत्पादन 12.01 लाख मीट्रिक टन था जिसके घटकर वर्ष 1984-85 में कुल 11.73 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है । वर्ष 1985-86 में तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य 17.10 लाख मीट्रिक टन रखा गया है ।

प्रदेश में आलू के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रही है । वर्ष 1983-84 में आलू का उत्पादन 55.60 लाख मीट्रिक टन था जिसके बढ़कर वर्ष 1984-85 में 59.84 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है । इस प्रकार वर्ष 1984-85 में आलू उत्पादन में 1983-84 की तुलना में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । वर्ष 1985-86 में

आलू का उत्पादन लगभग 76 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में चीनी सीमेन्ट एवं वस्त्र उद्योग परम्परागत होते हुए भी प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग हैं। वर्ष 1983–84 में चीनी का उत्पादन 20.08 लाख मीट्रिक टन था जो 13.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1984–85 में 17.36 लाख मीट्रिक टन रह गया।

सीमेन्ट का उत्पादन वर्ष 1983–84 में 9.99 लाख मीट्रिक टन था जो घटकर वर्ष 1984–85 में 9.40 लाख मीट्रिक टन रह गया, परन्तु 1985–86 के प्रथम त्रैमास में सीमेन्ट का उत्पादन 2.49 लाख मीट्रिक टन रहा जो गत वर्ष के सम्वादी त्रैमास के 1.82 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 36.8 प्रतिशत अधिक रहा।

सूती धागे के उत्पादन में गत कई वर्षों से निरन्तर वृद्धि होती रही है। वर्ष 1984–85 में इसका उत्पादन 1.32 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 1983–84 की तुलना में 12.8 प्रतिशत अधिक रहा।

वर्ष 1983–84 में प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1970–71=100) 256.8 था जिसके वर्ष 1984–85 में 274.2 हो जाने का अनुमान है। यह वर्ष 1983–84 से 6.8 प्रतिशत अधिक होगा।

विकास कार्यों में भारी पूंजी निवेश के फलस्वरूप अपरिहार्य मुद्रा स्फीति के कारण भाव वृद्धि स्वाभाविक है। प्रदेश में वर्ष 1983-84 में थोक भाव सूचकांक (1970-71=100) 296.8 था जो वर्ष 1984-85 में 7.9 प्रतिशत बढ़कर 320.2 हो गया। वर्ष 1985–86 के पूर्वार्द्ध यथा अप्रैल–सितम्बर, 1985 की अवधि में यह सूचकांक 347.2 हो गया।

थोक भाव में होने वाली वृद्धि का प्रभाव फुटकर भावों पर भी पड़ता है। यह बात अवश्य है कि प्रदेश के नगरीय अंचल की अपेक्षा ग्रामीण अंचल में भावों का स्तर एवं भाव वृद्धि की दर कम रही। वर्ष 1984–85 में गत वर्ष की तुलना में नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक में केवल 1.2 प्रतिशत की ही वृद्धि रही। वर्ष 1983–84 एवं 1984–85 में ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (1970–71=100) क्रमशः 286.2 व 289.6 थे जबकि नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक क्रमशः 287.0 तथा 299.9 थे। वर्ष 1985–86 के पूर्वार्द्ध यथा अप्रैल–सितम्बर, 1985 की अवधि में ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तथा नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक बढ़कर क्रमशः 318.3 तथा 332.4 के स्तर पर आ गये। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में भी नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक में हुई प्रतिशत वृद्धि ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक में हुई प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक रही।

दैवी आपदायें

दुर्भाग्यवश, वर्ष 1985–86 में भी प्रदेश के 54 जनपद बाढ़, अतिवृष्टि तथा भू-स्खलन से तथा 34 जनपद सूखे से प्रभावित रहे, जिसमें फसलों, मकानों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति के साथ-साथ पशुओं और जनजीवन की भी काफी क्षति हुई। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिये व्यापक पैमाने पर कार्यवाही की गई। बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों, जिनमें खरीफ की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है, में भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली को 3 माह के लिये स्थगित कर दिया गया। राहत कार्यों के लिये भारत सरकार ने वर्ष 1985–86 में विभिन्न दैवी आपदाओं के लिये लगभग 181 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की है जिसमें केन्द्रीय सरकार से लगभग 142 करोड़ रुपये प्राप्त होगा तथा शेष राज्य सरकार वहन करेगी।

वार्षिक योजना 1986–87

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि केन्द्रीय योजना आयोग के परामर्श से वर्ष 1986–87 की वार्षिक योजना का आकार 2,150 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वर्ष 1985–86 की वार्षिक योजना के 1,750 करोड़ रुपये के आकार से लगभग 23 प्रतिशत अधिक है तथा अन्य सभी राज्यों की योजनाओं के आकार से सर्वाधिक है।

वर्ष 1986--87 की योजना के निर्धारित परिव्यय में पर्वतीय क्षेत्र की अनुपूरक योजनाओं के लिये 120 करोड़ रुपये की अनुपूरक केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है, जो गत वार्षिक योजना की लगभग 108 करोड़ रुपये की अनुपूरक केन्द्रीय सहायता से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है।

माननीय सदस्य अवगत होंगे कि प्रदेश में कार्यान्वित किये जा रहे विकास कार्यक्रमों विशेष कर गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक उत्थान आदि को समयबद्ध तरीके से पूरा करने, प्रशासनिक मशीनरी को तेज और कुशल बनाने तथा जनता को स्वच्छ प्रशासन देने की प्रभावी कार्यवाही की गई है। मण्डलायुक्त विकास कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने में प्रभावी भूमिका निभा सकें, इसलिये उन्हें शासन के कुछ अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। प्रदेश शासन का यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसके अन्तर्गत शासन के अधिकारों को विकेन्द्रित कर मण्डलायुक्तों को अपने मण्डल के विकास कार्यों के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

अखिल भारतीय स्तर पर प्रदेश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति वर्ष 1984-85 में छठवें स्थान पर थी। वर्ष 1985-86 में माह दिसम्बर, 1985 तक अनेक कार्यक्रमों में राज्य स्तरीय उपलब्धियां गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अच्छी रही। इस वर्ष सीलिंग भूमि का आवंटन, आवास स्थलों का आवंटन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्बल वर्ग आवास निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति इनके निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुई है।

वर्ष 1986--87 में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 8.95 लाख परिवारों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है, जिसमें 4.48 लाख परिवार अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 346 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित कर आर्थिक रूप से निर्बल परिवारों को रोजगार के अवसर सुलभ करने, 1,350 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किये जाने तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत तीन लाख परिवारों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। जल निगम द्वारा 5,515 समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल सम्पूर्ति प्रस्तावित है। वर्ष के दौरान 34 करोड़ पौध रोपित होंगे और 20,000 गोबर/बायोगैस संयंत्र लगाये जायेंगें। उचित दर की 4,000 नई दुकानें खोली जायेंगी तथा 18,000 ग्रामीण एवं लघु उद्योग इकाइयों को स्थापित किया जायगा।

कृषि उत्पादन

कृषि उत्पादन को बढ़ाने एवं उसमें स्थायित्व लाने के उद्देश्य से गत वर्ष आरम्भ की गयी परियोजनाओं का अच्छा प्रभाव रहा। फलस्वरूप खरीफ 1985--86 में चावल के अनुमानतः 80.73 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का एक नवीन कीर्तिमान स्थापित हुआ। चावल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन जो वर्ष 1984-85 में 12.97 कुन्तल था, वर्ष 1985-86 में बढ़कर 14.74 कुन्तल हो गया।

वर्ष 1986-87 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 334 लाख मीट्रिक टन रखा गया है जिसके लिये विभिन्न कृषि निवेशों जैसे--सिंचाई, उन्नतिशील बीज आदि के कुशल प्रबन्ध की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उत्पादन के स्तर पर व्याप्त क्षेत्रीय असन्तुलन को भी घटाने का प्रयास किया जायेगा। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रदेश में राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना लागू की गई है।

कृषि प्रसार संगठन की योजना प्रदेश के आठ जनपदों--लखनऊ, रायबरेली, आजमगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर तथा देवरिया में कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रसार एवं प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों की उपज एवं आय में तीव्र वृद्धि लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना को वर्ष 1986-87 में अन्य आठ जनपदों--लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर तथा बलिया में भी लागू करने का प्रस्ताव है।

खरीफ 1985--86 से नई फसल बीमा योजना प्रदेश में भी चलाई जा रही है। फसल बीमा में वे सभी कृषक लाभान्वित

होंगे जो अपनी फसलों के लिये सहकारी बैंकों, व्यवसायिक बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों के माध्यम से फसल ऋण प्राप्त करेंगे ।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि कृषि विपणन विकास के क्षेत्र में वर्ष 1984-85 में किये गये कार्यकलापों के लिये भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया । कृषि विपणन के इतिहास में प्रदेश को यह गौरव प्रथम बार प्राप्त हुआ है ।

प्रदेश में प्रथम बार रबी तथा जायद में नि:शुल्क सब्जी बीज पैकेट वितरण की एक विशेष योजना वर्ष 1985-86 में स्वीकृत की गई, जिसके अन्तर्गत रबी 1985 में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के 50 प्रतिशत तथा नैनीताल एवं देहरादून जिलों के समस्त ग्रामों में प्रति ग्राम 40 चयनित लघु एवं सीमांत कृषकों की दर से 19.69 लाख सब्जी बीज के पैकेट नि:शुल्क वितरित किये गये । शेष ग्रामों में जायद के मौसम में नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है ।

सिंचाई

बहुउद्देशीय, वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 30,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का अनुमान है तथा वर्ष 1986-87 में 55,000 हेक्टेयर क्षमता का सृजन प्रस्तावित है ।

वर्ष 1985-86 में मध्य गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत गंगा नदी पर बैराज कानिर्माण पूरा हो गया है। वर्ष 1986-87 में इस परियोजना में सिंचाई प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है । बुन्देलखंड में डोंगरी, खपरार एवं रोहणी बांध परियोजनायें पूरी हो चुकी है । इसके अतिरिक्त मिर्जापुर जनपद की बेलन बखहर डाइवरजन परियोयोजना, पीलीभीत जनपद की माधो / टांडा सिंचाई परियोजना, कानपुर, जनपद की उमरहट पम्प नहर परियोजनायें भी पूर्ण होने के निकट हैं । वर्ष 1986-87 में लखीमपुर खीरी जनपद की अलीगंज सिंचाई परियोजना, मिर्जापुर की बखहर मड़ीहान पोषक नहर, ढेकवा बांध एवं धोबा पम्प नहर परियोजनायें, बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सजनम बांध परियोजना तथा बहराइच जनपद की सरयू पम्प नहर परियोजना पर निर्माण कार्य पूरा करना प्रस्तावित है । केन नहर परियोजना के पुनरुद्धार के लिये आवश्यक निर्माण कार्य मध्य प्रदेश से समझौता हो जाने के फलस्वरूप प्रारम्भ करना सम्भव हो गया है । संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 1986-87 में पुरानी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण करना तथा उनसे सिंचाई क्षमता के सृजन का ही लक्ष्य रखा गया है ।

राजकीय लघु सिंचाई के अन्तर्गत मिर्जापुर में 34 बंधी परियोजना का कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्ष 1986-87 में पूरा करने का लक्ष्य है । प्रदेश के असफल नलकूपों का पुन: निर्माण कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करानेमें वरीयता दी जा रही है तथा विदेशी सहायता प्राप्त करके अतिरिक्त नलकूप लगाने पर बल दिया जा रहा है। वर्ष 1986-87 में 25 कि0मी0 लम्बे सीमान्त बांध तथा 50 कि0 मी0 लम्बे जलोत्सारण कार्यों का निर्माण कर 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ।

ऊर्जा

देश के सर्वांगीण विकास एवं आधुनिक समाज के निर्माण में विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है । राज्य की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है और इस क्षेत्र में काफी प्रगति भी हुई है, परन्तु फिर भी अब तक हुई प्रगति आवश्यकता की तुलना में कम है । प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग 106 किलोवाट है जो 146 किलोवाट के राष्ट्रीय स्तर से कम हैं इस अन्तर को कम करना हमारी योजनाओं का लक्ष्य है ।

वर्ष 1985-86 में विद्युत् उत्पादन का मूल लक्ष्य 13,554 मिलियन यूनिट (8,648 मिलियन यूनिट तापीय तथा 4,906 मिलियन यूनिट जलीय) रखा गया

था परन्तु ओबरा एवं हरदुआगंज विद्युत गृहों की क्षति ग्रस्त इकाइयों के देर से चालू होने और जुलाई, 1985 में 3×30 मेगावाट मानेरीभाली प्रथम जलीय विद्युत गृह के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसे घटाकर 12,829 मिलियन यूनिट (8,707 मिलियन यूनिट तापीय तथा 4,122 मिलियन यूनिट जलीय) रखा गया। अप्रैल से नवम्बर, 1985 की अवधि में कुल 7,808 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ जो इस अवधिके लक्ष्य का 92 प्रतिशत है। इसी प्रकार नवम्बर 1985 तक प्रदेश के 1,12,568 ग्रामों में से 64,157 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

उपलब्ध उत्पादन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के उद्देश्य से नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम भी बनाया गया है। इस नवीकरण कार्यक्रम हेतु भारत सरकर से इस वर्ष प्राप्त 30 करोड़ रुपये की धनराशि विद्युत परिषद् को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसी प्रकार माताटीला तथा परीक्षा विद्युत परियोजनाओं तथा लखनऊ शहर के क्षतिग्रस्त विद्युत कार्यों की मरम्मत हेतु 6.85 करोड़ रुपये की धनराशि भी विद्युत परिषद् को इस वर्ष उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 1986-87 में 420 मेगावाट अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता का सृजन, 1.338 सर्किट कि0 मी0 33 के0बी0 एवं उससे उच्च विभव की पारेषण लाइनों का निर्माण, 3,660 ग्रामों का विद्युतीकरण 30,000 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण तथा 3,457 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उद्योग

सातवीं योजनाकाल में प्रदेश में लगभग एक लाख लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जिससे कम से कम सात लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु 1986-87 में लगभग 20,000 नये उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का वृहत कार्यक्रम चलाया जायेगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से वर्तमान वित्तीय विर्ष में लखनऊ में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई है जो उद्यमिता विकास के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र बिन्दु के रूप में काम करेगा। तकनीकी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिये रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, आई0 आई0टी0, कानपुर और कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर के सहयोग से इलेक्ट्रानिक्स, रोबोटिक्स तथा हाइड्रोपोनिक्स के विस्तार का प्रयास किया जायेगा।

लखनऊ में सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलाजी (सिपेट) के एक केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिससे प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी। जगदीशपुर में राज्य स्तरीय इन्स्टीट्यूट आफ रुरल टेक्नोलाजी स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में नवीनतम तकनीक के अनुकूल कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सेन्ट्रल फूड टेक्नोलाजी एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मैसूर की लखनऊ शाखा के सुदृढ़ीकरण हेतु 2.50 एकड भूमि और 35.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1986-87 में कार्यान्वित किये जाने वाले कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नवत है—

(क) 122.4 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से लघु उद्योग की लगभग 18,000 नई इकाइयां स्थापित की जायेंगीं जिनमें 1.40 लाख नये रोजगार सृजित होंगे।

(ख) प्रदेश के 11 उद्योग शून्य जिलों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन और सुदृढ़ीकरण हेतु अवस्थापना प्रोजेक्ट भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिनमें से अब तक 6 जनपदों—कानपुर (देहात) फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, जौनपुर तथा सुल्तानपुर के प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 6 करोड़ रुपये हैं जिससे भारत सरकार, राज्य सरकार तथा आई0 डी0बी0आई0 प्रत्येक के द्वारा दो-दो करोड़, रुपये का विनियोजन प्रस्तावित है। यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां ऐसे प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं।

(ग) लगभग 6,000 करोड़ रुपये की लागत से वृहत क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जायेंगे जिससे लगभग 25,000 व्यक्ति रोजगार पायेंगे। पैट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स और उच्च तकनीकी पर आधारित भारी और मध्यम उद्योगों के अन्तर्गत अनुपूरक इकाइयों के विकास पर बल दिया गया है।

(घ) वर्ष 1986-87 में 51 विकास खण्डों में लघु औद्योगिक आस्थान स्थापित करने, क्षेत्रीय कच्चा माल और मांग को देखते हुए उद्योगों का चयन करने और प्रत्येक विकास खंड में लगभग 40 उद्यमियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

(च) खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत लगभग 16,000 नई इकाइयों की स्थापना की जायेगी जिनमें लगभग 16 करोड़ रुपये पूंजी निवेश होगा और लगभग 56,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

(छ) एक राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्योग तकनीकी समन्वय समिति की स्थापना की गई है जो इसकी निरन्तर समीक्षा करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नई एवं सुधरी तकनीक का समुचित प्रसार हो रहा है तथा आर्थिक औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ हो रहा है।

(ज) वृहत एवं मध्यम उद्योगों के उद्यमियों की कठिनाइयों के त्वरित निराकरण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है।

(झ) हथकरघा और पावरलूम क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य स्तरीय पावरलूम बोर्ड की स्थापना की गई है और हथकरघा बोर्ड की स्थापना की जा रही है।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

प्रदेश में उत्पादित गन्ने की समुचित पेराई व्यवस्था तथा उसका उचित मूल्य भुगतान करके चीनी उद्योग पर आश्रित किसानों तथा श्रमिकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में गन्ने के मूल्य में 2 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गई। वर्ष 1984 85 तक सहकारी क्षेत्र में कुल 26 चीनी मिलें कार्यरत थीं। वर्ष 1985-86 में संपूर्ण नगर (खीरी) व पूरनपुर (पीलीभीत) की दो नई सहकारी चीनी मिलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इन दोनों मिलों ने पेराई कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। निर्माणाधीन गदरपुर (नैनीताल) चीनी मिल के सत्र 1986-87 से तथा पुवांया (शाहजहांपुर) चीनी मिल के सत्र 1987-88 से पेराई कार्य प्रारम्भ करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त नादेही (नैनीताल) अनूपशहर (बुलन्दशहर) तथा बिलासपुर (रामपुर) की सहकारी चीनी मिलों का विस्तारीकरण का कार्य पूरा हो गया है। वर्ष 1986-87 में सहकारी क्षेत्र में एक नई चीनी मिल की स्थापना, ननौता (सहारनपुर) की चीनी मिल की क्षमता का विस्तार तथा कायमगंज (फर्रुखाबाद) एवं सुल्तानपुर की रुग्ण चीनी मिलों के पुनर्वासन का कार्य प्रारम्भ कर तथा बदायूं व रसड़ा (बलिया) की दो चीनी मिलों के पुनर्वासन का कार्य पूरा करने का प्रस्ताव है। राज्य की चीनी निगम की किच्छा (नैनीताल) चांदपुर (बिजनौर), सकोती टाण्डा (मेरठ), खड्डा (देवरिया) तथा मोहीद्दीनपुर (मेरठ) मिलों का आधुनिकीकरण व विस्तार का कार्यक्रम पूरा कर दिया गया है। अमरोहा (मुरादाबाद) एवं बिजनौर इकाई में आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण का कार्य तथा नन्दगंज (गाजीपुर) व रायबरेली स्थित दो सहायक कम्पनियों में पुनर्वासन का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1986-87 में रामपुर व डोईवाला (देहरादून) की दो अन्य चीनी मिलों में आधुनिकीकरण। विस्तारीकरण का कार्य भी किया जायगा। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा एक नई चीनी मिल की स्थापना घाटमपुर (कानपुर देहात) में की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य अगले वर्ष पूरा करने का कार्यक्रम है।

सड़क एवं यातायात

विगत दो वर्षों में मार्गों के निर्माण कार्य में जो सुधार हुआ है उससे सदन के माननीय

सदस्य अवगत है। आशा है कि प्रदेश में वर्ष 1985-86 के अन्त तक कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 79,657 किलोमीटर हो जायगी तथा 1,500 या इससे अधिक आबादी वाले 8,364 ग्राम व 1,000 में 1,499 आबादी वाले 6,064 ग्राम पक्की सड़कों से जुड़ जायेंगें। वित्तीय वर्ष 1986-87 में भी नये पुलों के निर्माण, राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों के सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मार्गों पर खड़ंजा किये जाने के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। 1,500 से अधिक जनसंख्या वाले 633 गांव तथा 1,000 से 1,499 तक जनसंख्या वाले 478 गांव पक्की सड़कों से और जोड़ दिये जाने का लक्ष्य है।

परिवहन निगम की सेवाओं के संचालन स्तर को बेहतर बनाने एवं जनता को बेहतर परिवहन सेवा सुलभ कराने की दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा इस वर्ष माह दिसम्बर तक 740 चेसिसें क्रय कर बस बेड़े का सुदृढ़ीकरण किया गया। वर्ष के अन्त तक 1,237 नई बसें क्रय करने का प्रयास है। वर्ष 1986-87 में निगम द्वारा 1,233 बसें क्रय करने का प्रस्ताव है।

शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 1986-87 में 279 प्राइमरी तथा 95 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। साथ ही 1,017 प्राइमरी स्कूलों तथा 289 जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण भी कराया जाना प्रस्तावित है। तहसील स्तर पर 6 राजकीय बालिका विद्यालय भी खोलने का प्रस्ताव है।

प्रदेश के आजमगढ़, बस्ती तथा गोरखपुर जिलों के 900 बिजली से सेवित ग्रामों के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतसरकार की योजना के अन्तर्गत अबतक 700 टेलीविजन सेट्स लगाये जा चुके हैं और शेष 200 टेलीविजन सेट्स लगाने की कार्यवाही इस समय प्रगति पर है। साथ ही, लखनऊ में एक शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम केन्द्र की स्थापना भी की गयी है जो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिये आवश्यक 'स्क्रिप्टस' 'फिल्म्स' आदि तैयार करने की कार्यवाही करेगा।

प्रदेश में अगले शैक्षिकसत्रसे नैतिकशिक्षा का पाठयक्रम लागू किया जायेगा। इस हेतु कक्षा 6, 7 व 8 की पाठय पुस्तकों के संशोधन, पुनर्लेखनआदि की कार्यवाही की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षकों को नैतिक शिक्षा में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रदेश के अच्छे विद्यालयों में छात्र प्रवेश के दबाव को देखते हुये अग्रगामी परियोजना के रूप में जुलाई, 1986 से प्रदेश के जनपद मुख्यालय पर अवस्थित 97, राजकीय इण्टर कालेजों (बालक/बालिका) में पत्राचार एवं अध्ययन सम्पर्क पाठयक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

प्राविधिक शिक्षा

वर्ष 1985-86 में पर्वतीय क्षेत्रके गढ़वाल जिले के कांडुसेन में तथा अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाटमें एक-एकइंजीनियरिंगकालेज तथा हरदोई एवं शक्ति फार्म (नैनीताल) में एक-एक राजकीयपालीटेकनिकस्थापितकिये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है और इन सभी संस्थाओं की स्थापना के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।वर्ष 1986-87 में झांसी में एक नये इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का प्रस्ताव है।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने तथा इसकार्यक्रम को सुदूर अंचलों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1,000 नये उपकेन्द्रों की स्थापना, 1,000 ए0 एन0 एम0, 1,000 अंशकालिक दाइयों तथा 57 जिलों में जन स्वास्थ्य परिचारिकाओं के पद सृजित कर दिये गये हैं। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक साज-सज्जा एवं उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 92.70 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

बच्चों को काली खांसी, पोलियो, टिटनेस, टी0 बी0 तथा डिपथीरिया जैसे प्राणघातक बीमारियों से बचाव हेतु रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिये 19 नवम्बर, 1985 से प्रदेश के दो जनपदों–वाराणसी तथा इलाहाबाद में तथा 5 मेडिकल कालेजों में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है ।

वर्ष 1986–87 में 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 14 दन्त रुजालय, 7 बाल रुजालय तथा 8 रेडियोलाजी यूनिट्स की स्थापना का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 1986–87 में 2 डायलिसिस यूनिट्स, 12 इन्टेन्सिव कारोनरी यूनिट्स, 3 मिनी आपरेशन थियेटर्स, 5 अशासकीय चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण, 2 मेडिकल केयर यूनिट्स तथा दान स्वरूप प्राप्त भवनों में 3 चिकित्सालयों की स्थापना का प्रस्ताव है । परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनमानस का कार्यक्रम बनाने के लिये कई योजनायें लागू की गई हैं, जिनमें प्रमुख ग्रीन कार्ड योजना है । ग्रीन कार्ड धारकों को कई सुविधायें स्वीकृत की गयी है । इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसके सक्रिय कार्यान्वयन का दायित्व जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को सौंपा गया है । इसमें लगभग सभी विभागों, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से चल रहा है । जुलाई, 1986 से इसमें कक्षायें प्रारम्भ हो जाने की संभावना है ।

आवास एवं नगर विकास

प्रदेश में नगरीय जनसंख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि के फलस्वरूप नगरों में आवासीय समस्या उत्पन्न हो रही है । इस समस्या के समाधान हेतु शासन कृत संकल्प है । प्रदेश मे आवास एवं विकास परिषद तथा 19 विकास प्राधिकरण गठित है । वर्ष 1985–86 में अयोध्या–फैजाबाद विकास प्राधिकरण तथा शक्ति नगर गंगोत्री विशेष क्षेत्र प्राधिकरण गठित किये गये हैं । आवास एवं विकास परिषद् का कार्यक्षेत्र अब 114 नगरों में प्रसारित हो चुका है । राज्य सरकार ने सामाजिक आवासीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 प्रतिशत से अधिक भवन दुर्बल आयवर्ग के व्यक्तियों के लिये निर्मित कराये जाने का निर्णय लिया है । वर्ष 1985–86 से दुर्बल आय वर्ग हेतु साइट एवं सर्विसेज नामक योजना भी लागू की जा चुकी है ।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में 1.75 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य के समक्ष 2.38 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के कारण भारत सरकार से राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये की धनराशि प्रोत्साहन अनुदान के रूप में प्राप्त हुई । वर्ष 1985–86 में इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्धारित लक्ष्य से अधिक पूर्ति होने की आशा है ।

मार्च, 1985 तक 556 नगरीय क्षेत्रों में तथा 40,070 ग्रामों में पेयजल तथा 54 नगरों में आंशिक जलोत्सारण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है । वर्ष 1985–86 में नागर पेय जल योजना के अन्तर्गत 6 नये नगरों में पेयजल उपलब्ध करने एवं महानगरियों के अतिरिक्त 13 अन्य नगरों में पेयजल सुविधा के विस्तार एवं पुनर्गठन की व्यवस्था की गयी है ।

गंगा नदी में बढ़ता हुआ प्रदूषण राज्य सरकार के लिये चिन्ता का विषय रहा है । नव स्थापित केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के तत्वाधान में गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने का बृहत कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के तट परस्थित प्रदेशके मुख्य नगरों से संबंधित फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी है । माननीय सदस्यों को जानकर हर्ष होगा कि भारत सरकार से ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद तथा कानपुर हेतु कुल 352.21 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

खाद्य एवं रसद

माननीय सदयों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि क्षेत्र समिति की बैठकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा करने के आदेश दिये गये हैं। वर्ष 1985-86 में सरकारी सस्ते गल्ले की 3,122 दुकानें खोलीं गई। यह उपलब्धि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में प्रथम मानी गई है।

इन्टीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत रियायती दरों (गेहूं 1.50 रुपये प्रतिकिलो तथा चावल 1.85 रुपये प्रति किलो) पर खाद्यान्न वितरित करने की भारत सरकार द्वारा पोषित योजना प्रथम चरण में प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन तथा पलिया ब्लाक के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले 41 गांवों में दिसम्बर, 1985 से लागू की गई है। देहरादून, चमोली, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जनपदों के 11 ब्लाकों में भी उक्त योजना लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों से खाद्यान्नों की खरीद की योजना के अन्तर्गत शासन की क्रय एजेंसियों द्वारा अब तक 92,990 मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में माह नवम्बर, 1985 तक प्रदेश में 24,776 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे डाले गये जिसके फलस्वरूप 1,054 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 1,982 लाइसेन्सों को निलम्बित एवं 1,475 लाईसेन्सों को निरस्त किया गया। लगभग 7.37 करोड़ रुपयों की आवश्यक वस्तुयें चोर बाजारी में पकड़ी गई। मिट्टी का तेल डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध है। डीजल तथा अय पेट्रोलियम उत्पादों में मिट्टी के तेल की मिलावट पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

खाद्य तथा रसद विभाग की वर्तमान कुल संग्रह क्षमता 4.81 लाख मीट्रिक टन है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पांच हजार मीट्रिक टन क्षमता का एक-एक गोदाम बनाकर 2,85 लाख मीट्रिक टन संग्रह क्षमता सृजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1986-87 में प्रदेश के 12 मैदानी जनपदों में पांच हजार मीट्रिक टन क्षमता के एक-एक गोदाम निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

शांति एवं व्यवस्था

आज की बदलती हुई परिस्थितियों तथा अनेकानेक जटिल समस्याओं के होते हुये भी पुलिस द्वारा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने की दिशा में सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अदम्य साहस तथा कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुये कुख्यात डकैतों का सफाया किया। वर्ष 1985 में पुलिस तथा डकैतों के बीच 1,343 अवसरों पर मुठभेड़ें हुई जिसमें 295 डकैत मारे गये तथा 3,683 डकैत गिरफ्तार किये गये और 2,540 आग्नेयास्त्र बरामद किये गये।

पुलिस बल की क्षमता एवं कार्य कुशलता बढ़ाने तथा अपराधों पर और अधिक सुदृढ़ नियंत्रण रखने के लिये शासन पूर्ण रूप से जागरुक है। शासन ने चालू वित्तीय वर्ष में पुलिस उपाधीक्षकों के 156 पद तथा उनके लिये 156 गाड़िया स्वीकृत कर दी हैं। इसके अलावा प्रदेशमें नवस्थापित 23 थानों के लिये 23 जीपें तथा क्षेत्राधिकारियों तथा अपर पुलिस अधीक्षकों के लिये 87 जीपों की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में कुछ पुलिस चौकियों को उच्चीकृत करके रिपोर्टिग पुलिस चौकी बनाने तथा नई पुलिस चौकियों एवं 53 नये थानों की स्थापना भी की जा रही है।

शासन द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि यदि किसी जनपद में साम्प्रदायिक दंगे होते हैं तो वहां के जिलाधिकारी इस दंगे पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार करेंगे ताकि भविष्य में दंगों की रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

अल्प संख्यक समुदाय कल्याण

राष्ट्रीय एकता की भावना तथा सद्भाव बनाये रखनेके लिये अल्प संख्यक समुदाय के कल्याण के लिये प्रभावी कदम उठाये गयें हैं। यह भी निर्देश दिया गया है कि सरकारी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान की सेवा में अल्प संख्यकों की नियुक्ति पर ध्यान दिया जाय । इसके लिये चयन समितियों में अल्प संख्यक वर्ग के संदस्य को रखने के भी आदेश दिये गये हैं ।

अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम को 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

राजस्व प्रशासन

राजस्व प्रशासन को जनता के नजदीक लाने तथा उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करने के लिये भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं। भूमि विवाद के लम्बित मामलों की संख्या को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे 15 जनपदों में एक मुख्य राजस्व अधिकारी, 7 लाख से अधिक आबादी वाली 35 तहसीलों में एक अतिरिक्त परगनाधिकारी तथा 5 लाख से अधिक आबादी वाली 99 तहसीलों में एक अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त किये जायें । शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि निर्बल वर्ग के लोगों को शासन द्वारा आवंटित भूमि का अभिलेखों में उचित इन्दराज कानून-गो मौके पर जा कर करेंगे ।

सार्वजनिक उपक्रम

शासन प्रयत्नशील है कि घाटे पर चल रहे सार्वजनिक उपक्रम अपने कार्य में सुधार लायें और लाभ अर्जित करें । इन उपक्रमों में अनुशासन एवं दक्षता लाने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं । राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की एकसमिति बनायी गयी है जो हर बड़ें उपक्रम की कार्य प्रणाली को देखकर उसमें सुधार के प्रस्ताव देगी । हमारा यह प्रयास है कि शासन के उपक्रम स्थानीय लोगों तथा क्षेत्र के विकास में समुचित योगदान दें ।

खेलकूद

प्रदेश शासन द्वारा क्रीड़ा प्रतिष्ठानों के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है । 1986-87 में तीन नये स्टेडियम, पांच बहु-उद्देशीय हाल व दो तरण तालों का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की आशा है । इसके अतिरिक्त क्रीड़ांगनों को आधुनिकतम खेल उपकरणों सें सुसज्जित भी किया जायेगा ।

श्रम कल्याण

द्वि-पक्षीय व त्रि-पक्षीय सम्मेलनों के माध्यम से औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने तथा समस्याओं को शन्तिपूर्ण ढंग से निपटाने के फलस्वरूप वर्ष 1985 में हड़ताल तालाबन्दी की संख्या एवं मानव दिवसों की हुई हानि में गत वर्ष की अपेक्षा काफी गिरावट आयी । वर्ष 1985 में मात्र 65 हड़तालें/तालाबन्दी हुई जिसमें 5.83 लाख मानव दिवसों की हानि हुयी जबकि 1984 में 147 हड़तालें । तालाबन्दी हुयी थीं जिनमें 9.82 लाख मानव दिवसों की हानि हुयी थी ।

वर्ष 1986-87 में 40 श्रम निरीक्षक कार्यालयों की स्थापना की जावेंगी । इसके अतिरिक्त घोसी (आजमगढ़), जगदीशपुर (सुल्तानपुर), नोएडा (गाजियबाद) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, झांसी तथा ऊंचाहार (रायबरेली) में श्रम कल्याण केन्द्र भी स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय बचत

राष्ट्रीय बचत योजना का देश व प्रदेश की विकास योजनाओं के लिये आन्तरिक संसाधन जुटाने में एक महत्वपूर्ण योगदान है । जनता के सहयोग से इस योजना के अन्तर्गत कुल जमा धनराशिके आधारपरवर्ष 1985-86 में केन्द्र से 325 करोड़रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जबकि 1984-85 में केवल 224 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे । इससे उत्साहित होकर वर्ष 1986-87 में 650 करोड़रुपये जमा करने का लक्ष्य रखा गया है।

संस्थागत वित्त

विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों

के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 हेतु 1,100 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त जुटाये जाने के लक्ष्य के विपरीत माह अक्टूबर, 1985 तक 716.26 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त स्वीकृत कराया गया।

बैंकिंग सेवायें ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूर अंचलों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे प्रदेश में जनवरी 1985 से नवम्बर, 1985 तक 719 शाखायें खोली गई जिनमें से 682 शाखायें ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में खोली गई हैं। माह नवम्बर, 1985 तक प्रदेश में विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की 7,234 शाखायें खुल चुकी हैं जिससे प्रदेश में प्रति बैंक शाखा औसत आबादी 15,100 पर आ गई है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नेवार्ड) से कृषि तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्य-कलापों हेतु सहकारी वर्ष 1984–85 में 150 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विपरीत 154.18 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त कर उत्तर प्रदेश ने सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान पाया है।

व्यवसायिक बैंकों ने इस वर्ष किसानों को फसली ऋण प्रदान करने में भी अच्छी भूमिका निभाई है जिसके फलस्वरूप 40.85 करोड़ खरीफ फसल 1985 में तथा 13.69 करोड़ रुपये रबी फसल में 15 नवम्बर, 1985 तक वितरित किये गये हैं।

आय-व्ययक अनुमान 1986–87

अब मैं आगामी वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक अनुमानोंके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार अगले वर्ष राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 6000.82 करोड़ रुपये है। राजस्व प्राप्तियों की 4003.16 करोड़ रुपये की राशि में 1236.80 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 862.73 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 1414.48 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 489.15 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित है। पूंजी लेखे की 1997.66 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 1941.71 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 55.95 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं।

आगामी वर्ष में राजस्व व्यय 4135.09 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 1004.34 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिये तथा 3130.75 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये हैं। पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 2209.93 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 988.67 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 1221.26 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये है। इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 6345.02 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसके कारण संचित निधि के अन्तर्गत 344.20 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है।

लोक लेखा के अन्तर्गत 255.36 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणामस्वरूप 88.84 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है।

आयोजनेतर व्यय में अधिकाधिक मितव्ययता एवं सरकारी देयों की वसूली प्रभावी तौर से करने का सरकार प्रयास कर रही है। अतएव मुझे आशा है कि 88.84 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे की पूर्ति हो जायेगी।

मंत्रि-परिषद् के समस्त सहयोगियों का मैं बहुत अनुग्रहीत हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा उनके विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं

कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से करने में मेरी सहायता की। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा इस कार्य में सहयोग देने के लिये आभार प्रकट करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 1986–87 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

1985–86 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री––(श्री सीता राम निषाद)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,43,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,43,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री––(श्री सीता राम निषाद)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 49,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 49,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री सीता राम निषाद)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 3,45,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 3,45,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री सीता राम निषाद)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 44,21,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 44,21,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 77 -सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 28,13,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 28,13,-57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 78–सूचना विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,97,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,97,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 29,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 29,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 80–स्पोर्ट्स विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80–स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 44,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 44,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 81–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 81–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 8,56,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 8,56,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 82–क्षेत्रीय विकास विभाग

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 2,07,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82–क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 2,07,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थत किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1985–86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीर बहादुर सिह---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

श्री वीर बहादुर सिह---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1985–86 का अनुपूरक) विधेयक 1986

31 मार्च, 1986ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

भारत गणराज्य के सैंतीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

विधेयक

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का अनुपूरक) अधिनियम, 1986 कहलायेगा।

2---ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1986 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ--2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ--3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 5,13,64,-13,000 रुपये (पांच अरब तेरह करोड़ चौसठ लाख तेरह हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की सीमित निधि में से वर्ष 1985-86 के लिये 5,13,64,13000 रुपये का दिया जाना।

3---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1986ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

विनियोग

अनुसूची
(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2			3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
				विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग		राजस्व	51,46	..	51,46
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग		राजस्व	1,27,87	..	1,27,87
			पूंजी	2,85,12	..	2,85,12
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)		राजस्व	14,09	..	14,09
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)		राजस्व	7,88,50	..	7,88,50
			पूंजी	3,57,47	..	3,57,47
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)		राजस्व	5,23,44	..	5,23,44
			पूंजी	14,05,94	..	14,05,94
6	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)		राजस्व	3,32	..	3,32
7	ऊर्जा विभाग		राजस्व	6,85,00	..	6,85,00
			पूंजी	25,26,00	..	25,26,00
8	कार्मिक विभाग		राजस्व	29,35	..	29,35
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)		राजस्व	1,24,66	47	1,25,13
			पूंजी	2,95,11	..	2,95,11
10	कृषि विभाग (कृषि)		राजस्व	34,12,57	..	34,12,57
			पूंजी	10,03,00	..	10,03,00

अनुसूची — (क्रमशः)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	20,10	..	20,10
		पूंजी	50,00	..	50,00
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	52,20	..	52,20
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	पूंजी	8,26,00	..	8,26,00
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	19,64	..	19,64
		पूंजी	4,04	..	4,04
15	गृह विभाग (पुलिस)	रजास्व	5,18,68	..	5,18,68
		पूंजी	9,99	..	9,99
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	43,10	..	43,10
17	गोपन विभाग	राजस्व	2,85	..	2,85
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	25,64,63	..	25,64,63
		पूंजी	1,10,69	..	1,10,69
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	5,78,39	..	5,78,39
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	4,08,03	..	4,08,03
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	3,61,92	14	3,62,06
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	71,91,27	..	71,91,27
		पूंजी	37,66	..	37,66

उत्तर प्रदेश विधान सभा

23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	3,53,68	..	3,53,68
		पूंजी	30,00	..	30,00
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	2,78,53	..	2,78,53
25	नियुक्ति विभाग	राजस्व	83	..	83
26	नियोजन विभाग	राजस्व	4,50	28	4,78
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	14,42	..	14,42
		पूंजी	49,80	..	49,80
28	निर्वाचन विभाग	राजस्व	2,41,00	..	2,41,00
29	न्याय विभाग	राजस्व	36,68	100	37,68
		पूंजी	62,66	..	62,66
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	6,99,69	..	6,99,69
		पूंजी	15,00	..	1500
31	परिवहन विभाग				
		पूंजी	50,00	..	50,00
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	8,48	..	8,48
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	18,78,46	..	18,78,46
		पूंजी	17,37,75	..	17,37,75
34	पशुधन विभाग	राजस्व	3,18,33	10	3,18,43
		पूंजी	87,56	..	87,56
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	9,75	..	9,75
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1,43,50	..	1,43,50
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	26,29	26	26,55
39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	42,69	..	42,69
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	70,15	47	70,62
		पूंजी	2,00	..	2,00
41	राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	19,61,00	..	19,61,00
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	2,10,93	155	2,12,48

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनसूची—(क्रमशः)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	5,60	5,60
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	14,17	..	14,17
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	3,31	3,31
		पूंजी	32,62	..	32,62
46	वन विभाग	राजस्व	2,81,23	42	2,81,65
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	2,00,00	..	2,00,00
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..	राजस्व	5,22	..	5 22
		पूंजी	1,08,82	..	1,08,82
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	11,00,00	..	11,00,00
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) ..	राजस्व	37,18	..	37,18
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	1	..	1
54	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	28,82	..	28,82
55	विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग	राजस्व	1,40,40	..	1,40,40
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	20,71,55	27	20,71,82
		पूंजी	14,00	..	14,00
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	77,49	..	77,49

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

58	श्रम विभाग (सेवा योजन)	राजस्व	76,49	..	76,49
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	2,24	..	2,24
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	2,15,01	18	2,15,19
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) ..	राजस्व	2,25	..	2,25
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प पंजीकरण) ..	राजस्व	24,60	..	24,60
		पूंजी	15		15
64	सचिवालय प्रशासन विभाग ..	राजस्व	90,30	..	90,30
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,17,32	1,975	1,37,07
		पूंजी	44,68,16	..	44,68,16
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	25,31	..	25,31
69	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	2,72	..	2,72
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2,71	..	2,71
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) ..	राजस्व	2,70	3,60	6,30
		पूंजी	1,41,18	..	1,41,18
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) ..	राजस्व	1,51	6,26	7,77
		पूंजी	48,38	..	48,38
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) ..	राजस्व	48,81	..	48,81
		पूंजी	2,96,79	..	2,96,79
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) ..	राजस्व	26,12,00	..	26,12,00
		पूंजी	18,09,12	..	18,09,12
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	26,83,56	1,20,83	28,04,39
		पूंजी	1,30,01	1,86,00	3,16,01
78	सूचना विभाग	राजस्व	1,41,86	..	1,41,86
		पूंजी	55,35	..	55,35
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	29,09	..	29,09
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	44,59	..	44,59

अनुसूची (समाप्त)

1	2		3		4
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	6,47,64	..	6,47,64
		पूंजी	2,08,99	..	2,08,99
82	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	1,02,38	..	1,02,38
		पूंजी	1,05,13	..	1,05,13
	योग ..	राजस्व	3,44,49,15	1,64,49	3,46,13,64
		पूंजी	1,65,64,49	1,86,00	1,67,50,49
		कुल योग	5,10,13,64	3,50,49	5,13,64,13

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीर बहादुर सिंह––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985–86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985–86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष––

नियम 51 के अन्तर्गत आज 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक सूचना श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी एवं श्री जगवीर सिंह की हैं जो अलीगढ़ जनपद में स्थापित सघन जिला कृषि कार्यक्रम योजना को समाप्त करने के विषय में है, को स्वीकार करता हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष––

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 14 फरवरी, 1986 की बैठक में दिनांक 17 फरवरी, 1986 के लिए सदन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के उपरान्त कानपुर में कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में एक घन्टे की चर्चा निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की आज की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।"

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की आज की सिफारिश से, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष––

अब हम उठते हैं, सोमवार को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 59 मिनट पर सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 1986 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
14 फरवरी, 1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर।)

जनपद झांसी उत्तर प्रदेश हेतु जिला योजना वर्ष 1982–83, 1983–84, 1984–85 एवं 1985–86 में स्वीकृत की गई धनराशियां

वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रुपये में)
1982–83	1––ऋण, संस्थाओं में अंशपूंजी विनियोजन . .	10,00,000
	2––उपभोग ऋण वितरण पर रिस्कफण्ड हेतु अनुदान . .	2,500
	3––क्रय-विक्रय समितियों को मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान	10,000
	4––पुरानी विधायन इकाइयों के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण . .	2,50,000
	5––प्रारम्भिक महिला/छात्र/अ0 जा0 समितियों को अंशपूंजी	5,000
	6––उपभोक्ता समितियों को मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान	25,000
1983–84	1––क्रय विक्रय समितियों को मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान	25,000
	2––क्रय विक्रय समितियों को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु ऋण . .	10,000
	3––उपभोग ऋण वितरण पर रिस्कफण्ड हेतु अनुदान . .	40,000
	4––जिला/के0 सहकारी बैंकों की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान	16,000
	5––ऋण संस्थाओं में अंशपूंजी विनियोजन . .	12,39,000
	6––ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु अनुदान . .	34,000
	7––उपभोक्ता भंडारों को मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान	21,000
1984–85	1––अनुसूचित जाति के लोगों के ऋण पर रिस्क फण्ड हेतु अनुदान	50,000
	2––अनुसूचित जाति के लोगों को समितियों के अंश क्रय करने हेतु ऋण	60,000
	3––जिला/के0 सहकारी बैंकों की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान	32,000
	4––एफ0एस0एस0 को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु ऋण . .	24,000
	5––पैक्स को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु ऋण . .	1,50,000
1985–86	1––अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को समितियों का सदस्य बनाने हेतु ऋण/अनुदान	20,000
(दिनांक	2––पैक्स को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमांत धनराशि ऋण . .	45,000
23–1–86 तक की स्थिति		

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर।)

मार्च, 1985 से जनवरी, 1986 तक विद्युतीकृत ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों के नाम	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों के नाम
1	भदैया ..	1--सीतापुर	..
		2--बालमपुर	.. बालमपुर
		3--रामपुर	.. रामपुर
		4--रायगढ़	.. रायगढ़
		5--छोबरा	छोबरा
		6--बरई	बरई
		7--पतीपुर	.. पतीपुर
		8--नौबस्ता	.. नौबस्ता
		9--महमूदपुर	.. महमूदपुर
		10--दाउदपट्टी	.. दाउदपट्टी
		11--असरावां	.. असरावां
		12--सकया	.. सकया
		13--सादीपुर	.. सादीपुर
2	लम्बुआ ..	..	बागंरकला
3	प्रतापपुर कमैचा (चांदा)	..	सोनवां

नत्थी 'ग'

(देखिए अतांराकित प्रश्न संख्या–25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर।)

संलग्नक

अग्नि कांड की तिथि	ग्राम जहां लांक जली	अनुमानित क्षति रु0	दी गई सहायता का विवरण			अन्य विवरण
			अहेतुक सहायता रु0	तकावी रु0	गल्ला	
1	2	3	4	5	6	7
9–3–85	अमिलिहा	6,000	..	..	..	अहैतुक सहायता का पात्र नहीं।
19–3–85	नसेनी	1,190	100	..	..	
21–3–85	जमवारा	725	100	..	..	
25–3–85	मऊ (ब)	1,48,250	..	32,000	..	
27–3–85	पौहार	4,000	..	..	..	
	सुदिनपुर	18,200	400	..	..	
29–3–85	स्योहद	7,800	..	5,000	..	व्यक्ति ने नहीं लिया।
30–3–85	अकबरपुर	18,900	..	..	..	तकावी नहीं चाहता अहेतुक सहायता का पात्र नहीं है।
12–4–85	कल्यानपुर	28,160	..	6,188	..	पीड़ित ने नहीं लिया।
13–4–85	सुन्दर लाल पाण्डे का पुरवा (गुढ़ाकलां)	1,99,850	20,750 (83)	16,000 (8)	17 कुंतल गेहूं	

17-4-85	पड़मई	11,080	..	..	..	अहेतुक सहायता का पात्र नहीं।
20-4-85	जमवारा	60,900	1,750	..	..	
27-4-85	पोंमरी	200	100	..	..	
2-5-85	बहेरी	17,590	1,200	24,000	..	तकावी में दो व्यक्ति ने 10,000 रु0 लिया है। शेष ने नहीं लिया है।
	योग	5,14,845	24,40	83,100	17 कुंतल	

प्रभावित व्यतियों को 83100/- आपदा स्वीकृत की गई है और प्रभावित को 58000/- वितरित किया जा चुका है। शेष धनराशि पीड़ितों द्वारा नहीं ली गई है।

अतारांकित प्रश्न विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 29 पर।)

सूची

विकास खण्ड बामौर	विकास खण्ड गुरसराय	विकास खण्ड मोंठ
1--जखनवारा	1--अतरौली	1--कसैया
2--लमेरा	2--पुरातनी	2--बहादुरपुर
3--नैकौरा	3--मयगांव	3--पचौवई
4--हरदुआ	4--रनयारा	4--सेरसा
5--कुरैठा	5--गढ़ा	5--खूजा
6--गोकुल (पारा)	6--बीरसिंहपुरा	6--दतवली कलां
7--बीरपुरा	7--टोडी	7--अमगांव
8--रघौली	8--मढा	
9--अजनेरी	9--बिजौरा	
10--बछेह	10--डिबकई	
11--आलमपुरा		
12--जुझारपुरा		
13--नगरा		
14--बरमपुरा		
15--अडजरा		

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . 37 पर।)

ब्लाक मार्टिन गंज में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची जनवरी, 1986 माहान्त तक

1—हैदराबाद
2—छित्तेपुर
3—निकासीपुर
4—खिदिरपुर
5—कुम्भ
6—कुरियावां
7—महुजा नेवादा
8—भादों
9—असई मोलनापुर

ब्लाक फूलपुर में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची जनवरी, 1986 माहान्त तक

1—खानजहापुर
2—शाहपुर
3—शेखपुर पिपरी
4—मुन्डवर
5—बक्सपुर
6—मक्खापुर
7—फूलपुर
8—उदपुर
9—चकनूरी
10—सिंगारपुर
11—भेंडिया
12—मलगांव
13—कुशालगांव
14—खरसनखुर्द
15—बखरा
16—पूक
17—कटार
18—बिलार मऊ
19—महुवारा खुर्द
20—संजई
21—पलिया अदाई
22—सम्मीपुर
23—शेखवलिया
24—बखरिया
25—बीबीगंज
26—समन्दपुर
27—महुवारा कला
28—तिधरा
29—चरौंवा
30—संग्रामपुर
31—पत्थी
32—मानपुर
33—धोहा
34—बहाउद्दीनपुर
35—चकदीन सुकुल

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में 7 मार्च, 1985 से 30 जून, 1985 तक हुए अग्निकांड़ों का विवरण तहसील बांसडीह जनपद बलिया

क्र0सं0	अग्निकाण्ड का दिनांक	ग्राम का नाम जहां अग्निकांड हुआ	अनुमानित क्षति रु0 में	सहायता जो दी गई		विवरण
				अहेतुक सहायता रु0	गृह अनुदान रु0	
1	2	3	4	5	6	7
1	8–3–85	मून छपरा प0 खरीद	12,500.00	1,100.11	400.00	
2	9–3–85	कूवापीपर प0 खरीद	200.00	अपात्र	अपात्र	
3	10–3–85	सरांव प0 खरीद	760.00	100.00	400.00	
4	13–3–85	मरवटिया नौवरार प0 खरीद	4,250.00	अपात्र	200.00	
5	14–3–85	रामपुर नम्बरी प0 खरीद	1,38,500.00	750.00	3,000.00	
6	15–3–85	झरकटहों प0 खरीद	52,300.00	1,500.00	3,000.00	
7	15–3–85	भोजपुरवा प0 खरीद	10,500.00	200.00	अपात्र	
8	15–3–85	रामपुरम शरीफ़ उर्फ़ बहादुरपुर प0 खरीद	1,420.00	100.00	अपात्र	
9	18–3–85	कुसौलीकटनां प0 खरीद	1,03,100.00	400.00	1,600.00	
10	18–3–85	आदर प0 खरीद	300.00	अपात्र	अपात्र	
11	19–3–85	केवरा प0 खरीद	40,100.00	अपात्र	अपात्र	
12	21–3–85	भोपतिपुर प0 खरीद	7,000.00	700.00	1,400.00	
13	21–3–85	,, ,,	2,900.00	200.00	200.00	
14	22–3–85	,,	2,250.00	अपात्र	अपात्र	

15	23-3-85	भोपतिपुर प0 खरीद	700.00	40.00	अपात्र
16	22-3-85	मेहराजपुर ,,	32,000.00	700.00	2,800.00
17	22-3-85	दिपराभागर ,,	67,100.00	400.00	1,200.00
18	23-3-85	भोजछपरा ,,	2,630.00	100.00	अपात्र
19	25-3-85	दिनहा प0 खरीद	575.00	अपात्र	अपात्र
20	27-3-85	खरौनी ,,	920.00	50.00	अपात्र
21	25-3-85	बांसडीह ,,	1,120.00	अपात्र	अपात्र
22	7-4-85	सिगही ,,	32,500.00	1,000.00	2,000.00
23	7-4-85	आदर ,,	2,330.00	1,00.00	200.00
24	4-4-85	रामनगर जनुवी ,,	33,528.00	1,100.00	2,200.00
25	8-4-85	अकोलही ,,	1,870.00	250.00	अपात्र
26	1-4-85	गोपालनगर ,,	6,200.00	500.00	अपात्र
27	11-4-85	बोरआरदारी ,,	720.00	अपात्र	अपात्र
28	10-4-85	महराजपुर ,,	9,762.00	200.00	400.00
29	11-4-85	सिगही ,,	2,52,762.00	11,250.00	6,000.00
30	12-4-85	भोपतिपुर ,,	3,900.00	200.00	200.00
31	13-4-85	भोपतिपुर	1,200.00	100.00	200.00
32	18-4-85	शिवपुर खरीद	200.00	अपात्र	अपात्र
33	19-4-85	कितूपुर	34500.00	800.00	12,00.00
34	19-4-85	खवसड़	21,800.00	800.00	600.00
35	20-4-85	कैधवली	1,146.00	अपात्र	अपात्र
36	22-4-85	सूर्यपुरा	1030.00	1,200.00	अपात्र
37	27-4-85	नारायणपुर	750.00	अपात्र	अपात्र
38	30-4-85	कैवली	1,900.00	अपात्र	अपात्र
39	18-5-85	गोपालनगर	45,100.00	1,000.00	2,000.00
40	20-5-85	पर्वतपुर	2,730.00	200.00	400.00

1	2	3	4	5	6	7
41	1-6-85	सुल्तानपुर	1,870.00	200.00		400.00
42	2-6-85	भरखरा	2,450.00	200.00		400.00
43	21-5-85	सुखपुरा	1,000.00	200.00		400.00
44	4-6-85	रेवती	17,210.00	अपात्र		अपात्र
45	10-6-85	खीरुछपरा नौबरार	22,000.00	800.00		1,200.00
46	16-6-85	,,	22,175.00	1,700.00		3,400.00
47	20-6-85	रामनगर जनूवी	18,550.00	600.00		1,200.00
48	24-6-85	रामपुर मसरीन जमीन गंगबरार	15,175:00	600.00		1,200.00
49	29-6-85	धीराछपरा	16,880.00	600.00		2,400.00
			10,52,250.00	29,840.00		40,200.00

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

विद्युत वितरण मण्डल मुजफ्फरनगर दिनांक 7–12–85 तक

क्षतिग्रस्त हुए ट्रान्सफारमरों की सूची

क्रम सं0	ट्रान्सफारमर जहां क्षतिग्रस्त हुआ	ट्रान्सफारमर की क्षमता	क्षतिग्रस्त होने की दिनांक
	सरकारी नलकूप		
1	एस0टी0डब्लू0 न 0 20 ए फुगानी	25 के0वी0ए0	25–11–85
2	एस0टी0 डब्लू0 न0 17 जे0जी0	25 के0वी0ए0	29–11–85
3	एस0टी0डब्लू0 84 के0जी0	25 के0वी0ए0	3–12–85
	निजी नलकूप		
4	श्री जमानत अली मन्वाडा	63 के0वी0ए0	3–11–85
5	श्री जिले सिंह ग्राम भिक्का माजरा	63 के0वी0ए0	4–11–85
6	मंडावर टाउन	63 के0वी0ए0	6–11–85
7	निरीक्षण भवन बुटाना	25 के0वी0ए0	9–11–85
8	श्री कबूल सिंह गढ़ीनावाबाद	63 के0वी0ए0	21–11–85
9	चतरू भौकरहेडी	63 के0वी0ए0	23–11–85
10	करहेडा टाउन	25 के0वी0ए0	25–11–85
11	श्री गिरीराज सिंह ग्राम डागरोड	63 के0वी0ए0	6–12–85

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0—5 विधान सभा–16–5–86 (396)–1986–813 (मैग0)।